लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th

LOK SABHA DEBATES



[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

[खण्ड 45 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 9, शुक्रवार, 20 नवम्बर, 1970/29 कार्तिक, 1892 (शक)
No. 9, Friday, November 20, 1970/Kartika 29, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
241. रुपये के मूल्य में गिरावट	Fall in value of Rupee ..	1—4
242. विकसित और विकासशील देशों के बीच शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और तकनीकी जानकारी के क्षेत्रों में आदान-प्रदान	Exchange in the Field of Education, Culture, Science and Technical know-how between Developed and Developing Countries ..	4—7
244. खाद्य पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि	Price rise registered for food articles and other commodities ..	8—14
245. सरकारी उपक्रमों में खपा लिये गए कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति की सुविधाएं	Retirement benefit to employees absorbed in Public Undertakings ..	14—15
246. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से वित्तीय सहायता	Financial Assistance from International Development Association ..	15—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
243. चम्बल के बीहड़ों को कृषि योग्य बनाने लिये मध्य प्रदेश को विश्व बैंक से सहायता	World Bank's assistance to Madhya Pradesh for reclamation of Chambal Ravines ..	17
247. जब्त किये गये माल की बिक्री	Disposal of Confiscated goods ..	17—18
248. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण	Loan from International Development Association ..	18—19

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
249. बैंकों द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन देने की संशोधित नीति के कारण आसनसोल कोयला खानों की अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव	Effect on the economy of Asansol Coal Mines due to revised policy of bank loans and advances ..	19
250. विश्वविद्यालय शिक्षा की बिगड़ती हुई स्थिति	Deteriorating condition of university education ..	19
251. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा विकासशील राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने की योजनायें	Schemes for giving aid to Developing Nations by International Monetary Fund ..	20
252. पश्चिमी बंगाल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to West Bengal ..	20—21
253. आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करना	Ceiling on income ..	21—22
254. होटलों और रेस्टोरेंटों द्वारा यात्री चैकों का दुरुपयोग	Misuse of Travellers' cheques by Hotels and Restaurants ..	22
255. कलकत्ता पत्तन की बिगड़ती हुई स्थिति	Deteriorating Condition of Calcutta Port ..	22—23
256. दिल्ली परिवहन उपक्रम को बिक्री कर तथा सड़क कर से विमुक्ति	Exemption of Delhi Transport Undertaking from sales and road Taxes ..	23
257. अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति की सिफारिशें	Recommendations of Inland Water Transport Committee ..	23—24
258. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय की इमारत का गिराया जाना	Demolition of R. S. S.Office Building in Banaras Hindu University Campus ..	24
259. इण्डियन एयरलाइन्स में नियमानुसार काम करो आन्दोलन	Work to Rule Agitation in Indian Air Lines ..	24—26
260. राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्रियों का सम्मेलन और विश्व बैंक की बैठक	Commonwealth Finance Ministers Conference and World Bank Meeting ..	26
261. यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन का शामिल होना	U. K's entry into European Common Market ..	26—27
262. सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा गैर सरकारी क्षेत्रों को दिये गये ऋण को ईक्विटी में परिणत करना	Conversion of loan given by the Public Financing Institution to Private Sector into equity ..	27—29

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
263. नेपाल की सीमा से चीन द्वारा जाली भारतीय मुद्रा की तस्करी	Smuggling of fake Indian Currency notes by China across Nepalese borders ..	29
264. विदेशी पर्यटकों की शिकायतें	Complaints of Foreign Tourists ..	30
265. इण्डिया टोबेको कम्पनी लिमिटेड में ब्रिटिश के शेयर	British shareholding in India Tobacco Co. Ltd. ..	30—31
266. विदेशी पर्यटकों की शिकायतें	Complaints of Foreign Tourists ..	31
267. केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों को अन्तरिम सहायता का लाभ	Benefits of Interim Relief to pensioners of Central Government ..	32
268. पश्चिम बंगाल की शिक्षा संस्थाओं का बन्द होना	Closure of educational institutions in West Bengal ..	32
269. बचत सर्टिफिकेट और सावधि जमा धनराशि के बारे में तल्यार खां समिति का प्रतिवेदन	Taleryarkhan Committee Report on Savings Certificates and Time Deposits ..	32—33
270. विदेशी ऋणों की बकाया राशि	Outstanding amount of foreign loans ..	33
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1601. बड़ी कम्पनियों के लेखों में त्रुटियां	Lapses in the accounts of large Companies ..	33—34
1602. विश्व बैंक के दल द्वारा कृषि वित्त निगम के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श	Discussions by World Bank Team with Officials of Agricultural Finance Corporation ..	34—35
1603. संगीत नाटक अकादमी के सचिव तथा अन्य पदाधिकारियों द्वारा किये गये विदेशी दौरे	Foreign visits made by Secretary and Office Bearers of Sangeet Natak Akademy ..	35—36
1604. आयकर अधिकारियों द्वारा लुधियाना में छापे	Raids conducted by Income Tax Officers in Ludhiana ..	36—39
1605. दिल्ली से बाहर आयोजित सलाहकार समितियों की बैठकें	Consultative Committee Meetings held outside Delhi ..	39—40
1606. स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं में गणक (टैलर) प्रणाली	Teller System in branches of State Bank of India ..	40—41

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1607.	दिल्ली में पोलिटैक्निक्स के विद्यार्थियों को शैक्षिक यात्रा के लिये वित्तीय सहायता	Financial assistance to students of Polytechnics in Delhi for educational Tour ..	41
1608.	सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों का वापस बुलाया जाना	Withdrawal of IAS Officers from posts held by them in Public Undertakings ..	41—42
1609.	रिजर्व बैंक द्वारा दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Sir Ganga Ram Hospital, Delhi by Reserve Bank ..	42—43
1610.	सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों को इक्विटी में बदलना	Conversion of loans into equity by Public Financial Institutions ..	43
1611.	नई कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन	Registration of new companies ..	43—44
1613.	सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में परिवर्तन	Changes in management of Public Undertakings ..	44
1614.	एकाधिकार उपक्रमों का पंजीकरण	Registration of Monopolistic Undertakings ..	45
1615.	सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सूची का अध्ययन	Studies into inventory of Public Sector Enterprises ..	45—46
1616.	एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स	Licences under Monopolies and Restrictive Trade Practices Act ..	46—47
1617.	सरकारी क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के बारे में एयर इंडिया के अध्यक्ष के विचार	Air India Chairman's views regarding greater autonomy to Public Sector ..	47
1618.	पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा कृषि सम्पति कर अधिनियम का अवैध घोषित किया जाना	Agricultural Wealth Tax Act declared ultra vires by the Punjab and Haryana High Court ..	47—48
1619.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आवास कार्य के लिये दिया गया अग्रिम धन	Advances given by Nationalised Banks for housing purposes ..	48—49
1621.	केरल में सरकारी उपक्रमों में सेवा निवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध	Ban on employment of retired personnel in Public Undertakings in Kerala ..	49

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
1622. हरियाना सरकार के शिष्ट-मण्डल के लिये उसके विदेशी मुद्रा संबंधी अनुरोध का नामंजूर किया जाना	Rejections of Haryana Government request for Foreign Exchange for its Delegation ..	49—50
1623. दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के सेवानिवृत्त मुख्याध्यापकों के पेंशन और लेखे के मामलों का निबटारा	Settlement of Pensions and Accounts of Retired Headmasters of Delhi Municipal Corporation Schools ..	50
1624. बदरपुर (दिल्ली) के निकट पकड़ा गया सोना	Seizure of gold near Badarpur (Delhi) ..	50—51
1625. राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होना	Increase in road accidents in the Capital ..	51—53
1627. दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा श्री अश्क लिखित पुस्तकों का जारी न किया जाना	Non-issuing of books written by ASHK by Delhi Public Library ..	53
1628. पेंशन अधिनियम पर आधारित 1871 के पुराने अधिनियम के पुनरीक्षण का प्रस्ताव	Proposal to revise out moded and out dated Act of 1871 based on Pension Act ..	53
1629. तीसरे वेतन आयोग के निर्देश पदों का विस्तार	Enlargement of scope of Terms of Reference of Third Pay Commission ..	53—54
1630. उत्तरप्र देश के सूखा तथा दुर्भिक्ष ग्रस्त लोगों के लिये उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Uttar Pradesh for drought and famine affected people ..	54
1631. सूखा ग्रस्त लोगों की सहायता हेतु मैसूर को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Mysore to help drought affected people ..	54—55
1632. फार्म धन कर	Farm Wealth Tax ..	55
1633. एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अंतर्गत फर्मों का पंजीकरण	Registration of Firms under Monopolies and Restrictive Trade Practice Act ..	55
1634. इंडियन लीफ टोबैको डेवलपमेंट कम्पनी की एकाधिकारवादी एवं प्रतिबन्धक व्यापार गतिविधियों की जांच	Probe into Monopolistic and Restrictive Trade Practices of Indian Leaf Tobacco Development Co. ..	56

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1635. सरकारी उपक्रमों में भर्ती के लिये नीति	Policy for recruitment in Public Undertakings ..	56
1636. सयुक्त पूंजी कम्पनियों में बेदावेदार लाभांशों का जमा हो जाना	Accumulation of unclaimed Dividends in Joint Stock Companies ..	56—57
1637. जनवरी-सितम्बर 1970 में बन्द हुई कम्पनियां	Companies ceased functioning during January-September 1970	57—58
1638. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Public Sector Undertakings ..	59
1639. एकाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रभुत्व वाले उपक्रम	Dominant undertakings under Monopolies Act ..	59—60
1640. बैंकों और सरकारी समितियों द्वारा ग्रामीण आवास के लिये ऋण	Credit for Rural Housing by Banks and Cooperative Societies ..	60—61
1641. सरकारी उपक्रमों द्वारा विज्ञापित पदों के लिये वापिस न की जाने वाली फीस	Non Refundable fee for posts advertised by Public Undertakings ..	61
1642. घरिन्डा (अमृतसर) सीमा से होकर सोने का तस्कर व्यापार	Smuggling of Gold across Gharinda Border (Amritsar) ..	61—62
1643. भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के लिये उपभवन का निर्माण	Construction of Annexe to National Archives of India ..	62
1644. दिल्ली परिवहन उपक्रम के कंडक्टरों द्वारा एक लड़की को सताया जाना	Molestation of a girl by DTU Conductors ..	62
1646. कृत्रिम वर्षा का सरल और किफायती तरीका	Simple and economical method of artificial rainfall ..	63
1647. तेज तथा लापरवाह ड्राइविंग के कारण होने वाली मृत्यु के लिये कड़ा दंड देने की व्यवस्था	Proposal to award deterrent punishment for causing death by rash and negligent driving ..	63
1648. इण्डियन युनाइटिड मिल्ज, बम्बई का कार्यकरण	Working of India United Mills, Bombay ..	64
1650. पश्चिम बंगाल में बाढ़-ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता	Flood Relief to West Bengal ..	64

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1651.	केन्द्रीय करों की बकाया राशि	Arrears of Central Taxes ..	64
1652.	व्यक्तिगत आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करना	Ceiling on personal income ..	65
1653.	दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा त्याग-पत्र	Resignation by Vice Chancellor, Delhi University ..	65
1654.	अध्यापकों को बेहतर सुविधायें	Better facilities to teachers ..	66
1655.	साहिबगंज में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखा खोलना	Opening of a branch of Nationalised Bank in Sahibganj ..	66
1656.	बिहार में बेरोजगार इन्जीनियरों को ऋण	Loans to unemployed engineers in Bihar ..	66
1657.	यात्री विमानों के अपहरण के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपाय	Safety measures against hijacking of passenger Crafts ..	67
1658.	देवास नगर(मध्य प्रदेश) में सिक्योरिटी प्रेस की स्थापना	Setting up of a security press in Devas Nagar (Madhya Pradesh) ..	67
1659.	रिजर्व बैंक आफ इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच	Examination of annual report of Reserve Bank of India ..	67—69
1660.	विश्व बैंक की बैठक में भारत द्वारा दिये गये सुझाव	Suggestion made by India in World Bank's meeting ..	69
1661.	भारत के लिये यूगोस्लाविया द्वारा पोतों का निर्माण	Building of ships by Yugoslavia for India ..	69—70
1662.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया की बालासौर तथा जलेश्वर स्थित शाखाओं से छोटे दुकानदारों, किसानों तथा छोटे उद्योगपतियों को प्राप्त ऋण	Loans received by small shopkeepers, peasants and owners of small scale industries from Balasore and Jaleswar units of United Bank of India and State Bank of India ..	70—71
1663.	मयूरभंज, उड़ीसा के किसानों का ऋण की अदायगी के बारे में कलकत्ता स्थित यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के मैनेजर को संसद् सदस्यों द्वारा लिखे गये पत्र	Letters written by Members of Parliament to the Manager, United Bank of India, Calcutta re. loans paid to peasants of Mayurbhanj, Orissa ..	71—72
1664.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत	Interim relief to Central Government Employees ..	72—73

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1665.	वायदा बाजार के बारे में अन्जारिया समिति की सिफारिशें	Recommendations of Anjaria Committee regarding forward trading ..	73
1666.	वेतन आयोग के प्रस्तावों के परिणामस्वरूप वेतनों में वृद्धि	Increase in Salaries as a Result of proposals of Pay Commission ..	74
1667.	पुरातत्व विभाग का शिक्षा मंत्रालय से पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय का हस्तांतरण	Transfer of Archaeological Department from Education Minisrry to Tourism and Civil Aviation Ministry ..	74
1668.	रुपये का मूल्य कम होना	Decline in value of rupee ..	75
1669.	दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा दिया गया त्याग-पत्र	Resignation submitted by Vice Chancellor, University of Delhi ..	75
1670.	एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापारिक प्रक्रियायें अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों तथा उपकरणों का पंजीकरण	Registration of Companies and Undertakings under Monopolies and Restrictive Trade Practices Act ..	76
1671.	जापान से संस्कृत पांडुलिपियों का लाया जाना	Sanskrit manuscripts from Japan ..	76—77
1672.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के प्रबन्ध निदेशक द्वारा भारत का दौरा	Visit by International Monetary Funds Managing Director to India ..	77
1673.	येम्मीगनूर स्पिनिंग मिल्स के प्रबन्धक अभिकरण को दिया गया पारिश्रमिक	Remuneration paid to Managing Agency of Yemmiganur Spinning Mills ..	78
1674.	पान्यम सीमेंट लिमिटेड के प्रबन्धक अभिकरण को दिया गया पारिश्रमिक	Remuneration paid to Managing Agency of Panyam Cements Ltd. ..	78—79
1675.	रायल-सीमा मिल्स, अडोनी की प्रबन्ध एजेंसी को दिया गया पारिश्रमिक	Remuneration paid to Managing Agency of Rayalaseema Mills, Adoni ..	79—80
1677.	जीवन बीमा निगम द्वारा पशु बीमा योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal to introduce cattle insurance Schemes by LIC ..	80
1678.	राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली के निदेशक तथा सहायक निदेशक के रिक्त पद	Vacant posts of Director and Asstt. Director, National Museum, New Delhi ..	80

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1679.	राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल को बाढ़ सहायता के लिये दिये गये धन का दुरुपयोग	Misuse of funds given for Flood Relief to Rajasthan and West Bengal ..	81
1680.	बैंक कर्मचारियों का मजूरी ढांचा	Wage Structure of Bank Employees ..	81—83
1681.	अरब वासियों द्वारा ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन के जेट एयरलाइनर को जबरन ले जाया जाना	Hijacking of BOAC Jet Airliner by Arabs ..	84
1682.	पश्चिम जर्मनी द्वारा सहायता	Aid by West Germany ..	84—85
1683.	कनाडा में विश्व राजपथ सम्मेलन	World Highway Conference in Canada ..	85
1684.	दिल्ली तथा कलकत्ता के बीच हवाई यातायात	Air Traffic between Delhi and Calcutta ..	86
1685.	कलकत्ता में प्रकाश तथा ध्वनि कार्यक्रम चलाने के लिये सन एट लुमेरी का प्रदर्शन	Setting up of son et lumerie show in Calcutta for display of light and sound performance ..	86
1686.	एक सीमा-शुल्क अधिकारी की पत्नी से स्वर्ण बिस्कुटों का बरामद होना	Recovery of Gold Biscuits from the wife of a Customs Officer ..	86—87
1687.	वित्त मंत्रालय द्वारा किये गये अतिरिक्त व्यय में कमी करना	Reduction of excess expenditure incurred by Ministry of Finance ..	87
1688.	उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलों की ओर बकाया उत्पाद-शुल्क	Arrears of excise duty against Sugar Mills in U. P. and Bihar ..	87—88
1689.	सोना तथा अन्य दूसरी वस्तुओं की तस्करी	Smuggling of gold and other articles ..	88
1690.	आसनगांव में सड़क उपरिपुल का निर्माण	Construction of road over bridge at Asangaon ..	88—89
1691.	राष्ट्रीय राजपथ नं० 3 बंबई-आगरा रोड (थाना डिविजन) पर खाशाली पुल की मरम्मत	Repairs of Khashali bridge over National Highway No. 3 Bombay-Agra Road (Thana Division) ..	89
1692.	आय-कर तथा धन-कर की कर लगाने की सीमाओं को बढ़ाना	Raising of taxable limit of Income tax and Wealth tax ..	89—90

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1693.	जीवन बीमा निगम द्वारा पूर्ण विधि दावों का निपटारा	Disposal of matured claims by LIC	90
1694.	भारत-मूलक व्यक्तियों के लिये एयर इण्डिया द्वारा बोनस योजना लागू करने में विलम्ब	Delay in introduction of Bonus Scheme by Air India for people of Indian origin ..	91
1696.	बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कृषकों के लिये ऋण देना	Farm loans to agriculturists after Nationalisation of Banks ..	91—93
1697.	मुख्य इन्जीनियरों का सम्मेलन	Chief Engineers' Conference ..	93—95
1698.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा औद्योगिक वित्त निगम के पास उपलब्ध अतिरिक्त संसाधनों की मात्रा के बारे में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा किया गया मूल्यांकन	Assessment made by Reserve Bank of India regarding quantum of additional resources available with IDIB and IFC ..	95—96
1699.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शिमला स्थित शाखा को धोखा दिया जाना	Cheating at Simla Branch of State Bank of India ..	96
1700.	श्री रामनाथ गोयनका तथा उनकी फर्मों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI enquiry against Shri Ramnath Goenka and his firms ..	97
1701.	दिल्ली में आयकर विभाग में स्थानांतरण	Transfers in Income Tax Department in Delhi ..	97—98
1702.	राष्ट्रीय स्कूल पाठ्य-पुस्तक बोर्ड की मई, 1970 में हुई बैठक	Meeting of National Board of School Text Books held in May, 1970 ..	98—99
1703.	गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) के निकट गंगा नदी पर पुल का निर्माण	Construction of Bridge over Ganga near Ghazipur (Uttar Pradesh)	99
1704.	दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तें	Service conditions of Delhi University employees	99—100
1705.	दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कालेजों में अनुसूचित जातियों के प्राध्यापक	Scheduled Castes in teaching Staff of Colleges under University of Delhi ..	100

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1706.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा कम आय वाले अन्य दूसरे लोगों को दिये गये ऋण	Loans given by Nationalised Banks to Scheduled Castes and other people of low income Group ..	100
1707.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित स्थान	Reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	100—101
1708.	छात्रों द्वारा हिंसा और उनका नक्सलवादी बनना	Students violence and their turning into Naxalites ..	101
1709.	जीवन बीमा निगम के सामान्य बीमे और ओरियन्टल फायर को एक साथ मिलाना	Grouping of General Insurance of LIC and Oriental Fire ..	102
1710.	गोविन्द बल्लभ पन्त पोलोटेकनिक के छात्रों को छात्रवृत्तियां पुनः प्रदान करना	Reallocation of Scholarships to Students in G. B. Pant Polytechnic ..	103
1711.	दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एम० ए० की हिन्दी में लिखी गई उत्तर पुस्तकों का न जांचा जाना	Non checking of M. A. Answer Books in Hindi by Delhi University ..	103
1712.	दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पत्राचार पाठ्य-क्रम को राजस्थान के छात्रों को पाठों की प्रतियां सप्लाई करने की प्रक्रिया	Procedure for supplying copies of lessons etc. to correspondence course students of Rajasthan by Delhi University ..	104
1713.	एक स्वतन्त्र पर्यटन अधिकरण की स्थापना	Creation of an independent Tourism Authority ..	104—105
1714.	उत्तर प्रदेश के लिये अधिक वित्तीय सहायता की मांग	Demand for increased Financial Assistance for Uttar Pradesh ..	105
1715.	राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में निदेशक तथा उपनिदेशक के पदों पर नियुक्तियां	Appointment to posts of Director and Assistant Director of National Museum, New Delhi ..	106
1716.	नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय में निदेशक की नियुक्ति	Appointment of Director Central Secretariat Library, New Delhi ..	106
1717.	विद्यासागर साहित्यिक संस्थान की स्थापना	Setting up of Vidyasagar Literary Institute ..	107

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1718. राष्ट्रीय बैंकों में भर्ती सम्बन्धी नीति	Recruitment policy in Nationalised Banks ..	107—108
1719. विदेश यात्रा नियमों में उदारता के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा के गिरोहों का उद्भव	Emergence of foreign currency rackets as a result of Liberalisation of foreign travel rules ..	108
1720. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सन्तान शिक्षण भत्ता	Children Education Allowance to Central Government Employees ..	108—109
1722. केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अतिरिक्त अन्तरिम सहायता का दिया जाना	Grant of additional Interim Relief to Class IV Employees of Central Government ..	109
1723. अशोका होटल के कर्मचारियों को सेवा शुल्क का भुगतान	Payment of service charges to workers of Ashoka Hotel ..	109—110
1724. दिल्ली के हायर सेकेन्ड्री स्कूलों के प्रिंसिपलों तथा वाइस प्रिंसिपलों के चयन का तरीका	Mode of Selection of posts of Principals and Viec Principals of Higher Secondary Schools, Delhi	110
1725. दिल्ली तथा नई दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देना	Recognition to Private Schools in Delhi and New Delhi ..	110
1726. भारत में सोने का तस्कर व्यापार	Gold smuggling in India	111
1727. सिंधिया इन्वेस्टमेंट कम्पनी द्वारा कृष्णाराम बलदेव बैंक में लगाई गई पूंजी	Investment made by Scindia Investment Company in Krishnaram Baldev Bank ..	111
1728. सिंधिया इन्वेस्टमेंट कम्पनी और कृष्णाराम बलदेव बैंक आफ ग्वालियर के बीच सम्बन्ध	Relations between Scindia Investment Company and Krishna Ram Baldev Bank of Gwalior ..	112
1729. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के भू भौतिकी विभाग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निदेशों का उल्लंघन	Violation of Directions of University Grants Commission by Geophysics Department, Banaras Hindu University ..	112

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1730.	केन्द्रीय मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा विदेशों का दौरा	Foreign Tours by Union Ministers and Officers ..	113
1731.	दिल्ली पोलीटेक्निक में छात्रों को दी जाने वाली योग्यता और निर्वाह छात्रवृत्ति	Merit cum means scholarships to students in Delhi Polytechnics ..	113—114
1732.	हिमाचल प्रदेश के माध्यमिक हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को सर्टिफिकेटों का न दिया जाना	Non receipt of Certificates by Students of Middle High and Higher Secondary Schools of Himachal Pradesh ..	114
1733.	पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय राजस्व की वसूली	Collection of Central Revenues in West Bengal ..	114—115
1734.	दिल्ली में बर्फ पर मनोरंजन (आइस स्केटिंक शो) के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for ice skating show in Delhi ..	115
1735.	बैंकों तथा सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों का परिवर्तित अंश पूंजी में परिवर्तन किया जाना	Conversion of loans by Banks and Public Financial Institutions into Equity Capital	115—117
1736.	चांदी का तस्कर व्यापार करने वाले व्यक्ति की बम्बई में गिरफ्तारी	Apprehension of silver smuggler in Bombay	117
1737.	भूतपूर्व शासकों को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Ex-Rulers	117
1738.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा धन राशि	Deposits in the Nationalised Banks ..	117—118
1739.	एयर इंडिया के यात्री	Passengers travelled by Air India ..	118—119
1740.	तस्करी के माल का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled goods ..	119—121
1741.	केन्द्रीय कर और उत्पादन शुल्क में राज्यों का हिस्सा	Share of States in Central Taxes and Excise Duties	121
1742.	कनाडा में हुआ राजपथ संबंधी सम्मेलन	Highway conference held in Canada ..	122
1743.	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में मौलिक परिवर्तन	Structural changes in Central Universities ..	122

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1744. यूनानी सरकार के लिये भारतीय टकसाल द्वारा सिक्कों का बनाया जाना	Money minted by Indian Mint for Government of Greece ..	123
1745. पिछड़े क्षेत्रों में छोटी परियोजनाओं को ऋण	Loans to Small Units in Backward Areas ..	123—124
1746. विश्व बैंक की बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल पर आक्रमण	Attack on Indian Delegation which participated in World Bank's meeting ..	124
1747. तामिल नाडु के कृषि विकास के लिये विश्व बैंक को वित्तीय सहायता	World Bank's Assistance to Tamil Nadu for Agricultural Development ..	124
1748. बेरोजगारी की समस्या	Unemployment problem ..	125
1749. दिल्ली में छात्रों की संख्या में वृद्धि और एक और विश्वविद्यालय का खोला जाना	Increase in number of students in Delhi and opening of another University ..	125—126
1750. मंत्रियों द्वारा सम्पत्ति कर का विवरण दिया जाना	Filing of Wealth Tax Returns by Ministers ..	127
1751. 25 लाख रुपये से अधिक सम्पत्ति रखने वाले करदाता	Assessees possessing wealth above Rs. 25 lakhs ..	127—128
1753. सरकारी क्षेत्र के एककों के लिये अन्तरिम सहायता	Interim Relief for Public Sector Units ..	128
1754. सरकारी कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठनों की वेतनों के ढांचे को द्विपक्षीय बात चीत से तय करने की मांग	Demand of All India Employees Organisations to decide wage structure of Government employees by Bipartite discussion ..	128
1755. कोचीन में भाड़ा जांच ब्यूरो का कार्यालय खोला जाना	Opening of Freight Investigation Bureau office at Cochin ..	128—129
1756. कृषि मशीनों के लिये डीजल आयल के प्रयोग पर कर	Tax on use of diesel oil for Agricultural Machines ..	129
1757. जर्मनी में प्लास्टिक के जहाज का निर्माण	Manufacture of Plastic Ship in Germany ..	129
1758. डीजल पम्पों के लिये डीजल तेल से कर हटा देने की मांग	Demand for exempting Diesel oil from Tax. ..	130
1759. निम्न आय वाले पर्यटक	Low Income Tourists ..	130
1760. पर्यटन से विदेशी मुद्रा की आय	Foreign Exchange earnings from Tourism ..	130

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1761. आर्यों के मूल स्थान के बारे में मतभेद	Divergent views about origin of Aryans ..	131
1762. शेयर पूंजी में भाग लेने के लिये राज्य सरकारों को ऋण देने के हेतु योजना	Scheme for providing loans to State Governments for Share Capital participation ..	131—132
1763. खेल के मैदानों की सुरक्षा के लिये कानून	Legislation for preservation of play grounds ..	132
1764. पत्तनों तथा गोदियों में श्रम विवादों का निपटारा करने हेतु स्थाई व्यवस्था	Permanent Machinery to handle labour disputes at ports and docks ..	132
1765. राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों का अन्तिम रूप से गठन	Composition of Final Boards of Directors of Nationalised Banks ..	133
1766. बैंकिंग प्रणाली के कार्यकरण पर भारत के रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट	Reports published by Reserve Bank of India on the working of Banking System	133
1767. जीवन बीमा निगम द्वारा खरीदे गये इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के शेयर	Shares of Indian Iron and Steel Co. purchased by LIC ..	134
1768. पी० एल० 480 निधि से सहायता	Assistance from PL 480 Fund ..	134
1769. छोटी रेजगारी की कमी	Shortage of small Change ..	135
1770. फरक्का में अंतर्देशीय पत्तन	Inland Port at Farakka	135
1771. पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में वेतन के बारे में पारित प्रस्ताव का कार्यान्वयन	Implementation of Resolution regarding wages passed at AICC Session Held at Patna ..	135—136
1772. वर्ष 1969-70 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को विदेशी छात्रवृत्ति तथा मार्ग व्यय	Overseas Scholarship and Passage grants to Scheduled Caste and Scheduled Tribe Students during 1969-70 ..	136
1773. मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये ऋण	Loans given by Nationalised Banks in Madhya Pradesh ..	136
1774. हिन्दी के लिये अंतर्राष्ट्रीय दर्जा	International Status for Hindi ..	136—137

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1775.	वित्तीय सहायता के लिये वित्तीय संस्थाओं के विचाराधीन आवेदन-पत्र	Applications pending with Financial Institutions for Financial Assistance ..	137—138
1777.	भारतीय वैज्ञानिक संस्थान बंगलौर में नियुक्तियां	Appointments in Indian Institute of Science, Bangalore ..	138
1778.	एल्युमिनियम उत्पादों पर उत्पादन शुल्क	Export duty on Aluminium Products ..	138—139
1779.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में सेवा	Service in the Nationalised Banks ..	139
1781.	बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाना	Replacement of Sales Tax by Excise Duty ..	140
1782.	विकासशील देशों को अमरीकी सहायता	US assistance to Developing Countries	140
1783.	कलकत्ता पत्तन से निर्यात	Exports through Calcutta Port ..	141
1784.	एयर लाइन्स संचालक समिति की सिफारिशें	Recommendations of Airlines Operators Committee ..	141—142
1785.	विमानों के अपहरण को रोकने के लिये भारत में कार्य कर रही अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइनों का सम्मेलन	Conference of International Airlines operating in India to prevent Hijacking ..	142—143
1786.	हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और दिल्ली से आयकर की वसूली	Collection of Income Tax from Himachal Pradesh, Manipur and Delhi ..	143
1787.	शान्तिवन के निकट यमुना नदी पर एक नए पुल का निर्माण	Construction of a new bridge over Jamuna near Shantivana ..	143—144
1788.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों द्वारा नया व्यापार आरम्भ करना	Starting of new business by Boards of Directors of Nationalised Banks ..	144
1790.	कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा संस्थानों को दी गई पुनर्वित्त सुविधाएं	Refinance facilities provided to institutions by Agricultural Refinance Corporation ..	144—145
1791.	नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता की प्रशासकीय तथा संगठनात्मक व्यवस्था	Administrative and organisational set up of National Library, Calcutta ..	146
1793.	आयकर की बकाया धनराशि	Arrears of Income Tax ..	146
1794.	दिल्ली में छोटे सिक्कों की कमी	Shortage of Small Coins in Delhi ..	146

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1795. औद्योगिक वित्त निगम द्वारा अर्जित लाभ	Profit made by Industrial Finance Corporation ..	147
1796. नई दिल्ली नगर पालिका के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का दिल्ली प्रशासन को हस्तान्तरण	Transfer of New Delhi Municial Committee Middle and Higher Secondary Schools to Delhi Administration ..	147—148
1797. हिस्दुस्तान शिपयार्ड के जहाजों के लिये बाजार	Market for Hindustan Shipyard Vessels ..	148
1798. दिल्ली के स्कूलों में उपकरण की खरीद और अतिरिक्त संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति के लिये छात्रों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाना	Levy of additional fee on students for appointment of additional teachers and purchase of equipment in Delhi Schools ..	148—149
1799. कलकत्ता सिटी में स्पोर्ट्स स्टेडियम	Sports Stadium in Calcutta City ..	149
1800. कृषि उत्पादन तथा लघु उद्योगों आदि के लिये राष्ट्रीकृत तथा गैर सरकारी बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Credit Advanced by Nationalised and Private Banks for agricultural production and for small Scale Industries etc. ..	149—150
अध्यक्ष महोदय के साथ पत्र-व्यवहार के बारे में	Re. Correspondence with Mr. Speaker ..	150
उपाध्यक्ष महोदय के स्वास्थ्य के बारे में	Re. Health of the Deputy Speker ..	150
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
एस० एस० महाजगमित्र के लापता होने का समाचार	Reported disappearance of S. S. Mahajagamitra ..	150—153
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai ..	150—151
श्री इकबाल सिंह	Shri Iqbal Singh ..	151—152
महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में	Re. Maharashtra Government Servant's strike ..	153—155
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Liad on the Table ..	156—159
खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के बारे में याचिका	Petition re. Prevention of Food Adulteration Act. ..	159

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
सभा का कार्य	Business of the House	..	159—164
सालवान कालेज, दिल्ली के एक प्राध्यापक की बर्खास्तगी के बारे में वक्तव्य	Statement re. Dismissal of a lecturer in Salwan College	..	164—165
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao	..	164
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आदेश (संशोधन) विधेयक	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill	..	165—170
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as reported by Joint Committee	..	165
श्री कृ० मा० कौशिक	Shri K. M. Koushik	..	165—167
श्री देवराव एस० पाटिल	Shri Deorao Patil	..	167
श्री जी० कुचेलर	Shri G. Kuchelar	..	167—168
श्री अदिचन	Shri P. C. Adichan	..	168—169
श्रीमती संगम लक्ष्मीबाई	Shrimati Laxmi Bai	..	169
श्री निरल एनम होरो	Shri N. E. Horo	..	169
श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Prashad	..	169—170
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—		
68 वां प्रतिवेदन	Sixty-eighth report	..	170
पश्चिमी बंगाल में विधि और व्यवस्था की स्थिति के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	Resolution re. law and order situation in West Bengal—Negatived	..	170—194
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi	..	170—171
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwary	..	171—172
श्री आर० मुत्तु गौंडर	Shri Muthu Gounder	..	172—173
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George	..	173—174
श्री इन्द्रजीत गुप्ता	Shri Indrajit Gupta	..	174—177
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	..	177—178
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	..	178—179
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Misra	..	179—180
श्री जे० एच० पटेल	Shri J. H. Patel		180—181
श्री कोमारेड्डी सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	..	181—182
श्री सरदार अमजद अली	Shri Sardar Amjad Ali		182—184

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री कमलनयन बजाज	Shri Kamalnayan Bajaj	..	184—185
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	..	185—186
श्री क० प्र० सिंह देव	Shri K. P. Singh Deo	..	186—187
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	..	187—191
श्री नाथपाई	Shri Nath Pai	..	191—193
19 नवम्बर, 1970 को प्रधान मंत्री और गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के व्यवहार के सम्बन्ध में हुई चर्चा के दौरान दी गई जानकारी में शुद्धि	Correction of information given by Prime Minister and Minister of State for Home Affairs on 19th November, 1970 during discussion on U. P. Governors conduct	..	194—195
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	..	194—195
अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों के बारे में संकल्प	Resolution re. Prices of Essential Articles	..	195
श्री इन्द्रजीत गुप्ता	Shri Indrajit Gupta	..	195

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 20 नवम्बर, 1970 / 29 कार्तिक, 1892 (शक)
Friday, November 20, 1970/Kartika 29, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रुपये के मूल्य में गिरावट

+

*241. **श्री दे० अमात :**
श्री केदार नाथ सिंह :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश-यात्रा संबंधी नियमों के उदार बनाये जाने के परिणामस्वरूप डालर और स्टर्लिंग की मांग में वृद्धि हो जाने से तथा विदेशी मुद्रा व्यवस्था से मुद्रा की चोरी में वृद्धि होने से डालर तथा स्टर्लिंग का गैर-सरकारी मूल्य इनके सरकारी मूल्य की अपेक्षा बहुत बढ़ गया है,

(ख) यदि हां, तो सरकार की काले बाजार की इस विनिमय दर के बारे में क्या प्रतिक्रिया है तथा इस काले-बाजार के क्या कारण हैं, और

(ग) उक्त काले-बाजार को तथा इसके फलस्वरूप रुपये के मूल्य में होने वाली कमी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) विदेशी मुद्रा विनिमय की गैर-सरकारी दर का सम्बन्ध उन लेन-देनों से है जो विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करके किये

जाते हैं। देश के विदेशी मुद्रा सम्बन्धी समस्त लेन-देनों को देखते हुए ऐसे अवैध लेन-देन अवश्य ही छिट-पुट तथा कभी कभार होने वाले हैं, और इस प्रकार की दरें घटती-बढ़ती हैं। जो लोग इस प्रकार के लेन-देन करते हैं वे ऐसा विभिन्न कारणों से करते हैं और इसलिए यह कहना सम्भव नहीं है कि यह घट-बढ़ किसी एक कारण जैसे यात्रा-सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन के कारण होती है। कुछ भी हो, इस प्रकार की घट-बढ़ का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपये की दृढ़ता से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है।

(ख) और (ग). सरकार को इन अवैध लेन-देनों में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन की जानकारी है और वह इनको रोकने के लिए आवश्यक (वैधानिक, प्रशासनिक और अन्य) उपाय करती रहती है।

श्री दे० अमात : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान हाल में 'स्टेट्समैन', 'इकोनोमिकल टाइम्स' तथा 'इंण्डियन एक्सप्रैस' समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बाजार में डालर का मूल्य 7·5 रुपये के सरकारी मूल्य की तुलना में 12 से 13 रुपये और पौंड का मूल्य 18 रुपये की बजाय 28 से 30 रुपये हो गया है, और यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय रुपये के मूल्य के अवक्षयण के कारणों का पता लगाया है।

क्या समीपस्थ विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों द्वारा पिछले चार वर्षों में भेजी गई विदेशी मुद्रा के आंकड़े सरकार के पास हैं, और क्या भारतीय रुपये की कीमत कम हो जाने के कारण ही मुख्यत: विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में पर्याप्त कमी आई है क्योंकि लोग अपना धन बैंकों के द्वारा भेजने के स्थान पर चोरी-छिपे भेजते हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक समाचारों का सम्बन्ध है, वे मैंने भी पढ़े हैं किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि वे अधिकृत हैं अथवा ठीक हैं या काल्पनिक हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : ये समाचार ठीक हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वे आपके लिए सही हो सकते हैं। संभवत: आपको अवैध लेन-देन का पता रहता है किन्तु वे मेरे लिए सही नहीं हैं। मै इन मूल्यों को मान्यता नहीं देता हूं। जिस बात को हमें देखना है वह यह है कि क्या विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण अनिवार्य है और इस देश के आर्थिक हित के लिए आवश्यक है। एक बार यह मान लेने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, हमारी विदेशी मुद्रा के कुल लेन-देन के मुकाबले विनिमय की दरों में थोड़ा बहुत अन्तर हो सकता है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि 1967-68 में हमने 4,000 करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा का लेन-देन किया। संभव है कि इसमें कुछ करोड़ रूपया काले बाजार का हो। मैं इससे इन्कार नहीं करता किन्तु साथ ही यह भी आवश्यक नहीं है कि मैं इसे मान्यता दूं। मैं इसे मान्यता नहीं देता।

श्री दे० अमात : मेरा दूसरा प्रश्न यह है। भारत विश्व का सर्वाधिक आकर्षक पर्यटन स्थल है तथा यह अपने पारम्परिक अतिथि सत्कार के लिए भी प्रसिद्ध है। निस्सन्देह भारत में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है और जम्बो जैट विमानों की सेवा आरम्भ हो जाने पर आगामी वर्षों में और अधिक लोग भारत आयेगें। पिछले वर्ष केवल इटली ने पर्यटन से ही 1,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाई थी, और स्पेन, एक वर्ष में पर्यटन से कमाई गई विदेशी मुद्रा से भारत के भिलाई जैसे दो इस्पात कारखानें लगा सका है। अत: चोरी और मूल्य में कमी

को दृष्टि में रखते हुए, भारत ने पिछले तीन वर्षों में पर्यटन से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं सही आंकड़े नहीं जानता । माननीय सदस्य इसके विषय में पर्यटन मंत्रालय से जानकारी मालूम कर सकते हैं ।

श्री दे० अमात : इसका सम्बन्ध वित्त मंत्रालय से है । धन के मामले वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस वर्ष के आरम्भ में एक बिलियन रुपये की विदेशी मुद्रा आरक्षित थी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Sir, it is a mattrer of great surprise that the Finance Minister does not recognise the unofficial rate of exchange. Nobody has said that it should be officially recognised but the value of rupee is falling in the international market. It is a serious matter and Government should take note of it. This problem could not be solved by shutting our eyes or by saying that we do not recognise it. I want to ask a question from the Hon. Minister that how far the news paper reports that the Government is again thinking of devaluation of Rupee are true.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : पहला भाग केवल व्याख्या मात्र है और मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा । जहां तक दूसरे भाग का संबंध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल गलत है कि अवमूल्यन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है । मैं निरंतर इस बात से इनकार करता आया हूं । फिर भी कुछ निहित स्वार्थ ऐसी अफवाहों को फैला रहे हैं । मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि ऐसी अफवाहों पर विश्वास न करें ।

श्री कंवर लाल गुप्त : हमने भी अवमूल्यन की अफवाहें सुनी हैं ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जो लोग अफवाहों में रुचि लेते हैं वह उन्हें फैलाते हैं किन्तु अफवाहों और सच्चाई में अन्तर होता है अतः इसका निर्णय बुद्धिमान तथा विचारशील व्यक्तियों को करना होगा कि क्या सच है और क्या अफवाह ।

Shri Maharaj Singh Bharti: Sir, the Hon. Minister has called it as the black market rate which he does not recognise. We met 25 to 30 licenced money exchangers in Hongkong. If you give them dollar they will give you Indian money in exchange for it and it is vice-versa also. They give you a regular receipt also for this. But in Japan there is no such thing. There the value of dollar is 12 rupees everywhere. You have your representatives there and if you desire you can get this information from there. When you know that value of our 12 rupees has become equal to a dollar then I would like to know as to why our rupee is being sold at a lesser value in those markets and what measures have been taken by the Government to check such transaction.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं माननीय सदस्यों को फिर से बताना चाहता हूं कि ऐसे कई व्यक्ति हैं जो तस्करी आदि समाज विरोधी काम कर रहे हैं और ऐसा करने के लिये वे अवैध तरीकों को अपनाते हैं । हांग-कांग में जो काम अवैध रूप में होते हैं उन्हें हमारे लिए रोकना बड़ा कठिन है ।

श्री महराज सिंह भारतीय : अवैध रूप से नहीं अपितु नियमानुसार कर रहे हैं ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : कौन सी बात वैध है अथवा अवैध इसका निर्णय हमें अपने कानूनों के अनुसार ही करना है । मैं हांग-कांग के कानून को यहां से निश्चित नहीं कर सकता ।

Shri Maharaj Singh Bharti : But they are licenced agents and they give regular receipt for it.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जो बात यहां वैध है संभव है विश्व के अन्य भागों में वह अवैध हो और जो यहां अवैध हो वह विश्व के अन्य भागों में वैध हो। इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूं। मैं भारतीय परिस्थितियों के बारे में बता रहा हूं वस्तुत: रुपये का वास्तविक मूल्य कानूनी तौर पर हुए सौदों की राशि पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया वर्ष 1969-70 में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का कानूनीतौर पर व्यापार हुआ है। जब यह स्थिति है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वास्तविक दर वह है जो विनिमय के लिये हांग-कांग में अवैध अथवा समाज विरोधी तरीके से दी जा रही है। कोई दर जो अवैध अथवा समाज विरोधी तरीके से हांग-कांग में चलाई जाती है उसको भारतीय रुपये के मूल्य का निर्धारण करने के लिये किस प्रकार आधार माना जा सकता है।

श्री हेम बरुआ : भारतीय रुपये का सरकारीतौर पर अवमूल्यन तो किया ही गया है गैर सरकारी तौर पर भी इसका अवमूल्यन हुआ है। क्या सरकार को यह बात मालूम है कि यह भारतीय रुपये के अवमूल्यन से हमारी सरकार के बजट प्रावधानों पर असर पड़ा है और देश में उससे मुद्रा स्फोति हुई है। तथा रेस्तराओं और होटलों में यात्री चेकों का दुरुपयोग हुआ है। यदि हां तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि मुद्रा स्फीति के कारण भारत में रुपये का अवमूल्यन हुआ है जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है वैध स्वीकृत दर अभी विद्यमान है अत: इस प्रश्न का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्या बजट प्रावधानों के कारण ही रुपये की कीमत में कमी आई है ?मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि रुपये का अवमूल्यन हो गया है। जहां तक समाचार पत्रों में प्रकाशित अवैध दर का प्रश्न है, संभव है कुछ स्थानों पर सीमान्त मूल्य के विनिमय में ऐसा होता हो किन्तु भारतीय रुपये के मूल्य निर्धारण में इनका विशेष महत्व नहीं है।

श्री हेम बरुआ : रेस्तराओं तथा होटलों में यात्री चेकों के दुरुपयोग को रोकने के लिये वे क्या कर रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इसके बारे में जानकारी देने के लिये मुझे समय चाहिये।

Exchange in the Field of Education, Culture, Science and Technical Know-How between Developed and Developing Countries

*242. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the names of the countries which have accepted the proposal made by India at UNESCO that there should be proper exchange in the field of education, culture, science and technical know-how between the developed and developing countries ;

(b) whether any scheme has been formulated between the developed countries and developing countries on the basis of the above proposal of India ; and

(c) if so, the nature thereof and the manner in which it would be implemented ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

दिनांक 12-10-70 से 14-11-70 तक पैरिस में हुये यूनेस्को के 16वें महासम्मेलन में भारत द्वारा प्रश्न के भाग (क) में उद्धृत इस प्रकार के कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रक्खे गये थे । यूनेस्को का एक प्रमुख कार्य-देशों के बीच, संस्कृत, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में उन्नति तथा आदान-प्रदान को सुदृढ़ करना और विकसित विकासशील देशों में ज्ञान, कौशल और औद्योगिकी को सरल बनाना है । यूनेस्को के 16वें महा-सम्मेलन में जिस भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने भाग लिया था, उसके द्वारा पेश किये संकल्पों में से कुछ में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे विनिमय को विकसित करने तथा उन्हें मजबूत करने का प्रश्न भी शामिल था । भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल के नेता ने 17-10-70 को यूनेस्को के महा-सम्मेलन में अपने भाषण में शिक्षा संस्कृत, विज्ञान और औद्योगिकी का विकसित और विकासशील देशों के बीच दोनों ओर से आदान प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया था जिससे उनके बीच की खाई यदि पूरी तरह नहीं पाटी जा सके, तो वह कम तो अवश्य हो सके इससे अन्य भेदों के बावजूद मानव की व्यापक समानता और गरिमा के लिये सार्वभौम आदर प्रतिष्ठित हो सकेगा । क्योंकि सम्मेलन 14-11-70 को ही समाप्त हो गया था, इसलिये इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि इन विनियमों में कौन-कौन से देश भाग लेंगे और परियोजनाओं को किस प्रकार तथा किस तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा ।

Shri K. M. Madhukar : Sir the statement of the Hon. Minister does not answer the question. As you know the C. I. A. is having its impact in the cultural, social and other fields throughout the country and it has been even said that it has its hand in the Naxalite movement also. In such a situation I would like to know if in the name of cultural exchange you would like to promote C. I. A. activities or to stop them.

अध्यक्ष महोदय : सी० आई० ए० का इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है मुख्य प्रश्न तो 'युनैस्को' से सम्बन्धित है । अन्य प्रश्नों को कम से कम मुख्य प्रश्न से कुछ तो संगत होना चाहिये ।

श्री लोबो प्रभु : प्रश्न संगत नहीं है ।

Shri K. M. Madhukar : I want to know from the Government if they want to promote American C. I. A. agencies in the name of cultural exchange and to ruin the civilization and culture of our country. Does the Government know how many C. I. A. agencies are working in this country and whether they approve of it and if the Government does not approve what action is being taken to stop it ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : यदि माननीय सदस्य सी० आई० ए० की गतिविधियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें एक पृथक प्रश्न सम्बन्धित मंत्रालय से पूछना चाहिये । मुझे सी० आई० ए० की गतिविधियों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी नहीं है अत: मेरे लिये सी० आई० ए० के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न का उत्तर देना अत्यन्त कठिन है । किन्तु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैंने यह सुझाव किस प्रकार युनैस्को में दिया था ।

इसका सी० आई० ए० से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में चिन्तित था कि विकासशील तथा विकसित देशों में हो रहे तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान में हमें विकसित देशों से उचित तकनीकी जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है। हमें नवीनतम तकनीकी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। अतः मेरा विचार है कि उन देशों के साथ जिनमें यंत्रों का निर्माण होता है, विकसित देशों से विकासशील देशों को नवीनतम तकनीकी तथा औद्योगिक जानकारी देने के लिए आदान-प्रदान प्रणाली चलाई जानी चाहिए।

युनैस्को में वक्तव्य देते समय दूसरी बात मेरे विचार में यह था कि विकसित देशों से विकासशील देशों को जानकारी देने की बात द्विपक्षीय बिलकुल नहीं है। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने भी वाद-विवाद में हस्तक्षेप किया था और मैंने भी इस पर वक्तव्य दिया था तथा इस बात का उल्लेख किया था। उदाहरणार्थ मुझे बताया गया है कि यह जानने के लिए कि विश्व में क्या हो रहा है। भारत में प्रतिदिन लगभग 40,000 शब्द सम्प्रेषित किए जाते हैं। किन्तु जहां तक भारतीय समाचारों को बाहर भेजने का प्रश्न है, इनकी संख्या एक माह में 4,000 से 5,000 शब्दों से अधिक नहीं है। भारत में उन्नत देशों से प्राप्त होने वाले समाचारों तथा इन देशों को भारत के बारे में भेजे जाने वाले समाचारों में किसी प्रकार की भी समानता नहीं है। अतः मैंने सोचा इस बारे में भी द्विपक्षीय बात नहीं चल सकती और इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। तीसरी बात तो मैंने अनुभव की वह यह थी कि विकासशील देशों को सहायता देने के मामले में भारत जैसे विकसित देश जिनके पास तकनीकी जानकारी है तथा तकनीकी सहायता देने की स्थिति में है इसमें शामिल हो सकते हैं। हमने सोचा है कि जब शिष्टमण्डल और विशेषज्ञ उन विकासशील देशों को भेजे जाते हैं जो भारत की तरह विकसित नहीं हुए हैं, तो भारत से भी इस मामले में सहायता ली जा सकती है और यह आवश्यक नहीं कि इस उद्देश्य के लिये केवल पूर्णतया विकसित देशों के शिष्टमण्डलों और विशेषज्ञों को ही भेजा जाये।

एक अन्य बात मेरे ध्यान में यह थी कि संस्कृति के मामले में हमारा बहुत कुछ योगदान हो सकता है। सम्भव है कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में अधिक विकसित देश हमें कुछ अधिक बता सकें किन्तु संस्कृतिक के बारे में अभी तक भेजी गई जानकारी से अधिक जानकारी एवं व्यक्ति, विकासशील देशों से विकसित देशों को भेजी जानी चाहिए अधिक समानता लाने तथा यूनैस्को द्वारा व्यवस्थित सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अधिक पारस्परिक लाभ उठाने के लिए ही हमारा यह प्रयत्न था। इसका सी० आई० ए० से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है।

Shri K. M. Madhukar: The Hon. Minister has left one thing in his reply. Our culture is being affected adversely by American propaganda. I want to know what he is thinking about it. I know you will say that it is the responsibility of the Home Ministry, but I want to ask whether you are going to take any step to stop its bad influence over the public? What is your plan to stop that and what contacts you are going to have with other countries of the world about this matter.

अध्यक्ष महोदय: यूनैस्को अमरीकी संस्था नहीं है, वह संयुक्त राष्ट्र की संस्था है।

श्री मनुभाई पटेल: क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जो देश अन्तरिक्ष में प्रवेश कर चुके हैं वे प्रारम्भ से ही उच्च गणित की शिक्षा देते हैं। क्या इस योजना

के अन्तर्गत प्रारम्भ से ही उच्च गणित की शिक्षा देने के लिए जानकारी तथा पाठ्य पुस्तकें मंगाने का प्रस्ताव है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इस कम्पूटर का सम्बन्ध किसी प्रकार की पाठ्य-पुस्तकों से है। मैं उन्हें केवल इतना ही बता सकता हूं कि हम देश में गणित और विज्ञान की शिक्षा को आधुनिकतम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसका सम्बन्ध अन्तरिक्ष अनुसंधान से है अथवा नहीं यह मुझे मालूम नहीं है यदि माननीय सदस्य मुझे कुछ जानकारी दें तो मैं इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करूं।

श्री मनुभाई पटेल : इस अति सूक्ष्म टैक्नोलाजी के लिये प्रारंम्भ में ही गणित की शिक्षा देना आवश्यक है। क्या प्रारम्भिक स्तर पर विनिमय के अन्तर्गत कम्पूटर गणित की शिक्षा देने के लिये उनसे पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करने का प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है।

श्री मनुभाई शाह : क्या यह विनिमय का एक भाग होगा ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : खोज जारी है और स्कूलों में गणित तथा विज्ञान की शिक्षा को अत्यन्त आधुनिक बनाने के लिये हमें सहायता मिल रही है।

Shri Ram Gopal Shalwale : Mr. Speaker, Sir, regarding cultural and educational exchanges with developing countries, I want to know from the Government as to what is the culture which is going to be exchanged ? And what is your culture ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न इससे उत्पन्न होता है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर अलग से चर्चा रख सकते हैं।

Shri Ram Gapal Shalwale : I am not in any wrong impression. Yesterday he had treated dancing and singing as culture. As such I want to know what is that culture which he wants to exchange ? Is it the culture of dancing and singing or any thing else ?

Mr. Speaker : Dancing and singing are not bad things.

Shri Ram Gopal Shalwale : Who says that it is a bad thing ? But that is not the only thing. There are other thing also.

Mr. Speaker : Your age is a factor.

Shri Ram Gopal Shalwale : Yesterday also you put the rider of age which I do not understand. Whatever may be the age, every question should be treated on equal footing. This question relates to the country's culture and that is why I want to ask, what that culture is.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता।

Shri Balraj Madhok : It is a very serious matter ?

Mr. Speaker : Culture is a very wide subject, and the Hon. member can have a discussion on it separately.

डा० वी० के० आर० वी० राव : इस सांस्कृतिक आदान प्रदान में केवल नाच और गाना ही शामिल नहीं है। इसमें दर्शन के प्रोफेसरों का भेजना भी शामिल है जो विश्वविद्यालयों में जाकर भाषण देंगे। स्वामी रंगनाथानन्द और दिल्ली विश्वविद्यालय के डा० बनर्जी जैसे व्यक्ति भाषण करने के लिये विदेशों में गये हैं। अतः संस्कृति में दर्शन शास्त्र भी शामिल है।

खाद्य पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि

+

*244. **श्री एस० आर० दामानी :**
श्री राम चरण :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तथा पदार्थों, औद्योगिक उपभोक्ता वस्तुओं और औद्योगिक कच्चे माल तथा मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमतों में 31-10-1970 तक कितनी वृद्धि हुई थी और चालू वित्तीय वर्ष के इसी अवधि के मूल्यों से इस मूल्य-वृद्धि का क्या अनुपात है ; और

(ख) क्या मूल्यों को इन्हीं स्तरों पर स्थिर रखने के लिये कोई योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरे क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4337/70]**

श्री एम० आर० दामानी : मैंने विवरण देखा है। पर उसमें यही बताया गया है कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है यह नहीं बताया कि सरकार बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिये भविष्य में क्या कदम उठाने जा रही है। माननीय वित्त मंत्री ने स्वयं ही पिछले दो महीने में खाद्यान्नों, औद्योगिक माल और कच्चे माल की कीमतों के बढ़ने पर चिन्ता व्यक्त की है।

क्योंकि मूल्य अभी भी बढ़ रहे हैं इसलिये सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ? मैं रुई का उदाहरण लेता हूं। विवरण के अनुसार एक वर्ष में अन्तर आ गया है। पिछले वर्ष सूचकांक 159 था और इस वर्ष यह 186 है। विवरण के अनुसार 16 प्रतिशत वृद्धि हुई है। परन्तु वास्तव में यह इससे कहीं अधिक हुई है। आजकल कीमतें रोजाना बढ़ रही हैं अतः ऐसी सम्भावना है कि कुछ मिलें बन्द हो जाएं और परिणाम स्वरूप हजारों लोग बेरोजगार हो जाएं। अतः मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि सप्लाई की कमी को दूर करने और उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिससे मूल्यों की इस अत्यधिक वृद्धि को रोका जा सके ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि माननीय सदस्य सभा पटल पर रखे गये विवरण को ठीक तरह से देखें तो उन्हें वर्तमान स्थिति का पता चल जाएगा। इस सम्बन्ध में विवरण के पैरा 2 में बताया गया है कि सरकार मूल्यों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से पूर्णतया अवगत है तथा इसे रोकने के लिये सभी सम्भव कार्यवाही की जा रही है जैसे राजकोषीय तथा मुद्रा नीतियों के सम्बन्ध में तथा उत्पादन बढ़ाने और दुर्लभ वस्तुओं को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

श्री हेम बरुआ : अब यह केवल मात्र प्रवृत्ति नहीं है। यह तो अब वास्तविकता है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वास्तविकता प्रवृत्ति को भी दर्शाती है। जब मैं प्रवृत्ति कहता हूं तो इसका अर्थ है कि यह चल रही है और बढ़ रही है।

जब आप चलती हुई प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं तो आपको कुछ न कुछ तो हीं कहना ही पड़ेगा तथा प्रवृत्ति को वास्तविकता से ही सिद्ध किया जा सकता है। इसी अर्थ में मैंने इसका उपयोग किया है।

कीमतों की बढती हुई प्रवृत्ति को चार दिशाओं में रोका गया है, और इन्हीं चार मार्गों पर चलकर हम इसे रोक सकते हैं। पहला है मुद्रा नीति, जिसका सम्बन्ध रिजर्व बैंक द्वारा की गई कार्यवाही से है। फिर आयात द्वारा अनुपलब्ध वस्तुओं को उपलब्ध करवाने की बात है। तीसरी बात उत्पादन की है। इसके कुछ परिणाम निकले हैं। बढ़ रहे मूल्यों के संबंध में हमारा एक विशेष दृष्टिकोण है। हमारी शिकायत रही है कि इस देश में मूल्य वृद्धि का मूल कारण खाद्यान्न है। परन्तु यदि हम विवरण पर ध्यान दें तो हमें प्रतीत होता है कि गेहूं तथा अन्य अनाजों के मूल्य में गिरावट आ रही है। मेरे मत में मूल्य बढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण पहलू औद्योगिक कच्चे पदार्थों के मूल्य में होने वाली वृद्धि है। इस संबंध में हमारा लक्ष्य द्विमुखी होना चाहिये। उत्पादिता, केवल उत्पादन ही नहीं, बढ़ाना और कम मात्रा में उपलब्ध औद्योगिक कच्चे मालों को आयात द्वारा उपलब्ध कराना।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : मैं मंत्री महोदय से पूर्णतया सहमत हूं। रुई के उत्पादन का लक्ष्य 1965-66 में 7.2 करोड़ गांठें था परन्तु यह 5.8 करोड़ गांठों से अधिक नहीं बढ़ा। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये हैं। दूसरे जीवन यापन की लागत के बढ़ जाने के परिणाम स्वरूप केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों तथा औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में 300 करोड़ रुपयों की वृद्धि हो गई है। इसका प्रभाव भावी मूल्य प्रवृत्ति पर क्या होगा ? और हमारे निर्यात कम होने लगे हैं। सरकार का इस संबंध में क्या विचार है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हमारे प्रयासों के उपरांत भी उत्पादिता के न बढ़ने और निर्यातों की स्थिति और वेतनों में हुई वृद्धि का मूल्यों पर प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि सरकार ने उत्पादिता को बढ़ाने के लिये कई पग उठाये हैं। इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी रुकावट सट्टा बाजार है। तिलहन और रूई सबसे अधिक महत्वपूर्ण कच्चे माल हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव इस प्रकार का है कि जब भी उत्पादक द्वारा इनको मण्डी में लाया जाता है तो कीमतों को निम्नतम ही दिखाया जाता है। जब उत्पादक के हाथ से ये निकल जाते हैं तो मूल्य फिर बढ़ाकर दिखाया जाता है। सट्टा बाजार के प्रभाव को समाप्त करने और उत्पादक को उचित मूल्य दिलाने के विचार से सरकार ने खाद्य निगम, रूई निगम आदि की स्थापना की है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है। लेकिन मेरे मतानुसार मूल्यों में वृद्धि का कारण औद्योगिक कच्चे माल की कमी, इन वस्तुओं का कम उत्पादन तथा सट्टेबाजी है। अतः सट्टेबाजी को नियन्त्रित करने के लिये हमें सुदृढ़ तथा अनुकूल नीति अपनानी होगी।

दूसरा प्रश्न निर्यात को पुनः सजीव करने का है। यह प्रश्न सदन में बहुत बार उठाया गया है और वैदेशिक व्यापार मंत्रालय ने उत्तर में बताया भी है कि क्या उपाय किये जा रहे हैं। यह निश्चित रूप से अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन मूल्यों में वृद्धि के बारे में यह खुले रूप से स्वीकार करता हूं··· **(व्यवधान)**

श्री रंगा : आप प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं अथवा वक्तव्य दे रहे हैं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं उन प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं जो आपने ध्यानपूर्वक नहीं सुने हैं। आप प्रश्नों को सुनते नहीं हैं और न ही समझते हैं। यदि अध्यक्ष महोदय ने प्रश्न पूछने की अनुमति दी है तो मैं क्या कर सकता हूं ?

माननीय सदस्य का तीसरा प्रश्न मूल्यों की वृद्धि से वेतन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में था। निश्चित रूप से, इसका प्रतिकूल प्रभाव होगा।

Shri Janeshwar Misra: Keeping in view the fact that producers of cotton and oil seeds remain poor and, at the same time, those who have prepared finished goods with cotton and oil seeds became millionaires. May I know whether the Minister, taking into account the slogan of socialism and equality would take steps to keep a balance between agricultural production and factory production so that on the one hand instability that prevails in prices of cotton and oil seeds may be checked, i. e. it should be 10 per cent or 5 per cent instead of 33 per cent or 35 per cent, and on the other hand, the price of cloth prepared in Shri Damani's factory should not be more than 50 per cent of its cost price.

Shri Y. B. Chavan: He said that it is a basic question. I can not say that it is not a basic question. I am giving my opinion. Solution of this question is our ultimate objective. I cannot say whether we will be able to achieve it in 2 days or within 6 months or one year.

Shri Janeshwar Misra: 23 years has lapsed.

Shri Y. B. Chavan: We shall discuss it on some other occassion ; today we are not discussing this. But we are trying to achieve the objective and he knows that we will have to be careful and meticulous.

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया: मूल्यों की वृद्धि के सम्बन्ध में मुख्य बात इस बात की जांच करना है कि मूल्यों की वृद्धि से देश के उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ा है ? माननीय मन्त्री यह कहकर संतुष्ट हो गये कि खाद्यान्नों के मूल्य स्थिर हैं, दूसरी ओर, सदन के सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य में बताया गया है कि वर्ष भर में खाद्यान्नों के मूल्यों में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केवल खाद्यान्न ही नहीं, अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने से भी उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं। उदाहरणार्थ आलू के मूल्यों में 69 प्रतिशत, दूध के मूल्यों में 22 प्रतिशत तथा खाद्य तेल के मूल्यों में 25 प्रतिशत को वृद्धि हुई है। समग्र रूप से स्थिति यह है कि औसत आयजीवी उपभोक्ता को इस सीमा तक हानि हुई है कि उसके लिये जीवन निर्वाह कठिन हो गया है। व्यय का स्तर आय-वृद्धि के स्तर से अधिक बढ़ा है। अतः, क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे ऐसे कौन से उपाय करेंगे जिससे उपभोक्ता को हानि न हो और दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुओं का मूल्य स्थिर रहे और उनमें वृद्धि न हो ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हम जिस प्रकार की कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं, उसका संकेत मैंने पहले ही दे दिया है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि कुछ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है। मूल्य बढ़ रहे हैं, परन्तु हम जिस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, उसका संकेत मैं पहले ही दे चुका हूं।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : उपभोक्ता वस्तुओं के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री ने अपने वक्तव्य में सक्रिय कार्यवाही किये जाने का उल्लेख नहीं किया है। माननीय मन्त्री को उपभोक्ता वस्तुओं के तथा मूल्यों को स्थिर करने के बारे में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में बताना चाहिए।

श्री बलराज मधोक : यह एक मूल प्रश्न है। उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। माननीय मन्त्री ने अपने वक्तव्य में यह नहीं बताया कि मूल्यों की वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिये वह क्या कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री दामानी द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री ने मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिये किये जा रहे उपायों का उल्लेख किया था। माननीय मंत्री ने तीन या चार बातें कही थी।

श्री पीलु मोदी : केवल अध्यक्ष महोदय ही माननीय मन्त्री के उत्तर से संतुष्ट हैं। हम बिलकुल सन्तुष्ट नहीं हैं। **(व्यवधान)**

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : माननीय मन्त्री ने औद्योगिक वस्तुओं के बारे में बताया है, उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में नहीं। उन्होंने यह नहीं बताया कि उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : प्रश्नों के उत्तर में माननीय मन्त्री ने थोड़ी देर पहले सर्वविदित सिद्धांत का उल्लेख किया था कि मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण सट्टेबाजी है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरान्त इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उन्होंने क्या कार्यवाही की है कि किसी उद्योग या व्यापार को दिये जाने वाले बैंक ऋण को उत्पादन के उद्देश्य के लिये प्रयोग किया जाये न कि सट्टेबाजी के लिए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद माननीय मन्त्री ने क्या ठोस कार्यवाही की है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे विचार में, राष्ट्रीयकृत बैंकों के सम्बन्ध में पिछले सत्र तथा इस सत्र में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देते हुए मैंने यह बतलाया था कि उद्योग तथा व्यापार की सही सामान्य आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सूत्र बनाया है और हमने भी कुछ कार्यवाही करने का प्रयत्न किया था ताकि प्रत्येक बड़े लेखे की सही प्रकार और सावधानीपूर्वक जांच-पड़ताल की जा सके। सट्टेबाजी के सम्बन्ध में, अर्थात विभिन्न कम्पनियों तथा कारखानों द्वारा ऋण के लेखे की वृद्धि के सम्बन्ध में, मैंने अपने वक्तव्य में पहले हो कहा है कि ऐसी तीन वस्तुओं के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण नियन्त्रण उपायों को जनवरी, 1970 में प्रारम्भ किया गया था। मात्रा तथा न्यूनतम ब्याज दर को बढ़ाया गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मेरा प्रश्न यह नहीं था।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं बता रहा हूं कि सट्टेबाजी को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये थे। पहला उपाय लेखों को नियन्त्रित करने तथा उनकी जांच पड़ताल करने के सम्बन्ध में था।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मेरा प्रश्न यह नहीं था।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं नहीं जानता कि आपका प्रश्न क्या है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मैंने यह कहा था कि जो ऋण तथाकथित उत्पादन कार्यों के लिए

दिया जाता है, उसका दुरुपयोग सट्टेबाजी के लिए किया जाता है । सट्टेबाजी को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यही तो मैं कह रहा हूं । ऋणों की बढ़ती हुई मांगों को रोकने के लिए नई प्रक्रिया द्वारा ऋणों की मांगों की सावधानीपूर्वक और कड़ी जांच-पड़ताल की जाती है ताकि असंगत मांगें न की जा सकें । ये वित्तीय उपाय हैं ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : कोई भी व्यक्ति औद्योगिक कच्चे माल की कमी को समझ सकता है । लेकिन खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इस वर्ष फसल अच्छी हुई है और उत्पादन आंकड़े 1000 लाख टन हुआ है जब उत्पादन आंकड़े 900 लाख टन थे तो मूल्य कम था । अब इस वर्ष फसल अच्छी हुई और उत्पादन 1000 लाख टन हुआ है और मूल्यों में 8.8 प्रतिशत वृद्धि हुई है । मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री मूल्यों में हुई वृद्धि और विशेषकर खाद्य पदार्थों के मूल्यों में हुई वृद्धि पर गहराई से विचार करें ।

चौथी पंचवर्षीय योजना बनाते समय स्फीति विषयक प्रवृत्ति अर्थात् घाटे के बजट को 100 करोड़ रु० तक सीमित रखने का निर्णय किया गया था । क्या माननीय मंत्री हमें बताने की कृपा करेंगे कि क्या चालू वित्तीय वर्ष में यह प्रवृत्ति बढ़ी है और यह राशि 280 करोड़ रुपये वार्षिक तक पहुंच सकती है ? क्या माननीय मंत्री इस तथ्य को भी ध्यान में रखेंगे ?

जहां तक बैंक ऋणों तथा रिजर्व बैंक के ऋण नियन्त्रण का प्रश्न है, क्या माननीय मंत्री सट्टा बाजार के चालू वर्ष में तथा गत वर्ष में दिए गए धन के तुलनात्मक आंकड़े बताने की कृपा करेंगे ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । निश्चित रूप से इस बात की जांच की जाएगी । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस बात की जांच की जाएगी कि मुद्रा का कहां तक विस्तार हुआ है ? स्वभावतः, विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा का भी एक सीमा तक विस्तार होता है । लेकिन यह वृद्धि उस निश्चित सीमा से अधिक भी हो सकती है, जो हमने निर्धारित की है । हम यह नहीं कह सकते कि मुद्रा का विस्तार बिल्कुल नहीं होगा । उचित ढंग तो यह होगा कि मुद्रा के विस्तार की तुलना उत्पादन की वृद्धि से की जाय । मैं यह स्वीकार करता हूं कि मुद्रा के विस्तार का अनुपात उत्पादन दर के अनुपात से अधिक हुआ है । इससे भी मूल्यों की वृद्धि होती है । मैं यह सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं कि मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है । यह मेरे लिये चिन्ता का विषय है, यह सरकार के लिये चिंता का विषय है और यह हर आदमी के लिये चिंता का विषय है, मैं यह समझता हूं । मैं स्थिति का औचित्य बताने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं । मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है ।

श्री रंगा : क्या सरकार की जानकारी में यह बात नहीं आयी कि चावल नहीं बल्कि धान की कीमतें घट रही हैं । और कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदियों के क्षेत्रों के उत्पादक इससे बहुत चिंतित हैं क्योंकि मिल मालिक उनके उत्पादों को खरीदने के लिये तैयार नही हैं और भारतीय खाद्य निगम की मांग काफी मात्रा में नहीं आ रही है जब कि अन्य उपयोग वस्तुओं

के दाम बढ़ रहे हैं ? इन दोनों बातों के बारे में वे क्या कर रहे हैं और अनाज के उत्पादकों के हितों को बचाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने शिकायत के बारे में सुना है दुर्भाग्यवश धान की कीमतें बढ़ रही हैं और साथ-साथ चावल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, वास्तव में यही सट्टेबाजी है। चावल के कारख ानें लाभ उठाते हैं। मैं इस बात के बारे में कृषि मंत्री से बात करूंगा।

श्री म० ला० सोंधी : क्या मैं मंत्री महोदय से स्थिति के विश्लेषण के बारे में कुछ जान सकता हूं क्योंकि उनके उत्तर में जैसा कि मैंने सुना है, सामंजस्य नहीं।

मैं दक्षिण पूर्व एशिया के उन देशों को जानता हूं जहां उद्योग का विकास 14 प्रतिशत, कृषि का विकास 5 प्रतिशत हुआ है और फिर भी कीमतें मुश्किल से 2 प्रतिशत बढ़ी हैं। कीमतों की वृद्धि के बारे में उनका क्या कहना है ? जब तक उन कारणों का पता न लगे उस समय तक अन्य बातों का पता नहीं चल सकता।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे विचार में मूल्य वृद्धि की इस समस्या पर इस सदन में कुछ समय के बाद एक लम्बी चर्चा होगी। उस समय मैं इसका कुछ अधिक विश्लेषण करूंगा। अभी मैंने आपको कुछ जरूरी बातों के बारे में ही बताया है।

अध्यक्ष महोदय : जब आप प्रश्नों को शांति से पूछते हैं तो आप कितने अच्छे लगते ? ··· **(व्यवधान)** श्री नाथ पाई।

श्री नाथपाई : वित्तमंत्री को जब वह गृह मंत्री भी थे, आदेश, प्रादेश तथा उद्घोषणा करने की आदत थी। परन्तु अब जब वह कहते हैं कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी और वह बढ़ती जाती हैं तो वे कुछ मायूस हो जाते हैं। मेरे विचार में कुछ रचनात्मक उपायों को लागू किया जाना चाहिये क्या यह एक विरोधभास नहीं कि तीन वर्षों से सरकार यह कह रही है कि पैदावार बढ़ रही है और फिर भी कीमतें बढ़ ही रही हैं ? तीन वर्ष अच्छी वर्षा हुई तथा अच्छी फसलें हुई, फिर भी यह अनाज जिनकी खपत आम भारतीय करते हैं, बाजार में नहीं आ रहे हैं। मुझे उन आंकड़ों के बारे में कुछ नहीं कहना है जिन्हें श्री पाटोदिया ने आपके वक्तव्य से उद्धृत किया है। क्या हम जान सकते हैं कि वे इस विरोधाभास की परिभाषा कैसे करेंगे ? क्या हमें इसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी ? सरकार का दावा है कि फसल अच्छी हुई है। इन आंकड़ेबाजियों से आम ग्रहणी तथा परिवार का पालन पोषण करने वाले व्यक्ति को कोई भी लाभ नहीं हुआ है उदाहरण के लिये चीनी की कीमत बढ़ने का मतलब यह होगा कि अब गरीब घर में इसकी खपत कम होगी। और चावल की खपत भी कम होगी यदि इसकी भी कीमत बढ़ जायें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण न दीजिये।

श्री नाथपाई : उत्पादन बढ़ने की बात के साथ-साथ रचनात्मक कार्य करने का क्या अर्थ है ? अन्य देशों ने कुछ प्रयोग किये हैं। हालैंड में मूल्य तथा मूल्य स्थिरता बोर्ड है, जिसके अध्यक्ष श्री ओबरे जोन्ज हैं। टोरी दल ने इसे समाप्त करना चाहा था। आपके पीछे बैठे अर्थ-शास्त्र के प्रोफेसर से आप पूछ सकते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार मूल्य वृद्धि के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रही है और रचनात्मक कुछ कदम उठा रही है। चूंकि पिछले कुछ वर्षों

से हम इस समस्या को हल नहीं कर पा रहे हैं। अत: उत्पादन को छोड़कर क्या सरकार इस विषय में मूल्य स्थिरता बोर्ड की स्थापना जैसा कोई ठोस कदम उठायेगी ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : माननीय सदस्य ने कहा है कि इस वर्ष फसल अच्छी हुई है। जहां तक अनाज का सम्बन्ध है, सचमुच इस वर्ष अच्छी फसल हुई है। यह महत्वपूर्ण बात है। कपास तथा अन्य बातों के बारे में भी मैंने कहा है। कृषि की प्रगति के संदर्भ में जैसे हम कहते हैं कि गेहूं की फसल में वृद्धि हुई है। वास्तव में इतनी वृद्धि नहीं हुई है। कृषि में कुछ अन्य पहलुओं में प्रगति हुई है लेकिन उद्योगों के कच्चे माल विषय में कोई प्रगति नहीं हुई है जिसका कारण यह नहीं कि हमने प्रयत्न नहीं किये हैं। हम माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों का स्वागत करते हैं। हम कोई रचनात्मक सुझाव चाहेंगे चूंकि यह एक समस्या है।

सरकारी उपक्रमों में खपा लिए गए कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति सुविधाएं

*245. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के सरकारी उद्यमों सम्बन्धी ब्यूरो ने सरकारी कर्मचारियों के सरकारी उपक्रमों में स्थायी तौर पर खपा लिये जाने पर उन्हें सेवा-निवृत्ति लाभ देने के सम्बन्ध में अनुदेश जारी किये हैं ;

(ख) क्या उक्त लाभ उन सरकारी कर्मचारियों को भी उपलब्ध होंगे जो उन स्वायत्त-शासी संगठनों ; जिन्हें भारत सरकार से आंशिक/पूरी वित्तीय सहायता मिलती है, स्थायी तौर पर खपा लिए गये हैं अथवा खपाये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या-क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जो सरकारी कर्मचारी औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों से भिन्न ऐसे स्वायत्तनिकायों में खपा लिये गये हैं जिनको केन्द्रीय सरकार ने स्थापित किया है और जिनकी वित्तीय व्यवस्था भी केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है, उनके लिये सेवानिवृत्ति सम्बन्धी लाभों के बारे में अलग आदेश हैं। जिस श्रेणी पर लोक उद्यम ब्यूरों के आदेश लागू होते हैं, उससे यह श्रेणी भिन्न है।

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट है कि सरकारी उपक्रमों में जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति लाभ प्रदान किये जा चुके हैं। ये कहते हैं कि स्वायत्त शासी निकायों के बारे में हमारे नियम भिन्न हैं। जब सरकारी कर्मचारी को किसी अन्य संस्था में सेवा करने के लिये भेजा जाता है, चाहे सरकारी औद्योगिक उपक्रम हो अथवा अन्य संस्था, तो उसके लिये क्या अन्तर पड़ता है ? सरकार विभिन्न सेवाओं में जाने वाले अधिकारियों के बीच भेद-भाव क्यों रखती है। क्या यह सेवाओं तथा प्रबन्ध कार्य के लिये लाभदायक है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य को अभी हाल में जारी किये गये उन आदेशों की जानकारी होगी जिनके अनुसार सरकारी उपक्रम अथवा उद्यम में जाने वाले सरकारी अधिकारियों को विकल्प देना पड़ता है कि वे एक वर्ष के अन्दर सरकारी उद्यम में ही स्थायी होना

चाहते हैं अथवा वापिस सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं। ये आदेश भारत सरकार के जीवन बीमा निगम जैसे स्वायत्त शासी निगमों के लिये लागू होता है। यही अन्तर है। इसी अन्तर सेवा निवृत्ति लाभ में भी अन्तर पड़ता है। इसी आधार पर अन्तर हुआ है। यदि यह अन्तर न होता तो माननीय सदस्य की धारणा में औचित्य होता। लेकिन चूंकि प्रति नियुक्ति की शर्तों में भी अन्तर रक्खा गया है इसलिये सेवा निवृत्ति के लाभ में भी अन्तर हो गया है।

श्री बलराज मधोक : औद्योगिक उपक्रमों के नियमों के अनुसार वहां जाने वाले अधिकारियों को अपने आप को वहां स्थायी बनाना पड़ता है। क्या यह जीवन बीमा निगम अथवा अन्य वाणिज्य संस्थाओं के लिये भी उसी प्रकार लागू नहीं होता ? उन्हें भी अपने आपको वही स्थायी बनाना चाहिये। अत: क्या सरकार औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संस्थाओं में जाने वाले अधिकारियों के लिये समान नियम बनायेगी ताकि सम्बन्धित अधिकारियों के अन्दर भेदभाव की भावना न रहे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : वाणिज्यिक तथा औद्योगिक और सी० एस० आई० आर० जैसे स्वायत्त शासी निकायों के बीच अंतर है। सी० एस० आई० आर० एक स्वायत्त शासी निकाय है लेकिन इसकी तुलना भिलाई, रूरकेला इस्पात परियोजनाओं तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स से नहीं की जा सकती। जो लोग निकायों में जाते हैं उनका वहां हमेशा के लिये रहना जरूरी नहीं। मेरे विचार में यह ऐसा सुझाव है जिस पर विचार किया जाना चाहिये।

लेकिन सरकार के अधीन काम करने वाले स्वायत्तशासी निकाय तथा वाणिज्यिक और औद्योगिक उपक्रमों के बीच अंतर स्पष्ट है। क्या समस्त नियम इन पर लागू किये जा सकते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि कोई तरफ निर्णय हुआ है जिसके अनुसार सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले आई० ए० एस० अधिकारियों को अंतिम निर्णय करना पड़ता है कि वे आई० ए० एस० में रहना चाहते हैं अथवा स्थायी रूप से सरकारी उपक्रमों में रहना चाहते हैं ? यह प्रश्न अधिकारियों के मन में बेचैनी पैदा कर रहा है कि उन्हें सरकारी उपक्रमों में रहते हुये वही लाभ मिलेंगे या नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस दिशा में क्या अंतिम निर्णय लिया है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : सरकार ने अन्तिम निर्णय ले लिया है और सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले लोगों को शर्तें भी भेज दी गयी हैं। उन्हें फरवरी, 1976 तक अपना-अपना विकल्प देना है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से वित्तीय सहायता

*246. **श्री स० कुण्डू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा भारत को कितनी धन राशि दी गई;

(ख) किन-किन परियोजनाओं के लिए धन दिया गया, प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धन राशि दी गई और ये परियोजनायें कहां स्थित है;

(ग) चतुर्थ योजना-अवधि के दौरान कितनी राशि उपलब्ध होने की सम्भावना है और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ योजना के अन्तर्गत ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) सहायता और ऋण के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ योजनाओं के अन्तर्गत कितना धन प्राप्त हुआ और इस पर वसूल किये जाने वाले ब्याज की दर क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-4338/70]**

(ग) जैसाकि विवरण में बताया गया है, चौथी पंचवर्षीय आयोजना के प्रारम्भ से अब तक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 2550 लाख डालर (191.25 करोड़ रुपये) के मूल्य के करार किये जा चुके हैं । यह बताना कठिन है कि चौथी आयोजना की शेष अवधि में कितने मूल्य के और करार किये जायेंगे । यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के वास्तविक साधन कितने हैं, उन प्रायोजनाओं और कार्यक्रमों का स्वरूप क्या है और उनकी संख्या कितनी है, जिन्हें हम कार्यान्वित करने के लिये तैयार हैं और जो अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के हितों के अनुरूप हों और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की कसौटी पर, वे किस सीमा तक पूरे उतरते हैं ।

(घ) भारत को अब तक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से 126.40 करोड़ डालर (948 करोड़ रुपये) की सहायता मिली है । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण ब्याज मुक्त हैं ।

श्री स० कुन्दू : विवरण से विदित है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास समुदाय की सहायता पिछले तीन वर्षों से बढ़ रही है, क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि दोषपूर्ण तथा त्रुटि-पूर्ण निवेश कार्यक्रम के कारण इस सहायता का उचित उपयोग नहीं हो रहा है और इस सहायता के एक पिछले अंश का भी अभी तक उचित उपयोग नहीं किया गया है । इस कार्यक्रम के अधीन क्या सरकार ने छोटी सिंचाई योजनाओं पर राशि व्यय करने पर विचार कर लिया है ? क्या सरकार ने इस पर विचार किया है और ऐसा उपाय ढूंढ़ा है जिसके अनुसार सहायता का उपयोग उचित तरीकों से अच्छे कार्यक्रमों के लिये किया जा सके ?

श्री यशवंतराव चह्वाण : सरकार ही नहीं अपितु विश्वबैंक के प्रतिनिधि भी परियोजना को तैयार करते हैं । वे परियोजना के आर्थिक पहलू को देखते हैं । उसके बाद ही अगली कार्यवाही की जाती है ।

मैं ऐसा नहीं समझता कि राशि का उचित उपयोग नहीं हो रहा है । विश्व बैंक कृषि परियोजना के लिये सहायता प्रदान करने को सहमत हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

World Bank's assistance to Madhya Pradesh for reclamation of Chambal Ravines

*243. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government has sent a proposal to the Government of India to seek assistance from the World Bank so as to be able to implement their Rs. 70 Crores scheme for the reclamation of Chambal ravines ; and

(b) if so, the date on which the aforesaid proposal was received by the Central Government and the action taken thereon ?.

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan): (a). The Government of Madhya Pradesh have forwarded to Government of India a Scheme for land development in the Command Area of the Chambal Project for an outlay of Rs. 70 crores to be considered for World Bank assistance. It includes ravine land reclamation also at an estimated cost of Rs. 43 crores.

(b) The proposal was received in June, 1970. Since the Projects for World Bank assistance have to be a part of the State Plan before they can qualify for foreign aid and since no such major scheme has been included in the State Plan, it has not been possible to seek World Bank assistance for this Scheme. However, the State Government has been requested to consider smaller units of the Scheme or units that can be covered under the normal scope of operations of the Agricultural Refinance Corporation.

जब्त किये गये माल की बिक्री

*247. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तस्करी का सोना तथा अन्य सामान बेचने की क्या प्रक्रिया है और क्या कानूनी कार्यवाही के समाप्त हो जाने के पश्चात ऐसे सामान को बेचने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ; और

(ख) सरकार द्वारा बेची गई तस्कर वस्तुओं की आड़ में गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा तस्कर वस्तुओं की बिक्री को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तस्कर-आयात-निर्यात की जब्त की गयी वस्तुओं के निपटान की कार्यविधि नीचे दिये अनुसार है :—

(i) सोना, सोने के आभूषण, चांदी तथा चांदी के आभूषण टकसाल में जमा किये जाते हैं ।

(ii) तराशे हुए हीरों और कीमती नगों का, हथकरघा तथा हस्तकला निर्यात निगम की मार्फत, जो एक सरकारी उपक्रम है, निर्यात किया जाता है ।

(iii) बिन-तराशे हीरों और कीमती नगों को सीमा-शुल्क विभाग द्वारा सार्वजनिक नीलामी में आयात लाइसेंसदारों को इस शर्त पर बेच दिया जाता है कि स्वीकार की गयी बोली का माल उनके लाइसेंस में नामे डाला जायगा ।

(iv) संश्लिष्ट धागा और धातु-सूत को, इन वस्तुओं के वास्तविक उपभोक्ताओं के बीच ही सार्वजनिक नीलामियों द्वारा बेचा जाता है ।

(v) नष्ट होने वाली तथा जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को, जैसे सिगरेटें जो बिना खराब हुए अधिक समय तक रोकी नहीं जा सकतीं, सीमा-शुल्क गृहों द्वारा फुटकर बिक्री में बेच दी जाती हैं ।

(vi) अन्य उपभोक्ता वस्तुएं, सैनिक कैन्टीन स्टोर्स, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति (गृह मंत्रालय द्वारा संचालित) तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड को, देश भर में उपभोक्ता सहकारी स्टोरों की मार्फत उपभोक्ताओं को बिक्री के लिये बेच दिया जाता है ।

निपटान के लिये कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की गयी है परन्तु वस्तुओं की जब्ती के बाद उनका यथा-संभव-शीघ्र निपटान करना होता है । देश के भीतरी भागों में पकड़े गये माल के सन्देहपूर्ण मामलों में, विभाग को अपील तथा नजरसानी दरख्वास्त संबंधी कार्यवाहियों की मियाद के खतम होने की प्रतीक्षा करनी होती है ।

(ख) जैसाकि उपर्युक्त (क) में उल्लेख किया गया है, तस्कर-आयात-निर्यात की वस्तुएं स्वीकृत अभिकरणों की मार्फत उपभोक्ताओं तथा वास्तविक प्रयोक्ताओं को बेची जाती हैं, जिससे तस्कर-आयात-निर्यात की सरकार द्वारा बेची गयी वस्तुओं की आड़ में, इसी प्रकार की तस्कर आयात निर्यात की वस्तुओं की रवानगी तौर पर बिक्री को रोका जा सके ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण

*248. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री मयावन :
श्री दण्डपाणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारत को 4.5 करोड़ रूपये का ऋण देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का विचार इस ऋण से कोई परियोजना स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उस परियोजना का नाम क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) . अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का प्रस्तावित ऋण भारत में एक कृषि-विमानन परियोजना की लागत के लिए विदेशी मुद्रा जुटाने के वास्ते है । इस परियोजना के अन्तर्गत निजी संचालकों तथा भारत सरकार द्वारा 82 वायुयान (35 हैलीकौप्टर और 47 फिक्स्ड विंग एयर क्राफ्ट) तथाफालतू पुर्जे आयात किए जायेंगे । इस योजना का उद्देश्य भारत भर में हवाई छिड़काव की कर सेवाओं का विस्तार और उनमें सुधार करके खेती को हानि

पहुंचाने वाले कीड़ों और बीमारियों पर अधिक अच्छी तरह नियंत्रण पाना है । इस ऋण के लिए संघ के साथ करार पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं ।

बैंकों द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन देने की संशोधित नीति के कारण आसनसोल कोयला खानों की अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव

*249. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन देने की संशोधित नीति से आसनसोल की कोयला खानों की अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रभाव किस प्रकार तथा किस सीमा तक पड़ा है;

(ग) इस संकट की रोक-थाम के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) और (ख). बैंकों ने कोयला उद्योग के सम्बन्ध में कोई अलग ऋण नीति नहीं बनायी है । इसलिए नीति में कोई संशोधन करने तथा कोयला उद्योग की अर्थ-व्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

(ग) उल्लिखित संकट, संभवत: कोयले के उत्पादन में अधिक वृद्धि होने और साथ ही इस्पात के कारखानों को ओर से कोयले की मांग में कमी हो जाने और परिवहन में अड़चनों आदि के कारण खानों में कोयले के भारी स्टाक जमा हो जाने के फलस्वरूप उपस्थित हुआ है । जहां तक कोयले के स्टाक जमा हो जाने से उत्पन्न वित्तीय तंगी का सम्बन्ध है, रिजर्व बैंक ने, कोयला खनन संघ के प्रतिनिधियों को कह दिया है कि कोयला खानों को अपने बैंकरों से धन प्राप्त करने में यदि कोई कठिनाइयां महसूस हों तो वे रिजर्व बैंक को बताएं । भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नाम एक परिपत्र भी जारी किया है जिसमें उन्हें ऐसे मामलों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा गया है ।

विश्वविद्यालय शिक्षा की बिगड़ती हुई स्थिति

*250. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की बिगड़ती हुई स्थिति तथा उसके सुधार में आने वाली बाधाओं की जांच करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन पेश किये जाने की आशा है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं । शिक्षा आयोग (1964-66) देश में विश्वविद्यालय-शिक्षा से संबंधित स्थिति का पहले ही बड़े विस्तार-पूर्वक अध्ययन कर चुका है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा विकासशील राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने की योजनायें

*251. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सितम्बर, 1970 में कोपनहेगन में हुये सम्मेलनों में विकासशील राष्ट्रों को सहायता देना स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस सम्बन्ध में चार योजनाओं पर विचार करना भी स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). अभी हाल ही में, कोपनहेगन में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और विश्व बैंक के गवर्नरों के बोर्डों की हुई संयुक्त बैठक में विकासशील राष्ट्रों को सहायता देने के पहलू पर भाषण देते समय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के प्रबन्ध निदेशक ने यह बताया था कि इस सुझावा को मिले व्यापक समर्थन को देखते हुए कि विशेष आहरण अधिकारों के निर्माण और आर्थिक विकास के लिए वित्त पोषण के बीच संबंध स्थापित करने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा अध्ययन शुरू किया जाना चाहिए, कार्यकारी निदेशक मण्डल इस पर विचार करेगा । किन्तु विश्व बैंक (अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक) के अध्ययन ने इस संबद्ध प्रश्न का अध्ययन करने में सहयोग देने की पेशकश करने के अतिरिक्त इन चार बातों के सम्बन्ध में कार्यवाई शुरू करने के लिए राजी हो गये :—

(i) सदस्य देशों को होने वाली ऋण सम्बन्धी कठिनाइयों का व्यापक अध्ययन करने का काम अपने हाथ में लेना,

(ii) विकासशील देशों में लगायी जाने वाली गैर-सरकारी पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने में सहायता देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निवेश बीमा योजना से सम्बन्धित विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाई करना,

(iii) विश्व बैंक समूह द्वारा कार्यक्रमों के लिए ऋण दान और स्थानीय लागत के वित्तपोषण के प्रश्नों पर विचार करना,

(iv) द्विपक्षीय विकास ऋणों को बन्धन मुक्त बनाने के लिए व्यवहारिक करार तैयार करने के उद्देश्य से विकास सहायता समिति के सदस्य देशों की सरकारों की सहायता करना ।

पश्चिमी बंगाल को वित्तीय सहायता

*252. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने राज्य के बाढ़-पीड़ित लोगों के राहत-कार्यों के लिये केन्द्रीय सरकार से जो ऋण/अनुदान मांगे थे, वे केवल आंशिक रूप से ही पूरे किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी बंगाल सरकार ने उक्त कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार से ऋण/अनुदान के रूप में कुल कितनी राशि मांगी थी और उसके लिए अब तक कितनी राशि मंजूर की गई है, और

(ग) राज्य सरकार द्वारा किये गये अनुरोध को पूर्णत: न माने जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल की सरकार ने अनुमान लगाया था कि उसे 1970-71 में बाढ़ संबन्धी राहत, मरम्मत और पुनर्वास के विभिन्न कार्यों के लिए 66 करोड़ रुपये की आश्वयकता पड़ेगी। केन्द्रीय अधिकारियों के एक दल ने स्थिति का और धन की आवश्यकताओं का मौके पर जाकर जायजा लेने के लिए पिछले सितम्बर मास में राज्य का दौरा किया था और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विस्तारपूर्वक बातचीत की थी। इस जायजे के आधार पर केन्द्रीय दल ने केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिए, राहत, मरम्मत और पुनर्वास के कार्यों पर व्यय के लिए 19·85 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा की सिफारिश की थी। भारत सरकार ने इस उच्चतम सीमा को स्वीकार कर लिया है और इसकी सूचना राज्य सरकार को दे दी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को 7 करोड़ रुपये की राशि पहले ही दी जा चुकी है और राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय के बारे में दी जाने वाली सूचना के आधार पर और सहायता दी जायगी।

Ceiling on Income

*253. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have under consideration a proposal to fix a definite ratio between the minimum and maximum income in the rural and the urban areas ; and

(b) if so, the action taken so far in this regard ?

The Minister of Financc (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The Government is broadly in agreement with the objective of regulating private incomes and expenditures as an integral part of planning. Successive Five Year Plans have evolved various measures to attain this basic goal through the rapid increase in the standard of living which also promote equality and social justice. The objective of reducing inequalities in income and wealth is sought to be achieved through steeply graduated taxes on income and wealth as well as through a gradual extension of the role of the public sector. Simultaneously, measures have been taken to ameliorate the position of the weaker sections of the society by laying particular emphasis on programmes and policies which benefit them. The Central Budget for 1970-71 includes many specific programmes to improve conditions of small farmers and landless labour and for dry areas. On the other hand, to reduce inequalities in income and wealth, the rates of personal income tax and rates of ordinary and additional wealth tax have been enhanced. The subject of a comprehensive legislation to impose a ceiling on urban properties is under discussion with the State Governments. Accumulation of rural property is being discouraged by implementing land reforms through imposing ceiling on land holdings by the State Govern-

ments. Besides, wealth tax has been extended to include agricultural wealth. The recent changes made in the industrial licensing policy and the coming into operation of the Monopolies and Restrictive Practices Act are also aimed at checking the growth of concentration of economic power in the hands of the few. The lending policies of the nationalised banks and other public financial institutions have been reoriented so as to meet the credit requirements of weaker and hitherto neglected sections of the community. The banks have under consideration a system of differential interest rates so as to help the poorer sections. Attention is being given to the development of backward regions by adopting special schemes. The recent action taken by the Government to abolish privy purses and privileges enjoyed by the erstwhile rulers of former princely States is yet another step towards reducing inequalities.

In brief, the Government considers that planned economic development coupled with progressive reduction of concentration of incomes, wealth and economic power through various fiscal and non-fiscal measures provide a positive approach for achieving the basic objective of assuring a minimum standard of living to the people and of reducing disparities in incomes, wealth and opportunities between different sections of the community.

होटलों और रेस्टोरेन्टों द्वारा यात्री चैकों का दुरुपयोग

*254. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि रिजर्व बैंक ने जिन रेस्टोरेन्टों को विदेशी बैंकों द्वारा जारी किये यात्री चैकों का अथवा विदेशी मुद्रा का रुपयों में भुगतान करने का अधिकार दिया हुआ है, वे कदाचार कर रहे हैं, देश को अत्यावश्यक विदेशी मुद्रा से वंचित कर रहे हैं तथा तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की चोरी को रोकने के प्रयोजनार्थ उनके सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) . कुछ निश्चित कसौटियों पर खरे उतरने वाले रेस्टोरेन्टों, होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों को रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा-विनिमयन लाइसेंस जारी किये जाते हैं। उन्हें इन लाइसेंसों का उपयोग रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये प्राधिकरण की शर्तों के अनुसार करना होता है। इस सम्बन्ध में उन्हें समय समय पर विवरण भेजने पड़ते हैं और इसके अलावा उनके लेखों और बहियों का रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। जिन शर्तों पर लाइसेंस दिया जाता है, उनका उल्लंघन करने पर लाइसेंसदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

रिजर्व बैंक होटलों और रेस्टोरेन्टों के मालिकों के मुद्रा-विनिमयन लाइसेंसों का नियत समय पर निरीक्षण करता रहा है। भ्रष्टाचार का कोई मामला देखने में नहीं आया है।

कलकत्ता पत्तन की बिगड़ती हुई स्थिति

*255. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन की भयानक रूप से बिगड़ती हुई स्थिति की ओर अपेक्षित ध्यान देने के लिये केन्द्र से अनुरोध किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि यदि गंगा नदी के रेत को न निकाला गया तो कलकत्ता पत्तन भी हमारे अन्य बहुत से प्राचीन पत्तनों की तरह ही बन्द हो जायेगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केवल फरक्का परियोजना के पूरा होने से ही इस पत्तन को चालू रखा जा सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले के लिए क्या उपचारात्मक उपाय सोचे गये हैं ?

संसद् कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) से (घ). कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा समय समय पर यह कहा गया है कि हुगली नदी की स्थिति बिगड़ रही है तथा उस बिगड़ती हुई स्थिति को रोकने के लिये फरक्का बांध आवश्यक है। बांध पहले से ही निर्माणाधीन है।

दिल्ली परिवहन संस्थान को बिक्री कर तथा सड़क कर से विमुक्ति

*256. **श्री इसहाक संभली :** क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन संस्थान को बिक्री-कर तथा सड़क-कर से छूट देने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

संसद-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरमैया) (क) दिल्ली परिवहन उपक्रम को बिक्रीकर तथा सड़क-कर से छूट देने के लिये सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु दिल्ली प्रशासन से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें दिल्ली परिवहन उपक्रम को उस परिमाण में उपदान देने का अनुरोध किया गया है जिस परिमाण में यह सरकार को बिक्री-कर और सड़क-कर देता है।

(ख) मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अन्तर्देशीय जलपरिवहन समिति की सिफारिशें

*257. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री अदिचन :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्देशीय जलपरिवहन समिति एक राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाने के पक्ष में है ;

(ख) यदि हां, तो यह नीति किन-किन क्षेत्रों में लागू की जायेगी ;

(ग) क्या समिति ने पांच जलपरिवहन मार्गों को राष्ट्रीय जलपरिवहन मार्ग बनाने का सुझाव दिया है ;

(घ) उन पांच जलपरिवहन मार्गों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) समिति की अन्य सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

संसद-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) और (ख). समिति ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय परिवहन नीति का लक्ष्य परिवहन के सब तरीकों के अंतर्निहित लाभों का उपयोग करना होना चाहिए जिससे परिवहन के सभी तरीकों के ऐसे समानुपात और संयोजन से विकास करने के लिए स्थिति तैयार हो सके जिससे सारा परिवहन पद्धति में लगने वाले धन से अधिकतम लाभ का सुनिश्चयन हो जाय और न्यूनतम लागत पर प्रत्येक अवस्था पर समुदाय की सारी परिवहन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाय ।

(ग) और (घ). समिति ने निम्नलिखित जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने पर विचार करने की सिफारिश की है :—

(1) गंगा-भागीरथी-हुगली
(2) ब्रह्मपुत्र
(3) भांडेवा और जुआरी नदियां तथा गोआ में कुम्बरजुआ नहर
(4) महानदी
(5) गोदावरी
(6) नर्मदा

(ङ). समिति ने अपनी रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की है। रिपोर्ट को संबंधित राज्य सरकारों को टिप्पणी के लिये और उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये जिनसे वे सम्बन्धित हैं, भेज दिया गया है। राज्य सरकारों की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए तथा सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से समिति की सिफारिशों पर आगे कार्यवाही की जाएगी ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय की इमारत का गिराया जाना

*258. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय की इमारत को गिराए जाने के बारे में 21 अगस्त, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 545 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त भवन के गिराये जाने के बारे में चल रही वार्ता के सम्बन्ध में और आगे क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : विश्वविद्यालय ने भवन पर अधिकार प्राप्त करने के लिये, कानूनी कार्यवाई करने का निर्णय किया है ।

इण्डियन एयरलाइन्स में "नियमानुसार काम करो" आन्दोलन

*259. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स के तकनीकी कर्मचारियों ने हाल ही में कितनी अवधि तक

"धीरे कार्य करो" तथा "नियमानुसार काम करो" आन्दोलन चलाया ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप इण्डियन एयरलाइन्स को कितनी हानि उठानी पड़ी ; और

(ग) उक्त आन्दोलन को समाप्त करने हेतु कर्मचारियों के साथ किये गये समझौते का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) उन विमान तकनीकियों ने जिनका प्रतिनिधित्व "इंडियन एयरक्राफ्ट टेकनीशियन्स एसोशिएशन" द्वारा किया जाता है, 17 अगस्त से 6 सितम्बर, 1970 तक "धीरे कार्य करो" तथा "नियमानुसार कार्य करो" आन्दोलन चलाया।

(ख) लगभग 30 लाख रुपये की हानि हुई।

(ग) इण्डियन एयरक्राफ्ट टेकनिशियन्स एसोसिएशन तथा इण्डियन एयरलाइन्स के बीच हुये समझौते का विवरण निम्नलिखित है :

(i) एसोसिएशन ने अपनी वर्तमान कार्यवाही (जिसे वे "सहयोग रोक देना" कहते हैं) को तुरन्त समाप्त करना मान लिया।

(ii) सैद्धांतिक रूप से यह स्वीकार कर लिया गया कि विवाद का विवाचन द्वारा फैसला किया जाये।

(iii) विवाचक कौन हो, विवाचक का गठन क्या हो, तथा उसके विचारणीय विषय क्या हों इन बातों को इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर-इंडिया दोनों ही के प्रबन्धक-वर्ग के प्रतिनिधियों, तथा इंडियन एयरक्राफ्ट टेकनीशियन्स एसोसिएशन और एयर कारपोरेशन्स एम्पलाईज यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा अन्तिम रूप से तय किया जायेगा।

(iv) अन्य प्रश्नों के साथ ही साथ विवाचन के लिये एक प्रश्न यह भी रखा जायेगा कि क्या तकनीकी वर्गों के वर्तमान वेतन-मानों में पुनः समंजन की आवश्यकता है और यदि हां तो किस तारीख से।

(v) विवाचन कार्य तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा हो जायेगा।

(vi) अन्य ब्यौरों, तथा समय, कार्यविधि आदि के निर्धारण को एयर-इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्धक-वर्ग के प्रतिनिधियों, तथा इंडियन एयर-क्राफ्ट टेकनीशियन्स एसोसिएशन तथा एयर कारपोरेशन्स एम्पलाईज यूनियन के प्रतिनिधियों की एक बैठक में, जोकि 7 सितम्बर, 1970 से 15 दिन की अवधि के भीतर होगी, अन्तिम रूप दिया जायेगा।

(vii) उपरोक्त पैरा (ii) और (iii) में निर्दिष्ट विषयों पर यदि उपरोक्त पैरा (iii) में उल्लिखित पार्टियों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाता है तो ये प्रश्न नागर विमानन के उप-मंत्री, डा० सरोजनी महिषी के पास निर्णय के लिए भेज दिए जायेंगे।

(viii) एसोसिएशन ने इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर-इंडिया में कार्य-व्यवहार को पूनः सामान्य स्थिति में लाने के लिये पूरा-पूरा सहयोग देना तथा सद्भावपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखना स्वीकार कर लिया है।

Commonwealth Finance Ministers Confcrence and World Bank Meeting

*260. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Sradhakar Supakar :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the main decisions arrived at in the Commonwealth Finance Ministers' Conference and in the meeting of the World Bank held recently ;

(b) the likely effect of these decisions on the Indian economy :

(c) whether the World Bank has taken a decision or is considering to make more funds available to India for its Fourth Five Year Plan ; and

(d) if so, whether this loan is for any specified projects or for general use ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a). A copy of the Press Communique issued at the conclusion of the meeting of the Commonwealth Finance Ministers held at Nicosia, Cyprus on September 17–18, 1970 is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L.T.—4339/70].** Copies of the concluding remarks of the Managing Director of the IMF and the President of the World Bank indicating the main conclusions of the Annual Meetings are also placed on the Table of the House.

(b) It is difficult to say how, as a result of the various studies that are intended to be taken up, the course of the World economic situation will be affectcd and what effect they will have on the Indian economy.

(c) and (d). The World Bank, and the International Development Association (IDA) propose to double their overall level of lending operations. The extent of assistance that will be available to India will depend upon the actual resources that these institutions will have, the projects and programmes which we take up that are in line with the interests of these institutions, the extent to which these projects satisfy the criteria adopted by these institutions etc. All assistance given by the World Bank and IDA is earmarked for specific projects and programmes and not for general use.

यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन का शामिल होना

*261. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकोशिया में राष्ट्रमण्डलीय वित्त मंत्रियों की हाल ही की बैठक में उठाये गये यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन के शामिल होने के प्रश्न पर भारतीय प्रतिनिधि मण्डल द्वारा क्या विचार व्यक्त किये गये तथा भारत द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन किन-किन देशों ने किया ;

(ख) यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन के शामिल होने से भारत के व्यापार हितों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा और क्या ब्रिटेन की सरकार ने यूरोपीय साझा बाजार

में शामिल होने से पूर्व ऐसा कोई आश्वासन दिया है कि भारत के हितों की रक्षा की जायेगी ; और

(ग) व्यापार तथा अन्य वित्तीय और औद्योगिक मामलों में भारत को ब्रिटेन से प्राप्त हुए विभिन्न लाभों तथा प्राथमिकताओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) मैंने राष्ट्रमण्डलीय वित्त मंत्रियों की बैठक में यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन के शामिल होने के सन्दर्भ में, राष्ट्रमण्डलीय सदस्य देशों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया था । मैंने यह सुझाव दिया था कि पहले तो ब्रिटेन को विकासशील देशों के उत्पादनों पर उस समय तक शुल्क वृद्धि नहीं करनी चाहिये जब तक विकासशील देशों को समग्र रूप से यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ करार करने के लिये बातचीत करने का समय और अवसर प्राप्त न हो जाय और दूसरे विकासशील देशों को, वह तरजीह न दे जो कि राष्ट्रमण्डलीय विकास देशों को भी नहीं दी जा सकती हो । राष्ट्रमण्डलीय सदस्य देशों के हितों का ध्यान रखने की आवश्यकता का सभी प्रतिनिधि-मण्डलों द्वारा समर्थन किया गया ।

(ख) यदि साझा बाजार में शामिल होने के लिये ब्रिटेन, राष्ट्रमण्डलीय देशों द्वारा ब्रिटेन को भेज जाने वाले माल की तरजीह समाप्त कर देता है, तो भारत से ब्रिटेन को किये जाने वाले निर्यात पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने राष्ट्रमण्डलीय सरकारों को यह आश्वासन दिया कि उन्हे इस विषय में सभी गतिविधियों से पूरी तरह अवगत किया जायगा और ब्रिटिश सरकार भी राष्ट्रमण्डल के दृष्टिकोण तथा प्रत्येक सदस्य देश के विशेष निजी हितों के प्रति जगरूक रहेगी । यह बात सभी सदस्य देशों पर लागू होती है जिनमें भारत भी शामिल है ।

(ग) हमारे द्वारा निर्यातित बहुत सी वस्तुओं को या तो ब्रिटेन में शुल्क रहित प्रवेश मिलता है या उन्हें शुल्क के सम्बन्ध में तरजीह दी जाती है ।

सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्रों को दिए गये ऋण को ईक्विटी में परिणत करना

*262. **श्री देवेन सेन** :
श्री जनार्दनन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी वित्तीय संस्थान द्वारा दिये गये किसी ऋण को ईक्विटी में परिणत किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन समवायों के नाम क्या हैं जिनमें इस प्रकार के ऋण को ईक्विटी में बदला गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं अर्थात भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,

भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट से सम्बन्धित सूचना नीचे दी जा रही है :

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नीचे की सारणी में उन मामलों का ब्यौरा दिया गया है, जिनमें निगम ने, सम्बद्ध प्रतिष्ठान को ऋण परिशोधन में राहत देने के उद्देश्य से, बकाया ऋण/ब्याज को आंशिक रूप से शेयर-पूंजी में परिवर्तित करना मान लिया है :

क्रम संख्या	प्रतिष्ठान का नाम	30 जून 1970 को निगम द्वारा स्वीकृत और बकाया सहायता की रकम		वह रकम जो सामान्य/तरजीही शेयरों में परिवर्तित कर दी गई है जिसे परिवर्तित करना मान लिया गया है		
				सामान्य	तरजीही	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1. परिवर्तित						
1.	असम हार्ड बोर्डस लिमिटेड	रुपया ऋण	21.63	10.58	10.58	21.16
		डालर उप ऋण	90.95			
2.	इंडिया फायर ब्रिक्स एण्ड इंसुलेशन कम्पनी लिमिटेड	रुपया ऋण	121.48	9.00	12.50	21.50
				19.58	23.08	42.66
जिसे परिवर्तित करना मान लिया गया है						
1.	शिवानन्द स्टील्स लिमिटेड	रुपया ऋण	36.74	6.75	—	6.75
		ड्यूश मार्क उप-ऋण	32.06			
2.	बिनोद मिल्स लिमिटेड	रुपया ऋण	151.85	17.00	—	17.00
		आस्थगित अदायगी गारंटी	16.11			
3.	अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड	रुपया ऋण और आस्थगित अदायगी गारंटी	501.95	96.00	30.00	126.00
4.	मांड्या नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड (अनन्तिम, 30-6-70 को बकाया राशि पर आधारित	आस्थगित अदायगी गारंटी	188.73	188.73	—	188.73
			उप-जोड़	308.43	30.00	338.48
			कुल जोड़	388.06	53.08	381.14

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपने द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दिये गये किसी ऋण को अभी तक सामान्य शेयर पूंजी में परिवर्तित नहीं किया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम

भारतीय जीवन बीमा निगम ने भी, अपने द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दिये गये किसी ऋण को अभी तक सामान्य शेयर पूंजी में परिवर्तित नहीं किया है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

भारतीय यूनिट ट्रस्ट को किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को ऋण देने का अधिकार नहीं है। लेकिन निम्नलिखित दो मामलों में भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने ऋण-पत्रों को सामान्य शेयरों में परिवर्तित करना स्वीकार कर लिया।

1. **बम्बई उपनगरीय बिजली पूर्ति लिमिटेड**

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के पास 10 लाख रुपये के जो परिवर्तनीय ऋण-पत्र थे, उन्हें 1964 में सामान्य शेयरों में बदल दिया गया।

2. **बौरीह काटन मिल्स लिमिटेड**

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के पास एक लाख रुपये के जो परिवर्तनीय ऋण-पत्र थे, उन्हें 1970 में सामान्य शेयरों में बदल दिया गया।

नेपाल की सीमा से चीन द्वारा जाली भारतीय मुद्रा की तस्करी

*263. **श्री सीता राम केसरी :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री महेन्द्र माझी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन भारतीय अर्थ-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने के लिये नेपाल की सीमा से जाली भारतीय मुद्रा को परिचालित कर रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने मामले की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो जाली नोटों को पकड़ने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सरकार ने समाचार पत्रों में इस तरह के समाचार देखे हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक की गई जांच पड़ताल से इन समाचारों की पुष्टि नहीं होती। फिर भी, मामले में अधिकतम सतर्कता बरती जा रही है।

विदेशी पर्यटकों की शिकायतें

*264. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय की ओर से भारतीय जनमत संस्थान द्वारा किये गये सर्वेक्षण प्रतिवेदन की ओर ध्यान दिया है जिसमें विदेशी पर्यटकों द्वारा की गई विभिन्न शिकायतों का उल्लेख किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण में उल्लिखित मुख्य बातों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने किसी वरिष्ठ अधिकारी को इस मामले की पूरी छानबीन करने का आदेश दिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 93.3 प्रतिशत पर्यटकों की भारत यात्रा आनन्दप्रद रही, 5.5 प्रतिशत पर्यटकों को "कुछ निराशा सी" हुई, और केवल एक प्रतिशत पर्यटकों का कथन था कि इस देश में रहना उनके लिए असन्तोषप्रद रहा । मुख्य शिकायतें गरीबी, गन्दगी और लाल फीताशाही से सम्बन्धित हैं । इन प्रतिकूल तत्वों के निराकरण के लिए पर्यटन विभाग अविरल प्रयत्न करता आ रहा है । विभाग में प्राप्त विशिष्ट शिकायतों की तुरन्त जांच करवायी जाती है और अविलम्ब उपचारी कार्यवाही के लिये सम्बन्धित संगठनों के साथ मामला उठाया जाता है ।

इंडिया टोबेको कम्पनी लिमिटेड में ब्रिटेन के शेयर

*265. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन टोबेको कम्पनी लिमिटेड ब्रिटेन के कितने शेयर हैं ; और

(ख) क्या इंडियन लीफ टोबेको डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड या वजीर सुलतान टोबेको कम्पनी लिमिटेड अथवा ब्रिटिश अमरीकन टोबेको कम्पनी लिमिटेड (यू० के०) से इंडिया टोबेको कम्पनी लिमिटेड किसी प्रकार से संबद्ध है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकरण के लिये अपने प्रार्थना-पत्र में, इंडिया टोबेको कम्पनी लिमिटेड ने, विदेशी तथा अन्यत्र वासी हिस्सेधारिता की सीमा निम्न

प्रकार से अंकित की है :

हिस्सेधारी का नाम	राशि (रु०)
टोबेको मैन्यूफैक्चर्स (इंडिया) लि०	10,32,18,940
टोबेको इन्वैस्टमैन्टस लि०	3,30,10,860
कारेरास लि०	33,70,200
योग	14,16,00,000

यह सभी कम्पनियां यू० के० में निगमित हुई थीं। अन्य अन्यत्र वाली हिस्सेधारिता नगण्य बतलाई गई है। अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी 18,95,00,000 रु० दिखाई गई है।

(ख) कम्पनी ने कथित प्रार्थना-पत्र में, स्वीकार किया है कि यह एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 2 (छ) के अनुसार इंडियन लीफ टोबेको डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड से अन्तः संबंधित है। यह प्रश्न, कि क्या यह वजीर सुल्तान टोबेको कम्पनी लिमिटेड अथवा ब्रिटिश अमेरिकन टोबेको कम्पनी लिमिटेड (यू० के०) से भी अन्तः संबंधित है, परिक्षान्तर्गत है।

विदेशी पर्यटकों की शिकायतें

*266. **श्री शशि भूषण :**

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 9 अक्टूबर, 1970 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इर्रीटेशन गैलोर फार आनर्ड गेस्टस" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों द्वारा उसमें की गई शिकायतों की जांच की है ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि विदेशी पर्यटकों को तरह-तरह से तंग नहीं किया जाये, जैसा कि उक्त लेख में उल्लेख किया गया है, सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय अपनाये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). समाचार-रिपोर्ट में वर्णित शिकायतें मुख्यतया सामान्य प्रकार की हैं। पर्यटन विभाग द्वारा प्राप्त विशिष्ट शिकायतों की हमेशा जांच की जाती है। उपचारी कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिये मामले को दुकानों, होटलों, इंडियन एयरलाइंस, रेलवेज, सीमा-शुल्क आदि जैसे संबंधित तत्वों के साथ उठाया जाता है। पर्यटन के सामान्य मूलभूत उपादानों (इन्फ्रास्ट्रक्चर) में सुधार करने के लिये भी प्रयत्न निरन्तर जारी हैं ताकि ऐसी शिकायतों को कम से कम अवसर प्राप्त हो सके।

Benefits of interim relief to pensioners of Central Government

*267. **Shri Jagannath Rao Joshi :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the pensioners have been left out of the purview of the interim relief granted to the Central Government employees ;

(b) whether Government propose to give interim relief to them ;

(c) if so, the time by which interim relief is likely to be given to them ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). Interim relief has been sanctioned to serving Central Government servants as recommended by the 3rd Pay Commission. That recommendation does not cover Central Government pensioners. Those in receipt of small pensions have already been granted ad-hoc relief, the rates of which were revised upwards w. e. f. 1st September, 1969 and w. e. f. 1. 3. 1970, a minimum of Rs. 40/- per month was fixed for all pensions, including **ad hoc** increase. Pensionary entitlement of Government servants in receipt of pay upto Rs. 1, 119/- per month retiring on or after 1. 12. 1968 have improved significantly as a result of merger of part of dearness allowance with pay. The resources position at present makes it difficult to accept additional commitments of this nature.

पश्चिम बंगाल की शिक्षा संस्थाओं का बन्द होना

*268. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की कई शिक्षा संस्थाएं नक्सलियों के आक्रमणों तथा/या अन्य प्रकार की अशान्ति के कारण भिन्न-भिन्न अवधियों के लिये बन्द करनी पड़ी थीं ; और

(ख) कितनी शिक्षा संस्थाएं बन्द की गईं और जनवरी, 1970 से कितने दिन के लिये बन्द रहीं और उनके बन्द किये जाने के क्या कारण थे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना पश्चिम बंगाल सरकार से एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बचत सर्टिफिकेट और सावधि जमा धन-राशि के बारे में तल्यार खां समिति का प्रतिवेदन

*269. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बचत सर्टिफिकेट और सावधि जमा धनराशि के बारे में तल्यारखां समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों को कहां तक क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). सरकार ने तल्यार खां समिति की बचत पत्रों और सावधि जमा सम्बन्धी मुख्य-मुख्य सिफारिशों प्रायः पूर्ण-रूप से मान ली हैं। पर कुछ छोटी-मोटी सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं। एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि ये सिफारिशें किस सीमा तक स्वीकृत और कार्यान्वित की गई हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०- 4340/70]**

Outstanding amount of Foreign Loans

***270. Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of foreign loans outstanding against India at present ;

(b) the amount paid as interest on the foreign loans during the financial year 1969-70 ; and

(c) the amount of foreign loan per capita of our population ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). The following table shows the outstanding foreign debt liability of the Government of India as on the 31st August, 1970 and the amount of interest paid during 1969-70.

Category	Government's outstanding debt liability as on the 31st August, 1970.	Amount of interest paid by the Government during 1969-70
		(Rs. Crores)
I. Loan repayable directly in foreign currency.	4,635.20	98.50
II. Loans repayable through export of goods.	485.00	12.30
Total (I & II)	5,120.20	110.80

Note : The above excludes loans in respect of which debt servicing is done in Rupees.

(c) Outstanding amounts of foreign loans are repayable over a period, extending in some cases to as much as 50 years, out of export earnings and other external receipts. It may not be meaningful, therefore, to talk of per capita foreign loan. If however, the total amount outstanding is divided by the estimated population, it will come to about Rs. 92.92.

बड़ी कम्पनियों के लेखों में त्रुटियां

1601. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा नई दिल्ली में 5 अक्तूबर, 1970 को जारी किये गये एक प्रकाशन की ओर दिलाया गया है जिसमें सरकार पर बड़ी कम्पनियों के लेखों के रखने में कदाचार तथा त्रुटियों की रिपोर्टों पर कोई कार्यवाही न करने का आरोप लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त प्रकाशन में उक्त संस्थान द्वारा लेखा परीक्षित लगभग 2000 सन्तुलन पत्रों में त्रुटियों के लगभग 500 उदाहरण उद्धृत किये गये हैं ;

(घ) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्टों पर कोई कार्यवाही की है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सरकार का ध्यान, भारतीय शास-प्राप्त लेखाकार संस्थान द्वारा, 5-10-1970 को प्रेषित "कालीफिकेशन्स इन आडीटर्स रिपोर्ट्स" शीर्षक पुस्तिका की ओर आकर्षित हुआ है। यह पुस्तिका, कम्पनियों की लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में, भारतीय शास-प्राप्त लेखाकार संस्थान के सदस्यों के लिए एक मार्ग-दर्शक प्रतीत होती है वे इसमें सरकार अथवा इसके अधिकारियों के विरुद्ध कोई आरोप अंकित नहीं है।

(ख) पुस्तिका में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट में, लगभग 324 योग्यता के उदाहरण, त्रुटियां नहीं, लिखाने का अभिप्राय है। किसी कम्पनी का नाम नहीं दिया गया है।

(ख) से (ङ). अपने दैनिक कार्य के समय, कम्पनी रजिस्ट्रारों के लिये, कम्पनियों द्वारा समय-समय पर मिसिल किये गये बचन-पत्र तथा लाभ हानि के लेखाओं की अन्वीक्षा, इस विशिष्ट निर्देश के साथ करना अपेक्षित है कि क्या उनके अन्दर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट विशेषित है अथवा नहीं। जहां आवश्यक हो, पुनः कार्यवाही का निर्णय करने के लिये, कम्पनियों के स्पष्टीकरण सदैव प्राप्त किये जाते हैं। समुचित विषयों में जहां लेखा-परीक्षित रिपोर्ट अर्हता प्राप्त है, कम्पनी अधिनियम की धारा 209(4) के अन्तर्गत, कम्पनी की लेखावहियों के निरीक्षण के आदेश दिये गये हैं। कम्पनी रजिस्ट्रारों का ध्यान, संस्थान के प्रकाशन की ओर आकर्षित किया गया है एवं इस विषय में अत्यधिक सतर्कता रखने के लिये पुनः बल दिया गया है।

विश्व बैंक के दल द्वारा कृषि वित्त निगम के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श

1602. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के एक दल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था तथा कृषि वित्त निगम के अधिकारियों से बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत का ब्यौरा क्या है ;

(ग) विश्व बैंक ने किस क्षेत्र में सहायता देना स्वीकार किया है ;

(घ) क्या विश्व बैंक के अधिकारियों ने फारम-निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फारम सलाह-व्यवस्था जैसे फारमेत्तर निवेष में रुचि दिखायी है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). विश्व बैंक के एक दल ने भारत का दौरा किया था जिसका उद्देश्य कृषि ऋण सम्बन्धी कार्यक्रमों का इस

दृष्टि से अध्ययन करना था कि क्या उनमें से कुछ कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा सहायता दिये जाने के योग्य हैं। उन्होंने कृषि पुनर्वित्त निगम के साथ विचार विनिमय किया था। उन्होंने कृषि वित्त निगम के अधिकारियों से भी मुलाकात की थी। यह विचार-विनिमय अन्वेषणात्मक था।

(ग) चूंकि यह दल टोह करने वालों के दल जैसा था अत: उनका चर्चाओं के दौरान किसी प्रायोजना अथवा किसी विशेष क्षेत्र को सहायता देने के लिये तैयार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, विश्व बैंक, भारत के कृषि ऋण क्षेत्र को तो सहायता देता ही रहा है।

(घ) और (ङ). विश्व बैंक के दल ने बताया कि लघु सिंचाई और यन्त्रीकरण की कृषि ऋण सम्बन्धी प्रायोजनाओं के अलावा वे खेती सम्बन्धी निवेष को सुदृढ़करने वाले खेती भिन्न निवेष में भी, विशेषतौर से जो भू-गर्भ जल संसाधनों आदि से सम्बन्धित हो, दिलचस्पी लेंगे।

संगीत नाटक अकादमी के सचिव तथा अन्य पदाधिकारियों द्वारा किये गये विदेशी दौरे

1603. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत नाटक एकादमी के सचिव ने 1 जनवरी, 1968 से 3 सितम्बर, 1970 तक कुल कितने विदेशी दौरे किये, वह किन-किन देशों को गये, प्रत्येक स्थान पर कितने दिन ठहरे तथा उक्त दौरे किस उद्देश्य के लिये किये गये ;

(ख) विमान किराया तथा विदेशी मुद्रा के रूप में इन दौरों पर कुल कितना खर्च हुआ;

(ग) क्या इस अकादमी के अन्य पदाधिकारियों को भी विदेशों में भेजा गया था, यदि हां, तो कब, उनके नाम क्या हैं, उन्होंने किन-किन स्थानों का दौरा किया तथा प्रत्येक दौरे पर कितना खर्च हुआ ; और

(घ) उक्त दौरों से अकादमी को क्या लाभ हुआ ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० ए० के० किस्कु) : (क) दो विदेश पर्यटन, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

देश जिनकी यात्रा की	अवधि	उद्देश्य
	पहला पर्यटन	
मलेशिया	अगस्त, 1969 में 5 दिन	दक्षिण उत्तर एशिया के पौराणिक नाटक और संगीत पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए।

दूसरा पर्यटन

(जून से सितम्बर, 1970)

जापान	6 दिन	व्यक्तिगत
अमेरिका	2 मास	अध्यापन नियोजन के लिये व्यक्तिगत विहार।
ब्रिटेन	6 दिन	व्यक्तिगत
स्विट्जरलैंड	2 दिन	व्यक्तिगत
पोलैंड	6 दिन	व्यक्तिगत
रूस	6 दिन	रूस-भारतीय सांस्कृतिक संघ द्वारा आमंत्रित।

(ख) अकादमी अथवा सरकार द्वारा इस पर कोई खर्चा नहीं किया गया था।

(ग) जी, हां। सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल के साथ बुलगारिया, युगोस्लाविया और हंगरी सहित उत्तर यूरोपियन देशों को जाने के लिये, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत, मन्त्रालय ने श्री मोहन खोकर, विशेषाधिकारी (नृत्य) को जन सम्पर्क अधिकारी के रूप में चुना था। यात्रा की अवधि अक्टूबर, 1968 के प्रथम सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह की थी।

5030 रुपये का खर्चा भारत सरकार द्वारा हवाई भाड़े पर किया गया था।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अकादमी के सचिव ने दक्षिण उत्तर एशिया के पौराणिक नाटक और संगीत पर दो निबन्ध प्रस्तुत किये और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मंच में भारत की नाटकीय प्राचीनता से परियोजना की सहायता की। उसकी इन क्षेत्रों की कला से जानकारी और विशेषज्ञों से सम्पर्क अकादमी के कुछ परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में भी उपयोगी होगी।

आयकर अधिकारियों द्वारा लुधियाना में छापे

1604. **श्री बाबू राव पटेल :**
श्री राम किशन गुप्त :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लुधियाना में उन फर्मों और उनके मालिकों के नाम क्या हैं जहां 25 सितम्बर, 1970 को छापा मारा गया था तथाकथित अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) आयकर अधिकारियों ने कुल कितने मूल्य की मुद्रा, जेवर, हुंडियां आदि पकड़ी हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उद्योगपतियों को हुंडियों पर काला धन दिया जा रहा था

तथा न केवल पंजाब में अपितु अन्य बहुत से राज्यों में भी यह हुंडी गिरोह कार्य कर रहा है ; और

(घ) हुंडी गिरोह को समाप्त करने हेतु कोई कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). 25-9-1970 को लुधियाना में 17 पार्टियों के व्यावसायिक तथा रिहायशी स्थानों की तलाशी ली गई। 22.5 लाख रुपये से अधिक की मुद्रा, जवाहिरात तथा हुंडियां पकड़ी गईं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(5) द्वारा यथापरिकल्पित जांच चल रही है। समुचित जांच-पड़ताल के लिहाज से, 17 पार्टियों में से प्रत्येक के मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा देना सम्भव नहीं है। जिन व्यक्तियों के स्थानों की तलाशी ली गई उनकी एक सूची संलग्न है।

(ग) तथा (घ). यह सच है कि पंजाब में ही नहीं अपितु देश के सभी भागों में लेखा-वाह्य आय को जाली हुंडी ऋणों के जरिये कारोबार में लगाने का प्रयत्न किया जाता है। पिछले छः वर्षों में हुंडी जाल-चक्र को तोड़ने के लिये देश के सभी भागों में सैंकड़ों तलाशियां ली गईं। आयकर विभाग के अधिकारियों को भी उन व्यक्तियों तथा दलालों के नामों के बारे में सूचित किया गया है जो जाली हुण्डी ऋणों को जारी करने के प्रयोजन के लिये अपने नाम देते रहे हैं। आयकर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के कारण लेखा-वाह्य आय को जाली हुंडी ऋणों के रूप में जारी करने की परिपाटी समाप्त होती जा रही है।

विवरण

क्र० सं०	पार्टी का नाम तथा पता	विशेष

1. डा० वी० के० अहूजा, महारानी झांसी रोड, सिविल लाइन्स, लुधियाना, (व्यक्ति)
2. महिला डा० ईश्वर कौर, गुंजीछापरी, लुधियाना (व्यक्ति)
3. डा० एन० एस० पारहावका, पिण्डी स्ट्रीट, लुधियाना (व्यक्ति)
4. मेसर्स तारा चन्द बृजलाल, लक्ष्मी स्ट्रीट, लुधियाना (व्यक्ति)
5. राम शरण दास हंसराज, चौड़ा बाजार, लुधियाना (हिन्दू अविभाजित परिवार) और साथ ही श्री हंसराज भी कर्ता के रूप में।
6. तुलसीराम रखा राम, चौड़ा बाजार, लुधियाना (हिन्दू अविभाजित परिवार और साथ ही श्री रखा राम भी कर्ता के रूप में)
7. (क) बी० एस० निटिंग वर्क्स, चौड़ा बाजार, लुधियाना (निम्नलिखित भागीदारों सहित, रजिस्टर्ड फर्म) :—
   (i) श्री बाबू राम 1/4
   (ii) श्री शान्ति स्वरूप, पुत्र श्री वासुदेव 1/4

(iii) श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री वासुदेव 1/4

(iv) श्री राम प्रकाश, पुत्र श्री वासुदेव 1/4

7. (ख) श्री शान्ति स्वरूप देव राज, चौड़ा बाजार, लुधियाना (निम्नलिखित भागीदारों सहित—रजिस्टर्ड फर्म) :

1. श्री शान्ति स्वरूप, पुत्र श्री वासुदेव 5%
2. श्री देवराज, पुत्र श्री वासुदेव 15%
3. श्री सुरेश कुमार, पुत्र श्री ओम प्रक ाश, पुत्र श्री वासुदेव 15%
4. श्रीमती कान्ता देवी, पत्नी श्री चमन लाल, पुत्र श्री शान्ति स्वरूप 5%
5. श्रीमती शीला देवी, पत्नी श्री राम किशन, पुत्र श्री वासुदेव 5%
6. श्री सुरिन्दर कुमार, पुत्र श्री राम प्रकाश, पुत्र श्री वासुदेव 15%
7. श्री राम करण, पुत्र श्री वासुदेव 40%

(ग) मोटो मल खेट मल, चौड़ा बाजार, लधियाना (रजिस्टर्ड फर्म जिसके भागीदार निम्नलिखित व्यक्ति थे, 31-3-1966 को समाप्त हो गई)

1. श्री वासुदेव 7/16
2. श्री शांति स्वरूप, पुत्र श्री वासुदेव 2/16
3. श्रीमती देवकी देवी, पत्नी श्री मुरली मल 5/16
4. श्री वेद प्रकाश, पुत्र श्री मुरलीमल 2/16

8. श्री गोविन्द राम दलाल, बी VIII/124, कोठी मेघ सिंह, लुधियाना (व्यक्ति)

9. (क) श्री हरवंस लाल हुण्डी दलाल, मलेरी वाली गली, लुधियाना (हिंदू अविभाजित परिवार—कर्ता हरवंस लाल)

(ख) श्री हरवंस लाल, हुण्डी दलाल, भलेरी वाली गली, लुधियाना (व्यक्ति)

10. श्री माखन लाल कनौडिया, रूपा मिस्री स्ट्रीट, लुधियाना (व्यक्ति)

11. (क) श्री हंसराज दलाल, नया मुहल्ला, लुधियाना (व्यक्ति)

(ख) श्री हंसराज एण्ड कं०, नया मुहल्ला, लुधियाना (निम्नलिखित भागीदारों सहित फर्म) :—

1. श्री हंसराज, पुत्र श्री बलायती राम 60 प्रतिशत
2. श्री नरिन्दर कुमार, पुत्र श्री वलायती राम 40 प्रतिशत

12. श्री हरिचन्द दलाल, वकीलान स्ट्रीट, लुधियाना (व्यक्ति)

13. श्री जगदीश राय जिन्दल, विश्वामित्र स्ट्रीट, लुधियाना (व्यक्ति)

14. श्री विमल दास जैन (दलाल), पुराना बाजार, लुधियाना (व्यक्ति)

15. श्री तरसेम लाल सुरिन्दर कुमार (प्यारे लाल तरसेम लाल), सिविल लाइन्स, लुधियाना (कर निर्धारण 1968-69 तक व्यक्ति तथा उसके बाद निम्नलिखित भागीदारों सहित फर्म)

    1. श्री प्यारे लाल 1/2

    2. श्री तरसेम लाल 1/2

16. श्री मूल राज दलाल, मेलेरी स्ट्रीट, लुधियाना (व्यक्ति)

17. श्री बाबू राम अग्रवाल, मार्फत मेसर्स गिर्सन निटिंग वर्क्स, लुधियाना (हिन्दू अविभाजित परिवार—श्री बाबूराम कर्ता के रूप में) ।

दिल्ली से बाहर आयोजित हुई सलाहकार समितियों की बैठकें

1605. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अक्तूबर, 1970 को समाप्त हुये गत दो वर्षों में दिल्ली से बाहर विभिन्न मंत्रालयों की सलाहकार समितियों की कुल कितनी बैठकें आयोजित हुईं, वे कहां-कहां आयोजित हुईं तथा सदस्यगण प्रत्येक स्थान पर कितने दिन ठहरे ;

(ख) सरकार को इन दौरों के लिये विमान-किराया, रेल-किराया, आवास तथा खान-पान पर कुल कितना खर्च करना पड़ा ;

(ग) क्या कारण है कि सलाहकार समितियों की बैठकें दिल्ली से बाहर आयोजित की जाती हैं ; और

(घ) उक्त प्रक्रिया में अत्यधिक खर्च को देखते हुये क्या सरकार का विचार भविष्य में पर्वतीय केन्द्रों पर उक्त बैठकें आयोजित करने का विचार त्याग देने का है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य और पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) पिछले दो वर्षों में दिल्ली से बाहर आयोजित की गयी सलाहकार समिति की बैठकें, उन्हें आयोजित करने के स्थान तथा बैठकों के दिनों के ब्योरे का विवरण संलग्न है ।

(ख) क्योंकि सलाहकार समितियों के सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता सीधे लोक-सभा और राज्य सभा सचिवालयों द्वारा दिया जाता है, सरकार के पास इस सम्बन्ध में जानकारी अविलम्ब उपलब्ध नहीं है ।

(ग) दक्षिण में संसद् अधिवेशन सम्बन्धी संसद् सदस्यों की समिति की सिफारिश के अनुसार यह निर्णय किया गया है कि इन समितियों के चेयरमैनों की इच्छानुसार, सलाहकार समितियों की बैठकें, अन्तरसत्रावधि में, दिल्ली से बाहर की जा सकती हैं ।

(घ) सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित करने के लिये पर्वतीय केन्द्रों को प्राथमिकता

नहीं दी जाती है, सिवाय केवल एक मामले में जब कि पर्यटन तथा सिविल विमानन मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक एक पर्वतीय केन्द्र, उसके पर्यटक महत्व के कारण, पर आयोजित की गई थी ।

विवरण

क्रमांक	मंत्रालय/विभाग	बैठक की तिथियां	स्थान जहां पर हुई
1.	परमाणु शक्ति	18-1-1970	बम्बई
2.	संचार	18-7-1970	बम्बई
3.	रक्षा	23 और 24-10-1970	बंगलौर
4.	शिक्षा तथा युवक सेवाएं	20-7-1970	मैसूर
5.	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन	6-6-1970	बंगलौर
6.	औद्योगिक विकास तथा अन्तर्देशीय व्यापार	21-7-1970	बंगलौर
7.	सूचना तथा प्रसारण	16 और 17-7-1970	बम्बई
8.	श्रम और रोजगार	22 और 23-10-1970	हैदराबाद
9.	खान तथा धातु	(i) 26-6-1970 (ii) 17-10-1970	(i) नवेली (ii) उदयपुर
10.	नौवहन तथा परिवहन	5-6-1970	मंगलौर
11.	इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग	(i) 26 से 29-9-1969 (ii) 14 से 17-1-1970 (iii) 30-6-1970 (iv) 26-10-1970	(i) रांची और रूरकेला (ii) बोकारो और दुर्गापुर (iii) बंगलौर (iv) बोकारो
12.	पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन	3 से 5-7-1970	श्रीनगर
13.	निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास	(i) 8-6-1970 (ii) 20-7-1970	(i) बंगलौर (ii) जयपुर

स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं में गणक (टैलर) प्रणाली

1606. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया की कितनी शाखाओं में गणक-प्रणाली की व्यवस्था है ;

(ख) क्या उक्त प्रणाली को ग्रामीण शाखाओं में भी आरम्भ किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गणक प्रणाली का प्रयोग स्टेट बैंक आफ इंडिया की 40 शाखाओं में किया जा रहा है और इसमें 1000 रुपयों तक की अन्तरण प्राप्तियों, नकद प्राप्तियों और चालू खाता नकद अदायगियों के लिये व्यवस्था है ।

(ख) और (ग). जिन शाखाओं में इस समय इस प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है, उनमें से कोई भी शाखा किसी ग्रामीण केन्द्र में नहीं है । इस प्रयोजन के लिये शाखाओं का चयन, काम के परिणाम के आधार पर किया जाता है । स्टेट बैंक आफ इण्डिया, गणक प्रणाली के क्षेत्र का विस्तार करके उसमें 1000 रुपये तक के बैंक रुपया यात्री-चेकों, ड्राफ्टों और बचत बैंक चेकों की नकद अदायगियों की व्यवस्था को शामिल करने और अन्य कार्यालयों में भी इस प्रणाली को चालू करने के बारे में सक्रियता से विचार कर रहा है ।

दिल्ली में पोलिटेकनिक्स के विद्यार्थियों को शैक्षिक यात्रा के लिये वित्तीय सहायता

1607. **श्री अदिचन** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पोलिटेकनिक्स के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देने हेतु धनराशि की मंजूरी दी गई थी जिससे कि वे इस वर्ष शैक्षिक यात्रा सम्बन्धी व्यय को जुटा सकें ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई थी तथा गोविन्द बल्लभ पन्त पोलिटेकनिक को इस कार्य के लिये कितना धन दिया गया था ;

(ग) क्या गोविन्द बल्लभ पन्त पोलिटेकनिक ने इस धन का उपयोग नहीं किया था, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यात्रा के उपरान्त जरूरतमन्द विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). 1970-71 में दौरे पर जाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को तीसरे दर्जे के रेल भाड़े के दो तिहाई भाग की अदायगी करने के लिये 13,500 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है । जी० बी० पन्त पोलिटेक्निक के विद्यार्थियों को 10,000 रुपये की राशि पहले ही वितरित की गई है । राशि का शेष भाग विद्यार्थियों को दौरा पूर्ण हो जाने के बाद दे दिया जायेगा ।

(घ) शैक्षणिक दौरों पर जाने वाले सभी विद्यार्थियों को तीसरे दर्जे के रेल भाड़े के 2/3 भाग तक वित्तीय सहायता दी जाती है । सहायता का अधिकतम भाग दौरा शुरू करने से पहले ही दिया जाता है और अन्तिम प्रति दान दौरा पूर्ण हो जाने पर दिया जाता है ।

सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्त भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों का वापिस बुलाया जाना

1608. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उपक्रमों में प्रतिनियुक्त भारतीय प्रशासन सेवा के

तथा अन्य उच्च अधिकारी वहां अपने पदों से चिपके रहते हैं क्योंकि उन उपक्रमों को होने वाली हानि का उन पर उत्तरदायित्व नहीं होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हानियों के लिये जो कारण वे अधिकारी बताते हैं उन्हें सरकार सरलता से स्वीकार कर लेती है ; और

(ग) भारतीय प्रशासन सेवा के तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को वर्ष 1971 की नियमित तारीख तक इन उपक्रमों से वापस बुलाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी नहीं। ऐसा कोई सामान्य वक्तव्य नहीं दिया जा सकता कि सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तथा अन्य उच्च अधिकारी, उन पदों पर चिपके रहते हैं जिन पर वे प्रतिनियुक्त होते हैं। सरकारी उपक्रमों के उच्च पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाती हैं। कमियों के बारे में, उच्च कार्यकारी अधिकारियों द्वारा जो स्पष्टीकरण दिये जाते हैं ; उनकी जांच की जाती है।

(ग) माननीय सदस्य संभवतः प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा 'सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों' के बारे में, अपनी रिपोर्ट में, सरकारी उद्यमों के पदों पर नियुक्तियों के लिये प्रतिनियुक्त व्यक्तियों पर निर्भरता को कम करने और समाप्त करने के उद्देश्य से की गई सिफारिशों के अनुसरण में सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों का उल्लेख कर रहे हैं। सरकारी उद्यमों से सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों को इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिये लिखा गया है कि विकल्प बताने से सम्बन्धित आदेशों को इस प्रयोजन के लिये निर्धारित समय-सीमाओं के अन्दर अमल में लाया जाय।

रिजर्व बैंक द्वारा दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल को वित्तीय सहायता

1609. **श्री गुणानन्द ठाकुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक में सर गंगा राम अस्पताल दिल्ली को बैंक के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के उपचार और/अथवा अस्पताल में उनके लिये विस्तर आरक्षित रखने के बदले कुछ वित्तीय सहायता/अनुदान दिया है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) पिछले दो वर्षों में उक्त अस्पताल को बैंक द्वारा दी गई कुल राशि कितनी है और उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). रिजर्व बैंक ने नई दिल्ली स्थित अपनी शाखा के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की अस्पताल में व्यवस्था करने के लिये, नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के आंशिक अदायगी वाले वार्ड में दो बिस्तर और सामान्य वार्ड में एक बिस्तर आरक्षित करवाया हुआ है ? रिजर्व बैंक इस व्यवस्था के लिये उक्त अस्पताल को प्रतिवर्ष 3500 रुपये की राशि (रिटेन्शन मनी) प्रति धारण के रूप में अदा करता है।

(ग) 1968-69 और 1969-70 में अस्पताल को अदा की गई कुल रकम का ब्योरा नीचे दिया गया है :

	अस्पताल में भर्ती होने वाले कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की संख्या	अस्पताल में रह कर चिकित्सा आदि करवाने के लिये अदा की गई रकम प्रतिधारण शुल्क को छोड़कर
1968-69	209	59,226.23 रुपये
1969-70	191	56,761.90 रुपये

सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों को 'इक्विटी' में बदलना

1610. **श्री एस० आर० दामानी :**
श्री बे० कु० दासचौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों को 'इक्विटी शेयरों' में बदलने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है अथवा मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा यह किस तिथि से लागू होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). औद्योगिक लइसेंस नीति विषयक जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सिद्धांत रूप से संयुक्त क्षेत्र की धारणा को स्वीकार कर लिया और फैसला किया कि भविष्य में उन मुख्य प्रायोजनाओं के मामलों में, जिन्हें सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से काफी बड़ी मात्रा में सहायता प्राप्त हुई हो, उनके प्रबन्ध में, विशेषरूप से नीति विषयक स्तर पर, अपेक्षाकृत अधिक भाग लिया जायेगा, सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थायें अपने वित्तीय सहायता प्रबन्ध के भाग के रूप में, भविष्य में दिये जाने वाले ऋणों और जारी किये जाने वाले ऋण-पत्रों को एक निर्धारित अवधि के अन्दर-अन्दर, आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से सामान्य शेयरों में बदलने के विकल्पाधिकार का प्रयोग भी करेगी। जहां तक पहले दिये गये ऋणों और ऋण-पत्रों का सम्बन्ध है, सम्बद्ध वित्तीय संस्थाएं चूक के मामलों में अपने विवेकानुसार इनकी रकमों को सामान्य शेयरों में बदलने के लिये बातचीत कर सकेंगी ।

इन मामलों को आमली रूप देने के लिये कार्य सम्बन्धी आवश्यक विस्तृत प्रबन्धों को अंतिम रूप देने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

नई कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन

1611. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी से जून, 1970 के दौरान विभिन्न राज्यों में 258 नई कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उनका ब्योरा क्या है, उनकी प्रदत्त पूंजी कितनी है और 1968 और 1969 की इसी अवधि में विभिन्न कम्पनियों की तुलना में उनकी श्रेणी (सरकारी अथवा गैर-सरकारी) क्या है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) 1 जनवरी, 1970 से, 30 जून, 1970 तक की अवधि के मध्य, भारत के अनेक राज्यों एवं केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, हिस्सों द्वारा सीमित 862 नवीन कम्पनियों का पंजीकरण हुआ था।

(ख) इच्छित सूचना विवरण-पत्र में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4341/70]**

सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में परिवर्तन

1613. **श्री नारायणन** :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य में अधिक कुशलता लाने के लिये उनके प्रबन्ध और ढांचे में अनेक परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो जिन परिवर्तनों का विचार किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है तथा इन परिवर्तनों से सरकारी उपक्रमों में कितनी कार्यकुशलता आने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). माननीय सदस्य सम्भवतः सरकारी उद्यमों की प्रबन्ध व्यवस्था और संगठन से सम्बन्धित परिवर्तनों का उल्लेख कर रहे हैं। इस विषय में कई विभिन्न निश्चय पहले से ही किये जा चुके हैं। इस प्रकार यह बताया जा सकता है कि यह निश्चय किया जा चुका है कि अपेक्षाकृत बड़े एककों में पूर्णकालिक क्रियाशील निदेशक नियुक्त किये जाने चाहिये जो अपने विभागों के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। यह निश्चय भी किया गया है कि प्रत्येक सरकारी उद्यम के लिये एक पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक होना चाहिए। इन उपक्रमों के निदेशक मंडलों के गठन के बारे में नीति विषयक फैसले भी किये गये हैं। सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में यह भी स्वीकार कर लिया है कि न केवल सरकार से निदेशक मंडलों तकशलियों का उपयुक्त विकेन्द्रीकरण होना चाहिए बल्कि इन उद्योगों के प्रबन्ध के विभिन्न स्तरों पर भी शक्तियों का समुचित विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकीय ढांचे की निरन्तर समीक्षा करती रहती है। ताकि जब आवश्यक समझा जाय इनमें आवश्वक परिवर्तन कर दिये जायं। हाल के वर्षों में सरकारी क्षेत्र की प्रबन्ध व्यवस्था और संगठन के मामलों में जो फैसले किये गये हैं, उनमें कुछ अधिक महत्वपूर्ण फैसले यही हैं।

एकाधिकारी उपक्रमों का पंजीकरण

1614. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कथित एकाधिकारी उपक्रमों के रजिस्ट्रेशन में संदिग्धता के कारण कुछ भ्रम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में शब्दावली 'सार्वजनिक हित' (पब्लिक इन्टरेस्ट) तथा उसके आधारों की स्पष्ट परिभाषा दे दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). कोई संभ्रम नहीं है। शब्द "एकाधिकृत उपक्रम" की एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 में परिभाषा दी गई है। सभी उपक्रम, धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं व उनके लिये अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत, पंजीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र देना अपेक्षित है। जहां तक पंजीकरण की अपेक्षा का सम्बन्ध है, जन हित का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सूची का अध्ययन

1615. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सूची का अध्ययन करने के आदेश दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो उन उद्यमों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उन अध्ययनों के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार चुने हुए सरकारी उपक्रमों की तालिकागत वस्तुओं की प्रबन्ध सम्बन्धी स्थिति का अध्ययन करने के उद्देश्य से 1967 से, समय समय पर तालिकागत वस्तु नियन्त्रक समितियों की स्थापना करती रही है। इन समितियों ने अभी तक इन एककों/उपक्रमों का अध्ययन किया है :—

(1) नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

(2) हैवी इलैक्ट्रिकल (इण्डिया) लिमिटेड

(3) फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का सिंदरी एकक

(4) फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का ट्राम्बे एकक

(5) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का राउरकेला इस्पात संयंत्र

(6) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड का भारी मशीनें बनाने का कारखाना

(7) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड का उच्च दाब बायलर संयत्र

(8) हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज लिमिटेड के एकक I और II

(9) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का भिलाई इस्पात संयंत्र

(10) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन

(11) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

इन छः उपक्रमों का अध्ययन करने का काम जारी है :—

(1) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग

(2) फर्टीलाइजर ऐण्ड केमिक्ल्स ट्रावनकोर लिमिटेड

(3) हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड

(4) हिन्दुस्तान केबुल्स लिमिटेड

(5) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।

(6) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ।

(ग) जिन ग्यारह एककों के अध्ययन का काम पूरा किया गया है, उन एककों के पास 281 करोड़ रुपये का तालिकागत सामान था और उक्त अध्ययन से यह मालूम हुआ कि उनके तालिकागत सामान के मूल्य में 115 करोड़ रुपये की कमी की जा सकती है ।

तालिकागत सामान की मात्रा में कमी करने के उपायों के बारे में भी आवश्यक सुझाव दिये गये हैं ।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस

1616. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक लाइसेंस नीति सम्बन्धी दत्त समिति द्वारा उल्लिखित 20 प्रभावशाली औद्योगिक गृहों को केवल 175 फैक्टरियों ने 20 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक आस्तियों तथा बाजार में अत्यधिक बिक्री के साथ एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंसों के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं ।

(ख) क्या यह भी सच है कि गत वर्ष दत्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद से प्रभावशाली नये औद्योगिक गृह बन गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस वर्ष के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक गृहों के नाम क्या हैं ; और

(घ) ऐसे एकाधिकारों के विकास को समाप्त करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट के परिशिष्ट 2-क (1) में प्रथम निश्श्रेणी—20 वृहदतर औद्योगिक गृहों के अन्तर्गत, दिखाये गये 162 उपक्रम अभी तक, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत हुए हैं ।

(ख) तथा (ग) . विभाग के श्री बी० दत्ता द्वारा किये गये अध्ययन (जो बिल्कुल आधिविद्य है) के अनुसार, कम से कम एक औद्योगिक गृह, अर्थात जार्जन एण्ड टोबरो, की

परिसम्पत्तियां 1967-68 में 46 करोड़ रु० उन्मज्जित हुई थीं। इस प्रसंग में, 'कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स' नाम की पत्रिका जो संसद् पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती है, की वर्ग संख्या (1970) से "ग्रोथ आफ बिजनेस हाउसेज लार्जन एण्ड टोबरो" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह संभव है कि अन्य अध्ययनों से उसी प्रकार के कुछ अन्य औद्योगिक गृहों के उन्मज्जन का पता चले।

(घ) कथित अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, इस प्रकार के उपक्रमों के विकास पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा विनियमित करने के पग उठाये जा रहे हैं, एवं एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग की पहले ही स्थापना हो चुकी है।

Air India Chairman's Views Regarding Greater Autonomy to Public Sector

1617. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri P. Viswambharan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the A. I. R. broadcast dated the 7th October, 1970, of Shri J. R. D. Tata, Chairman, Air India in which he said that to make public sector a success, more freedom should be given to it and Government's intervention should be reduced to the minimum ; and

(b) if so, reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) Government have recognised the need for the delegation of greater powers—financial and administrative—to Public Enterprises, as also within these enterprises from the Board down the line for improving the efficiency of these enterprises. It has been the policy of Government to delegate enhanced powers to the undertakings and within the undertakings wherever considered necessary and feasible.

पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा कृषि सम्पत्ति कर अधिनियम का अवैध घोषित किया जाना

1618. **श्री दे० अमात :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री अदिचन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ने सम्पत्ति कर अधिनियम को "शुद्ध सम्पत्ति" के उद्देश्य से कृषि-भूमि के सन्दर्भ में अवैध घोषित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके स्थान पर कोई अन्य विधान लागू करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब और किन विशिष्ट आधारों पर ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहले ही अपील दायर कर दी है। इस समय कोई वैकल्पिक विधान विचाराधीन नहीं है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आवास कार्य के लिये दिया गया अग्रिम धन

1619. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने आवास कार्य के लिए अग्रिम धन देना शुरू किया है तथा ब्याज की दर क्या है ; और

(ख) सभी बैंकों को मकानों के लिए ऋण देने के लिये प्रोत्साहित न किये जाने के क्या कारण हैं जबकि मकान की सम्पत्ति सबसे अच्छी जमानत है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में से चार बैंकों ने मकान बनाने के प्रयोजन के लिए ऋण देने की विशिष्ट योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

बैंक आफ बड़ौदा मकान बनाने के लिए अधिक से अधिक 25,000 रुपये तक ऋण मंजूर करता है। इस पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है। यह ऋण दस वर्ष की अवधि में समान मासिक किस्तों में चुकाना पड़ता है। युनाइटेड बैंक, इंडियन बैंक और सिंडीकेट बैंक ने भी मकान बनाने या खरीदने के लिये ऋण देने की योजनाएं बनायी हैं। इन योजनाओं का सम्बन्ध बचतों में जोड़ा गया है और ये मुख्यत: इस उद्देश्य से तैयार की गयी हैं कि निम्न मध्यम वर्ग के लोग नियमित रूप से रकमें जमा करके बाद में मकान खरीद सकें या बना सकें। युनाइटेड कमर्शल बैंक की एक 'आवासन आवर्तक जमा योजना' है, जिसके अन्तर्गत नियमित आय वाले व्यक्ति को एक विशेष आवर्तक जमाखाता खोलना होता है और उसे 48,60,72 या 80 महीनों के लिये प्रति मास 50 रुपये से लेकर 1000 रुपये के गुणितों में जमा करानी पड़ती है। बैंक के पास आवर्तक जमा खाते में जमाकर्ता के नाम कुल जितनी रकम होगी उससे दुगुनी रकम बैंक जमा कर्ता को देगा किन्तु इस ऋण की रकम खरीदे गये कीमत के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। आवर्तक जमा खाते मूलत: जिस अवधि के लिये खोले गये हों, उसी के अनुसार यह ऋण 60, 72, 84, 90 या 96 महीनों के अन्दर चुकाया जाना है। बैंक इस ऋण पर, बैंक दर से 4 प्रतिशत अधिक दर पर ब्याज देता है। सिंडीकेट बैंक की 'तिगुनी ऋण सुविधा' योजना के अन्तर्गत जमाकर्ता को उसके बचत बैंक खाते में पिछले 24 महीनों की औसत रकम में पांच गुण तक ऋण दिया जाता है, और इस योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक 10,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है तथा 50 प्रतिशत के मार्जिन सहित संपार्श्विक जमानत के तौर पर मकान को गिरवी रखना पड़ता है। यह ऋण 60 मासिक किस्तों में वापस किया जाता है। बैंक का इस ऋण पर बैंक दर से 3 प्रतिशत अधिक दर पर लेकिन कम से कम 8 प्रतिशत की दर पर ब्याज लेता है। इण्डियन बैंक द्वारा बनायी गयी 'अपने मकान के लिये बचत कीजिये' योजना के अन्तर्गत एक विशेष प्रकार का खाता खोलना पड़ता है और उसमें

प्रति मास कम से कम 50 रुपया जमा करना पड़ता है । प्रतिमास 50 रुपये से अधिक रकम जमा करानी हो तो वह दस रुपये के गुणितों में होनी चाहिए । यह रकम तीन से सात वर्षों की निश्चित अवधि के लिए जमा करनी पड़ती है । निश्चित अवधि के अन्त में जमाकर्ता ब्याज समेत अपनी जमा रकम निकाल सकता है और वह बैंक से उतनी ही रकम 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर उधार ले सकता है । यह ऋण मासिक किस्तों में उतनी ही अवधि में वापस किया जायगा है जो खाता खोलते समय निश्चित की गयी थी । उपर्युक्त तीनों बैंकों की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों में बचत करने की आदत डाली जाय ।

(ख) बैंकों के अधिकांश जमा रकमों के साधन मांगते ही चुकाये जाने वाले होते हैं अथवा उनकी परिपक्वता की अवधि कम होती है । यह जरूरी है कि मकान बनाने के लिए जो ऋण दिये जायें उनकी अवधि लम्बी हो । इसलिये बैंकों द्वारा मकान बनाने के लिए किसी बड़े पैमाने पर धन उपलब्ध करना सम्भव नहीं है । बेहतर यही है कि इस प्रकार के निवेश के लिये धन की व्यवस्था करने का काम भारतीय जीवन बीमा निगम और राज्यों के आवास बोर्डों जैसी अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा हाथ में लिया जाय ।

केरल में सरकारी उपक्रमों में सेवा निवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध

1621. **श्री दिनकर देसाई :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल सरकार द्वारा हाल ही में सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों की सरकारी उपक्रमों में पुनः नियुक्ति पर लगाए गये प्रतिबन्ध की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने इस सम्बन्ध में पहले कुछ परामर्श किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में केरल सरकार को क्या सलाह दी गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार के साथ इस बारे में कोई परामर्श नहीं किया गया था ।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

हरयाना सरकार के शिष्ट मण्डल के लिये उसके विदेशी मुद्रा के अनुरोध का नामंजूर किया जाना

1622. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरयाना के सात नेताओं के एक शिष्ट मण्डल द्वारा विदेशों की यात्रा करने के लिए उसे लगभग 6,000 रुपये की विदेशी मुद्रा देने के लिए हरयाना सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यात्रा का उद्देश्य क्या था तथा शिष्ट-मण्डल के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या शिष्ट-मण्डल में एक ऐसा सदस्य था जो शासक दल से संबंध नहीं रखता था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). हरियाणा सरकार ने कृषि, जल-व्यवस्था तथा भू-संरक्षा संबंधी पद्धतियों का सामान्य रूप से अध्ययन करने के उद्देश्य से 8 व्यक्तियों का एक दल विदेशों में भेजने के लिए 54,000 रुपये की विदेशी मुद्रा दिये जाने का अनुरोध किया था। उक्त दल में ये व्यक्ति शामिल होने वाले थे :—

1. श्री रामधारी गौड़, सिंचाई और बिजली मंत्री
2. श्री दलवीर सिंह, संसद् सदस्य, अध्यक्ष, नहर परामर्श समिति।
3. श्री राज सिंह दलाल
4. श्री दया कृष्ण
5. श्री ओम प्रकाश गर्ग
6. श्री प्रेमसुख दास
7. श्री मणिराम गोदरा
8. हरियाणा सरकार का एक अधिकारी

उक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया था किन्तु चूंकि यह प्रस्ताव इस विषय से सम्बन्धित सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार स्वीकार्य नहीं था, इसलिए उसे मंजूर नहीं किया गया था।

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के सेवानिवृत मुख्याध्यापकों के पेंशन और लेखे के मामलों का निबटारा

1623. **श्रीमती सुचेता कृपलानी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अप्रैल, 1969 को कुछ मुख्याध्यापकों को उन स्कूलों से सेवानिवृत कर दिया गया था जोकि पहले दिल्ली नगर निगम के अधीन थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन सेवा-निवृत्त मुख्याध्यापकों को उनका उपदान, भविष्य निधि की राशि नहीं दी गई है और न ही उनके पेंशन सम्बन्धी लेखा को अंतिम रूप दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा इन सेवानिवृत्त व्यक्तियों के उपर्युक्त लेखों के निपटारे के लिये कोई समय सीमा रखी गई है, और यदि नहीं, तो उनके लेखों को निपटाने के लिये की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना दिल्ली नगर निगम से एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Seizure of Gold near Badarpur (Delhi)

1624. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the quantity of the gold recovered from the smugglers who were held up by the customs authorities of Delhi near Badarpur Octroi Post on the 11th October, 1970 ;

(b) whether it is a fact that in addition to gold, some watches and transistors had also been seized but these have been concealed by the customs authorities ; and

(c) the name of the country whose markings are borne on the gold so recovered ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) 49 bars of gold bearing Swiss markings and weighing 5.71 kg. valued at Rs. 48,000/-, approximately at the international rate, were seized at Badarpur (Delhi-Haryana border) on 10th October, 1970.

(b) No transistors or watches were recovered.

(c) The gold bore Swiss markings.

राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होना

1625. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं (जिनमें अधिकतम घातक हैं) में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इसके कारणों का विश्लेषण किया गया है तथा ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कुछ निश्चायात्मक उपाय सोचे गये हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के कारण कुल कितने व्यक्ति मरे और कितने विकलांग हुए ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) दिल्ली में 1968, 1969 तथा 1970 (30-9-70 तक) में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े निम्नप्रकार हैं :—

वर्ष	दुर्घटनाओं की कुल संख्या	मृत व्यक्ति	घायल व्यक्ति
1968	7893	400	3316
1969	8164	433	3525
1970 (39-9-70 तक)	5966	408	2647

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का कोई विश्लेषण नहीं किया है परन्तु दुर्घटनाएं मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से होती हैं :—

(1) सड़क पर असावधानी से चलने से विशेषकर पैदल तथा साईकल सवार ।

(2) लापरवाही तथा अंधाधुन्ध रफ्तार से गाड़ी चलाना ।

(3) दिल्ली की सड़कों पर धीमी और तेज गति से चलने वाले यातायात का मिश्रण ।

(4) आमोद प्रमोद के लिए सवारी ।

(5) उन सड़कों के किनारे पर नई बस्तियों का बस जाना जो केवल वाहन यातायात के लिए ही थीं ।

सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए कुछ किये गये उपाय संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) मृत तथा घायल व्यक्तियों की संख्या भाग (क) में पहले ही बताई गई है। घायल व्यक्ति जो दुर्घटनाओं के कारण विकलांग हो गये, के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

विवरण

(1) सड़क सुरक्षा शिक्षा जिसमें सड़क सुरक्षा पर भाषण और यातायात नियमों का पालन शामिल है, शैक्षिणिक संस्थानों में दी जाती है।

(2) सड़क सुरक्षा पर पुस्तिकाएं और हास्य लेख जनता व शहरों में बच्चों को बांटी जाती है।

(3) यातायात सुरक्षा पर सिनेमा स्लाइड, और टेलीवीजन प्रदर्शन भी सड़क सुरक्षा पर आयोजित किये जाते हैं।

(4) जनता की शिक्षा के लिए यातायात सुरक्षा सप्ताह आयोजित किये जाते हैं।

(5) जहां कहीं संभव हो सड़कें चौड़ी की जा रही हैं और पटरियों का सुधार किया जा रहा है।

(6) विभिन्न सड़क चौराहों पर विद्युत सिगनल और जलती बुझती बत्तियां लगा दी गई हैं।

(7) शहर के भीड़-भाड़ वाले भागों में एक तरफा यातायात शुरू कर दिया गया है। इन भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से भारी गाड़ियों की गुजरने की अनुमति नहीं होती है।

(8) परिवहन गाड़ियों के बारे में उपयुक्तता का प्रमाण पत्र जारी करने के पहले सख्त जांच की जाती है।

(9) चल पुलिस दस्तों द्वारा गाड़ियों की गति जाल प्रायः आयोजित की जाती है और उन चालकों के खिलाफ विधि के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है जो अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं और असावधानी से चलाते हैं या अधिक रफ्तार पर चलाते हैं।

(10) चलते-फिरते पुलिस दस्तों और उड़न दस्तों द्वारा गाड़ियों की आकस्मिक जांच की जाती है।

(11) शहर के कुछ क्षेत्रों में दिन के दौरान कुछ विशिष्ट समय के लिए भारी गाड़ियों का चलाना प्रतिबंधित किया गया है।

(12) बहुत सी सड़कों पर गति सीमा नियत कर दी गई है और पटलों पर दिखाई गई है।

मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 115 के अंतर्गत अधिक तेज गति से गाड़ी चलाने पर किये जाने वाले जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा पर एक अध्ययन दल नियुक्त किया है जो (क) शहरी क्षेत्रों में और भारत में राज-मार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं के आपात की जांच करें और ऐसी दुर्घटनाओं के कारणों को अभिनिश्चित करें। (ख) सड़क

दुर्घटनाओं के बारे में आंकड़े। सांख्यिकी के विश्लेषण और संग्रह के लिए एक उपयुक्त संगठित ढांचे और सड़क सुरक्षा में सड़क प्रयोक्ताओं की शिक्षा के लिए आवश्यक उपाय और यातायात कानून और विनियमों के सुचारु परावर्तन और सड़कों पर अधिकतम संभव सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उन पर आवश्यक सुधारों की सिफारिश करें।

Non-Issuing of Books Written by "Ashk" by Delhi Public Library

1627. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Director of Delhi Public Library has stopped issuing certain books written by the famous writer Shri "Ashk" to the readers ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether the Director has got any such right under which he can stop issuing of any book on the plea of its being obscene or on any other count ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Does not arise.

पेंशन अधिनियम पर आधारित 1871 के पुराने अधिनियम के पुनरीक्षण का प्रस्ताव

1628. **श्री दिनकर देसाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेंशन अधिनियम पर आधारित 1871 के पुराने अधिनियम के पुनरीक्षण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार का विचार पेंशन नियमों का पुनरीक्षण करने का है, जैसा कि ब्रिटेन में समय समय पर किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). पेंशन अधिनियम, 1871 को संशोधित करने अथवा बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस अधिनियम में पेंशनरों के हितों की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपबन्ध हैं। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन, इस अधिनियम द्वारा नहीं बल्कि असैनिक सेवा विनियमों तथा समय-समय पर जारी किये जाने वाले कार्यालय ज्ञापनों द्वारा विनियमित होती है। ये उपबन्ध स्थिर नहीं रहे हैं। तीसरा वेतन आयोग के निर्देश-पदों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति लाभ भी शामिल होने से, आयोग भी इन उपबन्धों की समीक्षा करेगा।

तीसरे वेतन आयोग के निर्देश पदों का विस्तार

1629. **श्री बेधर बेहरा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय वेतन आयोग ने निर्देश पदों की परिधि में विस्तार करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये उपयुक्त वेतन ढांचा सुनिश्चित करने की दृष्टि से गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्यमान वेतन ढांचे एवं सेवा-शर्तों की जांच करना वेतन आयोग की परिधि में आता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Financial Assistance to Uttar pradesh for Drought and Famine-Affected People

1630. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of money given by the Central Government to the Uttar Pradesh Government to cope with the situation arising out of drought and famine conditions during the last three years and the form in which it was given ; and

(b) the amount of assistance given to the Uttar Pradesh Drought Relief Committee in the form of cash or foodgrains or in some other form and the manner in which the said Committee utilised this assistance district-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) The Government of India have not given any assistance direct to the Uttar Pradesh Drought Relief Committee.

Statement

Central assistance given to the Uttar Pradesh for expenditure on natural calamities relief (including drought relief measures)

(Rs. in crores)

	Loan	Grant	Total
1967-68	1.42	0.84	2.26
1968-69	—	—	—
1969-70	1.40	1.00	2.40

सूखाग्रस्त लोगों की सहायता हेतु मैसूर को वित्तीय सहायता

1631. **श्री सिद्दय्या**

श्री एन० शिवप्पा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने राज्य के अनेक जिलों के सूखाग्रस्त लोगों की सहायता हेतु वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कितनी सहायता दी गई है;

(ग) क्या अधिकारियों के एक दल ने राज्य का दौरा किया है; और

(घ) यदि हां, तो दल द्वारा दिए गए सुझाव क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). मैसूर सरकार को सूखा सम्बन्धी राहत कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता, उस केन्द्रीय दल की सिफारिशों के आधार पर, जिसका जल्दी ही राज्य में दौरा करने के लिये जाने का कार्यक्रम है, अपनायी जाने वाली व्यय की उच्चतम सीमा को देखते हुए दी जायेगी । इस बीच, राज्य सरकार को 2 करोड़ रुपये की रकम की मंजूरी दे दी गयी है ताकि वह आवश्यक राहत-कार्यों को हाथ में ले सकें ।

फार्म धन कर

1632. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्म धन कर का कुछ विरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सरकार ने आपत्तियों पर विचार किया है परन्तु उसने कृषि-भूमि पर से धन कर को समाप्त करने का पर्याप्त औचित्य नहीं पाया है ।

एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत फर्मों का पंजीकरण

1633. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 करोड़ तथा इससे अधिक की आस्तियों वाली कुछ फर्मों ने एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के उपबंध का पालन किया है और स्वयं को फर्मों के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया है ;

(ख) यदि हां, पिछले एक वर्ष में रजिस्टर हुई ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं ; और

(ग) ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं जिनको परिसम्पति 20 करोड़ रुपये से अधिक है फिर भी उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया ।

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों के नाम बताता हुआ एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-4342/70]**

(ग) अधिनियम की धारा 20 के खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों, जिन्होंने स्वयं को पंजीकृत नहीं कराया है, के नामों को बताना, इस स्तर पर सम्भव नहीं है ।

इंडियन लीफ टबैको डेवलपमेंट कम्पनी की एकाधिकारवादी एवं प्रतिबन्धक व्यापार सम्बन्धी गतिविधियों की जांच

1634. **श्री ईश्वरी रेड्डी** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुन्टूर (आंध्र प्रदेश) आंध्र प्रदेश के तम्बाकू के 52 छोटे व्यापारियों ने एकाधिकार आयोग को ज्ञापन देकर यह मांग की है कि इंडियन टेबैको डेवलपमेंट कम्पनी के एकाधिकारवादी एवं प्रतिबन्धक व्यापार सम्बन्धी गतिविधियों की तत्काल सार्वजनिक जांच की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर आयोग ने क्या कार्यवाई की है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह विषय आयोग के विचाराधीन है ।

सरकारी उपक्रमों में भर्ती के लिए नीति

1635. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं में स्थानीय व्यक्ति भर्ती करने के सम्बन्ध में अपनी नीति का पुनरीक्षण करने का है ।

(ख) यदि हां, तो वर्तमान प्रक्रिया क्या है और उसमें क्या परिवर्तन किये जाने का विचार है ; और

(ग) किस सीमा तक वर्तमान प्रक्रिया सभी सरकारी परियोजनाओं में विशेषकर पिछड़े राज्यों में लागू की जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सरकार की ऐसी नीति सदा रही है कि जिन इलाकों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्थित हों, उन इलाकों के स्थानीय लोगों की ओर से इस प्रकार की कोई न्यायोचित शिकायत न हो कि उन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उपलब्ध नियोजन सम्बन्धी अवसरों पर पर्याप्त हिस्सा नहीं मिलता । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये इस आशय के अनुदेश जारी किये गए हैं कि सरकारी उपक्रमों के उन पदों पर जिनका मासिक वेतन 500 रुपये से अधिक न हो, स्थानीय नियोजन केन्द्रों के माध्यम से नियुक्तियां की जानी चाहिएं और अन्य स्रोतों में नियुक्तियां तभी की जानी चाहिएं जब कि नियोजन केन्द्रों द्वारा अप्राप्यता प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया हो । इस सम्बन्ध में ये आदेश भी जारी किये गए हैं कि नियुक्तियों के मामलों में, परम्परा के तौर पर स्थानीय राज्य सरकार के प्रतिनिधि को भी सहयोजित किया जाना चाहिए ।

राष्ट्रीय एकता परिषद्, राष्ट्रीय श्रम आयोग आदि द्वारा इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशों की दृष्टि से वर्तमान आदेशों की पर्याप्तता पर विचार किया जा रहा है ।

संयुक्त पूंजी कम्पनियों में बेदावेदार लाभांशों का जमा हो जाना

1636. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त पूंजी कम्पनियों के पास "बेदावेदार तथा अदत्त" रूप में प्रतिवर्ष बहुत अधिक धन राशि जमा रह जाती है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रकार की जमा धनराशि राज्य के बजाय सम्बन्धित कम्पनी के पास ही रह जाती है ; और

(घ) क्या लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्थिति में समुचित सुधार करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख). भारत में लगभग 29,000 कार्य रत कम्पनियां हैं। इन कम्पनियों की बाबत, अपेक्षित आंकड़ों के संग्रह में, विपुल परिश्रम एवं समय लगेगा । अतः सम्पूर्ण कम्पनियों की बाबत कोई ठीक ठीक सूचना देना सम्भव नहीं है। तथापि, विभाग में किये गये एक अध्ययन के आधार पर, 100 शीर्षस्थ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के "बेदावेदार एवं अदत्त" धन की कुल राशि, 1967-68 के वर्ष में, 2.77 करोड़ रुपये, 1968-69 में 2.35 करोड़ रुपये तथा 1969-70 में 2.72 करोड़ रुपये थी।

(ग) और (घ). कम्पनी अधिनियम में सरकार के लिए इस प्रकार के संचयन को विनियोजन करने की अनुमति नहीं है। "सजीव कम्पनियों" के विषय में, बेदावेदार लाभांश, अवधि अधिनियम, 1963, कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों तथा सम्बन्धित कम्पनी के पार्षद् नियमों के अनुसार व्यवहरित होते हैं।

जनवरी-सितम्बर 1970 में बन्द हुई कम्पनियां

1637. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत उन कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने 1, जनवरी, 1970 से 30 सितम्बर, के दौरान विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य करना बंद कर दिया था ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) जनवरी से 30 सितम्बर, 1970 की अवधि के मध्य, हिस्सों द्वारा लि० 370 कम्पनियों तथा आठ गारन्टी कम्पनियों एवं लाभ कमाने का उद्देश्य न रखने वाली संस्थाओं ने, देश में कार्य-संचालन बन्द किया। हिस्सों द्वारा लिमिटेड कम्पनियों में से, 199 का परिसमापन हो गया एवं 171 कम्पनियां कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 (5) के अन्तर्गत रजिस्टर से हटा दी गई थीं। गारन्टी कम्पनियों तथा लाभ कमाने का उद्देश्य न रखने वाली संस्थाओं में से, 2 परिसमापित हो गईं व शेष छै, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 (5) के अन्तर्गत रजिस्टर से हटा दी गई थीं।

(ख) राज्य/संघ प्रशासित क्षेत्र अनुसार ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं।

विवरण

उन कम्पनियों जिन्होंने, जनवरी-सितम्बर, 1970 के मध्य कार्य करना बन्द कर दिया, के ब्यौरे दिखाता हुआ विवरण-पत्र

जनवरी-सितम्बर के मध्य कार्य बन्द कर देने वाली कम्पनियों की संख्या

राज्य/केन्द्र प्रशासित क्षेत्र, का नाम	हिस्सों द्वारा लि० कम्पनियां		गारन्टी कम्पनियों अथवा लाभ न कमाने वाली संस्थायें	
	परिसमापति	अधिनियम की धारा 560 (5) के अंतर्गत हटाई गईं	परिसमापित	अधिनियम की धारा 560 (5) के अंतर्गत हटाई गईं
आंध्र प्रदेश	8	7	—	1
आसाम	—	20	—	—
बिहार	2	1	—	—
गुजरात	7	18	1	—
हरियाना	3	—	—	—
जम्मू एवं काश्मीर	—	7	—	—
केराला	11	9	—	—
मध्य प्रदेश	3	4	—	—
महाराष्ट्र	22	30	—	2
मैसूर	14	7	—	1
उड़ीसा	—	2	—	—
पंजाब	7	2	—	—
राजस्थान	3	7	—	—
तमिलनाड़	23	30	—	—
उत्तर प्रदेश	8	6	—	2
पश्चिमी बंगाल	45	17	—	—
चंडीगढ़	2	—	1	—
दिल्ली	40	1	—	—
गोआ, दमन और डीयू	—	2	—	—
पांडीचेरी	1	—	—	—
त्रिपुरा	—	1	—	—
योग	199	171	2	6

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता

1638. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक वित्त निगम को सरकारी क्षेत्र के तीन उपक्रमों से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों ने कई प्रकार की पूछताछ की है ;

(ख) क्या यह सच है कि योजना आयोग का यह विचार है कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को ऋण देने के लिये वित्तीय संस्थाओं को अनुमति देने सम्बन्धी हाल ही के सरकारी निर्णय से विभिन्न क्षेत्रों के लिए नियत योजना अग्रताओं और लक्ष्यों में गड़बड़ हो सकती है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) औद्योगिक वित्त निगम को अभी तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से वित्तीय सहायता के लिए चार आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ख) और (ग). सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को वित्तीय संस्थाओं से धन प्राप्त करने की अनुमति देने के सरकारी निर्णय के अनुसार तत्सन्बन्धी प्रस्तावों पर कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है।

यह निर्णय किया गया है कि योजना आयोग केन्द्रीय मंत्रालयों से सरकारी क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं के सम्बन्ध में जिन्हें वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता दिलानी है, नए प्रस्तावों की सूचना प्राप्त करेगा। इन प्रस्ताओं पर आयोग द्वारा, उनकी सहायता और प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए संस्थागत वित्त की उपलब्धता के संदर्भ में, विचार किया जाएगा। वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव उनकी प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए योजना आयोग के पास भेज दिए जाएंगे।

एकाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रभुत्व वाले उपक्रम

1639. **श्री देवेन सेन** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किसी फर्म को बीस करोड़ के वर्ग वाली फर्म उसकी आस्तियों के आधार पर माना जायगा अथवा उसकी कुल शुद्ध सम्पत्ति के आधार पर ;

(ख) "प्रभुत्व वाले उपक्रम" की परिभाषा क्या है ; और

(ग) क्या एक फर्म जो 50 लाख रुपए की आस्तियों के साथ एक तिहाई शेयर का नियंत्रण रखती है वे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आती हैं ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) यह निर्धारित करने के लिये कि क्या एक उपक्रम एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, की धारा 20 (क) के अन्तर्गत आता है, अधिनियम की धारा (2) की उप-धारा (ब) के अनुसार इसकी परिसम्पत्तियों के मूल्य का निर्धारण किया जाता है।

(ख) परिभाषा, अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (घ) में उल्लिखित है।

(ग) इस प्रकार का उपक्रम, स्वयं अकेला अधिनियम के अध्याय 3 द्वारा आच्छादित नहीं है।

बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण आवास के लिए ऋण

1640. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष बैंकों तथा सहकारी समितियों ने ग्रामीण आवास के लिये कितना ऋण दिया है ;

(ख) ग्रामीण आवास के लिये ऋण की व्यवस्था करने हेतु सरकार का विचार क्या प्रबन्ध करने का है ;

(ग) क्योंकि कुछ बैंकों ने गृह निर्माण के लिये ऋण देना शुरू कर दिया है तो क्या कारण है कि सरकार उन्हें ग्रामीण आवास के लिये, रिजर्व बैंक द्वारा उसी दर की व्यवस्था करा कर जो कुटीर उद्योगों के लिए हैं, ऋण दिलाने के लिये प्रोत्साहित क्यों नहीं करती ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्रामीण आवासन के लिये दिए गए ऋण के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण आवासन के लिए दिए गए ऋण के बारे में 1968-69 के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। 1967-68 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्यों की गृह-निर्माण समितियों ने अपने सदस्यों को 12.47 करोड़ रुपये के ऋण दिये, जबकि इस वर्ष द्वारा प्राथमिक समितियां (शहरी और ग्रामीण, दोनों) 19.51 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये।

(ख) ग्रामीण आवासन के लिये ऋण उपलब्ध करने के लिये भारत सरकार ने ग्रामीण आवासन प्रायोजना योजना के नाम से एक योजना प्रारम्भ की जो अगस्त 1957 से चालू है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीणों अथवा उनकी सहकारी समितियों को मकानों के निर्माण/सुधार के लिये प्रति मकान अधिकतम 3,000 रुपये की शर्त के साथ निर्माण/सुधार की लागत के 80 प्रतिशत तक ऋण देने की परिकल्पना है। चौथी पंचवर्षीय आयोजना में, राज्यीय क्षेत्र में आवासन तथा नगर विकास के निमित्त कुल 193.27 करोड़ रुपये की व्यवस्था की परिकल्पना की गयी है। ग्रामीण आवासन प्रायोजना योजना सहित सामाजिक आवासन योजनायें राज्यीय क्षेत्र के कार्यक्रमों में शामिल हैं और चौथी पंचवर्षीय आयोजना के प्रारम्भ से राज्यीय क्षेत्र के कार्यक्रमों के निमित्त, कार्यक्रम के किसी विशेष विकास शीर्षक के साथ सम्बद्ध किए बगैर "एक मुश्त ऋण" और "एक मुश्त अनुदान" के रूप में केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(ग) बैंक के जमा सम्बन्धी साधनों का एक बड़ा भाग मांगने पर लौटाया जाने वाला अथवा अल्पावधि में चुकाया जाने वाला होता है । गृह-निर्माण सम्बन्धी ऋण निश्चय ही लम्बी अवधि के ऋण होते हैं । अत: बैंकों द्वारा आवासन हेतु किसी भारी मात्रा में धन उपलब्ध करना सम्भव नहीं है । केवल चार बैंकों में आवासन हेतु वित्त उपलब्ध करने की योजनाएं हैं किन्तु उनमें से तीन बैंकों में से योजनाएं केवल बचत जुटाने के उद्देश्य से बनायी गयी हैं । लघु उद्योग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र होने के कारण तथा उनमें विशेष तौर पर प्रारम्भिक अवस्था में कठिनायां होने के कारण, उनको सरकारी क्षेत्र के बैंकों में से कुछ बैंकों द्वारा सामान्य दरों से कुछ कम दर पर ऋण सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं । इसलिए गृह-निर्माण के वित्त-पोषण की लघु उद्योग के वित्त पोषण के साथ तुलना नहीं की जा सकती ।

सरकारी उपक्रमों द्वारा विज्ञापित पदों के लिये वापिस न की जाने वाली फीस

1641. **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री राम चरण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग सभी सरकारी उपक्रम विज्ञापित पदों के लिए आवेदन क्षेत्रों के साथ वापिस न की जाने वाली फीस जमा करवाने की मांग करते हैं ;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े और विख्यात नियम किसी वापिस की जाने वाली फीस जमा करवाने की मांग नहीं करते ; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी उपक्रमों द्वारा वापिस न की जाने वाली फीस जमा करवाने की मांग किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या सरकारी उद्यम विज्ञापित पदों के आवेदन पत्रों के साथ वापस न की जाने वाली धनराशि जमा कराने की मांग करते हैं अथवा नहीं, क्योंकि यह मामला ऐसा है जिसका सम्बन्ध इन उद्यमों के रोजमर्रा के प्रशासन से है । इसके अलावा सभी सरकारी उद्यमों से जानकारी इकट्ठी करने पर जो श्रम करना पड़ेगा वह इससे निकलने वाले परिणामों की तुलना में बहुत अधिक होगा ।

धरिन्डा (अमृतसर) सीमा से होकर सोने का तस्कर व्यापार

1642. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ महीनों में धरिण्डा सीमा से होकर दस करोड़ की लागत का सोना तस्करी व्यापार से भारत में आया बताया जाता है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है, और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). धरिन्दा सीमा से होकर तस्कर आयात के संबंध में कोई विशेष जांच-पड़ताल नहीं की गई है, क्योंकि

वह व्यवहारिक नहीं है। परन्तु, ऐसे संकेत मिले हैं कि भारत-पाक सीमा में होकर, जिसमें धरिन्दा सीमा (अमृतसर) भी सम्मिलित है, सोने का तस्कर आयात किया जाता है। ऐसे तस्कर आयात की मात्रा का किसी भी हद तक यथार्थ अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के लिए उपभवन का निर्माण

1643. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के लिए उपभवन निर्मित करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यह निर्णय कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं और यह मामला किस स्तर पर सरकार के विचाराधीन है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). यह निर्णय कर लिया गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के वर्तमान भवन के दक्षिण और पश्चिम की ओर उपभवन निर्मित किया जाए, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इसके निर्माण के लिये 110.13 लाख रुपये की लागत का प्राक्कलन तैयार किया है। निर्माण कार्य सम्भवत: काम शुरू होने से 30 मास की अवधि के भीतर पूरा हो जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन उपक्रम के कन्डक्टरों द्वारा एक लड़की को सताया जाना

1644. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन उपक्रम के कण्डक्टर द्वारा 18 सितम्बर, 1970 को एक लड़की को सताये जाने के मामले में कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन के एक कर्मचारी श्री आर० के० शर्मा से दिल्ली परिवहन उपक्रम को इस आशय की एक शिकायत प्राप्त हुई है कि 13 ए मार्ग पर चलने वाले बस नं० 1280 के ड्राइवर और संवाहक ने 18-9-70 को उसे शारीरिक हानि पहुंचाई और उसकी वहिन से छेड़छाड़ की। उपक्रम के उक्त दो कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की पहल कर दी गई है जो प्रगति पर है।

Simple and Economical Method of Artificial Rainfall

1646. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Irrigation and Rainfall Research Institute, Delhi has found a simple and economical method of artificial rainfall (with the help of salt-powder and gas) ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the programme proposed to be followed by Government for giving benefit to the farmers of non-irrigated areas by the said method ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). The India Meteorological Department is not aware of any significant research being done by this Institute in this field.

(c) The Rain and Cloud Physics Research Unit conducted cloud seeding experiments in the Delhi—Agra—Jaipur area during the period 1957-1967 using Common Salt and found that the rainfall during the entire monsoon season over the seeded area was higher than that over the unseeded area during these experiments by 20-40%.

Artificial seeding of clouds is still in an experimental stage, and the India Meteorological Department has at present no plan for any extensive programme in this regard. However, the question of undertaking a scheme for trying similar ground seeding experiments at Madras and an aerial seeding experiment near Poona as a part of the Fourth Plan of that Department is being examined.

तेज तथा लापरवाह ड्राइविंग के कारण होने वाली मृत्यु के लिए कड़ा दंड देने की व्यवस्था

1647. **श्री केदार नाथ सिंह :**
श्री अदिचन :

क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ती घातक सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुये तेज तथा लापरवाह ड्राइविंग और केवल तेज ड्राइविंग से होने वाली मृत्यु के लिये भारतीय दंड संहिता के संबंद्ध प्रावधानों का संशोधन करके आर्थिक कड़े दंड की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है, यदि हां, तो भारतीय दंड संहिता में क्या-क्या परिवर्तन किये जाने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). लापरवाही तथा अत्यधिक तेज गति से मोटर गाड़ियां चलाने के कारण मृत्यु होने के लिये और अधिक अवरोधक दंड की व्यवस्था करके भारतीय दंड संहिता में संशोधन करने का हाल में कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि मोटर गाड़ी को अत्यधिक तेज गति से चलाने अथवा किसी व्यक्ति को ऐसी गति से चलाने के लिये वाध्य करने के लिये मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 115 के अधीन दी जाने वाली जुर्माने की सजा को बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है जिससे वह अवरोधक दंड का प्रयोजन पूरा कर सके।

इण्डिया युनाईटिड मिल्ज बम्बई का कार्यकरण

1648. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1966, 1967, 1968 तथा 1969 के इण्डिया युनाईटिड मिल्ज, बम्बई के कार्यकरण के वास्तविक आर्थिक परिणाम क्या हैं और वर्ष 1969 के अन्त में कुल कितना घाटा था ;

(ख) क्या समवाय के मूल्य-ह्रास की ऐसी राशि बकाया है जिसकी व्यवस्था करनी है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी बकाया राशि कितनी है ; और

(घ) क्या इस समुदाय के कारखानों के वितरण सम्बन्धी हितों को गैर-सरकारी क्षेत्र को बेचे जाने के लिये कोई कार्यवाही चल रही है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ). सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

पश्चिम बंगाल में बाढ़-ग्रस्त व्यक्तियों को सहायता

1650. **श्री वी० नरसिम्हा राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों की सहायता तथा पुनर्वास के लिये सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की ;

(ख) क्या बाढ़ग्रस्त व्यक्तियों को और अधिक सहायता देने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी सहायता दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). उस केन्द्रीय दल की सिफारिशों को देखते हुए, जिसने बाढ़ सम्बन्धी स्थिति और विभिन्न राहत-कार्यों की आवश्यकताओं का मौके पर जाकर जायजा लेने के लिए हाल ही में पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, भारत सरकार ने केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिये, राहत-कार्यों पर व्यय के लिये 19.85 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा स्वीकार की है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को 7 करोड़ रुपये की रकम पहले ही दी जा चुकी है । राज्य सरकार द्वारा, इस सम्बन्ध में किये गये व्यय के बारे में दी जाने वाली सूचना के आधार पर और केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ।

केन्द्रीय करों की बकाया राशि

1651. **श्री दे० अमात :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष सितम्बर के अन्त तक केन्द्रीय करों की अनुमानत: कितनी राशि वसूल करनी शेष थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

व्यक्तिगत आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करना

1652. **श्री दे० अमात :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री एस० के० सम्बन्धन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या-कर अपवंचन को रोकने के लिए सरकार का विचार व्यक्तिगत आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार ने कर अपवंचन को रोकने के लिए पहले ही से कई उपाय किए हैं। उच्चतम न्यायालय सेवा-निवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री के० एन० वांचू की अध्यक्षता में एक प्रत्यक्ष कर जांच समिति पहले से ही नियुक्त की गई है ताकि वह अन्य बातों के साथ साथ कर अपवंचन की रोकथाम करने के लिए आवश्यक सुझाव दे सके। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होनी है। व्यक्तिगत आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का उद्देश्य, अन्य और सम्पत्ति करों में तेजी से उत्तरोत्तर वृद्धि करने जैसे राजस्व सम्बन्धी उपायों द्वारा ही पूरा किया जा सकता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा त्यागपत्र

1653. **श्री दे० अमात :**
श्री राम सेवक यादव :
श्री जनेश्वर मिश्र :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने हाल में अपना त्याग-पत्र दे दिया है और उन्होंने सम्बद्ध कालेजों के अनेक प्रधानाचार्यों के विरुद्ध छात्रों में अनुशासनहीनता उकसाने का आरोप लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या उपकुलपति डा० के० एन० राज द्वारा लगाये गये आरोपों तथा की गई सिफारिशों पर कार्यवाही करने का सरकार कोई विचार कर रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) कुलपति ने त्यागपत्र दिया है जो स्वीकृत हो चुका है। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता भड़काने के लिये सम्बद्ध कालेजों के कुछ प्रधानाचार्यों के विरुद्ध इन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

Better Facilities to Teachers

1654. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether his attention has been invited to a news-item appearing in the Patriot dated 19th October, 1970 that a meeting of General Council of All India Federation of Educational Associations was held at Patna in the second week of October, in which a demand was made that the Central Government should advance grants to State Governments to such an extent that they may be able to give better facilities to the teachers ;

(b) if so, the reaction of Government in this regard ;

(c) whether Government propose to initiate some negotiations also with the Secretary of the General Council with regard to this demand ; and

(d) if so, the date by which steps are likely to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shri A. K. Kisku) : (a) to (d). Reports have appeared in the press about the meeting referred to. But Government of India have not received any proposal from the All India Federation of Educational Associations. Further, Education being a State subject, it is primarily for the State Governments to consider demand relating to facilities for teachers. Central aid for schemes of development is usually given in bulk as part of plan assistance and not for particular schemes.

Opening of a Branch of Nationalised Banks in Sahibganj

1655. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to open a Branch of any Nationalised Bank in Sahibganj in District Muzaffarpur, Bihar for which the people of that region have been making continuous efforts ; and

(b) if so, the time by which such a Branch is likely to be opened there ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Reserve Bank of India has issued a licence to Central Bank of India on September 2, 1970 for opening an office at Sahibganj in District Muzaffarpur, Bihar State. The office is expected to be opened shortly.

Loans to Unemployed Engineers in Bihar

1656. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of unemployed engineers in Bihar who have applied for loans from the nationalised banks for setting up their own enterprises ;

(b) the number out of them of those who have so far been advanced loans together with the amount of loans given ;

(c) whether the policy announced by Government to provide assistance to the unemployed engineers for setting up their own enterprises is not being implemented properly by these banks ; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). The information is being collected and the same will be placed on the Table of the House.

Safety Measures against Hijacking of Passenger Crafts

1657. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri K. P. Singh Deo :
Shri Eswara Reddy :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the steps Government propose to take for the safety of passenger aircrafts as also of passengers keeping in view the serious incidents of hijacking of passenger aircrafts in foreign countries ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : Security procedures at airports are being strengthened. Among the measures that are being taken are the following :—

(i) Instructions have been issued to the Customs authorities for the strict enforcement of the provisions of Rule 8-A of the Aircraft Rules which forbids the carriage of arms, explosives or dangerous goods in aircraft to, from, within or over India, except with the approval of Government.

(ii) In order that civil police be readily available, the State Governments/Union Territories have been requested to open police stations in the premises of airports.

(iii) The procedures for checking of passengers and their personal baggage are being streamlined.

(iv) Visitors are not allowed in the transit lounge.

(v) Passenger cars will not be permitted to use the operational area.

(vi) Suitable devices will be installed at international airports to assist in the detection of fire-arms or weapons that may be carried by any passenger boarding a flight in India.

Setting up of a Security Press in Devas Nagar (Madhya Pradesh)

1658. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the details of the progress made so far in the setting up of a Security Press in Devas Nagar in Madhya Pradesh ; and

(b) the time by which printing of currency notes is likely to be started in this press ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The contract for the machinery to be imported has already been entered into by the Government of India and the machinery is expected to start arriving in batches towards the end of 1971. The land required for the Bank Note Press Project (459 acres) has been acquired and taken possession of. The C. P. W. D. have created a special Circle at Indore with necessary Electrical and Civil Construction Divisions at the Project site, under the Charge of a Superintending Engineer for handling the Project. The estimates for the Press and ancillary buildings and some residential quarters are under scrutiny. The construction work is expected to commence some time during February/March 1971.

(b) The press is likely to start production by 31st March, 1973.

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच

1659. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन

की जांच कर ली है, यदि हां, तो निम्न बातों के सम्बन्ध में विशेष रूप से उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है :

(1) सरकारी क्षेत्र द्वारा बचत के बहुत कम साधन ढूंढना और एक समुदाय के हाथ में अधिक क्रय शक्ति का होना ;

(2) घरेलू क्षेत्र में बचतों का बढ़ना और इसमें बैंक का योगदान;

(3) पूंजी वस्तु उद्योगों के उत्पादन में कमी ;

(4) गैर सरकारी क्षेत्र में निवेश में कमी पर चिन्ता ; और

(5) बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिये औद्योगिक विकास की गति तीव्र करनें की तुरन्त आवश्यकता ; और

(ख) अर्थ व्यवस्था के इन अभावों को दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(i) और (ii) रिपोर्ट में, सरकारी क्षेत्र में बचतों की रकमें जुटाने के सम्बन्ध में विद्यमान व्यापक कमी को पूरा करने और अर्थ व्यवस्था के घरेलू क्षेत्र में बचतों की मात्रा में वृद्धि करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था किन्तु, जनता द्वारा अधिक मात्रा में बचतें किये जाने के उद्देश्य से अतिरिक्त साधन जुटाने तथा छोटी बचतों, बैंकों में जमा रकमों, सरकारी प्रतिभूतियों, स्टाक और शेयरों जैसी वित्तीय परिसम्पत्तियों के रूप में बचत करने के सम्बन्ध में प्रोत्साहन देने के लिये दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की रियायतों की व्यवस्था जो 1970-71 के केन्द्रीय बजट में की गई है उसका विस्तृत ब्योरा भी उक्त रिपोर्ट में दिया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बचतें संग्रह करने के लिये किये गये उपायों का ब्योरा भी इस रिपोर्ट में दिया गया है जिनमें आपके लिये अधिक रकमें आकर्षित करने के लिये बैंकों द्वारा घोषित बैंक नेतृत्व योजना, शाखा विस्तार कार्यक्रम तथा अन्य उपाय भी शामिल हैं।

(iii), (iv) और (v) सरकार को उत्पादन में, खासकर पूंजीगत माल के क्षेत्र में धीमी गति से होने वाली वृद्धि के बारे में तथा बिल्कुल हाल की अवधि में गैर सरकारी निगमित क्षेत्र में किये जाने वाले सामान्य स्तर के निवेश के बारे में पूरी जानकारी है और वह अर्थ व्यवस्था के, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल है, विकास की दर में तेजी से वृद्धि करने की आवश्यकता से सहमत है।

(ख) सरकार की राजस्व और मुद्रा सम्बन्धी नीतियां इस प्रकार की बनायी गई हैं कि बचत की रकमें जुटायी जायें और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके। 1970-71 के बजट में, आयोजनागत क्रियाकलापों के स्तर को ऊंचा उठाने और गैर सरकारी बचतों को प्रोत्साहन देने के विशेष उपाय बताये गये हैं। 1969-70 में सरकारी क्षेत्र के लिये 2271 करोड़ रुपया के आयोजना परिव्यय की जो व्यवस्था की गई थी उसे 1970-71 में बढ़ा कर 2822 करोड़ रुपया कर दिया गया था। इससे अर्थ व्यवस्था के शेष भाग में निवेश करने के कार्यों में तेजी लाने में सहायता मिलेगी। राजस्व सम्बन्धी नीति इस तरह से बनाई गई है कि इससे अर्थ व्यवस्था की मुद्रा स्फीति की प्रवृत्तियों की रोकथाम करते हुए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के

लिए लाइसेंस देने की नीतियों और कार्यप्रणालियों को उदार बना दिया गया है। जहां तक औद्योगिक कच्चे माल तथा विशेष प्रकार के इस्पात जैसे वस्तुओं की अपेक्षाकृत कमी होने के कारण औद्योगिक उत्पादन की गति धीमी होने का सम्बन्ध है, सरकार इन वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में आयात करके स्थिति में सुधार लाने का प्रयत्न कर रही है।

विश्व बैंक की बैठक में भारत द्वारा दिये गये सुझाव

1660. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने अभी हाल में हुई विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठकों में क्या सुझाव दिये ;

(ख) इन सुझावों के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय निकायों की क्या प्रतिक्रिया रही ;

(ग) कौन कौन से सुझाव स्वीकार किये गये और भारत तथा अन्य विकासशील देशों को उनसे क्या लाभ पहुंचने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सितम्बर, 1970 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की जो वार्षिक बैठकें कापन हेगन में हुई थीं उनमें भाषण करते हुए वित्त मंत्री ने अन्य बातों के साथ साथ मुद्रा विनिमय दर तन्त्र का उल्लेख करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की वर्तमान सममूल्य प्रणाली को ही उसमें कोई विशेष परिवर्तन किये बिना, चालू रखने के लिये कहा था। उन्होंने यह सुझाव भी दिया था कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को अपने साधनों तथा अन्य होने वाली शुद्ध आय के एक भाग का विश्व बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश करना चाहिए। वित्त मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के प्रबन्ध ढांचे: कोटा वितरण और मताधिकार में सुधार करने के लिये भी प्रबल तर्क प्रस्तुत किये थे। जहां तक विश्व बैंक का सम्बन्ध है वित्त मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास बैंक द्वारा गैर-प्रायोजना सहायता को चालू रखने की आवश्यकता का उल्लेख किया। जहां तक द्विपक्षीय सहायता का प्रश्न है, वित्त मंत्री ने इस प्रकार की सहायता की मात्रा में सहज वृद्धि करने तथा उसे बन्धन मुक्त करने के लिये एक उपयुक्त तंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता पर बल दिया।

(ख) और (ग). अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के प्रबन्ध निदेशक और विश्व बैंक के अध्यक्ष ने अपनी निष्कर्षात्मक टिप्पणियों में, गवर्नरों द्वारा दिये गये सुझावों की सामान्य रूप से सराहना की और इनमें से कुछ समस्याओं पर आगे अध्ययन कराने की इच्छा व्यक्त की है। कोष और बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने इन सुझावों पर विचार करेंगे और तत्पश्चात इन्हें गवर्नरों के बोर्ड निर्णय के लिये प्रस्तुत करेंगे। अत: इनमें भारत तथा अन्य विकासशील देशों को हो के समक्ष सकने वाले लाभों के सम्बन्ध में हर समय कुछ बताना सम्भव नहीं है।

भारत के लिये यूगोस्लाविया द्वारा पोतों का निर्माण

1661. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **पोत परिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत की ओर से यूगोस्लाविया द्वारा बनाये जा रहे पोतों की संख्या कितनी है;

(ख) इन आदेशों के संबंध में दुर्लभ मुद्रा एवं भारतीय रुपयों में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा ;

(ग) क्या भारत में उस देश के भारतीय रुपये के संसाधनों को बढ़ाने के विचार से उस देश की विदेशी मुद्रा के खर्च को कम करने का सुझाव दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

संसद-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) दो तेल पोतों के अतिरिक्त, जिनके लिये अगस्त 1970 में एक संविदा पर हस्ताक्षर किये गये हैं, इस समय एक पोत एम० वी० वैलादिला, जो लगभग 85000 कुल टन भार का है, यूगोस्लाविया में निर्माणाधीन है ।

(ख) पोत वैलादिला की कुल लागत 675.00 लाख रुपये है जिसमें से 165·971 लाख रुपये विदेशी मुद्रा में और शेष 509·029 लाख रुपये की राशि रुपयों में अदा करने हैं । उक्त दो तेल पोतों में से प्रत्येक की लागत का 70 प्रतिशत (मूल्य वृद्धि के अधीन 1226.25 लाख रुपये पहले तेलपोत के लिये और 1237.50 लाख रुपये दूसरे के लिये) विदेशी मुद्रा में और 30 प्रतिशत मूल्य गैर संपरिवर्तनीय रुपयों में देय है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया की बालासौर तथा जलेश्वर स्थित शाखाओं से छोटे दुकानदारों, किसानों तथा छोटे उद्योगपतियों को प्राप्त ऋण

1662. **श्री स० कुन्दू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया की बालासौर तथा जलेश्वर स्थित शाखाओं से कितने छोटे दुकानदारों, गरीब तथा छोटे किसानों तथा छोटे उद्योगपतियों को ऋण प्राप्त हुआ तथा कितना ऋण प्राप्त हुआ;

(ख) बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद अब तक दो बैंकों द्वारा व्यापारियों को कितना ऋण दिया गया; और

(ग) क्या यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया ने अपने बैंकों को ऐसा कोई निदेश दिया है कि छोटे किसानों तथा दुकानदारों को ऋण केवल तभी दिया जा सकता है जब कि वे कोई जमानत दें तथा अपनी भूमि को रहन रखें; और

(घ) यदि हां, तो क्या जलेश्वर तथा बालासौर स्थित दो शाखाओं को ऐसा निदेश दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बैंकों में गरीब और छोटे किसानों को दिये गये ऋणों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते । फिर भी, किसानों को यूनाइटेड

बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिये गये ऋणों (प्रत्यक्ष वित्त पोषण) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

शाखा का नाम	(लाख रुपयों में) सितम्बर, 1970 के अन्तिम शुक्रवार को स्थिति					
	छोटे दुकानदार		किसान (प्रत्यक्ष वित्तपोषण)		छोटे उद्योग	
	खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम
1. बालासौर (22-9-1969 को खोली गयी)	1	0.07	शून्य	शून्य	1	0.2
2. जलेश्वर (10-12-69 को खोली गयी)	1	0.03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

भारत स्टेट बैंक से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) राष्ट्रीयकरण के बाद, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खुदरा व्यापार के लिए मंजूर किये गये ऋणों को रकमें इस प्रकार हैं :

(I) यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया

अन्तिम शुक्रवार के अनुसार

जून, 1969		अगस्त, 1970	
खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम
325	82.74 लाख रु०	2693	286.36 लाख रु०

(II) भारतीय स्टेट बैंक

अक्टूबर, 1969		अगस्त, 1970	
खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम
2634	144.91 लाख रु०	25,735	1755.52 लाख रु०

(ग) और (घ). जी, हां ।

मयूरभंज, उड़ीसा के किसानों को ऋण की अदायगी के बारे में कलकत्ता स्थित यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के मैनेजर को संसद सदस्यों द्वारा लिखे गये पत्र

1663. **श्री स० कुन्दू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक संसद् सदस्यों ने, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया कलकत्ता के मैनेजर को एक पत्र लिखा था जिसमें सिफारिश की गई थी की उड़ीसा के मयूरभंज जिले के 10 कृषकों को, कृषि कार्यों के लिये 1,000 रुपये का ऋण दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पत्र की प्राप्ति सूचना दी गई है और ऋण दे दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऋण कब तक दे दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). जांच करने से पता चला है कि यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के प्रबन्धक को ऐसा कोई पत्र नहीं मिला, जिस पर अनेक संसद-सदस्यों के हस्ताक्षर हों। तथापि बैंक से यह पता चला है कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले की ग्राम पंचायत कमर डीह की श्रीमती उमामणि देवी तथा अन्य व्यक्तियों ने 27 मार्च, 1970 को बैंक की बारीपदा शाखा को मवेशी खरीदने के वास्ते 1000 रु० से लेकर 2000 रुपये तक की रकमों के लिए आवेदन-पत्र दिए थे। किन्तु बारीपदा शाखा ने ये मुख्यत: इस आधार पर मंजूर नहीं किए कि सम्बन्धित फार्म बैंक की शाखा से 36/37 मील की दूरी पर स्थित है और आवेदनकर्ता अधिकतर संपन्न व्यक्ति हैं। इस क्षेत्र में पशुओं की मृत्यु-दर भी बहुत अधिक है। इसके अलावा बैंक की नीति के अनुसार बैंक द्वारा मवेशी खरीदने के लिए तब तक ऋण नहीं दिए जाते तब तक कि वह सम्पूर्ण मिश्रित खेती कार्यक्रम योजना का एक छोटा भाग न हो।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत

1664. **श्री स० कुन्दू :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्ता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों को अन्तरिम वेतन राहत दी है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न कर्मचारियों को किस स्केल पर यह राहत दी गई है ;

(ग) क्या उक्त अन्तरिम वेतन राहत देते समय सरकार ने किसी कसौटी का पालन किया था ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा घोषित अन्तरिम राहत की मात्रा कम होने पर असन्तोष व्यक्त किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निम्न आय वाले कर्मचारियों की अन्तरिम राहत में वृद्धि करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, जिनको सरकार ने पूरी तरह मान लिया है,

1 मार्च 1970 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत निम्नलिखित दरों से मंजूर की गयी है :

वेतन श्रेणी	अन्तरिम राहत की मासिक दरें
	रु०
85/- रु० से कम	15
85/- रु० और उससे अधिक परन्तु 210/- रु० से कम	25
210/- रु० और उससे अधिक परन्तु 500/- रु० से कम	30
500-1250 रु० (सीमान्त समायोजन के अधीन)	45

जिन सिद्धान्तों का अनुसरण वेतन आयोग ने किया है, वे उनकी अन्तरिम रिपोर्ट में निहित हैं, जिसकी प्रतियां सभा पटल पर रख दी-गयी हैं ।

(घ) जी, हां । कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ङ) 1250 रु० प्रति मास वेतन तक के लिए 15 रु० से 45 रु० तक की श्रेणियों में अन्तरिम राहत की दरें तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं, और आयोग ने ये सिफारिशें सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यथोचित विचार-विमर्श करने के बाद की हैं। सरकार ने आयोग की सिफारिशों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है और वह अन्तरिम राहत की इन दरों में वृद्धि करने का कोई कारण नहीं देखती ।

वायदा बाजार के बारे में अन्जारिया समिति की सिफारिशें

1665. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंजारिया समिति की सिफारिशों को, विशेषकर, वायदा व्यापार पुनरारम्भ करने संबंधी सिफारिश को, स्वीकार नहीं किया गया है, और

(ख) वायदा व्यापार पर ऐसे किन देशों में प्रतिबंध हैं, जहां पहले वह होता था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शक्ल) : प्रतिभूतियों के वायदों के सौदों के सम्बन्ध में अंजारिया समिति की रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत प्रतिभूतियों के वायदे के सौदों की ओर है । उपलब्ध सूचना के अनुसार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में प्रतिभूतियों के वायदे के सौदे बंद कर दिये गये थे । किन्तु 1949 में इन्हें फिर से चालू कर दिया गया । ऐसा पता चलता है कि अत्यधिक सट्टेबाजी की रोक थाम करने के उपाय के तौर पर सिंगापुर में उन कुछ कम्पनियों की जिनकी शेयर पूंजी 50 लाख सिंगापुरी डालर या अधिक हो, प्रतिभूतियों के बिलम्बित सौदों का भी इस वर्ष जनवरी से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

वेतन आयोग के प्रस्तावों के परिणामस्वरूप वेतनों में वृद्धि

1666. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने वेतन आयोग द्वारा हाल ही में की गई वेतन तथा भत्तों में वृद्धि की अर्थव्यवस्था तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के साधनों पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि इस वृद्धि को अन्य जनता को वहन करना पड़ेगा तो क्या उसके कारण वे अपनी आय में वृद्धि की मांग करेंगे और परिणामतः मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी और तदनुसार चौथी योजना में कटौती करनी पड़ेगी ; और

(ग) योजना आयोग का जनता के उन वर्गों के लिए क्या करने का विचार है जिनकी आय मुद्रास्फीति के कारण कम हो जायगी और जो स्वयं अपनी आय के साधनों में किसी प्रकार से वृद्धि नहीं कर सकते ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) से (ग). तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंजूर की गई अंतरिम राहत से केन्द्रीय सरकार को लगभग 106 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय होने का अनुमान है। अन्तरिम राहत के कारण प्रस्तुत अतिरिक्त दायित्व का चतुर्थ योजना के लिए उपलब्ध साधनों की स्थिति पर, साधनों को अन्यथा प्रतिपूर्ति नहीं होने की हालत में कुछ हद तक प्रभाव पड़ सकता है। इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि इसको यदि चतुर्थ योजना पर तथा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर कोई प्रभाव पड़ना है तो वह कितना होगा।

पुरातत्व विभाग का शिक्षा मंत्रालय से पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय को हस्तांतरण

1667. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री मणि भाई जे० पटेल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने पुरातत्व विभाग को शिक्षा मंत्रालय से उनके मंत्रालय को हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो पुरातत्व विभाग को उनके मंत्रालय में मिलाने से क्या लाभ होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). क्योंकि भारत में पर्यटन-गतिविधियों का अधिकतर सम्बन्ध हमारे उत्तराधिकार प्राप्त प्राचीन पुरातात्विक स्मारकों से है, अतः मेरे मंत्रालय से संबंधित संसद् की सलाहकार समिति के विचार में पुरातत्व विभाग से पूर्ण समन्वय को सुनिश्चित करने के लिये यह अच्छा रहेगा यदि उक्त विभाग को पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया जाये।

Decline in value of Rupee

1668. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Hardayal Devgun :
Shri Yashwant Singh Kushwah :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the value of the Indian rupee has been weakened in some foreign exchange markets ;

(b) if so, whether there is any proposal under the consideration of Government for a change in the par value of the rupee ;

(c) whether there is any pressure from the World Bank or the International Monetary Fund for another devaluation of the rupee ; and

(d) if so, the reasons put forward for devaluation ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir. The par value of the rupee has, since the devaluation in June 1966, remained unchanged at 13.33 U. S. Cents, and all authorised foreign exchange transactions of the country are carried at rates which are within the permissible range of one percent of the parity value. Some stray and sporadic transactions of an illegal nature may take place at a different rate, but this has no relation to the intrinsic value of the rupee. The strength of the rupee depends mainly on the country's overall balance of payments position, which has improved over the last two years.

(b) and (c). No, Sir.

(d) Does not arise.

दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति द्वारा दिया गया त्याग-पत्र

1669. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उप-कुलपति डा० के० एन० राज ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष (विजिटर) को त्याग-पत्र दे दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो त्याग-पत्र में क्या कारण दिये गये हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) डा० के० एन० राज के अनुसार विश्वविद्यालय जिस परिस्थित के मध्य है उसे मुक्त करके पुनर्गठन और सुधार के विचार से एक बहुत बड़ी संगठनात्मक इकाई है और वर्तमान परिस्थितियों के अन्तर्गत उनके द्वारा पहले सोचे गये उद्देश्यों को प्राप्त करना उनके और थोड़ी संख्या में उनके जो सहयोगी हैं उनके लिये असंभव है ।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धक व्यापारिक प्रक्रियायें अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों तथा उपकरणों का पंजीकरण

1670. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बासुदेवन नायर :

क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनियों और उपक्रमों को एकाधिकार तथा प्रतिबन्धक व्यापारिक प्रतिक्रियाएं अधिनियम के अंतर्गत अपने आपको पंजीकृत करवाना होता है ;

(ख) यदि हां, तो यह अधिनियम कब लागू हुआ और पंजीकरण के लिये अन्तिम तिथि कौन सी थी ;

(ग) नियत तिथि तक कितनी कम्पनियां एवं उपक्रमों ने अपना पंजीकरण करवाया था ; और

(घ) पंजीकरण के लिये जिन कम्पनियों एवं उपक्रमों के आवेदन-पत्र देरी से प्राप्त हुये, उनके विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) प्रत्येक उपक्रम के लिये, जो एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत आता है, अपने आपको केन्द्रीय सरकार से पंजीकरण कराना पड़ता है ।

(ख) यह अधिनियम 1 जून, 1970 से लागू हुआ । प्रत्येक उपक्रम के लिये जिस पर 1 जून, 1970 को अधिनियम के अध्याय 3 का भाग 'क' लागू हुआ, इस तिथि से साठ दिन के अन्दर अपने आपको केन्द्रीय सरकार से पंजीकरण कराना अपेक्षित है । कथित उपबन्ध के, उक्त तिथि से अनुवर्ती लागू होने की स्थिति में, साठ दिन की अवधि, इस उपबन्ध के लागू होने की तिथि से गिनी जायेगी । पर्याप्त कारण दिखाने पर, केन्द्रीय सरकार को, इस बाबत, पुनः अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई है । इस शक्ति का प्रयोग करते हुये, अवधि साधारणतः 15 सितम्बर, 1970 तक बढ़ाई गई थी, व कुछ व्यक्तिगत विषयों में, 30 नवम्बर, 1970 तक की भी पुनः अवधि बढ़ाई गई है ।

(ग) 14 नवम्बर, 1970 तक 634 उपक्रम पंजीकृत किये गये हैं ।

(घ) उचित अध्ययन एवं परीक्षा के पश्चात, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 48(2) के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जापान से संस्कृत पांडुलिपियों का लाया जाना

1671. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय संस्कृति की राष्ट्रीय अकादमी के निदेशक हाल ही में जापान से संस्कृति की काफी संख्या में दुलर्भ प्राचीन पांडुलिपियां लाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे किन आधारों पर ये पांडुलिपियां लाए हैं और क्या इस बात को सुनिश्चित कर लिया गया है कि ये मूलतः किस देश की हैं ; और

(ग) ये पांडुलिपियां किन विषयों के बारे में हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय ने, सरस्वती बिहार के निदेशक को जापान की यात्रा करने के लिये प्रयोजित नहीं किया। वह जापान से संस्कृत की पांडुलिपियां लाए हैं, इस बात की हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के प्रबन्ध निदेशक द्वारा भारत का दौरा

1672. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के प्रबन्ध निदेशक ने हाल में उनके साथ तथा प्रधान मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श की मुख्य बातें क्या थीं और बातचीत के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) विशेष रूप से धन निकालना योजना (स्पेशल ड्राईंग राईट्स स्कीम) को 1972 के बाद भी जारी रखने तथा इसे विकास सहायता से जोड़े जाने सम्बन्धी भारत के सुझाव के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के सरकारी प्रतिनिधि-मंडल की क्या प्रतिक्रिया रही ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस बातचीत में अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के प्रबन्ध सम्बन्धी ढांचे तथा निधि में मतदान-अधिकार के स्वरूप के प्रश्न पर और विशेष रूप से आर्थिक शक्ति के आधार पर तरजीह देने के स्थान पर विकासशील देशों की आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करने के उद्देश्य से इन मामलों में कुछ आधार भूत सुधारों पर चर्चा हुई। इस बातचीत में, विशेष आहरण अधिकारों के निर्माण और विकास हेतु वित्त-व्यवस्था के बीच पारस्परिक सम्बन्ध के प्रश्न के अध्ययन का भी जिक्र आया। 1970 की वार्षिक बैठक में अपने भाषण में श्री श्वाइतजर ने, विशेष आहरण अधिकारों के कार्यचालन के सम्बन्ध में अनेक गवर्नरों द्वारा प्रकट किये गये संतोष के साथ अपनी सहमति प्रकट की और कहा कि अनेक गवर्नरों ने विशेष आहरण अधिकारों और विकास हेतु वित्त-व्यवस्था के बीच पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा अध्ययन किये जाने के लिये जो सुझाव दिये हैं उन पर निदेशक-बोर्ड विचार करेगा।

येम्मीगनूर स्पिनिंग मिल्स के प्रबन्धक अभिकरण को दिया गया परिश्रमिक

1673. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) येम्मीगनूर स्पिनिंग मिल्स में प्रबन्धक अभिकरण को इसके बन्द होने के तीन वर्ष पूर्व कितना पारिश्रमिक दिया गया था ;

(ख) अब विभिन्न उद्देश्यों अर्थात् क्रय, विपणन आदि के लिए प्रबन्धक निदेशक सहित विभिन्न निदेशकों को कितना पारिश्रमिक दिया जाता है ; और

(ग) क्या निदेशकों को अब दिया जाने वाला पारिश्रमिक प्रबन्धक अभिकरण को दिये जाने वाले पारिश्रमिक से अधिक है और यदि हां, तो शेयर होल्डरों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). प्रबन्ध अभिकर्ताओं, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 399-351 में उल्लिखित ढंग से शुद्ध लाभ पर कमीशन के हकदार थे, ने वास्तव में अपर्याप्त लाभ के कारण कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया। कम्पनी के निदेशकों की, निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के लिये, 100 रु० दिये जाते हैं। दो प्रबन्ध निदेशकों में से प्रत्येक को, शुद्ध लाभ पर 5 प्रतिशत कमीशन दिया जाना है। प्रबन्ध निदेशकों को, 3 वर्ष की अवधि तक बैठक फीस प्राप्त करने की अनुमति दी गई है, क्योंकि वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस अवधि में, उन्हें कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने की संभावना नहीं है। उन्हें खरीद, बाजार के कारोबार पर कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।

पान्यम सीमेंट लिमिटेड के प्रबन्धक अभिकरण को दिया गया पारिश्रमिक

1674. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पान्यम सीमेंट लिमिटेड में प्रबन्धक अभिकरण को उसके बन्द होने के तीन वर्ष पूर्व कितना पारिश्रमिक चुकाया गया ;

(ख) विभिन्न उद्देश्यों अर्थात् क्रय, विपणन आदि के लिये प्रबन्धक निदेशक सहित विभिन्न निदेशकों को कितना पारिश्रमिक दिया गया ; और

(ग) क्या निदेशकों का वर्तमान पारिश्रमिक, प्रबन्धक अभिकरण को चुकाये गये पारिश्रमिक से अधिक है और यदि हां, तो शेयर होल्डरों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कम्पनी के प्रबन्ध/निदेशकों को, उनकी अवधि समाप्त होने से पहले, तीन वर्षों में निम्नलिखित पारिश्रमिक दिया गया था :

1966-67	2,12,608 रु०
1967-68	1,28,539 रु०
1968-69	2,44,284 रु०

(ख) कम्पनी के निदेशक, (प्रबन्ध तथा उप-प्रबन्ध निदेशकों से अन्य) निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के लिये 200 रु० प्राप्त करने के हकदार होंगे। कम्पनी विधि बोर्ड ने, एक प्रबन्ध निदेशक तथा उप-प्रबन्ध निदेशकों को नियुक्ति का अनुमोदन क्रमश: 4,000 रु० 3,000 रु० तथा 2,000 रु० प्रतिमास पर, प्रत्येक को 1 प्रतिशत कमीशन तथा परिलब्धियों सहित किया है।

(ग) स्वीकृति पारिश्रमिक को न्यूनतम पारिश्रमिक के रूप में संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है एवं प्रबन्ध निदेशक, केवल कम्पनी द्वारा पर्याप्त लाभ कमाने पर ही, स्वीकृत पारिश्रमिक पायेंगे ।

रायलसीमा मिल्स, अडोनी की प्रबन्धक एजेंसी को दिया गया पारिश्रमिक

1675. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अडोनी की रायलसीमा मिल्स ने, प्रबन्धक एजेंसी को रद्द करने से तीन वर्ष पूर्व, उसे कितना पारिश्रमिक दिया ;

(ख) प्रबन्धक निदेशक सहित विभिन्न निदेशकों को विभिन्न कार्यों, अर्थात् क्रय, विपणन आदि के लिये अब कितना पारिश्रमिक दिया गया ; और

(ग) क्या अब निदेशकों को जो पारिश्रमिक दिया जा रहा है वह प्रबन्धक एजेंसी के पारिश्रमिक से अधिक है और यदि हां, तो सरकार शेयर होल्डरों के हितों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). 1964-1967 के वर्षों में दिया गया प्रबन्ध अभिकरण पारिश्रमिक तथा अब कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक तथा दो पूर्ण-कालिक निदेशकों को दिये जाने के लिये अनुमोदित प्रबन्धकीय पारिश्रमिक, निम्न प्रकार है :

21 सितम्बर, 1967 को इस कम्पनी में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के उन्मूलन के पहले के चार वर्षों में, रायलसीमा एजेंसीज नाम की प्रबन्ध अभिकरण फर्म, कम्पनी के शुद्ध लाभ पर, आधारित 8 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक विसृप अनुमाप से पारिश्रमिक प्राप्त कर रही थी ; एवं उनके द्वारा वर्ष-अनुसार प्राप्त की गई राशि निम्न प्रकार है :

1964	1965	1966	1967
रु०	रु०	रु०	रु०
56,720	1,880	कुछ नहीं	6,704

प्रबन्ध-अभिकर्ताओं को, किसी विशिष्ट वर्ष में अपर्याप्त लाभ होने अथवा हानि होने की दशा में, कोई न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त करने का हक नहीं था।

प्रबन्ध निदेशक को, 2,000 रु० प्रतिमास के वेतन के सहित, कम्पनी के शुद्ध लाभ पर, एक कमीशन इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि वेतन व कमीशन मिलकर कम्पनी के शुद्ध लाभ के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। इस पारिश्रमिक पर एक 1.20 लाख रुपये प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई थी। पूर्ण-कालिक निदेशकों में से प्रत्येक को, 1,000 रु० प्रति-मास के मासिक वेतन के साथ, प्रत्येक के लिये, 1.20 लाख रु० की प्रशासनिक

अधिकतम सीमा सहित, कम्पनी के शुद्ध लाभ पर 2½ प्रतिशत की अधिकतम सीमा की शर्त पर, कमीशन की स्वीकृति दी गई थी। 12 अक्तूबर, 1967 से 11 अक्तूबर, 1972 तक की अवधि के लिये, प्रबन्ध निदेशक के लिये 24,000 रु० प्रति वर्ष तथा पूर्णकालिक निदेशकों में से प्रत्येक के लिये 12,000 रु० प्रति वर्ष के न्यूनतम पारिश्रमिक का भी अनुमोदन किया गया था। प्रबंध निदेशक तथा दोनों पूर्ण-कालिक निदेशकों को, 12-10-1967 से दिया गया प्रबन्धकीय पारिश्रमिक निम्न प्रकार है :

12-10-1967 से 31-12-1967	10,580 रु०
1968	52,216 रु०
1969	87,246 रु०

जीवन बीमा निगम द्वारा पशु बीमा योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव

1677. **श्री देवराज पाटिल**: क्या **वित्त** मंत्री 3 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1050 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पशुओं की बीमा योजना आरम्भ करने का इस बीच निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) तथा (ख). मामले का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली के निदेशक तथा सहायक निदेशक के रिक्त पद

1678. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
श्री जी० वेंकटस्वामी :
श्री न० रा० देवघरे :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों से राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली बिना किसी निदेशक के और गत एक वर्ष से बिना किसी सहायक निदेशक कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक कोई नियुक्ति नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पद पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). जी हां। दुर्भाग्य से यह एक तथ्य है कि राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में जनवरी, 1969 से कोई निदेशक तथा जुलाई, 1969 से कोई सहायक निदेशक नहीं है। यह मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है। दोनों पदों को यथा सम्भव शीघ्र भरे जाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल को बाढ़ सहायता के लिए दिए गए धन का दुरुपयोग

1679. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस सरकारी धन के दुरुपयोग की कोई जांच कराई गई थी जिसको राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में बाढ़-ग्रस्त कार्यों पर व्यय किया जाना था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि कोई जांच नहीं की गई, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). भारत सरकार को राजस्थान और पश्चिम बंगाल में बाढ़ सम्बन्धी राहत-कार्यों के निष्पादन में सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के बारे में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

बैंक कर्मचारियों का मजूरी ढांचा

1680. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री दिनकर देसाई :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक कर्मचारियों ने मजूरी ढांचे में परिवर्तन करने हेतु हाल में आन्दोलन चलाया था ; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों के साथ किन शर्तों पर समझौता किया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) 12 अक्टूबर, 1970 को भारतीय बैंक संघ और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये । भारतीय बैंक संघ ने अपने सदस्य बैंकों और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने इन बैंकों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व किया । इस समझौते की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

वेतन मानों के प्रयोजन के लिए, देश के विभिन्न स्थानों का जो क्षेत्र-वार वर्गीकरण किया गया था, वह नये समझौते के अनुसार रद्द कर दिया गया है और तीनों अर्थात् 'क', (ख) और 'ग' श्रेणियों के बैंक में से प्रत्येक श्रेणी के बैंकों के लिये सभी केन्द्रों पर समान वेतनमान लागू कर दिये गये हैं ।

2. 1960 में जो मंहगाई भत्ता दिया जाता था उसे मूल वेतन में जोड़ दिया गया है । लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह रकम उनके मूल वेतन का 21 प्रतिशत और अधीनस्थ कर्मचारियों के सम्बन्ध में 30 प्रतिशत बैठती है । भविष्य में दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते का आधार वर्ष 1949 से बदल कर 1960 कर दिया गया है ।

3. लिपिक वर्गीय और अधीनस्थ दोनों प्रकार के कर्मचारियों के मूल वेतनों में संशोधन करके उनमें वृद्धि कर दी गयी है और वेतनमानों के पूरा होने की कुल अवधि 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष कर दी गई है।

4. संशोधित वेतनमान इस प्रकार हैं :

(क) **लिपिक वर्गीय कर्मचारी**

'क' श्रेणी के बैंक

170-10-200-13-1-226-14-240-15-285-20-345-25-420-30-480-35-550

'ख' श्रेणी के बैंक

158-6-170-10-200-13-226-14-240-15-285-20-345-25-420-30-480

'ग' श्रेणी के बैंक

146-6-70-10-200-13-226-14-240-15-285-20-345-25-420

(ख) **अधीनस्थ कर्मचारी**

'क' श्रेणी के बैंक

116-3-131-4-151-5-181-6-193-7-200

'ख' श्रेणी के बैंक

108-2-110-3-131-4-151-5-181

'ग' श्रेणी के बैंक

104-2-110-3-131-4-151-5-171

5. क्षेत्रीय वर्गीकरण समाप्त कर दिये जाने और सभी क्षेत्रों में समान वेतनमान लागू कर दिये जाने के परिणामस्वरूप भूतपूर्व क्षेत्र के कर्मचारियों की कुल परिलब्धियां घट गयीं। इस कमी को पूरा करने के लिए भूतपूर्व क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नगर भत्ता दिये जाने की व्यवस्था की गयी है जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(क) **लिपिक वर्गीय कर्मचारी**

'क' श्रेणी के बैंक	मूल वेतन का 15 प्रतिशत किन्तु कम से कम 30 रुपये मासिक और अधिक से अधिक 80 रुपया मासिक
'ख' और 'ग' श्रेणी के बैंक	मूल वेतन का 15 प्रतिशत किन्तु कम से कम 30 रुपया मासिक

(ख) **अधीनस्थ कर्मचारी**

'क' श्रेणी के बैंक	मूल वेतन का 12.5 प्रतिशत किन्तु कम से कम 15 रुपया और अधिक से अधिक 25 रुपया मासिक।

'ख' और 'ग' श्रेणी के बैंक	मूल वेतन का 12.5 प्रतिशत किन्तु कम से कम 15 रुपया मासिक ।

31 जुलाई, 1970 को जो कर्मचारी सेवा में हों उनको देय बोनस और समयोपरि भत्ते के प्रयोजन के लिए जिन रकमों को शुमार किया जाता है उनमें नगर भत्ता भी शामिल कर दिया गया है । जो कर्मचारी 31 दिसम्बर, 1969 को सेवा में हों, उनको देय भविष्य निधि का हिसाब लगाने के प्रयोजन के लिए इस भत्ते की 50 प्रतिशत रकम अधिक से अधिक 30 रुपया शामिल की जायगी ।

6. इस समझौते में वर्तमान कर्मचारियों के नये वेतनमानों में समायोजन करने के तरीकों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है जिनमें प्रत्येक मामले की स्थिति के अनुसार अस्थायी समायोजन भत्ता या वेतन वृद्धि देने की व्यवस्था भी शामिल है । जो लिपिक स्नातक हों या जिनके पास बैंकिंग डिप्लोमा जैसी शैक्षिक योग्यता हो, उनके लिए अतिरिक्त वेतन-वृद्धियां देने की व्यवस्था भी इस समझौते के अन्तर्गत की गयी है ।

7. लिपिक वर्गीय कर्मचारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों को देय विशेष भत्तों में जो विशेष प्रकार के कार्यभार संभालने वाले ऐसे कर्मचारियों के वेतन में भेद करने के लिए दिये जाते हैं जो अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारी के या अधिक कुशल काम करते हैं, और ये भत्ते उन कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते का हिसाब लगाने के प्रयोजन से शामिल किये जाते हैं । क्रमश: 21 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है ।

8. केवल इस बात को छोड़ कर कि मंहगाई भत्ते का एक अंश मूल वेतन में मिला दिया गया है, मंहगाई भत्ते की सामान्य योजना, पहले की तरह ज्योंकि त्यों जारी रहेगी । दूसरे शब्दों में महंगाई भत्ता अखिल भारतीय श्रमिक उपभोक्ता (सामान्य) मूल्य सूचक अंक से सम्बद्ध रहेगा किन्तु आधार वर्ष (जो 1949=100 था अदा 1960=100) होगा । महंगाई भत्ते की भरपाई उसी दर पर अर्थात् लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए 7.5 प्रतिशत की दर से और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए 100 प्रतिशत की दर से की जाती रहेगी ।

9. यह समझौता पहली जनवरी, 1970 से लागू होगा और सम्बद्ध पक्षों के लिए चार वर्षों के लिये बन्धनकारी होगा । 31 दिसम्बर, 1973 के बाद किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित रूप से दो महीनों का नोटिस देकर इस समझौते को रद्द किया जा सकता है । जब तक इस प्रकार का नोटिस नहीं दिया जाता तब तक यह समझौता 31 दिसम्बर, 1973 के बाद भी बन्धनकारी होगा । इस समझौते के अन्तर्गत किये जाने वाले आवश्यक समायोजनों और उनके परिणाम-स्वरूप की जाने वाली अदायगियों का काम पूरा करने के लिए बैंकों को 30 नवम्बर, 1970 तक का समय दिया गया है ।

अरब वासियों द्वारा ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन के जेट एयरलाइनर को जबरन ले जाया जाना

1681. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री सामिनाथन :
श्री मयाबन :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1970 में 101 यात्रियों वाले ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन के जेट एयरलाइनर को अरब-वासियों द्वारा जबरन ले जाया गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या विमान में कुछ भारतीय भी थे जिन्हें काफी असुविधा हुई ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां। 9 सितम्बर, 1970 को बी० ओ० ए० सी० का एक वी० सी०-10 जेट विमान का बहरीन से बेरूत की अनुसूचित उड़ान के दौरान बलात् अपहरण किया गया।

(ख) बलात् ले जाये गये इस विमान में 52 भारतीय सवार थे। इनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया, और इन्हें जल्दी ही छोड़ दिया गया।

(ग) हमने अपने अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर सुरक्षात्मक उपाय और अधिक मजबूत कर लिये हैं। सरकार ऐसी सभी घटनाओं को गम्भीर चिन्ता की दृष्टि से देखती है। क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं में विमान में सवार व्यक्तियों के साथ ही साथ भू-स्थित व्यक्तियों के लिये भी भयंकर खतरा बना रहता है। अतः सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन के साथ अवैध रूप से किये गये प्रत्येक हस्तक्षेप कार्य की, जिसमें वे घटनायें भी शामिल हैं जिन्हें साधारणतः "विमानों का बलात् अपहरण" कहते हैं, निन्दा की है। इस गम्भीर समस्या के समाधान के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किये जा रहे प्रयत्नों में भारत सरकार भी भाग ले रही है और लेती रहेगी।

पश्चिमी जर्मनी द्वारा सहायता

1682. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री शशि भूषण :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष कौन (पश्चिम जर्मनी) भारत को अधिक सहायता देने पर सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह सहायता कितनी होगी ; और

(ग) उस ऋण को भारत सरकार द्वारा किस प्रकार से उपयोग करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). जी हां। पिछले वर्ष के 25 करोड़ ड्यूश मार्क (51.25 करोड़ रुपये) की तुलना में, 1970-71 में भारत को कुल मिलाकर 27 करोड़ ड्यूश मार्क (55.35 करोड़) की वित्तीय सहायता देने के बारे में 19 नवम्बर, 1970 को नयी दिल्ली में भारत सरकार और जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस राशि का उपयोग इस प्रकार किया जाना है :

(1) 17.73 करोड़ रुपया (8.65 करोड़ ड्यूश मार्क): वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिये वस्तु-सहायता के रूप में,

(2) 12.3 करोड़ रुपया (6 करोड़ ड्यूश मार्क) : परस्पर सम्मत प्रायोजनाओं के लिए,

(3) 3.075 करोड़ रुपया (1.5 रुपया ड्यूश मार्क) : भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा लघु उद्योगों और मध्यम आकार वाले उद्योगों को ऋण दिये जाने के लिए,

(4) 3.075 करोड़ रुपया (1.5 करोड़ ड्यूश मार्क) : पूंजीगत वस्तुओं सम्बन्धी अन्तर्मंत्रालय समिति द्वारा स्वीकृत संयंत्रों और मशीनों के आयात के लिए,

(5) 15.64 करोड़ रुपया (7.63 करोड़ ड्यूश मार्क) : 1 अप्रैल, 1970 और 31 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में परिपक्व होने वाले, पहले के जर्मन ऋणों के सम्बन्ध में मूलधन की कुछ किस्तों के परिशोधन के आस्थगन के लिए, और

(6) 3.53 करोड़ रुपया (1.72 करोड़ ड्यूश मार्क) कुछ जर्मन ऋणों के, 1 अप्रैल, 1970 से 31 मार्च, 1971 तक की अवधि में देय ब्याज में कमी करने के लिये।

कनाडा में विश्व राजपथ सम्मेलन

1683. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1970 में कनाडा में छः दिवसीय राजपथ सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उनमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गई ; और

(ग) उक्त सम्मेलन में किन-किन देशों ने भाग लिया था ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया :

(1) सड़क सुरक्षा।
(2) नगरीय गतिशीलता।
(3) साधनों का विकास तथा संरक्षण।
(4) सड़क तथा पर्यावरण (इनवाइरनमेंट)।

(ग) पैंसठ

दिल्ली तथा कलकत्ता के बीच हवाई यातायात

1684. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा कलकत्ता के बीच हवाई यातायात में भीड़ रहती है और इस मार्ग पर स्थानों की भारी मांग रहती है;

(ख) क्या दिल्ली-कलकत्ता उड़ानों को कलकत्ता से उत्तरी बंगाल, आसाम, त्रिपुरा और उड़ीसा को होने वाली उड़ानों से जोड़ा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली तथा कलकत्ता के बीच इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की उड़ानों की संख्या बढ़ाने का है जैसे कि दिल्ली तथा बम्बई के बीच है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) और (घ). इंडियन एयरलाइन्स का, बोइंग 737 विमान प्राप्त होने पर, 1971 की पहली छमाही में दिल्ली-कलकत्ता मार्ग पर धारिता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

कलकत्ता में प्रकाश तथा ध्वनि कार्यक्रम चलाने के लिए सन-एट लुमेरी का प्रदर्शन

1685. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सदन में आश्वासन दिया था कि कलकत्ता में नागरिकों तथा वहां पर आने वाले पर्यटकों के लिए प्रकाश तथा ध्वनि कार्यक्रम चलाने हेतु एसन-एट-लुमेरी का प्रदर्शन किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त वचन पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) कलकत्ता में सन-एट-लुमेरी की स्थापना के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की और उपर्युक्त वचन कब तक पूरा किया जाएगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

Recovery of Gold Biscuits from Wife of a Customs Officer

1686. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the daily newspaper 'Hindustan' dated the 26th August, 1970 under the caption "Aabkaari afsar ki patni se sona ke biscuit baramad" (gold biscuits recovered from the wife of a Customs Officer) ; and

(b) if so, the action taken so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). Yes, Sir. The facts of the case are that on 24th August, 1970 acting on prior information the officers of railway police seized at Ujjain railway station from the hand-bags carried by the wife and two daughters of a Central Excise Inspector posted at Ujjain, 30 wrist watches valued Rs. 3,386/- and 75 gold biscuits of foreign origin valued Rs. 1,57,500/- at Indian market rate. The women were arrested by the railway police and were subsequently enlarged on bail by the Magistrate. As a followup action, the residential premises of the Central Excise Inspector at Ujjain were searched by the railway police and Central Excise authorities and goods of foreign origin valued Rs. 5,840/- were seized. In this connection searches have also been carried out at Sehore and Kalyan and certain documents have been seized. The Central Excise Inspector who was not present on the spot when his family members were apprehended, has been placed under suspension. Further investigations are in progress.

Reduction of Excess Expenditure Incurred by Ministry of Finance

1687. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether any action has been taken to reduce the excess expenditure incurred by his Ministry as pointed out recently in the Appropriation Accounts (Civil), 1968-69; and

(b) if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). The excess expenditure incurred by the Ministry of Finance, as shown in the Appropriation Accounts (Civil) 1968-69, represents the actual expenditure incurred in that year in excess of the amounts granted by Parliament for that year and consequently the question of reducing the excess expenditure does not arise. In accordance with the prescribed procedure, these excesses, among others, have been scrutinised by the Public Accounts Committee and recommended for regularisation in their 123rd Report (4th Lok Sabha) in the manner prescribed in Article 115 of the Constitution. Demands for Excess Grants have, on that basis, been laid before Parliament on 28th August, 1970 and are awaiting their approval.

Arrears of Excise Duty against Sugar Mills in U. P. and Bihar

1688. **Shri Molahu Prashad:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the details regarding arrears of Excise Duty at present outstanding against the owners of sugar mills in Uttar Pradesh and Bihar, separately; and

(b) the action being taken to realise the same?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). The desired information is given in the Statement enclosed.

Statement

Sl. No.	Name of Sugar Mills	Amount Rs.	Action taken
Uttar Pradesh			
1.	I. K. Sugar Mills, Laxmiganj, Distt. Deoria.	42,328.00	Party has filed revision petition to Government of India against the order rejecting party's appeal against the demand for payment.

2.	Basti Sugar Mills Co. Ltd. Walterganj, Distt. Basti.	9,545.00	Party has filed revision petition to Government of India against the order rejecting party's appeal against the demand for payment.
3.	Kundan Sugar Mills, Amroha.	7,105.00	Party has filed appeal to Collector against the demand for payment.
4.	Ratna Sugar Mills, Shahganj.	4,592.00	do.
5.	H. R. Sugar Mills, Bareilly.	424.42	do.
6.	Neoli Sugar Factory Manpur Nagaria Distt. Etah.	1,583.00	do.
Bihar			
1.	M/s. S. K. G. Sugar Ltd. Lauriya Distt. Champaran.	15,321.00	Under appeal to Collector against the demand for payment.
2.	M/s. Guraru Chini Mills, Guraru Distt. Gaya.	52,979.00	Party has requested for adjustment of the amount of arrears with the rebate admissible which is under consideration.

Smuggling of Gold and other Articles

1689. **Shri Baswant :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total value of gold, nylon-cloth, watches, transistors and other foreign articles smuggled during the last three years ending upto 30th June, 1970 ;

(b) the number of persons prosecuted in courts on the charge of smuggling ; and

(c) the number of persons sentenced to imprisonment for more than six months ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The total value of gold, nylon-cloth, watches, transistors and other foreign articles seized by the Customs authorities during the period from 1st January, 1967 to 30th June, 1970 is given below :

Year	Gold (At international monetary rate)	Other goods (At market rate)	Total
		(Value Rs. crores)	
1967	4.10	12.30	16.40
1968	3.33	16.06	19.39
1969	5.30	19.71	25.01
1970 (upto June)	2.94	8.62	11.56
Total	15.67	56.69	72.36

(b) and (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Construction of Road Over-Bridge at Asangaon

1690. **Shri Baswant :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that delay has taken place in the Ministry of Railways in the

construction of Asangaon Road over-bridge because no directives have so far been issued in respect of selection of the spot for the construction of the said bridge; and

(b) the time by which a decision is likely to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b). No, Sir. The alignment for the diversion including Asangaon road over bridge on National Highway 3 was approved in February, 1964, but the work could not be sanctioned on account of limitation of funds. This alignment has been modified recently necessitating shifting of the site of the bridge also. The scheme has been included in the Fourth Plan and sanction will be issued subject to the availability of funds.

Repairs of Khashali Bridge Over National Highway No. 3 Bombay-Agra Road, (Thana Division)

1691. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Khashali bridge over National Highway No. 3, Bombay-Agra Road (Thana Division) is expected to collapse ;

(b) whether any prior intimation in this regard has been received from the Government of Maharashtra ;

(c) whether it is a fact that the Government of Maharashtra has been informing about it to the Central Government every year ;

(d) whether Government have taken any immediate steps for the repair of this bridge ; and

(e) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) to (e). No, Sir. The bridge has been maintained in traffic-worthy condition by carrying out necessary repairs out of maintenance grants sanctioned annually. In December, 1969, the Government of Maharashtra proposed renovation of the decking. A joint inspection by the officers of the Government of India and the State Government revealed that replacement of the badly damaged steel troughs and not the entire decking was necessary. Accordingly an estimate of Rs. 4.15 lakhs for their replacement was sanctioned in September, 1970.

आय-कर तथा धन-कर की कर लगाने की सीमाओं को बढ़ाना

1692. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री शशि भूषण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चार्टर प्राप्त लेखा-कर संस्थान परिषद ने आय-कर लगाने के लिये आय सीमा 10,000 रुपये और धन-कर के लिये सीमा को 2 लाख रुपये तक बढ़ा दिये जाने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या सुझाव की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) चार्टर्ड लेखाकर संस्थान ने कुछ समय पहले यह सुझाव दिया था कि व्यक्तिगत आय की छूट सीमा को बढ़ाकर व्यक्तियों के मामले 7,500/- रुपये तथा हिन्दू अविभाजित परिवारों के मामले में 10,000/- रुपये कर दिया जाय। परन्तु, धन-कर अधिनियम के अन्तर्गत छूट-सीमा को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं था।

(ख) तथा (ग). व्यक्तिगत आय की छूट-सीमा को बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा कई बार विचार किया गया है तथा वर्ष 1970-71 के लिये बजट प्रस्ताव तैयार करते समय भी विचार किया गया था। यह निर्णय किया गया था कि छूट-सीमा को 5,000 रु० से ऊपर बढ़ाना वांछनीय नहीं होगा।

जीवन बीमा निगम द्वारा पूर्णावधि दावों का निपटारा

1693. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1970 को पूर्णावधि वाले जीवन बीमों के अनिर्णित मामलों की संख्या क्या है जो 2 माह से भी अधिक समय से अनिर्णित पड़े हुए हैं;

(ख) दावों की अवधि पूर्ण न होने पर जीवन बीमा अधिकारियों को भुगतान के लिये सामान्यतया कितने समय की आवश्यकता होती है;

(ग) ऐसे दावों के भुगतान में कम से कम कितना समय लगता है;

(घ) क्या यह सामान्य शिकायत है कि जीवन बीमा निगम द्वारा दावों का भुगतान शीघ्र नहीं किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इन शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। परन्तु, 1 अप्रैल 1970 को 3 महीने से अधिक समय से बकाया पड़े दावों में मृत्यु-दावों की संख्या 28,611 थी तथा परिपक्वता दावों की संख्या 52,504 थी।

(ख) सभी अपेक्षित दस्तावेजों के प्राप्त होने के बाद दावों का भुगतान करने में जीवन बीमा निगम को औसतन 10 दिन का समय लगता है। इस विलम्ब को और भी कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) न्यूनतम समय एक दिन से भी कम होता है क्योंकि बहुत से परिपक्वता दावे परिपक्व होने की तारीख को ही निपटा दिये जाते हैं। जीवन बीमा निगम की कोशिश होती है कि अपेक्षित दस्तावेजों के प्राप्त हो जाने के बाद सभी दावे जल्दी से जल्दी निपटा दिये जांय। विलम्ब अधिकांशत: इसलिए होता है कि पालिसीधारी अथवा दावेदार, दावों के निपटान के लिये आवश्यक दस्तावेज शीघ्र पेश नहीं करते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) निगम के क्षेत्रीय कर्मचारी दावेदारों को मिलते हैं तथा अपेक्षित दस्तावेज दाखिल करने में उनकी सहायता करते हैं।

भारत मूलक व्यक्तियों के लिये एयर इंडिया द्वारा बोनस योजना लागू करने में विलम्ब

1694. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

श्री जी० बैंकट स्वामी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेस रिलेशन्स बोर्ड आफ ब्रिटेन के विरोधों के कारण भारत मूलक के व्यक्तियों के लिये एयर इंडिया द्वारा बोनस योजना लागू करने में और अधिक विलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यात्रा को प्रोत्साहित करने वाली इस योजना को शीघ्र आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) यह योजना कब तक लागू कर दी जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना के कुछ प्रावधानों (क्लॉजेज) पर यू० के० के कानूनों तथा नीतियों के संदर्भ में पुन: विचार किया जा रहा है ।

(ग) कोई तारीख बताना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिये यू० के० के प्राधिकारियों से परामर्श करना आवश्यक होगा ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कृषकों के लिए ऋण देना

1696. **श्री हेम राज :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् अल्पावधि के आधार पर कृषकों को कृषि के लिये दिये गये ऋणों और उन ऋणों पर ली गई ब्याज की दर राज्यवार तथा संघ राज्य-क्षेत्र वार कितनी कितनी है;

(ख) कृषि के लिये सहकारी बैंकों द्वारा अल्पावधि के आधार पर दिये ऋणों की राशि तथा उन ऋणों पर ली गई ब्याज की दर राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी-कितनी है; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) में दी गई एजेंसियों द्वारा राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार राशि की कितने प्रतिशत वसूली की जा चुकी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये अल्पावधिक और मध्यावधिक दोनों प्रकार के ऋणों की बकाया रकमों की जो स्थिति जून 1969 में और जून 1970 में थी उसका तथा इसी अवधि में इन ऋणों में हुई वास्तविक वृद्धि का राज्यवार ब्यौरा सलंग्न अनुबन्ध I में दिया गया है । केवल अल्पावधिक ऋणों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

इन ऋणों पर देय ब्याज की दर प्रत्येक राज्य में अलग-अलग नहीं होती बल्कि प्रत्येक बैंक द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दर अलग-अलग होती है । यह दर आम तौर पर 9 प्रतिशत के आस पास होती है ।

(ख) 1968-69 में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा कृषि प्रयोजनों के

लिए किसानों को दिये गये अल्पावधिक ऋणों का तथा उन ऋणों पर लिये जा रहे ब्याज की दरों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न अनुबन्ध 2 में दिया गया है।

(ग) वाणिज्यक बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋणों की वसूलियों के सम्बन्ध में कोई आंकड़े इकट्ठे नहीं किये गये हैं। फिर भी, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा दिये गये ऋणों की बकाया रकमों के अनुपात में अतिदेय रकमों के प्रतिशत का 30 जून 1970 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार ब्यौरा विवरण 2 में दिया गया है।

विवरण-1

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि के लिए दिये गये ऋण

(लाख रुपयों में)

राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र	ऋणों की बकाया रकम		वृद्धि (+) कमी (−)	
	जून 1969	जून 1970		
1	2	3		4
आन्ध्र प्रदेश	5,28	22,46	+	17,18
असम	23	53	+	30
बिहार	26	3,11	+	2,85
गुजरात	5,66	24,93	+	19,27
हरियाणा	66	2,56	+	1,90
हिमाचल प्रदेश	1	7	+	6
जम्मू और कश्मीर	1	6	+	5
केरल	4,45	9,39	+	4,94
मध्य प्रदेश	74	5,42	+	4,68
महाराष्ट्र	9,63	32,71	+	23,08
मैसूर	7,88	21,52	+	13,64
उड़ीसा	11	44	+	33
पंजाब	1,56	7,47	+	5,91
राजस्थान	84	6,34	+	5,50
तमिलनाडु	9,33	25,92	+	16,59
उत्तर प्रदेश	2,15	10,83	+	8,68
पश्चिम बंगाल	3,11	6,36	+	3,25
चण्डीगढ़	4	21	+	17
दिल्ली	1,12	2,88	+	1,76
गोवा	4	28	+	24
मणिपुर	—	1	+	1
नागालैण्ड	—	1	+	1
पांडिचेरी	15	30	+	15
त्रिपुरा	—	—		—
ऐसे अन्य संघीय राज्य क्षेत्र जो बैंकों द्वारा निर्दिष्ट नहीं किए गये हैं।	35	17	—	18
जोड़	53,61	183,98	+	130,37

विवरण-2

1968-69 में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा कृषि के लिए दिये गये ऋण

राज्य / संघीय राज्य क्षेत्र	दिये गये ऋण (करोड़ रुपयों में)	ऋण की बकाया रकमों के अनुपात में अतिदेय रकमों का प्रतिशत	वार्षिक ब्याज दर
आन्ध्र प्रदेश	22.99	37	$8\frac{1}{4}$
असम	2.76	75	$9\frac{1}{2}$
बिहार	8.31	46	$8\frac{1}{4}$
गुजरात	60.51	24	$7\frac{1}{2}$
हरियाणा	10.87	24	9.37
जम्मू और कश्मीर	2.89	31	9
केरल	13.12	26	9
मध्य प्रदेश	32.71	37	9
महाराष्ट्र	87.45	39	9
मैसूर	27.37	41	8
नागालैण्ड	—	37	–
उड़ीसा	9.42	47	$9\frac{1}{2}$
पंजाब	50.18	26	9
राजस्थान	12.60	31	8-9
तमिलनाडु	37.27	29	7.8
उत्तर प्रदेश	46.37	33	$9\frac{1}{4}$
पश्चिम बंगाल	5.12	56	10
अंडमान और निकोबार	0.02	70	अप्राप्त
चण्डीगढ़	—	—	9.38
दिल्ली	0.47	5	अप्राप्त
गोवा, दमन और दीव	0.12	53	$7\frac{1}{2}$
हिमाचल प्रदेश	1.03	23	$8\frac{1}{2}$
लक्षद्वीप	*		8
मणिपुर	0.17	64	10
पांडिचेरी	0.37	34	8
त्रिपुरा	0.14	50	9
जोड़-	423.26	35	

*एक लाख रुपये से कम ।

मुख्य इंजीनियरों का सम्मेलन

1697. **श्री हेमराज :** क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1970 के अन्त में राज्यों के मुख्य इंजीनियरों (बी० एण्ड आर०) का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में कौन-कौन सी सिफारिशें की गईं थीं और सरकार ने किन सिफारिशों को स्वीकार किया है; और

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). दिल्ली में 29 तथा 31 अगस्त, 1970 को हुई मुख्य इंजीनियरों की बैठक में हुई वार्ता केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं की प्रगति तथा नियोजित लक्ष्यों को पूरा करने के लिये की गई कार्रवाई की समीक्षा से संबंधित थी । बैठक में निकाले गये निष्कर्ष/की गई सिफारिशों तथा उनको कार्यान्वित करने की स्थिति निम्न प्रकार है :

निष्कर्ष/सिफारिशें

1–**खर्च की प्रगति :** महसूस किया गया था कि कार्य की धीमी गति निम्नलिखित कारणों से रही :

(1) परियोजनाओं की तैयारी तथा कार्य करने के लिये अपर्याप्त संगठन,

(2) कार्यों को तेज गति से पूरा करने के लिये संपूर्ण जानकारी तथा अनुमान संबंधी आंकड़ों का अभाव,

(3) स्वीकृत अनुमानों पर अधिकता पास करने के संबंध में अधिक प्रत्यायोजित शक्तियों की आवश्यकता ।

2- **अनुमान :** यह पता लगा कि अनुमानों की प्रस्तुत करने की प्रगति अपेक्षित स्तर की न थी तथा कई मामलों में पूर्ण ब्यौरा भी उपलब्ध न था । यह भी महसूस किया गया कि समस्याओं का हल हो सकता था यदि—

(1) जांच के लिए संघठनों विस्तृत इंजीनियरों तथा परियोजनाओं की तैयारी को सुदृढ़ किया जाता ।

(2) अग्रिम योजनाओं के लिये अलग कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती और

(3) अनुमान वास्तविकता के अनुसार तैयार किये जाते तथा आवश्यक जानकारी पूरे विवरण सहित की जाती है ।

3—**चौथी योजना के लिये सड़क निर्माण मशीनरी की आवश्यकता ।**

यांत्रिक उपस्करण वाले कार्यों के शीघ्र पूरा करने के लिये राज्य के मुख्य इंजीनियरों को कहा गया कि :

(क) आवश्यक मशीनरी की वास्तविक समीक्षा तुरन्त की जाये तथा सड़क पक्ष विभाग की आवश्यकताओं के बारे में बताया जाये ताकि वे तुरन्त इसकी जांच कर सकें तथा फ़ालतू मशीनरी को पुनः वितरण करने के लिये तथा जहां आवश्यक हो नई मशीनरी खरीद करने की संभावनाओं की जांच करके आवश्यक कार्यवाई की जाये तथा

(ख) राज्यनिधि से विशेष उपस्करों की खरीद की संभावनाओं पर विचार किया जाये ताकि कार्यों से क्रम वसूल करके लागत पूरी की जा सके।

4—किलोमीटर पत्थरों पर खुदवाने की लिपि तथा चिन्ह पट और सड़क पक्ष द्वारा निर्धारित भागों/खंडों के लिये प्रारंभिक तथा गंतव्य स्थानों का परिपालन।

यह पता लगा कि लिपि, आकार और रंगाई ढंग तथा कि० मी० पत्थरों के लिये आरम्भ और गंतव्य स्थानों के संबंध के बहुत सी त्रुटियां हैं जिससे सड़क यात्रियों को बड़ी कठिनाइयां हुईं। यह सहमति व्यक्त की गई कि राज्य के मुख्य इंजीनियर दिसम्बर, 1970 में मदरास में होने वाली अगली बैठक से पहले सब त्रुटियों को पूरा करने के कार्य को पूर्ण करेंगे तथा उस बैठक में प्रगति रिपोर्ट देगें।

की गई कार्यवाही :

ये सिफारिशें राज्य सरकारों को सूचित कर दी गई, जो कि कार्यकारी अभिकरण है। अपनी ओर से भारत सरकार उपरोक्त (1) (i) और (3) तथा 2 (i) और (2) के संबंध में निम्नलिखित संभावनाओं की सक्रिय रूप से जांच कर रही है।

(क) सिव्वन्दी के लिये, जांच के लिये, परियोजना तैयार करने आदि के लिये एजेंसी प्रभार के स्वीकृत कार्य के लिये कुछ धनराशि राज्य सार्वजनिक कार्य विभागों को अग्रिम अदायगी के रूप में व्यवस्था करना।

(ख) संशोधित अनुमान के बिना प्रस्तुत किये अधिक खर्चों को स्वीकार करने के लिये वर्तमान नियमों को उदार करना।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा औद्योगिक वित्त निगम के पास उपलब्ध अतिरिक्त संसाधनों की मात्रा के बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा किया गया मूल्यांकन

1698. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर सरकारी परियोजनाओं के वित्तीय पोषण के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा औद्योगिक वित्त निगम के पास उपलब्ध अतिरिक्त संसाधनों की मात्रा को रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा एक मूल्यांकन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में 'आय' और 'बचत' विषयक एक कार्यकारी दल का गठन किया है। यह दल अभी अपना कार्य कर रहा है। जब कार्यकारी दल की रिपोर्ट अन्तिम रूप से तैयार हो जायगी

तो उससे अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की स्थूल रूप से जानकारी मिल सकेगी कि चौथी आयोजना में वित्तीय संस्थाओं के पास क्या-क्या साधन उपलब्ध होंगे और वे अपनी निधियों का उपयोग किस प्रकार करना चाहेंगे, इस उपयोग में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को दी जाने वाली सहायता भी शामिल होगी ।

तथापि वित्तीय संस्थाओं के लिए पहले से किसी अंश तक सही-सही यह बताना सम्भव नहीं है कि किसी निश्चित अवधि में वे किसी औद्योगिक परियोजना को कुल कितनी सहायता देंगे । सहायता की मंजूरी और उसका वितरण विभिन्न बातों पर निर्भर रहता है, जैसे सहायता के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या, जिन परियोजनाओं को सहायता दी जानी है उनका आकार, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति, अन्य वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाली सहायता की मात्रा, आदि ।

इसके अतिरिक्त यद्यपि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय वित्त निगम सरकारी क्षेत्र के समवाय के रूप में निगमित उपक्रमों से सहायता के लिए आवेदन-पत्र तो उसी आधार पर लेंगे जैसा कि निजी क्षेत्र की पार्टियों से लिये जाते हैं लेकिन इन संस्थाओं के लिए, सरकारी और निजी क्षेत्रों के बीच साधनों का बटवारा पहले से ही निश्चित कर देना सम्भव नहीं है । वे तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि यथा संभव अधिक से अधिक साधन जुटाने और उनसे सरकारी और निजी क्षेत्रों में सहायता की मांग करने वाली सभी सक्षम और सुपात्र औद्योगिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का पूरा-पूरा प्रयत्न करें ।

स्टेट बैंक आफ इन्डिया की शिमला स्थित शाखा को धोखा दिया जाना

1699. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इन्डिया की शिमला स्थिति शाखा को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 48,000 रुपयों का धोखा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे धोखों के विरुद्ध सुरक्षा करने के लिये सरकार का क्या उपाय अपनाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार स्टेट बैंक आफ पटियाला की सानसा शाखा ने 13 अगस्त, 1970 को चार रुपये का एक ड्राफ्ट जारी किया था जो स्टेट बैंक आफ इन्डिया, नयी दिल्ली के स्थानीय मुख्य कार्यालय द्वारा देय था । ऐसा मालूम होता है कि ड्राफ्ट और तत्सम्बन्धी ड्राफ्ट-सूचना में तारीख रकम, प्राप्तकर्त्ता के नाम और चुकाने वाले कार्यालय के नाम में छल पूर्वक परिवर्तन किये गये थे ।

यह ड्राफ्ट स्टेट बैंक आफ इन्डिया की शिमला शाखा में 18 सितम्बर, 1970 को, 48,000 रुपये पर भुनाया गया । तत्सम्बन्धी ड्राफ्ट सूचना के आधार पर नकद रकम अदा कर दी गई । प्राप्तकर्त्ता की पहचान उसके हस्ताक्षर के उस प्रतिरूप से की गई जो कुछ दिन पहले, मामूली सी रकम से बचत बैंक खाता खोलते समय, शाखा कार्यालय में रिकार्ड किया गया था । खाता खोलने के फार्म में दर्ज किया गया उसका पता फर्जी मालूम होता है। रिजर्व बैंक के केन्द्रीय लेखा कार्यालय को इस अनियमितता का पता उस समय लगा जब चुकाया गया ड्राफ्ट स्टेट बैंक की शिमला शाखा से सामान्य रूप से उसके पास पहुंचा । स्टेट बैंक आफ इन्डिया की शिमला शाखा ने यह मामला पुलिस में दर्ज करा दिया है ।

श्री रामनाथ गोयनका तथा उनकी फर्मों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

1700. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री रामनाथ गोयनका तथा उनके नियंत्रणाधीन फर्मों के विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इन आरोपों की जांच करने में कितनी प्रगति की है ;

(ग) जांच कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत किये गये प्राथमिक प्रतिवेदन के आधार पर श्री गोयनका तथा उसकी फर्मों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क). नेशनल कम्पनी लिमिटेड तथा अन्य कम्पनियों जिनके साथ इस कम्पनी के सम्पर्क हैं, की लेखा बहियों की परीक्षा के आधार पर कम्पनी कार्य विभाग के एक अवर सचिव ने, श्री आर० एन० गोयनका तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच विभाग के पास एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई थी। केन्द्रीय जांच विभाग ने, भा० दं० सं० की धारा 409, 477-क के साथ पठित धारा 120-ख तथा धारा 409, 477-क के अन्तर्गत अपराध के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की थी व जांच प्रारम्भ कर दी।

(ख) से (ङ). श्री आर० एन० गोयइन्का ने, कलकत्ता उच्च न्यायालय में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत एक याचिका दायर कर दी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कथित याचिका के अनिर्णित रहने तक जांच-पड़ताल से सम्बन्धित सब कार्यवाहियों को स्थगित कर दिया। यह विषय अभी तक उच्च न्यायालय के समक्ष अनिर्णित है।

दिल्ली में आयकर विभाग में स्थानांतरण

1701. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के आयकर विभाग के कर्मचारियों में दूसरे विभागों से दिल्ली के आयकर विभाग में अधिकारियों (श्रेणी द्वितीय)के स्थानांतरण पर बहुत असंतोष है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ कर्मचारियों ने एक पक्षीय स्थानांतरणों पर सरकार को विरोध प्रकट किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). श्रेणी II के आयकर अधिकारियों के अन्य कार्यक्षेत्रों से दिल्ली कार्यक्षेत्र में स्थानांतरण किये जाने पर ऐसे स्थानांतरणों के खिलाफ समय-समय पर अभ्यावेदन हुए हैं। ये स्थानांतरण एकतरफा नहीं हैं, तथा दिल्ली कार्य-क्षेत्र के बाहर भी श्रेणी द्वितीय के आयकर अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है।

(ग) कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई क्योंकि इस प्रकार के स्थानान्तरण केवल तब ही किये जाते हैं जब ऐसा करना प्रशासनिक दृष्टि से वांछनीय होता है।

Meeting of National Board of School Text-books held in May, 1970

1702. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether a meeting of National Board of School Textbooks was held in May, 1970 in which Educational Ministers of the various States participated ;

(b) if so, the decisions taken thereof ; and

(c) whether it was also decided that communal based literature should not be taught in the schools ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) A summary of recommendations made by the Board at the second meeting is enclosed.

(c) The Board welcomed the Union Education Minister's proposal for a crash programme to review school textbooks with a view to finding out passages which encouraged one or more of the following :

(i) Untouchability
(ii) Casteism
(iii) Communalism
(iv) Religious intolerance
(v) Linguism
(vi) Regionalism

The review which will be sabmitted to the State Governments may indicate the need to delete, modify or add to the material with a view to improving the content of school textbooks from the stand-point of attitudes to be built into textbooks and the need to emphasize the idea of national identity.

Statement

Summary of Recommendations

I. The Board welcomed the proposal of launching a crash programme of evaluating school textbooks as proposed by Ministry of Education and Youth Services.

II. The Board recommended that modern management techniques in the production of textbooks should be introduced.

III. The Board considered the proposal for exchanging books in minority languages. Most of the States are producing such books with common syllabus or those reasonably similar

with those of neighbouring States. It was, therefore, recommended that a status study be made by investigating relevant issues, such as the number and nature of minority language groups in each State and how textbooks are provided in the minority languages. A paper prepared on the basis of this study may be placed before the next meeting of the Board.

IV. With the increasing enrolment at the primary and secondary stages of education every year, the problem of procurement of paper for textbooks and notebooks is becoming quite acute. The enrolment is likely to continue to increase in the coming years and hence more and more paper would be necessary. The Board, therefore, recommended that up-to-date estimates of the need for paper for nationalised textbooks and that for notebooks, etc., may be obtained from the states. They may be requested to work out projections of their paper requirement for textbooks, notebooks, etc. for the next 5 years.

Construction of Bridge over Ganga Near Ghazipur (Uttar Pradesh)

1703. **Shri Sarjoo Pandey**: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the stage at which the matter at present stands in regard to the scheme of constructing a bridge over the Ganga river in Ghazipur (Uttar Pradesh) which was under the consideration of Government;

(b) whether the necessary survey has been conducted in this regard; and

(c) whether a copy of the report thereof would be laid on the Table of the House?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh): (a) to (c). The proposed bridge over Ganga near Ghazipur (Uttar Pradesh), when constructed, would fall on a State Road. The Government of Uttar Pradesh are, therefore primarily concerned with its construction. It is understood that no scheme for construction of the proposed bridge is under consideration of the Government of Uttar Pradesh for want of funds and no survey in this regard has also been conducted.

दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा-शर्तें

1704. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के गैर-अध्यापन कर्मचारी संघ ने अपनी सेवा-शर्तों में कुछ सुधार करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क). दिल्ली विश्वविद्यालय तथा कालेज कर्मचारी संघ ने निम्नलिखित मांगें की हैं ;

(1) पेंशन भविष्य निधि उपदान योजना का कार्यान्वयन ।

(2) अच्छी सेवा-शर्तें ।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दो नवीन निवृत्ति-लाभ योजनाओं को लागू करने के लिये सरकार ने पहले ही मान लिया है अर्थात् (1) सामान्य भविष्य निधि व पेंशन व उपदान, और (2) अंशदायी भविष्य-निधि व उपदान । इन योजनाओं

के विस्तृत नियम बना लिए गये थे और विश्वविद्यालय को अपनाने के लिए भेज दिये गये थे। नवीन योजनाओं को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय ने कानून बना लिया है। कुलाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले कानून की जांच हो रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के गैर-सरकारी कालेजों के कर्मचारियों जिन्हें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त होता है, के लिये निवृत्ति-लाभ संबंधी नियम भी विचाराधीन हैं।

जहां तक अच्छी सेवा-शर्तों की मांग का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय ने इस सम्बन्ध में पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कालेजों में अनुसूचित जातियों के प्राध्यापक

1705. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कालेजों में प्राध्यापक और अन्य शिक्षक कर्मचारियों के कितने पदों को भरा गया ;

(ख) उनमें अनुसूचित जाति के कितने व्यक्तियों को लिया गया ; और

(ग) क्या इस बारे में गृह मन्त्रालय द्वारा दिये गये अनुदेश का पालन किया जाता है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा कम आय वाले अन्य दूसरे लोगों को दिये गये ऋण

1706. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** :

श्री अब्दुल गनी दार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा कम आय वाले अन्य दूसरे लोगों को दिये गये ऋणों की कुल राशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) चूंकि बैंकों द्वारा न तो ऋण कर्ताओं की जातियों के आधार पर और न ही उनकी आय के अनुसार आंकड़े रखे जाते हैं इसलिये जिस रूप में सूचना मांगी गयी है उस रूप में उसे देना सम्भव नहीं है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित स्थान

1707. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए

सुरक्षित स्थान रखे जाने के बारे मे गृह मंत्रालय द्वारा दिये गये अनुदेशों को क्रियान्वित कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष विभिन्न ग्रेडों में अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जन-जातियों के कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई ; और

(ग) यदि इसके लिये अपेक्षित प्रतिशतता को पूरा नहीं किया गया तो उसके क्या कारण हैं और इसको पूरा करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) श्रेणी I	—
(ग) श्रेणी II	6
श्रेणी III	48
श्रेणी IV	114

(ग) क्योंकि कुछ मामलों में उपयुक्त एवं अर्हता-प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे, रिक्तियों को—जैसा कि नियमानुसार अपेक्षित है—आगे ले जाया गया ।

छात्रों द्वारा हिंसा और उनका नक्सलवादी बनना

1708. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में विशेषतया पश्चिम बंगाल में छात्र हिंसा और उनके नक्सलवादी बनने के बारे में 5 सितम्बर, 1970 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित पश्चिम बंगाल के तीन विश्वविद्यालयों के उप-कुल-पतियों को प्रेस में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) 4सितम्बर को कलकत्ता विश्वविद्यालय, कल्याणी विश्वविद्यालय तथा विश्व भारती के कुलपतियों के साथ पत्रकार सम्मेलन की रिपोर्टें कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। राज्य सरकार से ब्योरे देने के लिये अनुरोध किया गया है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है। तथापि, यह सूचित किया जा सकता है कि विश्वविद्यालय के भावी विकास के लिये कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया गया है। विश्वविद्यालय के विकास की समस्याओं के सभी पहलुओं की जांच के लिये आयोग ने एक समिति की स्थापना करने का निर्णय किया है ।

जीवन बीमा निगम के सामान्य बीमे और ओरियन्टल फायर को एक साथ मिलाना

1709. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम का सामान्य बीमा सम्बन्धी कार्य निष्पादन असन्तोषजनक रहा है और सरकार का विचार जीवन बीमा निगम के सामान्य बीमे और ओरियन्टल फायर को एक साथ मिलाने का है ;

(ख) यदि हां, तो सामान्य बीमे में जीवन बीमा निगम के असन्तोषप्रद कार्य निष्पादन के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने सामान्य बीमे तथा ओरियन्टल फायर को एक साथ मिलाने के लिये कोई निर्णय कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सामान्य बीमा क्षेत्र में जीवन बीमा निगम का कार्य निराशाजनक नहीं रहा है।

(ख) से (घ). जीवन बीमा निगम ने 1964 में सामान्य बीमा कारोबार करना 1964 में शुरू किया था। इस सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम की सकल प्रीमियम आय के ब्योरे निम्न-लिखित तालिका में दिये गये हैं।

(करोड़ रुपयों में)

	1965-66	प्रतिशत	1966-67	प्रतिशत	1967-68	प्रतिशत	1968-69	प्रतिशत	1969-70	प्रतिशत
खुला बाजार	0.65	25	0.99	14	1.03	8	1.19	7	1.16	6
प्रतिबंधित खाता	0.35	14	0.79	11	1.27	10	1.66	10	1.64	9
सरकारी क्षेत्र	1.57	61	5.22	75	10.32	82	13.35	83	15.13	85
योग	2.57		7.00		12.62		16.20		17.93	

उक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि सरकारी क्षेत्र के साथ जीवन बीमा निगम के सामान्य बीमा कारोबार से अर्जित सकल प्रीमियम आय में उत्तरोत्तर वृद्धि होकर 61 प्रतिशत से 85 प्रतिशत हो गई है जब कि खुले बाजार का कारोबार तथा प्रतिबंधित कारोबार अब केवल क्रमशः 6 प्रतिशत तथा 9 प्रतिशत रह गया है। मोरारका समिति ने भी, यद्यपि एक अन्य प्रसंग में, यह सिफारिश की थी कि जीवन बीमा निगम को अपने क्रियाकलाप जीवन बीमा कारोबार तक सीमित रखने चाहिएं। इसलिए जीवन बीमा निगम ने खुले बाजार कारोबार को बन्द करने और अपने प्रतिबंधित कारोबार को अपनी आनुषंगिक कम्पनी, दि ओरिएण्टल फायर एण्ड इंश्योरेंस कम्पनी को अन्तरित करने का सुझाव दिया है।

यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

गोविन्द बल्लभ पन्त पोलीटेकनिक के छात्रों की छात्रवृत्तियां पुनः प्रदान करना

1710. **श्री निहाल सिंह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री 21 अगस्त, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 563 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोविन्द बल्लभ पन्त पोलीटेकनिक को कोई अनुदेश जारी किये गये हैं कि ऐसी छात्रवृत्तियां योग्य छात्रों को पुनः प्रदान की जाएं जो उन छात्रों को नहीं दी जाती हैं जो बाद में परीक्षाओं में अपनी योग्यता को बनाये रखने में असफल रहते हैं ;

(ख) क्या यह संस्था चालू वर्ष में उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है ; और

(ग) क्या नियमों को गलत ढंग से समझने या विद्यार्थियों के हित के विरुद्ध व्याख्या करने के लिये जिसके परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों से योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां पुनः प्रदान नहीं की गईं, किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां, इस सम्बन्ध में पालीटेकनिक के सभी प्रधानाचार्यों को 30-8-1969 को अनुदेश भेज दिये गये थे ।

(ख) पालीटेकनिक इन कार्यविधियों का पालन कर रहा है । अविलम्ब भुगतान के लिये इसको अनुदेश जारी कर दिये गये हैं ।

(ग) क्योंकि किसी व्यक्ति की त्रुटि नहीं थी अतः किसी को जिम्मेदार ठहराने का प्रश्न नहीं उठता ।

Non-Checking of M. A. Answer Books in Hindi by Delhi University

1711. **Shri Ram Sewak Yadav**: Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the answer books of a student of M. A. (History) in the University of Delhi, were not checked as he answered the questions in Hindi;

(b) if so, whether it is also a fact that the aforesaid student had answered the questions in Hindi in the B. A. Examination and his answer books had been checked;

(c) if so, the reason for changing the policy in the M. A. Examination; and

(d) whether it is also a fact that the aforesaid student has been rusticated from the University for three years?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao):(a) it is a fact that the M. A. (Previous) Examination in History taken by two candidates in April, 1970 was cancelled in view of the fact that they did not write their answers in the medium prescribed by the University for M. A. Course.

(b) It is also a fact that these two students had offered to answer their questions in Hindi in B. A. (Hons.) Examination in History asoption was available to the students to write their answers either in English or Hindi in the B. A. (Hons.) Examination in History.

(c) The option to write in Hindi medium is not available in M. A. Course in History and the question of change in policy for the M. A. Examination does not, therefore, arise.

(d) One of these two students was rusticated from the University for a period of three years on disciplinary grounds. However, the rustiction orders have since been revised and he has been permitted to attend classes and appear at the examination.

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम का राजस्थान के छात्रों को पाठों की प्रतियां सप्लाई करने की प्रक्रिया

1712. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम के राजस्थान के 700 छात्रों की एसोसियेशन ने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों का विलम्ब से अध्याय भेजने और छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में विलम्ब पर असंतोष व्यक्त किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि छात्रों को उनके अध्याय समय पर नहीं मिल रहे हैं और बहुत से त्रि-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के छात्रों को अभी तक उनके अध्याय की अभ्यास पुस्तिकाएं नहीं मिली हैं जब उसी पाठ्यक्रम के दिल्ली के छात्रों को 24 अध्याय मिल चुके हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या समस्त मामले की जांच कर ली गई है और यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने हेतु कि राजस्थान के छात्रों को अध्याय की अभ्यास पुस्तिकाएं देने की ओर उन्हें जांच करके भेजने की विद्यमान प्रक्रिया से कोई हानि न हो, क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम के राजस्थान के 700 छात्रों की एसोशियेशन से ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें उसने असन्तोष व्यक्त किया हो, और यह भी ठीक नहीं है कि पाठों को भेजने के मामले में, पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल द्वारा राजस्थान क्षेत्र की उपेक्षा की गई हो । दिल्ली में और दिल्ली से बाहर रहने वाले छात्रों को सभी पाठ एक साथ डाक से भेजे जाते हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

एक स्वतन्त्र पर्यटन अधिकरण की स्थापना

1713. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री जनार्दनन :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा एक स्वतंत्र पर्यटन अधिकरण की स्थापना के लिये कुछ सिफारिशें की गयी हैं, यदि हां, तो सिफारिशों की विस्तृत रूप-रेखा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने उन सिफारिशों पर कोई निर्णय कर लिया है, यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस बारे में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। भारतीय लोक प्रशासन संस्था ने अनेक सिफारिशें की हैं, जिनमें परिचालन को सुगमतर के उद्देश्य से भारत पर्यटन प्राधिकरण का निर्माण, मार्केटिंग की ओर आधुनिक दृष्टिकोण, तथा कुशल प्रबंधकीय कार्यप्रणालियों का विकास करने की दृष्टि से अधिक योग्य कर्मचारी-वर्ग की नियुक्ति सम्मिलित हैं।

(ख) और (ग). सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के लिये अधिक वित्तीय सहायता की मांग

1714. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अधिक वित्तीय सहायता की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो किस-किस कार्य के लिये कितनी सहायता राशि मांगी गई है ; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश की सरकार ने, सड़कों और पुलों, सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण, भूमि को कृषि योग्य बनाने और शहरी इलाकों के विकास जैसी योजनाओं के परिव्यय में वृद्धि करने के प्रयोजन से अपनी चौथी पंचवर्षीय आयोजना के लिये 181 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की है। हाल ही में, राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अध्यापकों को अन्तरिम सहायता देने पर उसके द्वारा किये जाने वाले प्रस्ताविक व्यय और कुछ करों को समाप्त कर देने से होने वाली हानि को पूरा करने के लिये 52 करोड़ रुपये वार्षिक की विशेष सहायता दिये जाने के लिये भी कहा है।

(ग) राज्य की आयोजना में शामिल विकास योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्धारित सौटियों के अनुसार दी जाती है। राज्यों की आयोजनाओं के लिये उपलब्ध केन्द्रीय सहायता की समूची राशि विभिन्न राज्यों में वितरित की जा चुकी है और इन योजनाओं के लिये अतिरिक्त धन प्रदान करना सम्भव नहीं है। जहां तक विशेष सहायता का प्रश्न है, यह सुविधा केवल उन राज्यों को दी जा रही है, जिनके साधन चौथी आयोजना की अवधि में योजना आयोग के मूल्यांकन के अनुसार, अपरिहार्य रूप से कम पड़ जाएंगे। चूंकि इस मूल्यांकन के अनुसार उत्तर प्रदेश के साधनों में इस प्रकार की कोई कमी नहीं है इसलिये कोई विशेष सहायता प्रदान करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में निदेशक तथा उप-निदेशक के पदों पर नियुक्तियां

1715. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में निदेशक का पद गत दो वर्षों से और उपनिदेशक का पद एक वर्ष से रिक्त पड़ा है ; यदि हां, तो उक्त पदों पर नियुक्तियां करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में जिस व्यक्ति को उक्त पद के लिये चुना है, उसका नाम तथा अर्हताएं क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने इस निदेशक के चयन को स्वीकार नहीं किया है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ; और संघ लोक सेवा आयोग इस पद के लिये दूसरे व्यक्ति का चयन कब तक करेगा और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). जी हां। दुर्भाग्य से यह तथ्य है कि राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में जनवरी, 1969 से कोई सहायता निदेशक नहीं है। यह मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय में निदेशक की नियुक्ति

1716. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिना विज्ञापन किये तथा संघ लोक सेवा आयोग को चयन करने की अनुमति दिये बिना ही उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय के लिए निदेशक की नियुक्ति की है;

(ख) नियुक्ति की शर्तें क्या हैं और नये निदेशक का नाम क्या है ;

(ग) क्या खोसला समिति ने नये निदेशक की कटु आलोचना की थी ; और

(घ) इस नियुक्ति के किये जाने के कारण क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के स्थायी अधिकारी तथा राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के भूतपूर्व पुस्ताध्यक्ष श्री डी० आर० कालिया को केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय में विशेषाधिकारी के रूप में 18 सितम्बर 1970 से 1800-100-2000 रुपए के वेतन-मान में नियुक्ति किया गया है। उनकी नियुक्ति खोसला समिति की सिफारिशों के अनुसार ही की गई है। यह नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) अधिनियम 1958 के अन्तर्गत आती है, क्योंकि इस पद को इसके भरे जाने की तारीख से छः महीनें की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है।

विद्यासागर साहित्यिक संस्थान की स्थापना

1717. **श्री देवेन सेन :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की विद्यासागर मेमोरियल नेशनल कमटी ने साहित्य-सेवियों को प्रशिक्षण देने तथा उनके लिए मार्ग-दर्शन-कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले विद्यासागर साहित्यिक संस्थान की स्थापना का एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उक्त प्रस्ताव के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) विद्यासागर राष्ट्रीय स्मारक समिति से सरकार को प्राप्त अनेक प्रस्तावों में से कार्यात्मक साक्षरता तथा सार्वजनिक साक्षरता और कबीलों तथा महिलाओं संबंधी समस्याओं पर अनुसंधान करने के केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए, विद्यासागर के घर के निकट, एक भूखण्ड पर विद्यासागर साक्षरता भवन निर्माण करने का प्रस्ताव भी था।

(ख) विद्यासागर राष्ट्रीय स्मारक समिति को वयस्क साक्षरता के एक ऐसे विद्यासागर केन्द्र को स्थापित करने हेतु कार्यक्रम के ब्यौरे तैयार करने की सलाह दी गई थी, जो अन्य बातों के साथ-साथ साक्षरता कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण दे सके, विभिन्न प्रकार के अनुस्थापन कार्यक्रमों का आयोजन कर सकें और पठन सामग्री तैयार कर सकें आदि-आदि भारत सरकार उक्त कार्यक्रम पर विचार करेगी। समिति से ब्योरेवार कार्यक्रम की प्रतीक्षा है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती सम्बन्धी नीति

1718. **श्री देवेन सेन :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में राष्ट्रीयकरण के पश्चात नियुक्तियों के सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई जाती है ;

(ख) क्या सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती के ढंग के बारे में जनता में व्याप्त असंतोष का पता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती की एक रूप नीति बनाने का है अथवा राज्य, केन्द्रीय तथा रेलवे सेवा आयोगों के ढंग पर बैंक सेवा आयोग स्थापित करने का सरकार का विचार है जो सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में नियुक्तियों, पद्दोनतियों एवं कर्मचारियों में अनुशासन के मामलों में कार्य करेगा ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जब तक बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 के अन्तर्गत विनियम

तैयार नहीं कर लिए जाते तब तक जैसी कि कानूनी व्यवस्था है, तब तक प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक अपने प्रथम निदेशक मंडल के मार्ग दर्शन में, राष्ट्रीयकरण से पूर्व विद्यमान नियमों के अनुसार विभिन्न कोटि के बैंक कर्मचारियों की भर्ती करता रहेगा।

(ख) सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं। किन्तु ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे यह पता चले कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद उनमें कर्मचारियों की भर्ती के तरीके के सम्बन्ध में जनता में किसी प्रकार का असन्तोष है।

(ग) और (घ) . 22 जुलाई 1970 को राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों के समक्ष भाषण करते हुए वित्त मंत्री ने यह कहा था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए यह हितकर रहेगा कि वे बैंकों में भर्ती और प्रशिक्षण के लिए कुछ सामान्य व्यवस्था कर ले। राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक जैसे नियम तथा मानक तो वर्तमान विनियमों में समाचित संशोधन करने के बाद ही निर्धारित किए जा सकते हैं। यह उचित होगा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत तैयार की गयी योजना, जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर पहले ही रखी जा चुकी है, के अनुसार जिन निदेशक मंडलों का गठन किया जायगा, वे ही इस महत्वपूर्ण मामले पर विचार करें।

विदेश यात्रा नियमों में उदारता के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा के गिरोहों का उद्भव

1719. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'पी फोर्म नियमों की उदारता से विदेश यात्रा की जो वृद्धि हुई है उसके साथ ही विदेशी मुद्रा के गिरोहों में भी वृद्धि हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बुराई को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं। चूंकि लोग ऐसे लेन-देन विभिन्न कारणों से करते हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यात्रा सम्बन्धी विनियमों को उदार बनाये जाने जैसे किसी एक कारण से वे ऐसे बहुत अधिक लेन-देन करते हैं।

(ख) प्रवर्तन निदेशालय को विनियमों के उल्लघंन के जिन मामलों का पता चलता है, उनके बारे में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सन्तान शिक्षण भत्ता

1720. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को इस समय मिल रहे सन्तान शिक्षण भत्ते में वृद्धि का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इससे विभिन्न राज्यों की राजधानियों में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते हैं ।

केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अतिरिक्त अन्तरिम सहायता का दिया जाना

1722. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त अंतरिम सहायता देने का प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पहले से स्वीकृत अथवा स्वीकृत की जाने वाली अंतरिम सहायता के अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को किस रूप में सहायता दी जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). यह प्रश्न नहीं उठता ।

अशोका होटल के कर्मचारियों को सेवा-शुल्क का भुगतान

1723. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोका होटल, नई दिल्ली के कर्मचारियों को सेवा-शुल्क का भुगतान न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) सेवा-शुल्क के बारे में अशोका होटल के कर्मचारियों की विशेष मांगें क्या हैं ;

(ग) कर्मचारियों की मांग को पूरा करने में असाधारण विलम्ब करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) अशोका होटल के कर्मचारियों की सेवा-शुल्क अन्तिम रूप से कब तक दिया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) : जैसे कि दिल्ली के होटलों और रेस्टोरेंटों के लिये वेज बोर्ड ने सिफारिश की थी सेवा-प्रभारों के स्थान पर मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है ।

(ख) कर्मचारियों ने मांग की है कि, वेज बोर्ड की सिफारिशों के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप, कर्मचारियों के वेतन का हिसाब लगाते समय सेवा-प्रभारों की परिवर्तनशील राशि को, जिसका कि 11-7-1967 से 30-4-1969 तक की अवधि के दौरान उगाहियों (कलेक्शन्स) में से भुगतान किया जाता था और जिसे 'तदर्थ सेवा-प्रभार' का नाम दिया जाता था, गिनती में नहीं लिया जाना चाहिये ।

(ग) उस मांग को प्रबंधक वर्ग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, अत: इसे कई अन्य मांगों के साथ अदालती निर्णय के लिये निर्दिष्ट कर दिया गया । ये मांगें बाद में वापस ले ली गयीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के हायर सेकेन्डरी स्कूलों के प्रिंसिपलों तथा वाइस प्रिंसिपलों के चयन का तरीका

1724. **श्री शशि भूषण** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के हायर सेकेन्डरी स्कूलों के प्रिंसिपलों तथा वाइस प्रिंसिपलों के पदों के लिए चयन किस तरीके से किया जाता है ;

(ख) क्या 1 जुलाई, 1970 को दिल्ली नगर निगम के द्वारा दिल्ली प्रशासन को स्कूलों का प्रबन्ध सौंपे जाने पर स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापकों के लिए इन पदों में से कुछ पद आरक्षित करने का प्रस्ताव है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन को इस प्रकार स्थानान्तरित अध्यापकों को नई नियुक्ति पर लिया जा रहा है जबकि ये अध्यापक दिल्ली नगर निगम में स्थायी हैं तथा 1958 में नगर निगम में स्थानान्तर से पूर्व दिल्ली प्रशासन में भी स्थायी थे ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार विचार इनकी वरिष्ठता किस प्रकार निश्चित करने का है तथा उनकी शिकायतों को किस प्रकार दूर करने का है जिससे उनके साथ न्याय हो सके ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) (क) से (घ). अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से मांगी गयी है और यथाशीघ्र सभापटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली तथा नई दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देना

1725. **श्री शशि भूषण** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री दिल्ली तथा नई दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के बारे में, 15 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9793 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा अपेक्षित जानकारी एकत्र करने में और कितना समय लगेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4343/70]**

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में सोने का तस्कर व्यापार

1726. **श्री शशि भूषण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में बड़े पैमाने पर सोने का तस्कर व्यापार चल रहा है और इस प्रकार के अधिकांश सोने पर ब्रिटेन की मुहर लगी है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि दूबई में ब्रिटेन की बीमा कम्पनियां इस प्रकार के सोने को सुरक्षित रूप से पहुंचा देने के लिये बीमा करती हैं ;

(ग) क्या भारत में भी इन बीमा कम्पनियों की शाखायें हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा सरकार का ब्रिटेन की बीमा कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जो इस प्रकार देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने का प्रयत्न कर रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को पता है कि भारत में चोरी छिपे सोना लाया जाता है। परन्तु, देश में चोरी छिपे लाये गये सोने की मात्रा का अनुमान लगा सकना सम्भव नहीं है। सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गये सोने पर आमतौर पर ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड तथा फ्रांस के परिशोधकों के मार्के होते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ). ये प्रश्न नहीं उठते हैं।

सिंधिया इन्वेस्टमेंट कम्पनी द्वारा कृष्णराम बलदेव बैंक में लगाई गई पूंजी

1727. **श्री शशि भूषण :** क्या **समवाय-कार्य** मंत्री सिंधिया इन्वेस्टमेंट कम्पनी द्वारा कृष्णराम बल्देव बैंक में लगाई गई पूंजी के बारे में 4 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1213 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और अपेक्षित जानकारी एकत्र करने में और कितना समय लगेगा ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) सिन्धिया इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के 31-12-69 के तुलन पत्र के अनुसार, यह प्रतीत हुआ है कि इस कम्पनी के, अपनी सहायक कम्पनी कृष्णराम बल्देव बैंक लिमिटेड में, 50 रु० प्रति हिस्सा प्रदत्त, 100 रु० की दर के 49,889 इक्विटी हिस्से हैं। कम्पनी ने स्पष्ट किया है कि इसने, अपने कृष्ण बल्देव बैंक लिमिटेड के हिस्सों की गारन्टी पर कोई नियोजन नहीं किये हैं।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

सिंधिया इन्वेस्टमेंट कम्पनी और कृष्णराम बल्देव बैंक आफ ग्वालियर के बीच सम्बन्ध

1728. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी अपना अलग से बैंक खोल सकती है या साझीदार कम्पनी के रूप में वह किसी बैंक के 99 प्रतिशत शेयर अपने अधिकार में कर सकती है ;

(ख) यदि हां, तो सिंधिया इन्वेस्टमेंट कम्पनी और कृष्णराम बल्देव बैंक आफ ग्वालियर के बीच किस प्रकार के सम्बन्ध है और उक्त बैंक में सिंधिया इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का क्या आर्थिक हित है ; और

(ग) इस स्थिति के नियमित करने के लिये रिजर्व बैंक द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) किसी प्राइवेट कम्पनी के लिये, किसी बैंकिंग कम्पनी पर पूरी तौर से अथवा उसके अधिकांश शेयर धारण करके उस पर सहायक कम्पनी के रूप में नियन्त्रण रखना कानूनी तौर पर वर्जित नहीं है ।

(ख) सिन्धिया इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास, जो कि श्री माधवराव सिन्धिया की एक पारिवारिक कम्पनी है, कृष्णराम बल्देव बैंक के 24.92 लाख रुपये के अंकित मूल्य के 49,838 शेयर हैं, जो कि इस बैंक की 25 लाख रुपये की कुल चुकता पूंजी का लगभग 99.7 प्रतिशत भाग है । इस प्रकार यह बैंक, सिंधिया इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी है ।

(ग) बैंक के बोर्ड पर भूतपूर्व महाराजा और उसके नामित व्यक्तियों के प्रभाव को रोकने के बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 36 क ख के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का एक वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है । बैंक को अपने शेयरों के धारण करने में तथा निदेशक बोर्ड में व्यापकता लाने के लिए कहा गया है । इस दिशा में बैंक की प्रगति पर नजर रखी जा रही है ।

Violation of Directions of University Grants Commission by Geophysics Department, Banaras Hindu University

1729. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the directions of the University Grants Commission in the matter of appointments and about the scholarships to be given to the students, are being violated in the Geophysics Department of the Banaras Hindu University ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as early as possible.

केन्द्रीय मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा विदेशों का दौरा

1730. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री प्र० के० देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में कुल कितने केन्द्रीय मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी विदेश गये और उनके विदेशी दौरे का उद्देश्य क्या था ; और

(ख) इस कार्य के लिये कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख). अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर, 1970 के महीनों से सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

दिल्ली पोलीटेक्निक में छात्रों को दी जाने वाली योग्यता और निर्वाह छात्रवृत्ति

1731. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री दिल्ली पोलीटेक्निक में छात्रों को दी जाने वाली योग्यता और निर्वाह छात्रवृत्ति के बारे में 21 अगस्त, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 563 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी० बी० पोलीटेक्निक के छात्रों के लिये लागू किये गये नियम अन्य पोलीटेक्निकों जैसे के० जी० पोलीटेक्निक, दिल्ली और पूसा पोलीटेक्निक नई दिल्ली के लिये भी यही जारी किये गये थे और क्या उन्होंने छात्रवृत्ति देने के सम्बन्ध में एक जैसी प्रणाली का पालन किया था ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ विद्यार्थियों को, जिन्हें गत दो वर्षों के दौरान छात्रवृत्तियां देना मंजूर किया गया था, अब अचानक छात्रवृत्तियां देने से वंचित रखा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तथा उन्हें छात्रवृत्तियों से वंचित रखने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). विद्यार्थियों की कुल संख्या, जिनकी छात्रवृत्तियां एक और दो वर्षों के पश्चात समाप्त कर दी गई थीं, निम्नलिखित हैं :

	एक वर्ष के पश्चात अर्थात दूसरे वर्ष के दौरान	दो वर्षों के पश्चात अर्थात तीसरे वर्ष के दौरान	जोड़
1969-70	19	13	32
1970-71	17	6	23

छात्रवृत्तियां समाप्त कर दी गई थीं क्योंकि योजना की व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित विद्यार्थीगण पहले प्रयास में वार्षिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं कर सके।

1969-70 में समाप्त की गई 32 छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त, प्रथम वर्ष का एक विद्यार्थी जिसको छात्रवृत्ति दी गई थी, संस्था को छोड़ गया।

Non-Receipt of Certificates by Students of Middle, High and Higher Secondary Schools of Himachal Pradesh

1732. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that school students in Himachal Pradesh who appeared in Middle, High School and Higher Secondary Examinations in 1968, 1969 and 1970, have not received certificates and mark-sheets ;

(b) if so, the reasons thereof ;

(c) whether it is also a fact that the names of such students are not being registered in the colleges as well as Employment Exchanges due to non-receipt of cereificates and mark-sheets ; and

(d) whether his Ministry has given proper instructions to the Education Directorate of Himachal Pradesh in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). The necessary information is being collected from the Himachal Pradesh Administration and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

(d) No, Sir.

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय राजस्व की वसूली

1733. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में पश्चिम बंगाल से आयकर, उत्पादन शुल्क और बिक्री कर से हुई आय बजट में लगाये गये अनुमानों से कम रही है ;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1970 से (प्रतिमास) उक्त शीर्षों के अन्तर्गत कितनी धन राशि वसूल की गई और इस बारे में बजट में क्या अनुमान लगाये गये थे ; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). वित्तीय वर्ष 1970-71 के लिये पश्चिम बंगाल से 140 करोड़ रुपये आयकर की तथा 240 करोड़ रुपये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वसूली का अनुमान है। अप्रैल से सितम्बर, 1970 तक के छः महीनों के लिये आयकर की वसूली के अनन्तिम आंकड़े 29.39 करोड़ रुपये के हैं, जबकि इसी अवधि में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वसूली 108.16 करोड़ रुपये की हुई है।

पश्चिम बंगाल में अप्रैल से सितम्बर, 1970 तक की अवधि में वसूल हुए आयकर और

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का महीनेवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपये में)

महीने (1970)	आयकर	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क
अप्रैल	1.49	18.91
मई	1.54	17.91
जून	4.98	17.26
जुलाई	14.30	18.49
अगस्त	3.15	18.95
सितम्बर	3.93	16.64

यद्यपि आयकर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क राजस्व की वसूली यथानुपात आधार पर बजट अनुमानों से कम है, फिर भी यह कहना समय-पूर्व होगा कि वित्तीय वर्ष के अन्त में इन शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व की वास्तविक वसूलियां बजट से कम होंगी।

केन्द्रीय विक्रय कर के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में 'बर्फ पर मनोरंजन' (आइसस्केटिंग शो) के लिये विदेशी मुद्रा

1734. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में 'बर्फ पर मनोरंजन' जैसे तमाशों को करने के लिये विदेशी कलाकारों को लाने की अनुमति दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो ये कलाकर और मंडलियां अपने साथ कितनी विदेशी मुद्रा ले जायेंगे ; और

(ग) क्या अन्य ऐसे ही कलाकारों/गायकों/नर्तकों/मंडलियों को देश में लाने की अनुमति दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस सम्बन्ध में कलाकारों के प्रदर्शन के आयोजकों को धन बाहर भेजने की कोई सुविधा नहीं दी गई है।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बैंकों तथा सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों का अंश पूंजी में परिवर्तन किया जाना

1735. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थाओं को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने ऋणों का कुछ भाग उन कम्पनियों की अंश पूंजी में कानूनी और वैध रूप में परिवर्तित कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने ऋण दिया हुआ है ;

(ख) क्या कुछ वित्तीय संस्थाओं ने ऐसा किया है ; और

(ग) विभिन्न ऋण लेने वाली फर्मों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) कोई भी वित्तीय संस्था, समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 81(3) के अन्तर्गत, किसी कम्पनी को दिये गये अपने ऋणों को सामान्य पूंजी में परिवर्तित कर सकती है, बशर्ते कि ऋण सम्बन्धी शर्तों में इस प्रकार के विकल्पाधिकार की शर्त शामिल हो और वह शर्त ऋण लिये जाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो चुकी हों।

औद्योगिक लाइसेंस नीति विधेयक जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है और निर्णय किया है कि इस बचत की सुनिश्चित व्यवस्था की जानी चाहिए कि भविष्य में उन मुख्य प्रायोजनाओं के मामलों में, जिन्हें सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से काफी बड़ी मात्रा में सहायता प्राप्त हुई हो, उनके प्रबन्ध में, विशेष रूप से नीति विषयक स्तर पर प्रबन्ध के मामले में अपेक्षाकृत अधिक भाग लिया जायगा ; सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को भी चाहिए कि वे अपनी वित्तीय सहायता की व्यवस्था के भाग के रूप में, भविष्य में दिये जाने वाले ऋणों और जारी किये जाने वाले ऋण-पत्रों को निर्धारित अवधि के अन्दर-अन्दर, अंशतः अथवा पूर्णतः सामान्य शेयरों में परिवर्तित करने का विशेषाधिकार रखें। इस प्रयोजन के लिये सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं, ऋण-करारों के उचित मामलों में आवश्यक शर्तों की व्यवस्था करेंगी औरआवश्यकता पड़ने पर उनके लिये केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करेंगी।

(ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने, दो कम्पनियों को दिये गये अपने ऋणों पर अतिदेय ब्याज के कारण, 24.66 लाख रुपये की रकम सामान्य/अधिमान्य शेयरों में परिवर्तित की। निगम ने चार अन्य मामलों में, ब्याज/बकाया ऋणों के एक अंश को 338.48 लाख रुपये तक शेयर पूंजी में बदलना मान लिया है। यह कदम राहत के एक उपाय के तौर पर और प्रायोजनाओं के पुनः स्थापन को ध्यान में रखते हुए, उठाया गया है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भी गैर-सरकारी क्षेत्र की 9 औद्योगिक कम्पनियों के मामलों में, ऋणों/ऋण-पत्रों को सामान्य शेयरों में बदलने के अधिकार को सुरक्षित रखा है।

अभी थोड़े समय पहले तक, इस सम्बन्ध में औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की नीति, गुणा व गुणों के आधार पर, कुछ विशिष्ट मामलों में ही जैसे जहां यह महसूस किया जाता था कि कम्पनी को अतिरिक्त सामान्य शेयर जारी करने चाहिए अथवा जहां कम्पनी को ऋण का पारिशोधन करने में कठिनाई है—परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रखने की थी किन्तु ऋणों को सामान्य शेयरों में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में औद्योगिक लाइसेंस नीति विषयक जांच समिति की सिफारिशों, भारत सरकार द्वारा मंजूर कर लिए जाने के बाद से, सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं ने, जिनमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक वित्त निगम शामिल हैं, ऋण के एक भाग को परिवर्तित करने के अधिकार की शर्त लगाना, जहां वह न्यायोचित हो, शुरू कर दिया है।

(ग) जिन शर्तों के अन्तर्गत, सावधि ऋण/ऋण-पत्र सामान्य शेयर पूंजी में बदले जाने हैं, वे शर्तें वित्तीय संस्थाओं और सहायता पाने वाली कम्पनियों के बीच किये जाने वाले सहायता करार में करार सम्पन्न होने के पहले शामिल कर ली जायेगी। संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे ऋणों/ऋण-पत्रों को सामान्य शेयर पूंजी में बदलने के अपने विकल्पाधिकार का प्रयोग सोच-विचार कर बड़ी सावधानी से करेंगे ताकि परिवर्तन के समय, सामान्य शेयरों के बाजार मूल्यों में किसी प्रकार का बड़ा उतार-चढ़ाव न आने पाये नहीं तो इससे कम्पनी के अनेकों शेयर-होल्डरों के उचित हितों पर बुरा असर पड़ सकता है, और कम्पनी की सामान्य पूंजी और ऋण के पारस्परिक अनुपात में किसी प्रकार का गंभीर असन्तुलन न होने पाये। सरकार का ख्याल है कि इससे उत्पादनकारी उद्योगों में लगे उद्यमकर्त्ताओं और व्यापारियों को हतोत्साह होने की आवश्यकता नहीं है।

Apprehension of Silver Smuggler in Bombay

1736. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shai Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a person, who was wanted by Government in connection with smuggling of silver worth about Rs. 100 crores was arrested in the month of September or October, 1970 ; and

(b) if so, the action taken against the said person ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). An associate of a suspected smuggler of silver and other goods worth several crores was arrested in October, 1970 and remanded to jail custody.

भूतपूर्व शासकों को विदेशी मुद्रा

1737. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में विदेशों का दौरा करने के लिए भूतपूर्व शासकों को कुल कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : रिजर्व बैंक में रियासतों के भूतपूर्व नरेशों के सम्बन्ध में उनकी हैसियत के आधार पर आंकड़े नहीं रखे जाते। यदि कोई खास नाम दिये जायं तो उनके सम्बन्ध में सूचना दी जा सकती है कि उनको पिछले दो वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गयी थी।

Deposit in the Nationalised Banks

1738. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total deposit in each of the nationalised banks at present ; and

(b) the amount of the grants and loans given by them, separately for the development of small-scale industries during the last five months ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Deposits of the fourteen Indian banks which were nationalised on July 19, 1969 as on October 16, 1970, the latest date for which deposit figures are available, are indicated in the statement attached.

(b) The outstanding advances of the fourteen banks to small-scale industry increased by Rs. 6.9 crores from Rs. 198.74 crores to Rs. 205.68 crores during the five months ended August, 1970, the latest date for which these figures are available.

Statement

	Aggregate deposits (excluding inter-bank deposits) as on 16.10.70
	(Rs. crores)
1. Central Bank of India	508.32
2. Bank of India	411.55
3. Punjab National Bank	414.11
4. Bank of Baroda	334.63
5. United Commercial Bank	229.99
6. Canara Bank	186.65
7. United Bank of India	174.91
8. Dena Bank	145.68
9. Syndicate Bank	139.56
10. Union Bank of India	141.58
11. Allahabad Bank	130.62
12. Indian Bank	89.77
13. Bank of Maharashtra	94.21
14. Indian Overseas Bank	80.65
Total	3082.23

Note: Data are provisional

Passengers Travelled by Air-India

1739. **Shri Hukam Chand Kachwai:**
Shri Jagannath Rao Joshi:

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the total number of passengers who travelled by Air-India during the financial year 1969-70; and

(b) the total profit earned by Government therefrom during the year 1969-70 and the amount of profit likely to be earned during the year 1970-71?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) The number of revenue passengers carried by Air India in 1969-70 was 4,02,609.

(b) Air India earned a net profit of Rs. 227.00 lakhs during 1969-70. They have budgetted for a profit of Rs. 312.00 lakhs during 1970-71. These figures do not however take into account the provision for taxation and certain adjustments to be made for meeting additional wages. The estimated additional wage burden for 1969-70 is likely to be of the order of Rs. 93 lakhs and

Rs. 144 lakhs for 1970-71. Similarly, a provision of Rs. 30 lakhs for staff gratuity has to come out of the profits for 1969-70.

These figures cover all activities of the Corporation including passenger traffic, cargo etc.

तस्करी के माल का पकड़ा जाना

1740. **श्री ना० नि० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1970 में सीमा शुल्क कलेक्टर ने सूरत, बुलसर, बिलमोडा, नवासिरी और दमन में लाखों रुपये के मूल्य के तस्करी के माल का पता लगाकर उसे पकड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त माल का मूल्य क्या है;

(ग) तस्कर व्यापारियों को क्या दण्ड दिया गया है और उनसे कितना जुर्माना वसूल किया गया है और भविष्य के लिये क्या पूर्वोपाय किये गये हैं ;

(घ) प्रत्येक गिरोह में कितने-कितने लोग पुरुष और स्त्रियां थे और उनके नाम क्या थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सितम्बर 1970 के महीने में, 4 मामलों में 32,03,441.00 रुपये मूल्य की निषिद्ध वस्तुएं सूरत, बुलसर, बिलीमोरा, नवसारी तथा दमन में पकड़ी गयी थीं। उसी अवधि में, इन स्थानों में सितम्बर, 1970 से पूर्व पता लगी वस्तुओं के तस्कर आयात-निर्यात के 18 मामलों का न्याय-निर्णय किया गया था जिनमें 34,33,000.00 रुपये के दण्ड लगाये गये और 35,73,048.00 रुपये मूल्य की वस्तुएं जब्त की गयीं।

उक्त अवधि में वसूल हुई दण्ड की रकमों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी। भविष्य में तस्कर व्यापार रोकने के लिये निम्नलिखित पूर्वोपाय किये गये हैं :—

सूचना एकत्र करने और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करने की सुव्यवस्था, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर आयात-निर्यात करने का संदेह है उनपर निगरानी रखना, जिन जलयानों अथवा वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना और समुद्र तट तथा स्थल सीमाओं के सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों की गश्त लगाना।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित तस्कर-व्यापार के मामलों में ग्रस्त व्यक्तियों (पुरुषों और स्त्रियों) की संख्या और उनके नाम विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

तस्करी आयात निर्यात के मामलों में ग्रस्त व्यक्तियों (पुरुष तथा स्त्रियों) की संख्या और उनके नामों का विवरण-पत्र ।

पुरुषों की संख्या	नाम	स्त्रियों की संख्या	नाम
44.	1. धना राम	6	1. श्रीमती दीतिवहन मंगा
	2. मिथा उकुद		2. बाईदेवी होरिया
	3. लालू बुधिया		3. बाई केसुर कलन
	4. रण छोड़ शुक्ल		4. श्रीमती लखडी राम
	5. बाबू रविया		5. बाई लक्ष्मण भूला
	6. विठलभाई गांवनभाई		6. श्रीमती लक्ष्मी हरिया
	7. अम्बाभाई नरनभाई		
	8. अब्दुल रसीद अब्दुल गनी		
	9. मो० इब्राहिम यूसुफ		
	10. नामदेव राठौड़		
	11. मोहम्मद नजीर		
	12. मोहम्मद अली पटेल		
	13. लक्ष्मण गोपाल		
	14. सोमा गोपी		
	15. गोवन ओरिया		
	16. रामजी गोपाल		
	17. कांजी नरन		
	18. लालू सोंमा		
	19. वितल हीरी		
	20. हरिभाई रवियाभाई पटेल		
	21. रामभाई रामजी भाई पटेल		
	22. बबर मोरार बारी		
	23. कलन चमल बारी		
	24. अहमद मोहम्मद इस्मायल शेख		
	25. डी० आर० दोरदा		
	26. एस० के० तालाकर		
	27. एम० एल० पारिख		
	28. ए० पी० सालीगर		
	29. एस० एम० सोनी		
	30. गफूर अब्दुल शेख		
	31. बचन लाल बाबूलाल इरोढा		
	32. देवजी गोपाल		

33. मोहम्मद उमर चोपारा

34. ए० वाई० खान

35. मोहम्मद हुसैन

36. सैइद अहम्मद

37. बी० जे० देसाई

38. जग्गू मन्छु मंगेला

39. गांवन नर्सी मछी

40. गोपाल केशव दुबला

41. जीवन हीरा तनदल

42. थाकोर वल्लभ मछी

43. भीखू बुधिया

44. दाजी गोवन तनदल

व्यक्तियों की कुल संख्या 50

केन्द्रीय कर और उत्पादन शुल्क में राज्यों का हिस्सा

1741. **श्री कं० हाल्दर :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कर और उत्पादन शुल्क में राज्यों का हिस्सा वैधानिक रूप से निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं । आयकर, सम्पदा शुल्क और उत्पादन शुल्कों से प्राप्त होने वाली वास्तविक रकमों में से इस समय सभी राज्यों को हिस्सा दिया जाता है । इन सभी मामलों में उस रकम की व्यवस्था, जिसमें से राज्यों को हिस्सा दिया जाता है तथा उस प्रतिशत हिस्से की व्यवस्था जो प्रत्येक राज्य के लिये निर्धारित किया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार स्थापित वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तत्सम्बन्धी वितरण अधिनियमों तथा सांविधिक आदेशों में की जाती है ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

कनाडा में हुआ राजपथ सम्बन्धी सम्मेलन

1742. **श्री सामिनाथन :**
श्री नारायणन :

क्या **पोत-परिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1970, में कनाडा में हुए राजपथ सम्बन्धी सम्मेलन में भारत ने कुछ सुझाव दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकांश सुझावों को स्वीकार कर लिया गया था ; और

(ग) उक्त सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा की गई और उसके क्या परिणाम निकले ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). कनाडा में हुआ मुख्यमार्ग सम्मेलन तकनीकी प्रकार का था और भारत ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार विमर्श हुआ उनमें सड़क सुरक्षा, नगरीय गतिशीलता साधनों का विकास तथा संरक्षण और सड़क तथा पर्यावरण (इनवारनमेंट) शामिल है। इस सम्मेलन का कार्यवृत्त प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में मौलिक परिवर्तन

1743. **श्री सामिनाथन :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय तथा अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुछ मौलिक परिवर्तन करने के लिये सरकार का विचार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अधिनियमों में कुछ संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो अधिनियमों में कब तक संशोधन किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या परिवर्तन किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). विश्वविद्यालयों के विभिन्न पहलुओं के अभिशासन से सम्बन्धित मामलों जैसे कि विश्वविद्यालयों की संरचना और विभिन्न विश्वविद्यालय निकायों अर्थात् विश्वविद्यालय परिषद, कार्य परिषद, विद्या परिषद इत्यादि के गठन और प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बम्बई विश्वविद्यालय के कुलपति डा० पी० बी० गजेन्द्रागदकर की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की है। रिपोर्ट को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। जब और जैसे ही रिपोर्ट उपलब्ध होगी, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों को उपयुक्त रूप से संशोधित करने के प्रश्न पर विचार करने का प्रस्ताव है।

यूनानी सरकार के लिये भारतीय टकसाल द्वारा सिक्कों का बनाया जाना

1744. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय टकसाल ने यूनान सरकार के लिये वहां के लिये सिक्के बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने मूल्य के; और

(ग) भारतीय राजकोष को इससे कितना लाभ हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क). भारतीय राज्य व्यापार निगम ने 20 अगस्त, 1970 को एथेन्स में एक करार किया था, जिसके अनुसार कुल 290 लाख यूनानी सिक्के सप्लाई किये जायेंगे। इस करार के अनुसरण में बम्बई टकसाल में अक्टूबर, 1970 के अन्तिम सप्ताह से इन यूनानी सिक्कों की ढलाई शुरू हो गई है।

(ख) इन सिक्कों का कुल मूल्य 127.50 लाख रुपया बैठता है।

(ग) इससे लगभग 33 लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा का लाभ होगा।

पिछड़े क्षेत्रों में छोटी परियोजनाओं को ऋण

1745. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली छोटी तथा मध्यम परियोजनाओं को उदार शर्तों पर सीधी सहायता देने के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने छः सूत्री कार्यक्रम बनाया है।

(ख) क्या यह सच है कि उद्योगियों द्वारा अपेक्षित सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिये परामर्श-सेवा लागत को भी बैंक वहन करेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना की छोटी रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). देश के कम विकसित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने जुलाई, 1970 में ऐसे क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्थापना के लिये रियायती दरों पर सीधी वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया था।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की योजना के अन्तर्गत विभिन्न रियायतें सामान्यतः उस परियोजनाओं के लिये मिल सकेंगी जिनकी कुल परियोजना लागत 1 करोड़ रुपये से अधिक पर नहीं होगी। इससे बड़ी परियोजनाओं को रियायती दर पर वित्तीय सहायता चयनात्मक आधार पर ही दी जायेगी।

इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक एककों को रियायती ब्याज दर पर, जो बैंक दर से 2 प्रतिशत अधिक किन्तु कम से कम 7 प्रतिशत होगी, (इस समय ब्याज की वर्तमान सामान्य दर $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत है) सीधे ऋण दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त जो अन्य रियायतें दी गई हैं उनमें ऋणों की वापसी अदायगी के लिये प्रारम्भिक रियायत अवधि को सामान्य तीन वर्ष से बढ़ाकर

5 वर्ष करना, वापसी—अदायगी की अवधि को बढ़ाकर 15-20 वर्ष करना (जबकि वापसी अदायगी की सामान्य अवधि 10-15 वर्ष है) और ऋण की न निकाली गई शेष रकम पर वायदा-प्रकार में कटौती करना, शामिल है। शेयरों और ऋण-पत्रों की हामीदारी के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कम दर पर हामीदारी कमीशन लेगा और इसके अलावा पिछड़े क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं की शेयर पूंजी में अपेक्षाकृत अधिक अभिदान भी दे सकता है। परियोजना की लागत और ऋणों के लिये मार्जिन के सम्बन्ध में प्रवर्तकों के अंशदान से संबंधित सामान्य शर्तों में भी छूट दी जा सकती है।

हो सकता है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता लेने वाले कुछ उद्यमकर्त्ता प्रारम्भिक स्थिति में बहुधा परामर्श-सेवा लागत वहन करने की समर्थन न रखते हों इसलिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक प्रारम्भ में उद्यम-कर्त्ताओं के लिये व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की परामर्श-सेवा का खर्च इस शर्त पर दे सकता है कि जब परियोजना लाभ करने की स्थिति में हो जाय तो वह बैंक का उक्त खर्च की वापसी अदायगी कर दे।

विश्व बैंक की बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल पर आक्रमण

1746. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोपनहेगन में हुई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के समय भारतीय प्रतिनिधि-मंडल पर युवकों द्वारा आक्रमण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारतीय प्रतिनिधि-मंडल को किस प्रकार की चोटें आईं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

तमिलनाडु के कृषि विकास के लिये विश्व बैंक की वित्तीय सहायता

1747. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कृषि-विकास के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता के लिए जो अनुरोध किया था, क्या वह केन्द्रीय सरकार के माध्यम से किया था ;

(ख) यदि हां, तो मूल रूप से यह मांग कब की गई थी ; और

(ग) उक्त प्रस्ताव में कितनी राशि मांगी गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने विश्व बैंक को यह अनुरोध जनवरी, 1970 में किया था।

(ग) राज्य सरकार द्वारा अगस्त, 1970 में यथा संशोधित प्रस्ताव की कुल राशि का अनुमान 58 करोड़ रुपये लगाया गया है। प्रायोजना की जांच करने के लिए सितम्बर, 1970 में विश्व बैंक का एक मिशन भारत आया था। जांच का परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

बेरोजगारी की समस्या

1748. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति ने सर्वदलीय समिति स्थापित करने का सुझाव दिया था ;

(ख) क्या उक्त विषय पर वे प्रधान मंत्री से विचार-विमर्श करने के लिए सहमत हो गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने प्रधान मंत्री से उक्त सुझाव पर विचार विमर्श करने के पश्चात् क्या कार्यवाही की ;

(घ) यदि देश में उत्पादन दर में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है तो क्या बेरोजगारों की संख्या में और वृद्धि हो जायेगी ;

(ङ) देश में विकास दर में 10 प्रतिशत वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ). चौथी पंच वर्षीय आयोजना का उद्देश्य कृषि में 5 प्रतिशत, उद्योग में 8 से 10 प्रतिशत और सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में 5.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विकास करने का लक्ष्य प्राप्त करना है । साधनों की उपलब्धता को देखते हुए योजना में जिस विकास दर की परिकल्पना की गई है वह वर्तमान परिस्थितियों में अत्यधिक व्यवहार्य है ।

तथापि, चौथी पंचवर्षीय आयोजना तैयार करते समय रोजगार के अवसर प्रदान करने के पक्ष को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है और इसमें अनेक श्रम-प्रधान योजनायें शामिल की गयी हैं । विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों/संघीय राज्य क्षेत्रों को उन प्रति-वन्धात्मक नीतियों को, जिनसे रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि होने में बाधा पड़ती है, दूर करने के लिये प्रभावकारी उपाय करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि आयोजना की रूप रेखा के अन्तर्गत तैयार किये जाने वाले विस्तृत कार्यक्रम, जहां तक सम्भव हों, श्रम-प्रधान ही हों ।

दिल्ली में छात्रों की संख्या में वृद्धि और एक और विश्वविद्यालय का खोला जाना

1749. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने कालेज हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन कुल कितने छात्र तथा शिक्षक हैं ;

(ख) छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण क्या सरकार का विचार दिल्ली में एक और विश्वविद्यालय स्थापित करने का है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) दिल्ली में अन्य विश्वविद्यालयों के क्या नाम हैं और ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय में कितने-कितने छात्र हैं ; और

(ङ) दिल्ली के प्रत्येक विश्वविद्यालय का 1970-71 का बजट क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय । 331

(ङ) **अनुमानित व्यय 1970-71**

(रुपये लाखों में)

दिल्ली विश्वविद्यालय	337.40
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	93.38

विवरण

दिल्ली विश्वविद्यालय में कालेजों की कुल संख्या 48 है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :

(1) अनुरक्षित संस्थाएं	5
(2) संघटक कालेज	37
(3) संबद्ध कालेज	6

(2) विद्यार्थियों की कुल संख्या जैसी कि 1-8-1970 को थी निम्नलिखित है :

(1) नियमित विद्यार्थी	59,175
(2) पत्राचार पाठ्यक्रम	15,319
(3) विद्यार्थी जिन्हें प्राइवेट विद्यार्थियों के रूप में दाखिला मिला	7,673
(4) गैर-कालिजी महिलाओं के बोर्डों के अन्तर्गत विद्यार्थी	2,708
कुल ...	84,875

(3) कालिजों और विश्वविद्यालयों के कुल अध्यापकों की संख्या जो कि 14-8-1970 को थी निम्न प्रकार है :

प्राध्यापक	57
प्रिंसिपल, रीडर और लेक्चरर	3,584
कुल ..	3,641

मंत्रियों द्वारा सम्पत्ति-कर का विवरण दिया जाना

1750. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस-किस केन्द्रीय मंत्री तथा राज्यों के मंत्री ने कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिये सम्पत्ति-कर का विवरण दिया है ;

(ख) प्रत्येक मंत्री द्वारा कुल कितनी सम्पत्ति की घोषणा की गयी है और विवरणी में प्रत्येक शीर्ष के पृथक-पृथक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) किन मंत्रियों का कर-निर्धारण पूरा कर लिया गया है और क्या उनकी घोषित सम्पत्ति में वृद्धि हुई है ;

(घ) प्रत्येक मंत्री को सम्पत्ति-वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार ने प्रत्येक मामले में सम्पत्ति के स्रोतों का पता लगा लिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्री के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायगी। लेकिन प्रत्येक राज्य मंत्री के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करने में अत्यधिक समय और श्रम लगेगा और वह इस सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले सम्भावित परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। लेकिन, यदि माननीय सदस्य राज्य सरकार के किसी मंत्री विशेष के बारे में सूचना चाहते हों तो वह एकत्रित करके सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ङ) किसी विशेष मामले में धन के स्रोतों की जांच केवल उस स्थिति में ही की जाती है जब किसी परिसम्पत्ति को शुद्ध धन की विवरणी में पहली बार दिखाया जाता है अथवा किसी परिसम्पत्ति विशेष के अर्जन के स्रोत के बारे में कोई सन्देह होता है।

25 लाख रुपये से अधिक सम्पत्ति रखने वाले करदाता

1751. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) उन करदाताओं के नाम तथा पते क्या हैं जिन्होंने अपनी सम्पत्ति या तो 25 लाख रुपये से अधिक घोषित की है या जिन पर उक्त राशि से अधिक राशि पर कर लगाया गया है ;

(ख) विभाग द्वारा प्रत्येक मामले में करों में कितनी वृद्धि की गई है और ये वृद्धि किन कारणों से की गई है ;

(ग) उन करदाताओं के नाम तथा पते क्या हैं जिन्होंने अपनी आय पर आयकर और धन करके रूप में 100 प्रतिशत से अधिक धन राशि का भुगतान किया ; और

(घ) क्या सरकार का विचार अधिनियम में ऐसे संशोधन करने का है जिससे किसी भी करदाता को आयकर तथा धन कर के रूप में 100 प्रतिशत से अधिक धनराशि का भुगतान करने के लिये बाध्य न होना पड़े ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। वह एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ग) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है और उसे व्यक्तियों से सम्बन्धित बहुत से कर-निर्धारण रिकार्डों की विस्तृत जांच पड़ताल के बाद ही एकत्रित किया जा सकता है, जिसमें अत्यधिक समय और श्रम लगेगा ।

(घ) जी, नहीं । इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सरकारी क्षेत्र के एककों के लिये अन्तरिम सहायता

1753. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग द्वारा सुझाई गई और सरकार द्वारा स्वीकार की गई अन्तरिम सहायता सरकारी क्षेत्र के सभी एककों में दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :(क) अन्तरिम सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में, तीसरे वित्त आयोग ने जो सिफारिश की थी और सरकार ने जो निर्णय लिया था वह केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है । इसलिए अन्तरिम सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होते जिनका वेतन बोर्डों से अपना सम्बन्ध होता है ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

सरकारी कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठनों, के वेतनों के ढांचे को द्विपक्षीय बातचीत से तय करने की मांग

1754. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखिल भारतीय कर्मचारी संगठनों ने यह इच्छा प्रकट की है कि वेतनों के ढांचे के प्रश्न को, जिसमें आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन की समस्या भी सम्मिलित है, को सरकार के साथ द्विपक्षीय बात-चीत से तय किया जाएं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :(क) तथा (ख). वेतन के ढांचे के प्रश्न का निर्णय करने के लिये कुछ कर्मचारी संघ उभयपक्षी चर्चा की मांग कर रहे हैं । परन्तु केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन के वर्तमान ढांचे की तथा आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन संबंधी उनकी मांग की व्यापक समीक्षा का कार्य तृतीय वेतन आयोग को सौंप दिया गया है, और इसलिए उभयपक्षी चर्चा का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

कोचीन में भाड़ा जांच ब्यूरों का कार्यालय खोला जाना

1755. **श्री जनार्दनन** :

श्री ई० के० नायनार :

क्या **पोत परिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ वेस्ट इण्डिया शिप्पर्स एसोसियेशन ने कोचीन में भारत सरकार के

भाड़ा जांच ब्यूरो का कार्यालय खोलने की मांग की है जिससे इस क्षेत्र में जहाजों के मालिकों की समस्याओं का शीघ्रता से निपटारा किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार को दक्षिण पश्चिम भारत पोतवणिक संघ से ऐसा कोई औपचारिक अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है कि कोचीन पर भाड़ा जांच ब्यूरो का कार्यालय खोला जाना चाहिए।

सरकार मौजूदा भाड़ा जांच ब्यूरो को सशक्त बनाने के लिए अपेक्षित उपायों पर विचार कर रही है और पोतपरिवहन के महानिदेशक ने कुछ प्रस्ताव भेजे हैं जिनमें कोचीन पर पोतवणिकों की समस्याओं का ध्यान भी रखा गया है। यह विचाराधीन है।

Tax on use of Diesel Oil for Agricultural Machines

1756. **Shri Maharaj Singh Bhartti :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no tax is levied on diesel oil used in agricultural machines in most of the advanced countries of the world like Japan, Germany and U. S. A. ;

(b) whether tax on diesel oil is charged from the farmers in India ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) Presumably, the reference to "tax" is to Central Excise duty leviable on diesel oil used in agricultural machines by the farmers in India. If so, the position is that while the basic duty of excise can be included by the Oil Companies in the price of diesel oil whether used by the farmers or others, the element of additional excise duty is borne by the Oil Companies who cannot pass on its incidence to the consumers including farmers.

(c) The question of exempting diesel oil from the payment of basic excise duty when used by the farmers has been considered in the past on several occassions but it has not been found feasible to do due to various difficulties in administering an exemption of this nature.

Manufacture of Plastic Ship

1757. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether a plastic ship is being manufactured in West Germany which will be light in weight and less expensive to maintain ; and

(b) if so, whether Government are examining this invention and experiment of West Germany ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) According to information available, only small boats on exprimental basis are being made in West Germany.

(b) Does not arise.

Demand for Exempting Diesel Oil from Tax

1758. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the one hand power is not being supplied to meet even 50 per cent demand for the tubewells and on the other hand, the production of diesel engines and diesel pumping sets has decreased due to slump in their sale ; and

(b) if so, the reasons for not exempting diesel oil from tax in order to popularise diesel pumps and diesel engines for drawing water for irrigation ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Although it is a fact that during the year 1969-70, as against a demand for energisation of wells in the country estimated to be of the order of 5 lakhs, only about 2½ lakhs were actually energised, yet this has not resulted in any slump in production of diesel engines as may be seen from the following figures :

Year		Production (Nos.)
1967-68	..	1,43,048
1968-69	..	1,40,679
1969-70	..	1,45,629

Separate figures for diesel pumping sets are not available.

(b) This does not arise in view of the reply (a) above.

Low Income Tourists

1759. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the steps taken so far to attract foreign tourists having low income to come to India ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : The following facilities have been provided for low income group tourists coming to India :

1. Liberalisation of charter policy.
2. Reasonably priced accommodation in tourists bungalows and holiday homes.
3. Conducted coach tours for sightseeing at important tourist centres.

Foreign Exchange Earnings from Tourism

1760. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the place of India among the countries of the World in regard to the foreign exchange earnings from Tourism ; and

(b) the place of India among the Asian countries in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). India ranked 40th among the countries of the world and 8th among Asian countries in regard to foreign exchange earnings from tourism during 1968 which are the latest figures available.

Divergent Views about Origin of Aryans

1761. **Shri Om Prakash Tyagi**: Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is great divergence of views among the world historians about the origin of Aryans ;

(b) whether it is also a fact that according to many Indian as well as Foreign eminent scholars, the place of origin of Aryan community is India ;

(c) if so, the reasons for not getting the students in India acquainted with both the schools of thought and thrusting upon them only one type of knowledge ; and

(d) whether Government will make an effort to see that both the schools of thought are taught in future and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). We are not in possession of un-impeachable data like that of inscriptions etc., which can settle the issue either way. It may, therefore, be best to allow the matter to be assessed by scholars according to their own researches.

Prescribing and publication of text-books (including books on History) in schools and colleges is the responsibilility of State Governments and Universities, so, if they like, they may mention both the theories in their publications.

शेयर पूंजी में भाग लेने के लिये राज्य सरकारों को ऋण देने के हेतु योजना

1762. **श्री नी० वेंकटस्वामी :**
श्री वी० नरसिम्हाराव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने उन नगरीय बैंकों की शेयर पूंजी में भाग लेने के लिये राज्य सरकारों को ऋण देने की योजना का अनुमोदन किया है जो उत्पादन सम्बन्धी गतिविधियों में रुचि रखते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) रिजर्व बैंक ने 1969-70 से, कुछ चुने हुये शहरी सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में निवेश के लिये राज्य सरकारों को ऋण देने की एक योजना स्वीकार की है ।

(ख) शेयर पूंजी में अंशदान की सुविधा केवल उन्हीं शहरी बैंकों को उपलब्ध है जिन्होंने छोटे पैमाने के उद्योगों के वित्तपोषण का काम पहले ही अपने हाथ में ले लिया है अथवा जिनका इस प्रकार का वित्तपोषण करने का इरादा है और उन्होंने इस सम्बन्ध में निश्चित कार्यक्रम तैयार कर लिया है । किसी बैंक को कितनी रकम दी जा सकती है यह अलग-अलग मामले के गुण दोष पर आधारित होगा और इस सम्बन्ध में कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है । अंशदान के इच्छुक प्राथमिक (शहरी) बैंकों में वर्ष की मांग के 20 प्रतिशत से अधिक अथवा जहां

मांग का ब्योरा उपलब्ध न हो वहां बकाया ऋणों के 10 प्रतिशत से अधिक अतिदेय रकम नहीं होनी चाहिये। शहरी बैंक को शेयर पूंजी से सदस्यों का अनुदान उनके द्वारा ली जाने वाली रकम का 5 प्रतिशत होना चाहिये। शेयर पूंजी में सरकारी अंशदान को दस वर्ष के बाद ही लौटाये जाने की अपेक्षा की जाती है और वह भी तब, जब ये बैंक यह महसूस करते हैं कि उनके पास अपने सदस्यों को ऋण देने के लिये पर्याप्त धन एकत्रित करने के निमित्त यथेष्ट शेयर पूंजी है।

खेल के मैदानों की सुरक्षा के लिये कानून

1763. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् के चेयरमैन ने यह मांग की है कि खेल-कूद के मैदानों की सुरक्षा के लिये एक कानून बनाया जाना चाहिये जिसकी कमी के कारण देश में खेल-कूद की उन्नति में गम्भीर समस्याएं आ रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अभी हाल ही में इस मंत्रालय द्वारा बुलाई गई खेलकूद सम्बन्धी बैठक में अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् के अध्यक्ष ने एक बात कही कि दस वर्ष पूर्व कस्बों और शहरों में जो चन्द क्रीड़ा मैदान थे, उन्हें भी निर्मित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है। उन्होंने खुले इलाकों (मैदानों) को, यदि आवश्यक हो, तो यहां तक कि वैधानिक तौर पर भी, अर्जित करने तथा क्रीड़ा के मैदान के रूप में उनके अनुरक्षण करने की दलील भी दी।

(ख) सर्वप्रथम भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने इस विषय पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों को 8 जुलाई, 1964 को लिखे पत्र की प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-4344/70]** राज्य मुख्य मंत्रियों को उनके द्वारा 27 जनवरी, 1965 को अनुस्मारक भेजा गया। 22 मार्च, 1969 को उन्हें हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री द्वारा फिर अनुस्मारक भेजा गया।

पत्तनों तथा गोदियों में श्रम विवादों का निपटारा करने हेतु स्थाई व्यवस्था

1764. **श्री जि० मो० बिस्वास** : क्या **पोत परिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तनों तथा गोदियों में श्रम विवादों का निपटारा करने हेतु एक स्थाई व्यवस्था बनाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) व्यवस्था के कब तक स्थापित होने की सम्भावना है ?

पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). मामला विचाराधीन है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों का अन्तिम रूप से गठन

1765. क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों का अन्तिम रूप से गठन करने के बारे में निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 के अन्तर्गत बनाई जाने वाली एक योजना के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये व्यापक आधार वाले निदेशक मण्डलों का गठन किया जाना है। उपर्युक्त योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और 17 नवम्बर, 1970 को उसे इस सभा के पटल पर रख दिया गया था। अब जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा उतनी जल्दी इस प्रकार के निदेशक मण्डलों का गठन करने के लिये कदम उठाये जाएंगे।

बैंकिंग प्रणाली के कार्यकरण पर भारत के रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट

1766. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकिंग प्रणाली तथा रिजर्व बैंक के कार्यकरण के लिये अलग-अलग रिपोर्ट जारी करने की नीति त्याग दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 1969-70 (जुलाई जून) से पहले, रिजर्व बैंक दो रिपोर्टें अर्थात् (1) बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 36 (2) के अनुसार भारत में बैंककारी की प्रवृत्ति और प्रगति की रिपोर्ट और (2) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 53(2) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक मण्डल की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता था। भारत में बैंककारी की प्रवृत्ति और प्रगति की रिपोर्ट दिसम्बर में समाप्त होने वाले कैलेण्डर वर्ष की होती थी किन्तु रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट बैंक के लेखा वर्ष (जुलाई-जून) की होती थी। दोनों रिपोर्टें लगभग 3 महीनों की अवधि के अन्तर से प्रकाशित की जाती थीं और उनमें, देश की आर्थिक स्थिति तथा रिजर्व बैंक की ऋण नीति में हुये परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में, मुद्रा और बैंककारी सम्बन्धी गतिविधियों की समीक्षा की जाती थी। इस प्रकार वर्ष के कई महीनों की गतिविधियों का विवरण दोनों रिपोर्टों में दिये जाने से तथ्यों की पुनरावृत्ति होती थी। इसलिये राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की खास कर मुद्रा और बैंककारी संबंधी क्षेत्रों की प्रवृत्तियों का भलीभांति आलेख-बद्ध विश्लेषण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक के निदेशक मण्डल ने इन दोनों रिपोर्टों को मिला कर एक रिपोर्ट प्रकाशित करने का एक प्रस्ताव मई, 1968 में मंजूर किया। इस प्रकार 1969-70 की रिपोर्ट एक मिलीजुली रिपोर्ट है।

जीवन बीमा निगम द्वारा खरीदे गये इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के शेयर

1767. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० के शेयर भारी संख्या में खरीदे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो शेयरों की संख्या कितनी है तथा उनकी कुल राशि क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). 11-11-1970 को इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के तरजीही तथा सामान्य शेयरों में जीवन बीमा निगम के निवेश की स्थिति 11 नवम्बर, 1970 को इस प्रकार थी :

100 रुपये के अंकित मूल्य वाले 6.5 प्रतिशत कर-संचयी तरजीही शेयर		10 रुपये के अंकित मूल्य वाले सामान्य शेयर	
संख्या	अंकित मूल्य	संख्या	अंकित मूल्य
	रु०		रु०
79,211	79,21,100	56,67,980	5,66,79,800

निगम ने हाल में इस कम्पनी के कोई शेयर नहीं खरीदे हैं ।

पी० एल० 480 निधि से सहायता

1768. **श्री मयावन :**

श्री दण्डपाणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार ने पी० एल० 480 के अन्तर्गत 700 करोड़ रुपये की ऐसी निधि केवल तीन विशिष्ट योजनाओं के लिये अनुदान के रूप में देना स्वीकार किया है जिसको कम्प्यूट नहीं किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो वे तीन विशिष्ट योजनायें क्या हैं ; और

(ग) प्रत्येक योजना पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं । जून, 1966 में रुपये के अवमूल्यन के बाद से रुपये का मूल्य 13.33 अमरीकी सैण्ट पर अपरिवर्तित रहा है और देश के विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सभी प्राधिकृत लेन-देन अवमूल्य की एक प्रतिशत स्वीकृत सीमा के अन्दर ही लिये जाते हैं । किसी एक-आध मामले में अवधः रूप से किसी भिन्न दर पर छिटपुट लेन-देन हो सकते हैं, किन्तु इसका रुपये के आन्तरिक मूल्य से कोई सम्बन्ध नहीं है । रुपये की दृढ़ता मुख्यतः देश के भुगतान शेष की समग्र स्थिति पर निर्भर करती है, जिसमें पिछले दो वर्षों में सुधार हुआ है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

छोंटी रेजगारी की कमी

1769. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय से देश के कुछ भागों में छोटी रेजगारी की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस समस्या के समाधान के लिये और देश में पर्याप्त मुद्रा को परिचालित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). देश में सिक्कों की आम कमी नहीं है । सिक्कों की कमी के बारे में समय-समय पर कुछ स्थानों से शिकायतें मिलती रही हैं और ऐसी शिकायतों के सम्बन्ध में ठीक तौर से कुछ कहना इसलिये कठिन है कि इस कमी के कारण मुख्य रूप से स्थानीय और मौसमी होते हैं । फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक उन जगहों पर अतिरिक्त छोटे सिक्के भेजता रहता है, जहां से उसे ऐसे सिक्कों की सप्लाई के लिये अनुरोध प्राप्त होते हैं । इसके अलावा, सरकार ने टकसालों में छोटे सिक्कों का उत्पादन बढ़ाने के लिये कदम उठाये हैं ।

फरक्का में अंतर्देशीय पत्तन

1770. **श्री केदार नाथ सिंह :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का में अन्तर्देशीय पत्तन की स्थापना का प्रस्ताव किस स्थिति में है; और

(ख) इस पत्तन की वाणिज्यिक अर्थक्षमता पर क्या अध्ययन किया गया है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). इस समय सरकार के पास फरक्का में अंतर्देशीय पत्तन की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । परन्तु फरक्का बांध के पूर्ण होने पर नदी मार्ग से ले जाये जाने वाले माल की सम्भावित मात्रा के निर्धारण के लिए उत्तर फरक्का यातायात के अध्ययन का कार्य प्रगति पर है । अन्तर्देशीय पत्तन की स्थापना के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है यदि उक्त अध्ययन से यह ज्ञात हो जाय की फरक्का से जाने वाला तथा यहां आने वाला यातायात पर्याप्त होगा ।

पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में वेतन के बारे में पारित प्रस्ताव का कार्यान्वयन

1771. **श्री केदार नाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हाल ही के पटना अधिवेशन में पारित आर्थिक संकल्पों को ध्यान में रखते हुए महंगाई और मजूरी के दुष्चक्र को समाप्त न करने के सम्बन्ध में क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मूल्यों में अधिक वृद्धि होने और उसके परिणामस्वरूप अधिक वेतन/मजदूरी की मांग किये जाने की समस्या का एकमात्र हल यही है कि उत्पादन में वृद्धि की जाय जिससे इस बात की भी सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके कि वेतन/मजदूरी में होने वाली वृद्धियां उत्पादन में होने वाली वृद्धियों से अधिक न हों। चौथी पंचवर्षीय आयोजना में उत्पादन बढ़ाने के विभिन्न उपाय बताये गये हैं और मजदूरी-आय सम्बन्धी नीति का सफल होना, आयोजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर निर्भर करता है। इस बीच, सरकार राजस्व और मुद्रा सम्बन्धी उपायों द्वारा कम मात्रा में उपलब्ध होने वाले कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में आयात द्वारा, प्रशासनिक विनियमों के माध्यम से तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अन्न वितरण करने की सरकारी व्यवस्था में विस्तार करके मूल्यों को स्थिर बनाये रखने के लिए सुनिश्चित व्यवस्था करने का प्रयास करती रहती है।

वर्ष 1969-70 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को विदेशी छात्रवृत्ति तथा मार्ग व्यय

1772. **श्री सिद्व्या** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के उन आवेदकों के प्रत्येक श्रेणी में अलग-अलग नाम क्या हैं (उनकी शैक्षिक योग्यता सहित) जिन्होंने वर्ष 1969-70 में विदेशी छात्रवृति तथा मार्ग व्यय अनुदानों के लिये आवेदन-पत्र दिये थे; और

(ख) जिन्हें इसके लिए चुना गया था, उनके श्रेणीवार नाम क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख). सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4345/70]**

Loans given by Nationalised Banks in Madhya Pradesh

1773. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of loans given to small industrialists, doctors, engineers, students and farmers etc. in Madhya Pradesh by the nationalised banks after their nationalisation and the total amount of loans proposed to be given during the coming year ;

(b) whether some persons belonging to the above mentioned categories have failed to get loans from these nationalised banks ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The information is being collected and the same will be placed on the Table of the House.

International Status for Hindi

1774. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the course of his inaugural address at the recently

held one-day Conference of Education Ministers of Hindi speaking States and the Vice-Chancellors of the Universities located in these States, he had stated that there was every likelihood of Hindi language acquiring an international status like Russian, German and French languages if earnest efforts are made in this direction and the Universities extend their full cooperation ;

(b) if so, the concrete steps Government and the University Grants Commission proposed to take to make Hindi a language of International status ;

(c) whether Government have demanded that Hindi should be given due recognition in U. N. O. and its agencies and have also directed the Indian representatives taking part in the deliberations of U. N. O. and its agencies to make their speeches in Hindi ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d). In his inaugural address to the Conference of the Education Ministers of the Hindi-speaking States and the Vice-Chancellors of the Universities of these States held recently, the Minister for Education and Youth Services stated that in course of time Hindi could become one of the world's leading languages if academic support was extended to it by universities in maintaining the standard of material produced in Hindi. Government have taken a number of steps in this direction. In order to popularise Hindi abroad, a scheme has been drawn up under which libraries have been established in foreign countries especially where there are Hindi speaking persons of Indian origin. The Central Institute of Indian Languages, Mysore, are developing cooperative research programmes regarding Hindi with universities in U. S. A. The University Grants Commission have recently announced a number of fellowships to those who possess Master's degree who are willing to take up writing of books in regional languages and in Hindi under the supervision of senior professors. This will ensure quality production of books in Hindi.

2. During the 16th session of the General Conference of Unesco held from 12th October to 14th November, 1970, the Minister of Education and Youth Services who was the leader of the Indian delegation stressed the need for Unesco adopting Hindi as a working language. The Indian Resolution recommending intensification of the programme of Unesco's publications in the world's leading languages, particularly Hindi was accepted and an assurance was given by the Director General, Unesco that more publications would be brought out in Hindi with the help of the Indian National Commission for Cooperation with Unesco.

3. It is difficult to get any new languages included among the official languages of the United Nations. Any addition to the list of working languages of the U. N. General Assembly will require an amendment to the Rules of Procedure supported by a majority of the members present and voting. It is not considered likely that the majority would favour introducing any changes in this regard at present.

4. No instructions have been issued to the Indian representatives taking part in the deliberations of U. N. O. to make their speeches in Hindi because Hindi is not the working language of the United Nations.

वित्तीय सहायता के लिए वित्तीय संस्थाओं के विचाराधीन आवेदन पत्र

1775. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 के दौरान वित्तीय सहायता के लिये कितने आवेदन-पत्र वित्तीय संस्थाओं के विचाराधीन थे;

(ख) आवेदन-पत्रों पर निर्णय न लेने के क्या कारण थे; और

(ग) उक्त आवेदन-पत्रों का शीघ्र निपटारा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

भारतीय वैज्ञानिक संस्थान बंगलौर में नियुक्तियां

1777. **श्री दिनकर देसाई** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वैज्ञानिक संस्थान, बंगलौर में अभी हाल ही में कई नियुक्तियां की गई है;

(ख) पिछले 3 से 6 महीने में भरे गये पदों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या इन पदों को पत्रों में विज्ञापित किया गया था ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी तथा लेक्चरर्स/वैज्ञानिक अधिकारी ।

(ग) जी, हां ।

एल्युमिनियम उत्पादों पर उत्पादन शुल्क

1778. **श्री राजशेखरन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 मार्च, 1970 से पूर्व प्राथमिक उत्पादकों एवं बाद के निर्माताओं द्वारा निःस्रावित एल्युमिनियम उत्पादनों पर एक ही केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगता था;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1 मार्च, 1970 के पश्चात बाद के उत्पादक अपने घटिया श्रेणी के उत्पादों पर भी प्राथमिक उत्पादकों द्वारा निर्मित बढ़िया उत्पादकों की तुलना में अधिक उत्पादन शुल्क देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्राथमिक तथा बाद के उत्पादकों पर उनके द्वारा निःस्रावित उत्पादों पर उत्पादन शुल्क का भार समान रूप से लाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) एल्युमिनियम के सभी निःस्रावित आकारों एवं खंडों के लिये, चाहे वे मूल निर्माताओं अथवा परवर्ती निर्माताओं द्वारा निर्मित किये गये हो, उत्पादन शुल्क की दर एक समान ही है । 1-3-1970 से केवल यह परिवर्तन किया गया है कि इस प्रकार के उत्पादों का टैरिफ मूल्य निर्धारित करने वाली वह अधिसूचना रद्द कर दी गई जो उक्त तारीख से पूर्व लागू थी । उक्त तारीख से पहले सभी निर्माताओं के उत्पादों पर, सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य टैरिफ मूल्यों के आधार पर, शुल्क निर्धारण किया जाता था । 1-3-1970 से इन वस्तुओं के वास्तविक मूल्य

पर ही शुल्क-निर्धारण किया जाता है। यदि किसी निर्माता द्वारा निर्मित वस्तु का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक हो तो देय शुल्क की रकम भी उसी मुताबिक अधिक होगी। निःस्रावित आकार तथा खंड कई प्रकार के होते हैं और उनकी किस्म, बनावट, फिनिश (finish) आदि में भी अन्तर होता है, इसलिये परवर्ती निर्माताओं द्वारा निर्मित तथा मूल निर्माताओं द्वारा निर्मित माल के मूल्यों की परस्पर तुलना करना कठिन है।

(ग) पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय ने एल्युमिनियम और उसके उत्पादों की मूल्य नीति की जांच करने के लिये एक कार्यकारी दल नियुक्त किया है। कार्यकारी दल की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में सेवा

1779. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री समर गुह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् से ही बैंकों में सेवा कार्य अत्यधिक रूप से बिगड़ गया है और ग्राहकों की ओर शीघ्रता से ध्यान नहीं दिया जाता; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ग्राहकों के प्रति सेवा में सुधार करने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के विरुद्ध, ग्राहकों की सेवाओं में गिरावट आने की कतिपय शिकायतों की जानकारी है। ये शिकायतें मुख्यतः ऋण मंजूर करने तथा पत्रों पर विचार करने में विलम्ब अथवा कर्मचारियों द्वारा उपेक्षा बरतने के सम्बन्ध में हैं।

(ख) ग्राहकों की सेवा को बढ़िया बनाने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। अलग-अलग शिकायतों की जांच रिजर्व बैंक अथवा सम्बन्धित बैंक से परामर्श करके की जाती है और जहां शिकायतें सही पायी जाती हैं वहां समुचित कार्यवाही की जाती हैं। राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान ने 'ग्राहक-सेवा' का एक कार्य-शिविर चलाया था जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। इस कार्य-शिविर में अनेक सिफारिशें की गयी थीं और उनको यथा सम्भव सीमा तक कार्यान्वित करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों ने बैंक कर्मचारियों को, ग्राहकों को अधिक अच्छी तथा सौजन्यपूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए बल देकर कहा है। 22 जुलाई, 1970 को नयी दिल्ली में हुई सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक में, अधिक अच्छी ग्राहक-सेवा प्रदान करने के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। जमा रकमों में वृद्धि करने के विषय में निर्देश देते समय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर, 1970 में, राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने कार्यचालन में उच्च कोटि की ग्राहक सेवा प्रदान करने की सुनिश्चित व्यवस्था करने की सलाह दी है।

बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाना

1781. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कुछ वस्तुओं पर बिक्री कर को उत्पादन शुल्क में परिवर्तित करने के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पांचवे वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू तथा कश्मीर राज्य और नागालैंड राज्य वर्तमान व्यवस्था को चालू रखने के पक्ष में थे, जिसके अन्तर्गत तम्बाकू, चीनी और कपड़े पर लगने वाले बिक्री कर के बदले अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया गया है। वे अन्य वस्तुओं पर भी यही व्यवस्था लागू करने के पक्ष में थे। बाद में, 4 जुलाई, 1970 को दिल्ली प्रशासन की कार्यकारी परिषद् ने भी प्रस्ताव पास किया कि जिन अन्य मदों पर फिलहाल बिक्री-कर लगता है, उनको भी इस योजना के अन्तर्गत ले लिया जाय।

(ख) बिक्रीकर अधिकांशत: राज्यों के विधायी अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिये किसी भी वस्तु पर बिक्री कर को उत्पादन शुल्क में बदलने के प्रस्ताव पर सभी राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इस सम्बन्ध में पांचवे वित्त आयोग की राय है कि :

"राज्यों के आम विरोध को देखते हुए, अन्य मदों अथवा वस्तुओं पर यह व्यवस्था लागू करने की निकट भविष्य में प्रत्यक्षत: कोई गुंजाइश नहीं है।"

पांचवे वित्त आयोग की इस सिफारिश को सरकार ने मन्जूर कर लिया है।

विकासशील देशों को अमरीकी सहायता

1782. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान अमरीकी प्रशासन के हाल ही के इस निर्णय की ओर दिलाया गया है कि विकासशील देशों के साथ किये गए सभी द्विपक्षीय सहायता करारों में शिथिलता लाई जाये ताकि ये देश आपस में माल खरीद सकें ;

(ख) यदि हां, तो उससे भारत को कितना लाभ होगा ; और

(ग) इस घोषणा पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार इस घोषणा का, सहायता के स्वरूप में सुधार के रूप में स्वागत करती है। आयातकर्ता के रूप में, इस घोषणा के परिणाम-स्वरूप भारत को उस सीमा तक लाभ होगा जिस तक वह कम आय वाले पात्र देशों से, अमरीका की अपेक्षा अधिक सस्ते मूल्यों पर माल खरीद सकेगा। निर्यातकर्ता के रूप में इससे, संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण से ऋण प्राप्त करने वाले, कम आय वाले देशों को भारत अधिक मात्रा में निर्यात कर सकेगा। परन्तु इससे कितनी मात्रा में लाभ होगा इसका निर्धारण कुछ समय बाद ही किया जा सकेगा।

कलकत्ता पत्तन से निर्यात

1783. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता पत्तन से भारत से होने वाले निर्यात पर, असन्तोषजनक पोत सेवाओं, पोत और नौवहन के अधिक किरायों, माल की निकासी में विलम्ब एवं सेवाओं की अनियमितता के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सम्पूर्ण स्थिति क्या है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) कलकत्ता पत्तन से पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात यातायात का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	लाख टनों में
1967-68	41.07
1968-69	39.55
1969-70	34.87

निर्यात की गई मात्रा में कमी असन्तोषप्रद पोतपरिवहन सेवाओं या कलकत्ता में वसूल किये गए अधिक पत्तन प्रभार या निर्यात लागतों में शामिल समुद्रों भाड़े की वास्तविक मात्रा के कारण नहीं हुई।

(ख) निर्यात की वस्तुएं जिनके कारण पत्तन से हुए यातायात में गिरावट आई वे कोयला, खनिज और पटसन थे, कोयले के यातायात में गिरावट मुख्यतः विदेशी बाजारों के हाथ से निकल जाने और दक्षिणी क्षेत्र में रेल के उपयोग के लिये कोयले की थोक मात्रा को रेल से लाने ले जाने के कारण आई क्योंकि पहले यह तटीय जहाजों द्वारा लाया तथा ले जाया जाता था पटसन के यातायात में गिरावट व्यापार में मंदी के कारण आई। जहांतक खनिज का सम्बन्ध है विक्रेताओं की अभिरुचि गहरे डुबाव वाले पत्तनों के लिए होने की दृष्टि से कलकत्ता से हुए निर्यात में गिरावट आई है।

(ग) 1971 में गहरे डुबाव और यांत्रिक धरा उठाई की सुविधाओं वाली हल्दीया गोदी के यातायात के लिए खुल जाने से और लगभग उक्त समय तक फरक्का बांध के संभवतः चालू होने से यातायात वृद्धि में विशेषतः कलकत्ता पत्तन से होने वाले निर्यात-यातातात में मदद मिलने की संभावना है क्योंकि ये दो परियोजनाएं जहाजों के डुबाव और लम्बाई के बारे में वर्तमान पत्तन के प्रतिबन्धों जो यातायात की वृद्धि में बाधक है, को हटाने के लिये अभिकल्पित की गई है।

एयर लाइन्स संचालक समिति की सिफारिशें

1784. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर लाइन्स संचालन समिति ने असैनिक उड्डयन निदेशालय

से यह सिफारिश की थी कि हवाई अड्डों और नगर के टर्मिनल कार्यालयों के बीच एयर लाइंस की बसों पर विमान यात्रियों द्वारा यात्रा करने और एयर लाइन्स के कुलियों द्वारा उनका असबाब मुफ्त ढोने की वर्तमान सुविधाओं को समाप्त कर दिया जाय ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) हवाई अड्डों और नगर टर्मिनल कार्यालयों के बीच एयर लाइन्स की बसों द्वारा ले जाये जाने वाले यात्रियों की औसत संख्या क्या है ;

(घ) बस किराया तथा ढुलाई खर्च के रूप में इस समय होने वाले खर्च की तुलना में एयर लाइन्स को इन दोनों स्रोतों से अलग-अलग कुल कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा ;

(ङ) अतिरिक्त राजस्व को किस प्रकार खर्च किया जाएगा ;

(च) क्या सरकार ने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है ; और

(छ) यदि हां, तो वह कब से लागू हो जायेंगे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) और (ख). जी, हां। दिल्ली स्थिति हवाई कम्पनी परिचालकों की समिति ने नागर विमानन के महानिदेशक से सम्पर्क किया है और सुझाव दिया है कि इस सुविधा की व्यवस्था यात्रियों के खर्च पर किसी प्राइवेट एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए।

(ग) से (छ). प्रश्न नहीं उठते, क्योंकि सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया है।

विमानों के अपहरण का राकन क लिए भारत में कार्य कर रही अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों का सम्मेलन

1785. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमानों के अपहरण को रोकने के बारे में विचार करने के लिए असैनिक उड्डयन के महानिदेशक के सभापतित्व में 17 सितम्बर, 1970 को इण्डियन एयरलाइन्स तथा भारत में कार्य कर रही 12 अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के प्रतिनिधियों का नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें गृह-कार्य मंत्रालय तथा सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों ने भी भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या सुझाव दिये तथा क्या निर्णय किया गया ; और

(ग) क्या सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है तथा उन्हें लागू कर दिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). विमानक्षेत्रों पर सुरक्षात्मक प्रबन्धों को मजबूत करने के लिये आवश्यक उपायों के सम्बन्ध में एयरलाइनों के प्रतिनिधियों तथा सम्बन्धित सरकारी प्राधिकारियों के बीच विचारों का आदान-प्रदान हुआ था। तब से लेकर, विमानक्षेत्रों पर कई सुरक्षात्मक उपाय

लागू किये जा चुके हैं, जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं :-

(i) एयरक्राफ्ट नियमों के नियम 8—क के उपबन्धों को सख्ती से लागू करने के लिए सीमा-शुल्क अधिकारियों को अनुदेश जारी कर दिए गये हैं, जिनके अनुसार सरकार की अनुमति के बिना, भारत के लिये, से, में अथवा के ऊपर से हथियार, विस्फोटक पदार्थ अथवा खतरनाक सामान ले जाना निषिद्ध है ।

(ii) यह व्यवस्था करने के लिए कि सिविल पुलिस तत्काल उपलब्ध हो सके, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे विमान-क्षेत्रों के आहातों में पुलिस स्टेशन खोलें जिनमें पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हों ।

(iii) यात्रियों तथा उनके निजी सामान की जांच करने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया जा रहा है ।

(iv) दर्शकों को ट्रांजिट लौंजों में जाने की अनुमति नहीं है ।

(v) विशेष परिस्थितियों के सिवाय, परिचालन क्षेत्र में वाहन यातायात को निषिद्ध कर दिया गया है ।

Collection of Income Tax from Himachal Pradesh, Manipur and Delhi

1786. **Shri Ram Gopal Shalwale**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of Income-tax receipts during each of the last 3 years from Himachal Pradesh, Manipur and Delhi, separately ; and

(b) the annual grants given by the Central Government for development work to the said States separately during these years ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The collections of Income-Tax during the last 3 years in Himachal Pradesh, Manipur and Delhi were :

(In round lakhs of rupees)

	1967-68	1968-69	1969-70
Delhi	22,67	27,79	33,34
Himachal Pradesh	47	67	77
Manipur	9	14	19

The figures of 1969-70 are provisional

(b) The Central grants for Plan Schemes given to Himachal Pradesh and Manipur during the last 3 years were :

(In round lakhs of Rs.)

	1967-68	1968-69	1969-70
Himachal Pradesh	5,90	6,71	6,73
Manipur	1,05	1,32	1,22

Delhi, being a Union Territory without Legislature, its entire expenditure (developmental as also non-developmental) constitutes direct expenditure of the Central Government.

Construction of a New Bridge Over Jamuna Near Shantivana

1787. **Shri Ram Gopal Shalwale**: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that lakhs of persons from Shahdara, Ghaziabad and other trans-Yamuna colonies have to pass over the Yamuna bridge daily and on many occasions due to traffic jams on the bridge, businessmen and Government servants have to face great hardship and accidents also take place there as a result thereof ;

(b) whether Government have drawn up any plan to construct a new bridge over the Yamuna near Shantivana in order to remove the above hardship ;

(c) if so, the time by which its construction work is likely to be started ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) Yes, Sir. Traffic jams do occur at times. No accident has been caused as a result of traffic congestion on the bridge.

(b) There is a proposal to construct a new bridge near the Shantivana.

(c) and (d). Model studies for the exact location of the site for the Bridge are in progress at the Central Water and Power Research Station, Poona, who have been requested to expedite their Report. An estimate amounting to Rs. 83,000/- for sub-soil investigation including the taking of bore holes for the purpose of preparation of the design of bridge foundation etc. is under consideration at present by the Delhi Administration. Further action to prepare the plans and estimates for the construction of the bridge will be taken by the Delhi Administration as soon as the results of the investigations become available. It is not possible to indicate, at this stage, the likely date for starting the construction work.

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों द्वारा नया व्यापार आरम्भ करना

1788. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों (तत्कालीन) को मुआवजे के रूप में उन्हें दी जा रही धन राशि से नया व्यापार आरम्भ करने की अनुमति दे दी गई है ;

(ख) क्या कुछ मण्डलों ने नई कम्पनियां बना कर पहले ही व्यापार आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). उन 14 बैंकिंग कम्पनियों द्वारा, जिनके उपक्रमों को बैंक समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण), अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत हाथ में लेकर तदनुरूप नये बैंकों के सुपुर्द कर दिया गया था, मुआवजे की प्राप्त रकम से किसी प्रकार का व्यापार चलाये जाने पर कोई रोक नहीं है, यदि वह ऐसे व्यापार की स्थापना और उसके संचालन से सम्बन्धित कानून (यदि कोई हो) के अनुसार हो। सरकार को, ऐसी कम्पनियों के किसी भी निदेशक-मण्डल द्वारा नई कम्पनियां बना कर व्यापार शुरू किये जाने के बारे में जानकारी नहीं हैं।

कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा संस्थानों को दी गई पुनर्वित्त सुविधायें

1790. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा कृषि विकास योजनाओं के लिए दीर्घ तथा मध्यम अवधि के लिए वित्त की अपेक्षा करने वाले योग्य संस्थाओं को वर्षवार एवं राज्य-वार कितना पुनर्वित्त सम्बन्धी सुविधाएं दी गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : कृषि पुनर्वित्त निगम, मोटे तौर पर पुनर्वित्त व्यवस्था करने वाला एक अभिकरण है जो सुधार संस्थाओं के लिये दीर्घावधिक वित्तीय सुविधाएं देता है। एक वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण संलग्न है जिसमें 30 जून, 1970 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान, निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं के वितरण का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

30 जून 1968, 1969 और 1970 को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं के राज्यवार वितरण का ब्यौरा

राज्य	योजनाओं की संख्या			संबद्ध रकम (करोड़ रुपयों में)			निगम द्वारा दिया गया वचन (करोड़ रुपयों में)		
	30.6.68	30.6.69	30.6.70	30.6.68	30.6.69	30.6.70	30.6.68	30.6.69	30.6.70
आंध्र प्रदेश	11	40	11	2.52	21.38	6.20	2.10	18.21	5.58
असम	—	1	3	—	0.07	0.27	—	0.07	0.18
बिहार	3	—	2	10.20	—	6.23	8.85	—	4.75
दिल्ली	3	—	—	0.40	—	—	0.31	—	—
गुजरात	9	6	24	7.73	2.78	14.26	6.80	2.50	12.10
हरियाणा	6	1	4	7.93	3.90	2.14	7.02	3.51	1.89
जम्मू और कश्मीर	1	1	1	0.75	0.30	0.95	0.56	0.23	0.71
केरल	9	2	1	3.51	1.07	0.67	2.27	0.93	0.21
मध्य प्रदेश	5	5	5	3.74	8.08	3.27	3.37	7.27	2.91
महाराष्ट्र	7	—	8	6.14	—	5.94	5.32	—	5.11
मसूर	9	15	40	8.82	1.32	10.40	7.57	1.00	9.09
उड़ीसा	—	2	5	—	0.35	1.33	—	0.26	1.00
पंजाब	11	10	6	6.06	20.42	6.26	5.44	18.48	5.13
राजस्थान	—	5	5	—	3.86	3.70	—	3.38	3.33
तमिलनाडु	10	7	20	6.62	2.69	11.21	5.755	2.25	9.61
उत्तर प्रदेश	4	12	5	3.13	12.75	19.90	2.81	11.03	9.28
पश्चिम बंगाल	1	1	2	0.61	0.24	0.05	0.46	0.20	0.04
जोड़	89	108	142	68.16	79.21	92.78	58.64	69.32	70.92

नेशनल लायब्रेरी, कलकत्ता की प्रशासकीय तथा संगठनात्मक व्यवस्था

1791. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल लायब्रेरी, कलकत्ता की प्रशासकीय तथा संगठनात्मक व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के प्रशासनिक और संगठनात्मक ढांचे/रूपरेखा में, डा० झा समिति और न्यायपूर्ति खोसला समिति की सिफारिशों के अनुसरण में लागू किये जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन सिफारिशों पर उठाये गये कदमों की सूचना सहित उन विवरणों में पहले ही व्यक्त कर दिये गये हैं जो समितियों की रिपोर्ट के साथ 14 अगस्त, 1970 को लोक सभा पटल पर रखा गया था ।

Arrears of Income Tax

1793. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of those top 50 firms against whom maximum arrears of Income Tax are outstanding ;

(b) the exact amount thereof in each case ;

(c) the steps taken to recover the amount of arrears and the results achieved therefrom ; and

(d) the steps proposed to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Shortage of Small Coins in Delhi

1794. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the people in Delhi and in its satellite towns are facing a great deal of difficulty due to shortage of small coins ; and

(b) if so, the action being taken to remove this shortage ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No complaints regarding general shortage of small coins in Delhi and its setellite towns have been received from the public.

(b) Does not arise.

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा अर्जित लाभ

1795. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969-70 में एक औद्योगिक वित्त निगम ने वर्ष 1968-69 की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लाभ अर्जित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का लेखा-वर्ष जुलाई से जून तक होता है। निगम को 1969-70 में 1968-69 की अपेक्षा अधिक शुद्ध लाभ हुआ था अर्थात् निगम को 1969-70 में 195.82 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था जब कि 1968-69 में यह लाभ 170.32 लाख रुपये का था। इस वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि पिछले वर्ष की समाप्ति के समय की तुलना में इस वर्ष संचित बकाया ऋणों की रकम अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप ब्याज से अधिक आय हुई। वृद्धि ब्यौरा इस प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

	1968-69	**1969-70**
कुल आय	1193.81	1281.57
बाण्डों और अन्य ऋणों पर दिया गया ब्याज	739.24	793.56
अन्य व्यय	62.46	55.19
कराधान के लिये व्यवस्था	221.79	237.00
	1023.49	1085.75
शुद्ध लाभ	170.32	195.32

नई दिल्ली नगर पालिका के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का दिल्ली प्रशासन को हस्तान्तरण

1796. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका ने अपने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का हस्तान्तरण दिल्ली प्रशासन को न करने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश अध्यापकों ने इस प्रकार के हस्तान्तरण के लिये अपनी इच्छा प्रकट की है ; और

(ग) यदि हां, तो इन संस्थाओं को अपने अधिकार में लेने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). नई दिल्ली, नगर पालिका द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, यद्यपि यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने अपने माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का हस्तांतरण दिल्ली प्रशासन को न करने का निश्चय किया है। तथापि यह यथार्थ नहीं है कि अधिकांश अध्यापकों ने इस प्रकार के हस्तांतरण के लिये अपनी इच्छा प्रकट की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड के जहाजों के लिए बाजार

1797. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में अपने जहाजों के लिये बाजार खोलने की सम्भावनाओं का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). जहाजों को निर्यात करने की संभावनाएं हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० विशाखापत्तनम के विचाराधीन हैं।

दिल्ली के स्कूलों में उपकरण की खरीद और अतिरिक्त संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए छात्रों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाना

1798. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने दिल्ली के स्कूलों में आवश्यक उपकरणों की खरीद और अतिरिक्त योग्यता वाले अध्यापकों की नियुक्ति के लिये छात्रों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के लिये कुछ विनियम निर्धारित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे विनियम क्या हैं ;

(ग) क्या इस विनियम से अध्यापिकाएं मातृत्व अवकाश का लाभ प्राप्त करने से वंचित होती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संविधान की भावना के प्रतिकूल लगे इस प्रतिबन्ध को हटाने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) पत्र सं० एफ 6-18/58 एस० ई 2 (ए) दिनांक 14 मई, 1960 तथा एफ 48-144/67 बी० ए० ई-5, दिनांक 22-2-68 की प्रतियां सभा-पटल पर रख दी गई हैं जिनमें इस विषय पर अनुदेश दिये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० 4346/70]**

(ग) जिन अध्यापकों को विकास शुल्क से वेतन दिया जाता है वे आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त किसी ऐसे अन्य लाभ के पात्र नहीं होते जो उन अध्यापकों को उपलब्ध होते हैं जो नियमित आधार पर काम करते हैं ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

कलकत्ता 'सिटी' में स्पोर्ट्स स्टेडियम

1799. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता 'सिटी' में कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है ;

(ख) क्या सरकार का विचार कलकत्ता में एक स्टेडियम का निर्माण करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो यह स्टेडियम कब और कितने समय में तैयार हो जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) कलकत्ता में दो खेलकूद स्टेडियम हैं ; एक, रवीन्द्र सरोवर में और दूसरा ईडन गार्डन्स में ; परन्तु इन दोनों में से किसी को भी पूर्ण रूप से स्टेडियम की संज्ञा नहीं दी जा सकती ।

(ख) और (ग). पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने ईडन गार्डन्स, कलकत्ता में एक संयोजित स्टेडियम के लिए योजना बनाई है । फिलहाल योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

कृषि उत्पादन तथा लघु उद्योगों आदि के लिये राष्ट्रीयकृत तथा गैर-सरकारी बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

1800. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा गैर सरकारी बैंकों ने 'अलग-अलग', कृषि उत्पादन, लघु उद्योगों, सामान्य तौर पर थोक व्यापार तथा विशेषकर खाद्यान्नों और अन्य कार्यों के लिये, राज्यवार, कुल कितना ऋण दिया है ;

(ख) क्या थोक व्यापार के लिये बैंक से ऋण देना पूर्णतया बन्द करने तथा किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों को वह ऋण 50 प्रतिशत तक देने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा राष्ट्रीयकरण के बाद, प्रश्न में उल्लिखित सभी मदों के लिये दिये गये ऋणों के अलग-अलग राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों की जून, 1970 के अन्त में बकाया रकमों के राज्यवार आंकड़े

संलग्न विवरण की सारणी 1 और 2 में दिये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4347/70]**

(ख) और (ग). बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य यह था कि कृषि, लघु उद्योग और अन्य श्रेणियों के छोटे ऋणकर्ताओं के अब तक उपेक्षित क्षेत्रों को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में ऋण सुलभ करने की सुनिश्चित व्यवस्था की जाय। इस उद्देश्य को देखते हुए, बैंक इन क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋण में वृद्धि करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, जैसा कि संलग्न विवरण की सारिणी 3, 4 और 5 से जाहिर होता है। इसके साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय किये गये हैं कि ऋण का उपयोग अनुत्पादक कार्यों अथवा सट्टेबाजी के प्रयोजनों के लिए न हो। रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा अपनाये जाने के लिए एक प्रपत्र निर्धारित किया है जिसका उद्देश्य ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार करना और इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करना है कि ऋण का उपयोग अन्ततः उसी प्रयोजन के लिये हो जिसके लिये वह लिया जाए। रिजर्व बैंक ने अपेक्षाकृत अधिक बड़ी ऋण सीमाओं की मंजूरी देने पर भी कुछ पाबन्दियां लगायी हैं। लेकिन जब तक ऋण उत्पादक प्रयोजनों के लिये मांगा गया है, तब तक व्यापार अथवा उद्योग के लिए चाहे वह बड़े पैमाने के क्षेत्र में हो अथवा छोटे पैमाने के क्षेत्र में—ऋण देने से इन्कार करने का कोई इरादा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय के साथ पत्र-व्यवहार
CORRESPONDENCE WITH MR. SPEAKER

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप संसदीय मामले या सभा के कार्य आदि के बारे में मुझे जो पत्र लिखें, वह मेरे वैयक्तिक नाम से न भेजा जाये। उस पर 'अध्यक्ष, लोक सभा' या 'अध्यक्ष महोदय' लिखा जाये, ताकि वह मेरे व्यक्तिगत पत्रों में न मिल सके। व्यक्तिगत पत्रों में मिल जाने पर कभी-कभी उस पत्र को देखने में विलम्ब हो जाता है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय का स्वास्थ्य
HEALTH OF THE DEPUTY SPEAKER

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान्, हम जानना चाहते हैं कि अब उपाध्यक्ष महोदय का स्वास्थ्य कैसा है ?

अध्यक्ष महोदय : हमें प्रसन्नता है कि सरकार ने प्रार्थना स्वीकार कर ली है और हमने उन्हें आपरेशन के लिए लन्दन भेज दिया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह शीघ्र ही ठीक हो जायें।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

"एस० एस० महाजगमित्र" का लापता होने का समाचार

श्री नाथ पाई (राजापुर): श्रीमान्, मैं संसदीय कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री

का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"एक मालवाहक जहाज "एस० एस० महाजगमित्र" के पाकिस्तानी जल क्षेत्र में लापता हो जाने का समाचार तथा उसे ढूंढ़ निकालने के लिए की गई कार्यवाही ।"

पोत परिवहन तथा परिवाहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का पोत एम० वी० महाजगमित्र जो साउथ ईस्ट एशिया शिपिंग कंपनी द्वारा माटकित किया गया था 11 नवम्बर, 1970 को लगभग 10.00 बजे कलकत्ता से कुवाइत के लिये माल लेकर सैंडहेड्स से चला । इस पोत में 49 व्यक्ति थे और 5700 टन माल, जो जूट, चाय और अन्य सामान्य माल और इस्पात था, लेकर जा रहा था । संभवतया यह पोत उस चक्रवात तूफान में फंस गया जो हाल में पूर्वी पाकिस्तान में आया और वह संकट संदेश भेजने के बाद 12 नवम्बर, 1970 के अपराह्न से लापता है । संकट संदेश भेजने के समय पोत की अनुमानित स्थिति 20°30' उत्तर और 89°00' पूर्व थी ।

संकट संदेश प्राप्त होने के तुरंत बाद ही पोत की खोज निकालने तथा उसकी सहायता के लिये गहन और व्यापक खोज की गई । उसके निकटस्थ जहाजों को संकट संदेश के प्रत्युत्तर में कार्यवाही करने के लिये कहा गया । भारतीय नौसेना, वायु सेना और कलकत्ता आयुक्तों को सतर्क किया गया और उन्हें सहायता करने तथा पोत की हवाई तथा सतही खोज करने के लिए और सहायता पहुंचाने के लिये कहा गया । भारतीय पोत "देशलोक" और "विश्वमहिमा" और विदेशी पोत "तीस्ता" ने समुद्र में उक्त क्षेत्र में तथा उसके आसपास खोज की है । भारतीय वायु सेना ने व्यापक हवाई खोज की है। परंतु दुर्भाग्यवश पोत के बाबत कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । खोज अभी भी जारी है । सभी संबंधित संगठन अर्थात् पोत परिवहन महानिदेशालय, आकाशवाणी कलकत्ता, भारतीय नौ सेना तथा वायु सेना, नागर विमानन प्राधिकारी तथा कलकत्ता पत्तन आयुक्त मिलजुल कर जहाज की तलाश तथा उसे बचाने और उत्तर-जीवियों के लिये हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं । आसपास के जहाजों को संबंधित जहाज को गहन दृष्टि से देखते रहने के लिये कहा गया है । अपने पड़ोसी समुद्री देशों पाकिस्तान और बर्मा से भी अनुरोध किया गया है कि यदि वे अपने तटों पर या उनके निकट उक्त जहाज को देखें या इस संबंध में उन्हें कोई और सूचना मिले तो वे हमें सूचित करें। सरकार ने इस्लामाबाद में हमारे उच्चायुक्त और बर्मा में हमारे राजदूत से भी अनुरोध किया है कि यदि उन्हें पाकिस्तान और बर्मा के समुद्री क्षेत्र में उक्त जहाज का पता लगे तो हमें सूचित करें । पाकिस्तान और बर्मा की सरकारों से भी उनके क्षेत्र के ऊपर उड़ने की अनुमति प्राप्त करने के बाद भारतीय वायु सेना के वायुयानों ने पाकिस्तानी व बर्मी क्षेत्र में लापता पोत और उसके कर्मियों की पूरी तरह से हवाई खोज की है ।

2–दक्षिणी-पूर्वी एशिया पोतपरिवहन कंपनी के एक निदेशक, श्री व्राग 17 नवम्बर, 1970 को पूर्वी पाकिस्तान के लिये रवाना हुये ताकि वे पोत और उसके कर्मिकों के बारे में जानकारी यदि उपलब्ध हो, प्राप्त कर सकें । ढाका में हमारे उप उच्चायुक्त को श्री व्राग को हर संभव सहायता देने के लिये कहा गया है । सभी संभव प्रयत्नों को करने पर भी, मुझे सदन

को यह सूचित करने में खेद है कि हमें अभी तक पोत तथा उसके कर्मिकों के बारे में कोई सूचना नहीं मिल सकी है।

श्री नाथ पाई : उक्त पोत को लापता हुए लगभग एक सप्ताह बीत गया है। क्या सरकार को अब भी यह आशा है कि पोत प्राप्त हो जायेगा अथवा वह इस दुखद निष्कर्ष पर पहुंच गई है कि पोत खो गया है ? यदि सरकार को सूचना 9 नवम्बर को मिल गई थी तो विमान को 11 तारीख को यात्रा शुरू करने की अनुमति क्यों दी गई ? क्या सरकार भारतीय समुद्री तट पर इस समय विद्यमान चक्रवात एवं तूफान की सूचना देने वाले प्रबन्ध को संतोषजनक मानती है ?

श्री इकबाल सिंह : चूंकि हम अभी तक उक्त पोत को तलाश कर रहे हैं और इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि पोत खो गया है। यह सच है कि चक्रवात-तूफान की सूचना हमें 9 तारीख को मिल गई थी और हमने कलकत्ता बन्दरगाह के आयुक्त को तूफान की चेतावनी का संकेत देने के लिए कह दिया था। किन्तु पोत को ले जाने या न ले जाने का निर्णय करना पोत के 'मास्टर' का काम है।

तूफान की चेतावनी के संकेत देने की व्यवस्था का हम पुनर्विलोकन करेंगे और यदि उससे कोई दोष होगा तो उसको सुधारेंगे। किन्तु इस मामले में पोत चालकों के पास तूफान से सम्बन्धित सभी जानकारी उपलब्ध थी और वे अन्तिम समय तक पोत को चक्रवात से बचाने का प्रयास कर रहे थे।

श्री नाथ पाई : उक्त पोत को तलाश करते समय भारत ने किन-किन देशों से सहयोग मांगा और उन्होंने क्या सहयोग दिया ?

श्री इकबाल सिंह : जहां तक विदेशों से सहयोग प्राप्त करने का सम्बन्ध है हमने अपने पड़ोसी देशों से यह अनुरोध किया था कि वे अपने राज्य क्षेत्र और जल क्षेत्र के ऊपर से हमारे वायु सेना के विमानों को उड़ने की अनुमति दें। उन्होंने इसकी अनुमति हमें दे दी थी।

श्री नाथ पाई : दूसरे सदन में आपके वरिष्ठ सहयोगी ने कहा था कि तूफान चेतावनी का संकेत प्रदर्शित करने के बाद पोत को आगे बढ़ने की अनुमति किसने दी, इसकी जांच के लिए आदेश दे दिये गये हैं। यहां आपने पोत के मास्टर को इस मामले में निर्णय लेने के लिए सर्वेसर्वा बताया है।

संसद् कार्य और पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरमैया) : मुझे स्वयं को इस बात पर आश्चर्य हुआ था कि ऐसी स्थिति में पोत को क्यों जाने दिया गया। पोतपरिवहन के महानिदेशक ने इस सम्बन्ध में जांच भी की थी। साथ ही, जो बात मेरे सहयोगी ने कही है, वह भी ठीक है।

एक अन्य बात इस सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूं कि हमें एक ऐसा समाचार मिला है, जिसकी अभी पुष्टि नहीं हो सकी है, और जिसमें बताया गया है कि पूर्वी पाकिस्तान से कुछ दूरी पर एक जहाज डूब गया है। इस बारे में हम हर सम्भव स्रोत से ठीक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी सम्भव है कि जो पोत वहां डूबा है वह हमारा न हो।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबौर) : चक्रवात-तूफान के बारे में जो चेतावनी दी गई थी, क्या उसने तूफान की भंयकरता का भी संकेत दिया गया था। क्या उसमें यह भी बताया गया था कि तूफान का ठीक स्थान उस समय कहां था ? क्या कम्पनी ने पोत और उसमें लदे सामान का बीमा कराया हुआ था ? क्या पोत के कर्मचारियों के लिए मुआवजे की भी कोई व्यवस्था है ? क्या पोत की खोज अभी जारी है अथवा नहीं ?

श्री रघुरामैया : पोत का बीमा कराया हुआ था और उन्हें उसका लाभ मिलेगा। जहां तक चेतावनी देने का सम्बन्ध है, एक दिन में 6 बार चेतावनी दी जाती है। 16 नवम्बर 1970 को प्रातः जो चेतावनी दी गई थी, उसमें तूफान की स्थिति 16 अंश उत्तर और 87 अंश पूर्व थी। पोत के मास्टर ने कदाचित यह सोचकर कि वह तूफान से बच जायेगा, पोत को आगे बढ़ा दिया होगा। किन्तु दुर्भाग्य से वह उसकी लपेट में आ गया।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : यदि मंत्री महोदय ने 'आनन्द बाजार पत्रिका' को देखा होता तो उन्हें इस बारे में पूर्ण ब्यौरा मिल जाता। उसके मुख्य पृष्ठ पर ही जो कुछ हुआ है, उसका ब्यौरा दिया हुआ है। कलकत्ता बन्दरगाह और समुद्र के बीच पोत पूर्णतः पोतचालक के नियंत्रण में होता है और पोतचालक कलकत्ता पोत आयुक्त द्वारा नियंत्रित होता है। यहां पोत के मास्टर का नियंत्रण पोत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कलकत्ता के पत्तन आयुक्त ने पोतचालक को उस सीमा से परे पोत को ले जाने की अनुमति क्यों दी जहां से तूफान की चेतावनी प्राप्त हुई थी। क्या सरकार ने पोतचालक-दल के निकट सम्बन्धियों को कुछ मुआवजा दिया है ?

श्री रघुरामैया : पोत की सुरक्षा के बारे में हम भी उतने ही चिन्तित हैं जितने कि मेरे अन्य मित्र। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि तूफान की चेतावनी मिलने पर सभी पोत परिवहन को बन्द नहीं कर दिया जाता फिर भी हम इस बात पर विचार कर रहे कि क्या इस मामले में पोतपरिवहन का महानिदेशक किसी प्रकार की सहायता कर सकता था। तूफान की जानकारी पोतचालक और पोत के मास्टर दोनों को थी पोत के मास्टर का विचार था कि वह तूफान से बच जायेगा।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : क्या कलकत्ता पत्तन की हड़ताल के कारण पोत को खोजने में कोई बाधा पड़ी थी ? जो पोत गुम हुआ है उसकी भारवहन क्षमता कितने टन थी और क्या उसकी भारवहन क्षमता कम थी और वह पुराने किस्म का पोत था, इस लिए वह तूफान का सामना नहीं कर सका ? क्या दो अन्य पोत जो तूफान का सामना सफलतापूर्वक कर सके, उनकी क्षमता अधिक थी और वे आधुनिक किस्म के थे।

श्री रघुरामैया : इस पोत की भारवहन क्षमता 5,700 टन थी। अन्य दो पोतों की क्षमता के बारे में अभी मैं नहीं बता सकता हूं। कलकत्ता पत्तन पर हड़ताल बहुधा होती रहती है और उसका नियमित नौवहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में
RE: MAHARASHTRA GOVERNMENT SERVANTS STRIKE

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I have written several times to you on the subject that we should be given chance to discuss every matter of urgent public importance

irrespective of the fact that it is within the jurisdiction of the States. We have had such occassions in the past. We discussed the attack on Mr. Chatterjee and the Naxalite violence in West Bengal. Lok Sabha should have the right to discuss matters of urgent public importance. Now there is a strike of Government employees in Maharashtra on account of which Maharashtra Gevernment had to cancel the scheduled session of State Legislative Assembly. I request you that we should be given opportunity to discuss the Maharashtra Government servant's strike either through a motion under rule 193 or through a Calling Attention Notice.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : इस विषय पर मैंने भी आपको लिखा था। इस मामले में आप शीघ्र ही निर्णय लें। संविधान के अनुच्छेद 355 के अन्तर्गत केन्द्र का यह कर्त्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य में प्रशासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलता रहे। इस दृष्टि से लोक सभा को संविधान के अनुसार ऐसे मामलों पर विचार करने का अधिकार प्राप्त है। चूंकि महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण वहां की विधान सभा का सत्र स्थगित करना पड़ा और वहां की हड़ताल का प्रभाव केन्द्रीय सेवाओं पर भी अनिवार्य रूप से पड़ेगा, इसलिये मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमें इस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाने की अनुमति दें।

डा० राम सुभग सिंह : (बक्सर) यह एक गम्भीर मामला है। मेरा यह सुझाव है कि पश्चिमी बंगाल तथा अन्य राज्यों के मामलों की भांति इस पर सभा में चर्चा करने की अनुमति दी जाये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, Maharashtra Government is facing an extra-ordinary situation. On account of the strike of State Government employees, they had to cancel the Assembly session. This is a serious matter. State employees have been demanding increased dearness allowance and the State Government is demanding financial help from the Central Government for this purpose. The demand of the State Government employees is reasonable in view of the increase in dearness allowance of Central Government employees. These all issues are interconnected and they should be dicussed in the House. I request you to fix time for this.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्रीमान, महाराष्ट्र विधान सभा के सत्र को हड़ताल की वजह से रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र में राज्य का प्रशासन ध्वस्त हो गया है। इस दृष्टि से हमें इस विषय पर विचार करने का अधिकार है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महाराष्ट्र के 4-5 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी हड़ताल से प्रभावित हैं। उक्त हड़ताल से राज्य की सेवाएं अस्त-व्यस्त हो गयी हैं। वहां की परिवहन व्यवस्था पूर्णतः अस्त-व्यस्त है। इससे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी भी समय पर अपने कार्यालयों में नहीं पहुंच पायेंगे। इसके अतिरिक्त तेलंगाना बंध, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की हड़ताल पर चर्चा का अवसर सभा में मिल चुका है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया जाये अथवा किसी अन्य नियम के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति दी जाये।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : श्रीमान्, विधि-व्यवस्था का प्रश्न ऐसा है जिसका सम्बन्ध

न केवल राज्य सरकारों से है, बल्कि केन्द्रीय सरकार से भी होता है। इस दृष्टि से इस विषय पर लोक सभा में चर्चा की जा सकती है।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : राज्य सरकार ने इस मामले को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। वह इस बात पर अटल है कि "जब तक हड़ताल वापस नहीं ली जाती तब तक वह कर्मचारियों से बातचीत करने के लिये तैयार नहीं है।" यदि ऐसी स्थिति में हड़ताल चलती रही, तो स्थिति और भी अधिक विषम हो जायेगी। ऐसी स्थिति में इस मामले में यहां विचार किया जा सकता है।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : यह राज्यपाल के अधिकार के अन्तर्गत है कि वह प्रति 6 महीने की अवधि में जब चाहे विधान सभा का सत्र बुलाये अथवा सत्र को स्थगित कर दे। मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य की स्वायत्तता में हस्तक्षेप की प्रवृत्ति कहां जाकर समाप्त होगी। अब तक तो यह परम्परा रही है कि सरकार की ओर से ऐसे विषय पर एक वक्तव्य दिया जाता है और संसद् सदस्य तत्सम्बन्धी जानकारी के आधार पर उस मामले में हस्तक्षेप करते हैं। अतः मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह सरकार से इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने के लिये कहे।

Shri Rabi Ray (Puri) : Hon. Member should not become oblivious of the practice and convention being followed in the House. We have discussed such matters in the House several times in the past. He should not side with the Government in this matter.

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मधु लिमये के प्रस्ताव को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, जिसमें इस विषय पर चर्चा की मांग की गई है। मैं इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा हूं कि हम इन मामलों को कहां तक ले सकते हैं। विचार-विमर्श के बाद यह निश्चय किया गया कि जहां तक सम्भव हो ऐसे राज्य के मामलों को यहां उठाने से बचा जाय। बाद में मैंने पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के मामलों को भी सभा में विचार के लिये स्वीकार नहीं किया था। यदि एक आध बार ऐसा हो भी गया है, तो उसे परम्परा के रूप में नहीं माना जा सकता। **[अन्तर्बाधाएं]**

जहां तक विधान सभा के सत्र के स्थगित किये जाने का प्रश्न है, मैं नहीं चाहता हूं कि इस विषय पर संसद् में चर्चा हो। ऐसी चर्चा किसी भी राज्य की विधान सभा या राज्य सरकार को स्वीकार्य नहीं होगी।

श्री बाजपेयी ने कहा है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मांग की थी और केन्द्रीय सरकार ने उसकी मांग स्वीकार नहीं की। मैं इस मामले की छानबीन करूंगा। जहां तक सरकार से वक्तव्य की बात है, मैं सरकार से वक्तव्य देने के लिये कहूंगा। जो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, उस पर सभा में चर्चा की अनुमति देने के पक्ष में मैं नहीं हूं। वैसे मैं आपकी सहायता करने को तैयार हूं और इस सम्बन्ध में मैं अपना निर्णय सोमवार को दूंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

संसद-कार्य और पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निम्नलिखित विवरण जिनमें लोक-सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और की गयी प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा क्रियान्विति दर्शायी गई है :—

तीसरी लोक सभा

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या 16 ... तेरहवां सत्र, 1965

चौथी लोक सभा

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या 17 ... पहला सत्र, 1967

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 29 ... दूसरा सत्र, 1967

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 22 ... तीसरा सत्र, 1967

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 28 ... चौथा सत्र, 1968

(छः) अनुपूरक विवरण संख्या 22 ... पांचवा सत्र, 1968

(सात) अनुपूरक विवरण संख्या 15 ... छठा सत्र, 1968

(आठ) अनुपूरक विवरण संख्या 20 ... सातवां सत्र, 1969

(नौ) अनुपूरक विवरण संख्या 10 ... आठवां सत्र, 1969

(दस) अनुपूरक विवरण संख्या 8 ... नवां सत्र, 1969

(ग्यारह) अनुपूरक विवरण संख्या 7,8 और 9 ... दसवां सत्र, 1970

(बारह) विवरण संख्या 1 ... ग्यारहवां सत्र, 1970

[ग्रंथालय में रखें गये। देखिये संख्या एल० टी० 4323/70]

(2) (एक) वाणिज्य पोत-परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत रक्षानौका के नाविकों की (अर्हतायें तथा प्रमाणपत्र) संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 11 अप्रैल 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 611 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4324/70]**

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4325/70]**

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं विमान अधिनियम, 1934 की धारा 14-क के अन्तर्गत, विमान (दूसरा संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 11 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1009 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 4326/70]**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 4327/70]**

(2) केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय विक्रय-कर (रजिस्ट्रीकरण तथा कुल बिक्री) (संशोधन) नियम, 1970 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 29 सितम्बर 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1720-क में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 4328/70]**

(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (तेरहवां संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र, में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1860 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 4329/70]**

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 280 य० ङ० की उपधारा (4) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1312 की एक प्रति, जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 21 मार्च, 1970 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 492 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 4330/70]**

(5) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1310, जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 1686, जो दिनांक 19 सितम्बर, 1970 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4331/70]

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1687 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक

19 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 1715 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 26 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) जी० एस० आर० 1716 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 26 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) जी० एस० आर० 1717 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 21 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) जी० एस० आर० 1754 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) असबाव (दूसरा संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 4 नवम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1875 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) जी० एस० आर० 1792 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 17 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) जी० एस० आर० 2362 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 4332/70]

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वाणिज्य पोत-परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, वाणिज्य पोत-परिवहन (सेवा का प्रमाण-पत्र) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 19 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1682 में प्रकाशित हुये थे । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4333/70]**

(2) मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, पंजाब मोटर गाड़ी (चण्डीगढ़ संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 1 मई, 1970 के चण्डीगढ़ राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5061—एच दो (2)—70/7687 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-4334/70]**

(3) उपर्युक्त मद (2) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों का एक विवरण। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4335/70]**

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के बारे में याचिका
PETITION RE: PREVENTION OF FOOD ADULTERATION ACT

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेंकानाल) : मैं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के बारे में एक याचिका प्रस्तुत करता हूं, जिस पर श्री देतरी साहू, अध्यक्ष वणिक संघ, ढेंकानाल (उड़ीसा) के हस्ताक्षर हैं।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथा पोतपरिवहन और परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : श्रीमान्, आपकी अनुमति से, मैं सदन में घोषणा करता हूं कि सोमवार, 23 नवम्बर, 1970 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्न सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में।
(आगे विचार तथा पास करना)

(2) विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1970 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा।

(3) स्थापित विधेयक, 1970 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।
(विचार तथा पास करना)

(4) संसद् के अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1970।
(विचार तथा पास करना)

(5) दि टी डिस्ट्रिक्ट्स एमिग्रेन्ट लेबर (निरसन) विधेयक, 1967।
(विचार तथा पास करना)

(6) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् विधेयक, 1970 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।
(विचार तथा पास करना)

(7) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1968।
(विचार तथा पास करना)

(8) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (संशोधन) विधेयक, 1969।
(विचार तथा पास करना)

(9) मातृत्व प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1967, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।
(विचार तथा पास करना)

(10) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।
(विचार तथा पास करना)

(11) पश्चिमी बंगाल को मछली की कम सप्लाई किये जाने के बारे में गुरुवार, 26 नवम्बर, 1970 को सायं 4 बजे। नियम 193 के अन्तर्गत आगे चर्चा।

कई माननीय सदस्य उठ खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य कुछ विषयों पर चर्चा उठाना चाहते हैं, वे कार्य-मंत्रणा समिति को अपने सुझाव भेज दें। अगर कार्य-मंत्रणा समिति ने इसको स्वीकार नहीं किया, तब वे इसके बारे में सदन में प्रश्न उठा सकते हैं। मुझे संतोष है कि श्री स० मो० बनर्जी ने यह सूचना लिख के दे दी। मैंने सोचा कि इसे कार्य मंत्रणा समिति को भेज दूं और तत्पश्चात् माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में जानकारी दूं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : हमने इस सुझाव को कि मामला कार्य-मंत्रणा समिति को सौंप दिया जाए स्वीकार करते, मगर हमने देखा है कि यद्यपि समिति द्वारा जो मामला स्वीकार किया जाता है, फिर भी वह सदन के सम्मुख नहीं आता।

दिल्ली नगर निगम का चुनाव मार्च महीने में होने वाला है, मगर श्री पन्त ने कहा कि दिल्ली के नये ढांचे के बारे में सरकार विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में एक निर्णय शीघ्र किया जाना चाहिए। अन्यथा, जब जनसंघ को बहुमत मिलेगा, तो अगर सरकार नगर निगम को भंग करेगी, तो उसको बर्दास्त नहीं किया जा सकेगा। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पर सदन में चर्चा उठाई जानी चाहिए।

Shri Rabi Ray (Puri) : Last time also, I had demanded a discussion on the report of Defection Committee. It seems that the Minister has forgotten it. I want the Minister to state whether discussion will be held or not.

The second thing is that the international situation should also be discussed.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I had tabled a calling attentien notice regarding the eviction of 4 thousand defence employees from their quarters in Kanpur. The Minister had assured us that they would not be evicted. I want the Minister to make a statement thereon.

Tho second thing is that the railway employees are observing dharna at the residence of

the Prime Minister regarding interim relief and Members of Parliament will also take part in dharna. I want the Prime Minister to make a statement, thereon.

Thirdly, the Government have given repeated assurances in the House that the cases of the police personnel, who were suspended or dismissed for taking part in the Delhi agitation will be reconsidered. Some decisions have been taken in this regard. I want the Home Minister to make a statemet in this regard.

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : श्री धर्म तेजा ने लंदन के एक न्यायालय में कुछ सनसनीखेज़ बयान दिये हैं जो सरकार और उनसे सम्बन्धित हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमें सही जानकारी दे। ..(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों ने उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मैंने इस पर विचार किया। हम इस पर अब एक चर्चा चलाना नहीं चाहते हैं क्योंकि यह न्यायालय में चल रहा है। इस मुकदमे में हमारी सरकार भी एक पक्ष है। बाद में सदन में इस पर चर्चा उठाने का मौका दिया जायगा। यह एक बहुत गम्भीर मामला है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : In connection it is said that Shri Dharma Teja had offered himself to return to India in August and written a letter to the Government in this regard.

Mr. Speaker : That matter is over.

Shri Ram Avatar Shastri (Patna) : I want a discussion on late running of trains.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want the Minister of Parliamentary Affairs to clarify four points :

(1) Whether the Government propose to bring forward a new Bill to abolish the privi-purses Bill during the current session, because whatever may be the verdict of the Supreme Court so long as the provisions are there in the constitution it is not desirable to continue the present position from moral point of view.

(2) The Minister had told us the other day that discussion would be held in the House on some companies which prospered through irregular means. Will the Minister give time for discussion on this matter in the coming week ?

(3) I have given a notice where in I asked the Government as to what help they can give to State Governments for enabling them to improve the pay of State Government employees, particularly in the context of the strike observed by the Maharashtra Government employees. Will the Minister give time to discuss this matter also ?

(4) Whether Government propose to introduce any Bill seeking to bring down the minimum age of a voter from 21 to 18 ?

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Fifteen hours have been allotted for discussion on the Fourth Plan. There are rumours that the size of Fourth Plan will be cut by 15 per cent and sometimes it is heard that the size is going to be enlarged. I want that discussion should be held during the coming week. Secondly, the Bill introduced by Shri T. Viswa Nathan, should be passed. It seeks to amend the constitution. With regard to the abolition of privy purses, the Government must make it clear whether a Bill is going to be introduced to amend the constitution. Discussion should be held on Shri Teja also.

श्री हेम बरुआ : (मंगलदायी) श्री धर्म तेजा ने संसद् सदस्यों और भारत के न्यायालयों के बारे में निंदासूचक एवं गंभीर बयान दिया है। अत: मैं चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में सही स्थिति स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे ।

श्री हेम बरुआ : दूसरी बात यह है कि सरकार ने असम में तेलशोधन कारखाना खोलने का निर्णय किया है । उस संबंध में भी एक वक्तव्य दिया जाय, क्योंकि इस संबंध में हमें केवल समाचार पत्रों से ही जानकारी मिली है । तीसरी बात यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में सदन में चर्चा चलायी जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं ।

श्री जे० एच० पटेल : (शिमोगा) कावेरी जल विवाद और महाराष्ट्र और मैसूर सीमा विवाद दो ऐसी समस्यायें हैं जो दक्षिण भारत के राज्यों के बीच मनमुटाव का स्रोत बनी हुई हैं । यह सरकार अब तक इसका समाधान नहीं कर पाई । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसको हल करने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है ।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : मैं माननीय संसद् कार्य मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे मूल्यों में वृद्धि के बारे में आगामी हफ्ते में सदन में चर्चा उठायें । श्री यशवन्त राव चह्वाण तथा अन्य सदस्य भी इससे सहमत हुए । हर चीज का मूल्य अब कई गुना बढ़ गया है । यहां हम केवल कानून और व्यवस्था पर अधिक जोर दे रहे हैं । इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें चर्चा करनी चाहिए ।

Shri Prakashvir Shastri (Hapur) : I would make two submissions. The State Minister in the Ministry of Home Affairs, Shri Mirdha, in his statement had stated that the statement of authorities regarding the death of Shri Lal Bahadur Shastri are not changed and would be laid on the Table of the House. But he did not lay it on the Table of the House, with the result that serious doubts are arising in the minds of the People. I want the Government to lay it on the Table of the House soon and must give time to raise discussion on this matter.

Secondly, will the Government make efforts to see that the All India Radio which is a mass media is not used as a mouth piece of any Particular Party.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Under the Award on Chandigarh, Fazilka and Abohar were given to Haryana. Everyday, a number of complaints are reaching me that water and electricity supplied to them is not enough to meet their requirement. Education facilities are also not given to them. I want that at least for one or two years, these should be made Centrally administered areas.

Regarding ceiling on urban property, no steps have been taken so far to impose ceiling on urban property ,

In U. P., Punjab and Haryana the Mill owners owe crores of rupees to the Sugar cane growers. I request the Government to recover the arrears from them and give it to the cane growers.

Several times the matter regarding the reinstatement of Delhi Policemen has been raised. When the Prime Minister took over the charge of Home Ministry, I hoped she would take necessary steps to re-instate them. After all what is their fault ? I request the Government to re-instate them.

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : क्या सरकार आगामी सप्ताह की या उससे आगे वाले सप्ताह की कार्य-सूची में प्रशासनिक सुधार आयोग में बारे के चर्चा भी शामिल करेगी । मैंने आपको और कार्यमंत्रणा समिति को पत्र भेजा था जिसमें 60 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था । प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण रिपोर्ट कर्मचारी प्रशासन के संबंध में है । अत: मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे इस विशिष्ट रिपोर्ट पर चर्चा चलाने से सहमत हों ।

दूसरी बात यह है कि चतुर्थ योजना पर यथाशीघ्र चर्चा शुरू की जानी चाहिए। अन्तिम बात यह है कि क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर नियमित रूप से चर्चा चलाने का कोई प्रस्ताव लाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर हमें नियमित रूप से चर्चा करनी चाहिए ।

Shri Partap Singh (Simla) : The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri pant, had stated that the Bill seeking to grant state hood to Himachal Pradesh, will be introduced during the next week. But now the busines of the third week has been announced, but the Minister did not make any mention in this regard as to when it will be taken up for discussion. I hope that the Minister will make an announcement that the Bill will be introduced during the coming week.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : According to the rules, the Private Member's resolution will be lapse in case it is not reached. But I would submit that non official resolution should also be treated as non-official Bill which does not lapse.

The un-employment problem has assumed dangerous proportions in the country. We see what is happening in Bengal, Bihar etc. as a result of this explosive state of affairs. Therefore I want that a discussion be held in the House regarding unemployment in the country.

A memorandum was submitted to the Government regarding the development of north Bihar, but nothing has been done so far. The Government should take necessary steps to re-start the fertilizer plant at Barauni, which remains closed at present.

Shri M. A. Khan (Kasganj) : I would like to draw the attention of the Government to an important matter. The Government has shelved the Bill regarding Aligarh Muslim University. Now-a-days, the activities of communal elements are mounting up. Pamphlets casting aspersions on the Muslims are distributed there. The Muslims are not allowed to walk on the road. They are being beaten up and their cycles are stolen away. Unless the Government takes timely action, communal violence will break up there. Will they introduce a comprehensive Bill regarding the Aligarh Muslim University so that these communal elements may be put down ?

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : रुई की अत्यन्त कमी पड़ रही है । गत सप्ताह में पश्चिम बंगाल में चार मिलें बन्द की जानी पड़ीं । माननीय मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि इसको दूर करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाएंगे, परन्तु अब तक कुछ नहीं किया गया है । हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे और कई छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था बिगड़ जायेगी । माननीय वैदेशिक कार्य मंत्री रुई के आयात सम्बन्धी नीति के बारे में एक वक्तव्य दें, ताकि इन मिलों को बन्द न करना पड़े ।

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : In various parts of the country, crops have been badly damaged by heavy rain, with the result that on the one hand there is acute shortage of food grains, and on the other, unemployment in the rural areas is mounting up. Therefore I had suggested that discussion should be held in the House. I would request the Minister to agree to a discussion in the coming week.

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : मैं चाहता हूं कि उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में हुई वृद्धि के बारे में चर्चा की जाए ।

श्री रघुरामैया : सदन में विभिन्न भागों से कई आरोप लगाये गए और साथ ही साथ कई सिफारिशें भी दी गईं । कुछ मामलों में कुछ आशंकायें भी व्यक्त की गईं... (**व्यवधान**) मैं इन बातों से सम्बद्ध मन्त्रियों को अवगत कराऊंगा ।

मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में, मेरे विचार से श्री इन्द्रजीत गुप्त के नाम से एक गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत है । जो भी विचार व्यक्त किये गये हैं, वे संबद्ध मन्त्रियों को बता दिये जायेंगे ।

सलवान कालेज, दिल्ली, के एक प्राध्यापक की बर्खास्तगी के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING DISMISSAL OF A LECTURER IN SALWAN COLLEGE, DELHI

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I rise on a point of order regarding the Statement of Dr. Rao. I am glad that the Minister is giving a statement, it has been laid down under Rule 372 that a Minister can give a statement as and when he chooses to do so and the Members cannot ask questions on it. Therefore my point is that the Calling Attention Notices tabled by several Members, should be ballotted and taken for disqussion so that we can also ask questions.

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी... (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का क्या हुआ ? राज्य सभा में इस सम्बन्ध में सदस्यों को जानकारी दी जा चुकी है ।... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी । मंत्री महोदय का यह पूर्ण अधिकार है कि वे वक्तव्य दें ।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : क्या मैं वक्तव्य पढ़ूं या सभा पटल पर रखूं ?

अध्यक्ष महोदय : अब बहुत देर हो गई है । आप उसे सभा पटल पर रख दें ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : श्रीमान् मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4336/70]**

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजकर पन्द्रह मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Quarter Past Two of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर बीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Twenty Minutes Past Fourteen of the Clock

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री पीठासीन हुए]
Shri Prakash Vir Shastri in the Chair

श्री ज्योतिर्मय बसु : कलकत्ता पत्तन में संकटकालीन स्थिति की घोषणा की गई है । हड़ताल तथा सामूहिक रूप से मांग करने का मजदूरों को अधिकार है । क्या पोतपरिवहन तथा

परिवहन मंत्री आश्वासन देंगे कि मजदूरों की मांगों पर विचार करेंगे तथा हड़ताल समाप्त करने में सहायता करेंगे ?

Mr. Chairman : Please sit down. The Minister has listened to your submission. We will now take up the scheduled caste and scheduled tribes orders (Amendment) Bill. Shri Koushik will continue his speech.

श्री ज्योतिर्मय बसु : 'बसुमति' के मजदूरों की छंटनी की गई है और सरकार तटस्थ दर्शक की भांति देख रही है। क्या आप सरकार को निदेश देंगे कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे ?

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक—जारी

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL—(CONTD)

श्री कृ० मा० कौशिक (चांदा) : माननीय विधि तथा समाज कल्याण मंत्री ने जो मार्ग-दर्शक सिद्धांत बनाये, उसको देखते हुए मैं आपका ध्यान वर्ष 1969 के महाराष्ट्र सरकार के एक प्रशासन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें राजगोंड जाति की स्थिति के सम्बन्ध में बताया गया है। उसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र के मुख्य आदिवासी जातियां हैं—थान और कोलाबा जिलों की वार्ली, कटकारी तथा ठाकुर, धुलिया की भी जातियां, और विदर्भ की गोंड और माडिया जातियां, ये आदिवासी जातियां युगों से पूर्व अपने आचार विचार और विश्वासों का आज भी पालन कर रहे हैं। उनके लोक-गीत,लोक-नृत्य आदि बाहर के सुसभ्य समाज के लिये आकर्षण की वस्तुएं हैं। मगर उनका जीवन गरीबी में डूबा हुआ है और सदियों से अकर्मण्यता उनके जीवन में इतनी अधिक व्याप्त हुई है कि वे अपनी रहन सहन के सदियों पुराने ढांचे को बदलने के हर प्रयत्न को रोकते हैं, भले ही यह उनकी भलाई के लिये हो।

सरकार ने स्वयं यह मान लिया था कि राजगोंड जाति अपनी आदिवासी स्वभावों को नहीं छोड़ा है और आधुनिक सभ्यता की रोशनी उनके जीवन में नहीं पहुंची है। यह सच है कि सुसभ्य होने के हर प्रयत्न को वे रोकते हैं। अतः उन्हें सूची से निकाला जाना ठीक नहीं है।

मंत्री महोदय द्वारा बनाये गये दूसरा मार्ग निर्देशक सिद्धान्त संयुक्त समिति की रिपोर्ट की संयुक्त समिति ने अपनी पहली बैठक में निश्चय किया था कि वह आदिवासियों के निवास स्थानों में जायेगी और वहां से उनके वर्तमान जीवन सम्बन्धी जानकारी एकत्र की जायेगी और उसके बाद उन्हें सूची से निकालने या उसमें शामिल करने का निश्चय किया जायेगा। राजगोंड जाति चन्दा जिले के अन्तवर्ती इलाकों में रहती है जो कि नागपुर से 450 मील दूर है। वास्तव में समिति इस इलाके में जाने के बजाये नागपुर तक गई और वहां से कुछ ज्ञापन मिले। उस पर चर्चा की गई और तत्सम्बन्धी कार्य समाप्त कर दिया गया। यह अपने पूर्व निर्णय के विरुद्ध था। मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में भी यही बात हुई। वहां भी राजगोंड जाति कांकर, सारनगढ़

और दुर्ग जिले के अन्तवर्ती इलाकों में रहती हैं, मगर संयुक्त समिति इन प्रदेशों में भी नहीं गई। अत: मेरा निवेदन यह है कि दूसरा मार्ग दर्शन सिद्धान्त भी असफल हुआ। अत: सूची में उनको निकाले जाने का कोई कारण नहीं दिखता।

जहां तक इन सूचियों में संशोधन करने का सम्बन्ध है, इसकी संसद में और बाहर बुरी तरह आलोचना की गई। श्री लोकुर की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने राजगोंड जाति के बारे में अध्ययन किया और इन्हें फिर से सूची में शामिल किया गया। 1969 में संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सूची से राजगोंड को हटा दिया जाये। लोकुर ने 1965 में इनके बारे में अध्ययन किया था। क्या इन चार वर्षों के बीच इस जाति के जीवन और आचार-विचार में इतना अधिक परिवर्तन हुआ कि उन्हें आदिवासियों की सूची से हटा दिया गया? चूंकि संयुक्त समिति ने उन प्रदेशों का दौरा नहीं किया जहां राजगोंड जाति रहती है, अत: वह उनके जीवन की स्थिति से अनभिज्ञ है। अत: समिति की सिफारिशों पर विचार नहीं किया जा सकता।

संयुक्त समिति ने सिफारिश की है कि हलबा और हलबी जातियों को सूची में शामिल किया जाए। उनकी कुल संख्या 5000 है। 1968-69 में इन्हें 860 वृत्तिकायें दी गईं। वे केवल कारखेड़ा और छनोरा में ही सीमित रहते हैं। मगर, असल में इन जातियों को जो सुविधायें दी जाती हैं, हलबा कोष्ठी जाति उनका अनुचित फायदा उठाती है। हलबा और हलबी जातियों से इस जाति का कोई संबंध नहीं है। हलबा कोष्ठी जाति के लोग अपने नाम से कोष्ठी शब्द हटा देती है और अपने को हलबा कहते हैं। अत: मेरा निवेदन यह है कि सूची तैयार करते समय प्रदेश संबंधी नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। वैसे ही बिहार में भुइया वर्ग आदिवासी हैं। उन्हें अब जाति माना गया है। मेरा निवेदन है कि इन्हें पुन: आदिवासी ही माना जाए। 'भोवी' और 'बोवी' मैसूर की जातियां हैं। इन्हें अब आदिवासियों की सूची में शामिल किया गया है। यह ठीक नहीं है। इन्हें जाति ही माना जाना चाहिए।

बनजारा समुदाय के संबंध में 1956 में संसद् में यह निर्णय किया गया कि यह एक विकसित समुदाय है, अत: इसे आदिवासियों की सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इन्हें आदिवासी नहीं माना जाना चाहिए। सभी समितियों और आयोगों ने बनजारा जाति को आदिवासी मानने के विरुद्ध अपना मत प्रकट किया है।

अन्य समितियों और आयोगों में समान लोकुर समिति ने सुझाव दिया है कि उक्त समुदाय होने के कारण बंजारों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल नहीं किया जाना चाहिये। महाराष्ट्र के विधायकों और वहां के संसद सदस्यों ने भी संयुक्त समिति को इसी प्रकार का ज्ञापन दिया, क्योंकि उनमें आदिवासियों की कोई विशेषताएं नहीं हैं।

महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने बंजारा जाति को सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए पर्याप्त बल नहीं दिया। महाराष्ट्र के समाज कल्याण मंत्री ने केवल इस आधार पर उन्हें सम्मिलित किया जाना चाहा कि क्योंकि अन्य पड़ोसी राज्यों में उन्हें सूचित किया गया है।

संयुक्त समिति ने विशेषज्ञों और समाज कल्याण क्षेत्र में कार्य करने वाला कार्यकर्त्ताओं

से बात-चीत के पश्चात निर्णय किया कि इसमें कोई औचित्य नहीं, वे लोग अन्य सुसंस्कृत लोगों के समान स्तर के हैं। अतः उन्हें जनजातियों में सम्मिलित करना आदिवासियों को अपने अधिकारों से वंचित करना है।

कई स्थानों पर धीमरों एवं खिवेरतों को सूची से बाहर रखा गया है। मंत्री महोदय इस विषय पर विचार करें।

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : There is a discrepancy in the present list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Adivasis living outside Scheduled and specified areas are not treated as Adivasis, I had drawn the attention of Shri Nehru towards this and he had agreed to remove this discripancy. This Bill has been brought in fulfilment of that Assurance.

Due to this discrepancy Advasis have suffered for the last 20 years. They are treated as backward classes. They have not been provided educational facilities nor have they been provided employment opportunities as per percentage of reservation. Now this restriction is being removed and 50 lakhs of Adivasis are going to be benefited with this Bill.

There is another aspects of revision of list. How this need has arisen ? There are sub-castes and sub-tribes. As per a recent decision of the Supreme Court of India these could be considered as Scheduled only if these were included in the Schedule. Hence this need arose.

Constitution has empowerd the President to prepare a list but the power of making changes has been entrusted to Parliament. This is not an easy task but it is quite complicated one. In every State there is a list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But in every State quite a number of people belonging to denotified communities and Nomadic Communities also live. These communities need special assistance. They should be treated on par with Scheduled Tribes and Scheduled Castes with regard to Social, educational and economic development. It would be in fairness to the need if a separate commissioner is appointed to look after their needs and separate funds are provided for the purpose.

Then there is a recommendations of the Joint Committee about those Adivasis who adopt other religions. After detailed consideration it recommended that those Adivasis who adopt other religion do not remain as such. There are certain norms such as shyness of contact with community at large and distinctive culture. These norms do not remain after conversion but if they remain there is no harm in treating them as such.

If a member of Scheduled Caste migrate to any other State he is not considered as such unless he is connected with any caste included in the list of Scheduled Castes for that State. Joint Committee has recommended removal of this anomaly. I have to submit that this provision should equally apply to people belonging to Schedule Tribes when they migrate to other States.

This Bill is going to benefit about 50 lakhs of people. It is therefore necessary that it should be cleared at the earliest so that those who are to be benefited may take advantage of elections to be held in 1972 or earlier as the case may be.

***श्री जी० कुचेलर** : (वेल्लोर) विधेयक के अनुसार कुछ जातियों और जन जातियों को अनुसूचित सूची में शामिल किया जाना है और कुछ को इसमें से निकाला जाना है। मेरा मत है

*मूल तमिल के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कि इस प्रश्न पर विचार करने से पूर्व संयुक्त समिति ने इस बात की जांच करने के संबंध में कोई कार्य नहीं किया कि किन जातियों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठ गया है और कौन सी जातियां अभी भी पिछड़ी हैं ।

तमिलनाडु में इस प्रकार की कई जातियां हैं जो उपेक्षित और सामाजिक रूप से बहिष्कृत हैं परन्तु उन्हें इन सूचियों में सम्मिलित नहीं किया गया है । मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे इस विषय पर ध्यान दें । उत्तर अर्काट जिले में एक जाति है नारिकुरावर । इस जाति के लोग एक विशेष स्थान पर नहीं रहते । उनके पास रहने को घर नहीं व वे लोग शिक्षित भी नहीं । वे खानाबदोश लोग हैं । इस जाति को कुरुविकुरावार एवं नाडोडिगल के नाम से भी पुकारा जाता है । यह जाति समाज में शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यंत तिस्कृत है ।

तमिलनाडु में चन्डाल तथा संगुठियाल नामक अन्य समुदाय है । यह समुदाय समाज के निकृष्ट समुदाय माने जाते हैं । तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल ने इन समुदायों के नाम को बदल कर "आदिद्रविड़" नाम दिया है । केन्द्रीय सरकार भी उनके इस नाम को मान्यता दे । इन उपरोक्त जातियों को सूची में भी सम्मिलित किया जाना चाहिये ।

और फिर इन आर्थिक, शैक्षणिक एवं रोजगार संबंधी रियायतों के दिये जाने में भी भेदभाव बरता जाता है जो दूर होना चाहिए ।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में है कि यदि अनुसूचित जाति से भिन्न जाति की स्त्री किसी अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह कर ले तो वह स्वतः सभी विशेषाधिकारों की हकदार हो जाती है । परन्तु हमारे देश में पुरुष का महत्व अधिक है । एक आदिद्राविडियन पुरुष के उत्तराधिकारियों को स्वतः ही सब सुविधाएं मिल जायेंगी परन्तु होना यह चाहिये कि यदि किसी अन्य जाति का कोई पुरुष किसी अनुसूचित जाति की स्त्री से शादी करे तो उसे भी वह सुविधाएं मिलनी चाहियें।

आन्ध्र प्रदेश में एक जनजाति है पल्ली । राज्य के भीतरी भागों में रहने वाले इस जाति के लोग तो अनुसूचित सूची में हैं पर समुद्री तट पर रहने वाले इस जाति के लोगों को प्रगति के अवसर प्राप्त नहीं होते, अतः इन्हें भी सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

***श्री अदिचन** : (अडूर) मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । हमारे समाज के उन पिछड़े वर्गों से, जो अनेक कठिनाइयों से पीड़ित हैं, संबंधित मामलों में सरकार को अधिक दिलचस्पी एवं गंभीरता दिखानी चाहिये । अनुसूचित जातियों की सूची से जिन जातियों व जन जातियों के नामों को हटाया जा रहा है, उनके संबंध में हमें यह सावधानी करनी होगी कि उन्हें उन रियायतों से वंचित न होना पड़े, जो उन्हें पहले मिल रही थीं ।

संयुक्त समिति का यह सुझाव स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये कि यदि अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसका पिछड़ापन और वित्तीय

* मलयालम के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं और उसे वे रियायतें व सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिये अब नहीं मिलनी चाहिये । यह सुझाव विधेयक की भावना के विरुद्ध बैठता है, अतः इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये ।

Shrimati Laxmi Bai (Medak) : It is most regrettable that though the names of certain castes have been included in the list, their sub-castes have not been included in that list. There are two such sub-castes in Andhra Pradesh, namely Dakla and Chindole which are not included in the list. Those castes which have got representation in Central and State Government are able to get benefits but those who do not have any representation are not able to get any benefit. This is not fair. No efforts are made for their inclusion in schedule list.

We should give proper thought to inclusion or exclusion of certain names from the list. The Joint Committee has recommended the inclusion of certain castes in the list but I feel that three more names such as Gundla, Vesta and Gangputra should also be included in the list. Andhra Pradesh Government has also recommended their inclusion.

Shri N. E. Horo (Khunti) : This Bill has become more controversial after its consideration by Joint Select Committee. Joint Committee's suggestion that those Adivasis who are connected to other religions should not be treated as Scheduled Tribes is most controversial. It would be against the spirit of constitution. This is a discrimination. A tendency is growing in the country that those Adivasis who have adopted Christianity or Islam are considered anti-nationals. If this tendency is not curbed it would let the country down before the world. If such a tendency is there in the country we may not be able to call ourselves secular.

There is a misunderstaning that those Adivasis who have adopted Christianity their standard of living has improved and they have their special characteristics. But in fact this is not correct. In spite of Christianity having spread amongst them even to-day percentage of literates amongst them is not very high. Special characteristics of their culture are distinct in them.

I am also to stress that area restriction should be removed and those Adivasis who have migrated to Assam Tea Plantation area from different places should also be included in the list.

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : No Scientific method has been evolved to find out the extent of economic development of different communities, so that those could be considered for inclusion or exclusion from the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We decide the issue only after considering social aspects and ignore economic aspects. This is not justified.

Recognition of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be on national level and not on State level. We should decide some national standard and yard stick for that without any political and party considerations.

A discussion on the Report of the Perumal committee was held during the last session but the Government are not taking as much interest in solving the problem of Scheduled Castes as they should. The number of scholarships which are granted to the students of Scheduled Castes must be increased but the Prime Minister and the Government of India say that the Budget does not allow it. If the Budget does not allow any increase in the scholarships to be awarded to the students of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, how does the Budget allow

to raise the pay scales of the Central Government employees and amouut of pensions of the pensioners. The Bill regarding untouchability was to be passed during the last session but that has deliberately been shelved.

Mr. Chairman : The hon. member may continue his speech next day. Now the Private Members Bills will be taken.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 68 वां प्रतिवेदन

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS—SIXTY-EIGHTH REPORT

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 68वें प्रतिवेदन से, जो 18 नवम्बर, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 68वें प्रतिवेदन से, जो 18 नवम्बर, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

पश्चिम बंगाल में विधि और व्यवस्था की स्थिति के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : LAW AND ORDER SITUATION IN WEST BENGAL

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : A few days back the subject of the motion moved by Shri Nath Pai had been discussed. To-day there is Presidential Rule in West Bengal but even then the situation is not under control. Murders are committed there in broad-day-light. I charge the Government for not considering the situation seriously.

Communism has its own methodology as it has its ideology. In 1957 the Communist Party came in power in Kerala but within a period of two and a half years, it began to dwindle. It is inherent in their very philosophy. The role that has been assigned to the communist parties all over the world, not only in this country is not to deliver the goods to the people but only to act according to the wishes of their masters. That is why they make the problems more complicated instead of solving them. In Kerala and Bengal the Communists formed coalition Governments and during the period of their Governments they created more problems. They gave slogans, to the people instead of doing good to the farmers. This slogan of 'Naxalite', has spread throughout the country. These communists are preparing ground for wresting power in the near future. They would have created peace the Industrial areas while they were in power but instead of doing that they gave the people a new slogan and that was of 'Gherao'. When any Government comes into existence, the maximum production is expected from that Government. But the Communists Governments gave slogan of 'Bandh' instead of encouraging production.

A conspiracy was being hatched to further dissect the country but the Government does not move before it is too late. In 1962 China was our friend. There was a united Communist Party at that time but the party divided. China attacked India in 1962 in order to have a direct line of communication with the Communists of this Country. Foreign arms aud literature have been seized in the areas of West Bengal, Assam, Cooch-Behar etc. Murders are committed. Why? Because there is a planned purpose behind it. The main aim of all these activities is to challenge the independence and sovereignty by creating anarchy.

An amendment has been moved. The Amendment says that it is due to poverty and unemployment, but how can it be linked with the poverty and unemployment. The desecration of the statues of national leaders can not be linked with the employment situation. There is a master mind behind all these activities and these activities are carried on in order to achieve that aim.

In November, 1968 a person had been arrested in Kerala but it is November, 1970 and even today he is facing trial. It is a criminal case. I can understand a civil suit being prolonged. This communist party is prepared to strike the Naxalities but it is afraid of wounding them.

To-day West Bengal is under Presidential Rule but the representatives of the Government did not do anything to maintain law and order situation. Much efforts were made to commit political murder. If we want peace and progress, we can not achieve them by resorting to murders.

The Government must act sincerely for a healthy atmosphere so that our independence, sovereignty and democracy can be safe and the country may progress.

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : The Naxalite movement of Bengal is not an ordinary one. This movement spells disaster for the country. The Naxalite activities are the basis for Guerilla war in India. It appears from the statements of the Ministers that the Government are not fully aware of the intention of their activities. The Government must consider to face and control these activities instead of keeping them in dark.

The Naxalites declare openly that there were few guns with Mau-Tse-Tung when he started revolution but they have many times more. Rifles and guns and bombs are being manufactured in every house. These people are collecting arms by every possible means and preparing for Guerilla war and setting at nought the appeals of the Government.

It is wrong to link this Naxalite movement with unemployment. Had this movement its genesis in unemployment, there would have been no cause of desecrating the statues of Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Vidya Sagar and Tagore. It is obvious that these Naxalites understand these leaders as reactionary.

Elections must not be conducted in West Bengal unless the situation returns to normalcy and every person can vote fearlessly.

The Naxalite activities are not confined to West Bengal but to quote the Chief Minister of Bihar, they have engulfed Bihar also. What is the Intelligence department doing? Shri Charu Mazumdar and the publishers of the newspapers which publish the news of the meetings of Shri Charu Mazumdar have not been arrested by this Government.

Either the Government have no strength to arrest any offender or Shri Charu Mazumdar has mixed with ordinary people to this extent that people help him and police cannot arrest him. It is right that full efforts should be made to solve the unemployment problem and improving the economic condition. The Government must help any needy State. The Government should have acted to end the violence. They are not using as much power as they should use.

It is the responsibility of the Centre to improve the situation.

श्री मुत्तु गोंडर (तिरुपतूर) : एक वर्ष पूर्व जब हमें पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी गतिविधियों के समाचार मिलते थे तो हम उतने भयभीत न थे, परन्तु अब निरन्तर चल रही गतिविधियों तथा हत्याओं के कारण ऐसा लग रहा है कि हम हमारा समाजवादी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हम प्रजातान्त्रिक तरीकों से देश में समाजवाद लाना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि युवक बेरोजगारी के कारण निराश तथा असंतुष्ट हैं और यही अशांति का एक मात्र कारण है। हम इस देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करके उद्योगों तथा कृषि का विकास करके समाजवाद लाना चाहते हैं। हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। इस बदलते हुये समय के दौरान हम जो कुछ कर पाये हैं, हमें उससे अवश्य कुछ संतुष्ट होना चाहिए। हम प्रत्येक व्यक्ति जिसे आवश्यकता है, को नौकरी नहीं दे सकते हैं। कुछ राजनीतिक दल या शरारती तत्व इसका लाभ उठाकर यहां संकट पैदा कर रहे हैं। ये घटनायें पश्चिम बंगाल में ही नहीं हो रही हैं अपितु केरल में भी हो रही हैं। ऐसा विचार आता है कि सरकार कुछ काम की नहीं है। हम आम लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं पर यह दिन हमारे लिये भी आ सकता है।

[**श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri N. K. Tiwari in the Chair]

ग्रामीण क्षेत्रों में जब मैं जाता हूं तो वे लोग स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि हम आप राजनीतिज्ञों को नहीं चाहते हैं। आप लोग हमें संरक्षण नहीं दे सकते हैं। सुरक्षा कहीं नहीं है।

आज कल प्रत्येक व्यक्ति बहुत अधिक असंतुष्ट है। उनका संसद तथा राजनीतिज्ञों से विश्वास उठ गया है। वे चाहते हैं कि हम लोग कुछ समय तक अवकाश ले लें और कोई सुयोग्य व्यक्ति शासन करे।

जो कुछ कलकत्ता या बंगाल में हुआ है, उसका कुप्रभाव सीधे उन राज्यों पर भी पड़ रहा है, जहां कानून और व्यवस्था ठीक प्रकार बनी हुई है। यदि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिये कुछ ठोस कदम नहीं उठाये जाते हैं तो यह संकट संक्रामक रोग की तरह अन्य राज्यों में भी फैल जायेगा।

यदि पुलिस को बड़े अधिकारियों से अच्छे हथियार और निदेश दिये जायें तो वह स्थिति पर भली भांति नियन्त्रण कर सकती है। गुप्तचर विभाग के कार्यों में सुधार किया जाना चाहिए। इसके कार्यों को अधिक सक्षम बनाकर तथा पुलिस को अधिक शक्ति देकर पश्चिम बंगाल तथा कलकत्ता की स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सकता है।

यह स्थिति न केवल केरल तक फैली है प्रत्युत इसको आन्ध्र तथा अन्य राज्यों में भी फैल जाने की सम्भावना है। आज प्रत्येक उत्तरदायी सज्जन का चाहे वह किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध हो, कर्त्तव्य है कि पश्चिम बंगाल में सामान्य अवस्था हो जाये। हम तभी प्रगति कर सकते हैं।

दुर्गापुर तथा अन्य इस्पात कारखानों में राजनीतिक उपद्रवों के कारण क्षमता के मुताबिक उत्पादन नहीं हो रहा है। इससे देश पर कुप्रभाव पड़ रहा है।

वामपंथियों की अव्यवस्था पैदा करने वाली नीतियों से बेरोजगारी फैलेगी जिससे उत्पादन को हानि होगी। जो कुछ प्रगति हमने इन वर्षों के दौरान की है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हमें पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था बनाने के लिये हर सम्भव कदम उठाना चाहिए।

श्री ए० सी० जार्ज (मुकुन्दपुरम): मैंने श्री नाथपाई द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प को पढ़ा है तथा श्री जगन्नाथ राव जोशी द्वारा इस पर दिया गया भाषण सुना है।

श्री नाथ पाई के संकल्प में चतुराई से शब्द लिखे गये हैं। बाहर से तो वह बिल्कुल ठीक दिखाई देता है परन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध अभियोग की अन्तर्ध्वनि है। यदि कोई सदस्य विधान सभा में खड़ा होकर भारतीय साम्यवादी दल, प्रजा समाजवादी दल सरकार पर आक्षेप लगाता कि वहां की स्थिति में सुधार नहीं किया था तो श्री नाथपाई को वही बात महसूस होती जो बात मुझे अब महसूस हो रही है। मैं जो कुछ महसूस कर रहा हूं, वह यह है कि सभी भाषण कठोर तथा पर पीड़ा के रंग से रंगे होते हैं।

जब हम नक्सलवादी आन्दोलन की बात करते हैं तो मेरे बहुत से मित्र पुलिस को अधिक सक्षम बनाकर स्थिति पर काबू करने की बात नहीं सोचते हैं। एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है कि यदि ऐसा कियां जायेगा तो स्थिति और बिगड़ जायेगी।

नक्सलवादी आन्दोलन कहां से प्रारम्भ हुआ? नक्सलबाड़ी के काफी लोग भले हैं। दुर्भाग्य से श्री ज्योति बसु जब सत्तारूढ़ थे, यह जैसे तैसे हुआ और कोई हिंसक आन्दोलन नक्सलबाड़ी से फैला। इसीलिये इसका नाम 'नक्सलवादी' पड़ गया। 'नक्सलवादी' के स्थान पर उन्हें 'मार्क्सवादी' कहा जाना चाहिए।

हम सरलतापूर्वक इसके मूल का पता लगा सकते हैं। पश्चिम बंगाल, आन्ध्र और केरल में ये गतिविधियां चल रही हैं। इस आन्दोलन को जन्म देने वाला मार्क्सवादी दल है। माओ तथा मार्क्सवादी दल के विचारों के मेल से यह आन्दोलन उत्पन्न हुआ है। अब मार्क्सवादी दल कहता है, 'हमारा इससे कोई भी सम्बन्ध नहीं है।' अब श्रीमती पारूल बोस को लेकर यहां भाषण दिये जाते हैं।

मुझे याद है कि एक बार नवम्बर, 1968 में श्री नम्बूदरीपाद ने पुलपल्ली पुलिस स्टेशन पर किये गये आक्रमण को राजनैतिक घटना बताया। ठीक दो साल बाद उन्होंने इसे समाज विरोधी तत्वों की समस्या बताया।

नक्सलवादी आन्दोलन ने कभी भी क्रान्ति का रूप धारण नहीं किया है। यदि यह कुछ है भी तो यह सामाजिक प्रगति और क्रान्ति को असफल करने के लिये केवल प्रतिक्रान्ति ही है, यही भारत में हो रहा है। मुझे आंकड़ों से ज्ञात हुआ है कि इस आन्दोलन का लक्ष्य कभी भी बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध नहीं रहा। यह श्रमजीवी वर्ग के विरुद्ध है। यह बड़े लोगों की ओर से छोटे लोगों के लिये एक भीषण क्रान्ति है।

केरल के पुलपल्ली पुलिस स्टेशन पर किये गये आक्रमण में मारा गया आदमी एक छोटा कर्मचारी था जिसे 83 रुपये का मूल वेतन मिलता था। केवल वह पुलिस का आदमी था, इसी बिना पर वह मारा गया।

हमें इस बात को जानना है कि केन्द्रीय सरकार इस पर कैसे नियन्त्रण करती है।

पश्चिम बंगाल में जब तक राष्ट्रपति शासन लागू है, तब तक वहां की स्थिति का सामना करने के लिये केन्द्रीय सरकार को सभी प्रकार की शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। ऐसे आन्दोलनों को कड़ाई से निपटाना चाहिए।

मेरी श्रीमती पारूल बोस के साथ सद्भावना है। परन्तु यह नहीं होना चाहिए कि कुछ सदस्यों को पारूल बोस पर हमले से दुःख होता है और अन्य लोगों के साथ ऐसा होने पर नहीं होता है।

इस सभा को निश्चय ही पश्चिम बंगाल की इस समस्या से दृढ़ता तथा कड़ाई के साथ निपटने के लिये केन्द्रीय सरकार को एक आदेश देना चाहिये और हमें इसे स्पष्ट समर्थन के साथ प्रदान करना चाहिए। यदि इसका दुरुपयोग होता है, तो हमें इसे रोकने की शक्ति प्राप्त है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : गत सत्र में श्री नाथपाई द्वारा पेश किया गया संकल्प अब कुछ महत्वहीन हो गया है। दो दिन पूर्व ही परामर्शदात्री समिति में दो विधेयकों पर चर्चा की जा चुकी है। यदि ये विधेयक नहीं लाये जाते हैं तो स्वतः ही शक्तियों के कानून के अन्तर्गत प्रेजीडेन्शियल एक्ट्स हो जाते हैं।

इस सुझाव का मैं स्वागत करता हूं कि उन विधेयकों को लाया जाये परन्तु सन्देह है कि सरकार इससे सहमत होगी।

यदि इस संकल्प का अभिप्राय यह है कि हमें नक्सलपंथियों की निन्दा करनी चाहिये, तो यहां चर्चा करने की अधिक आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में कोई भी मतभेद नहीं है। हम सब इस पर एकमत हैं।

एक माननीय सदस्य : हम, कौन हम ? (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : सब लोग। ये लोग भी यही कहते हैं कि आप तथा नक्सलवादी ही उनकी हत्या कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सी० पी० आई, हम और पुलिस। सारा श्रेय हमें न दीजिए। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : जैसा भी आप चाहें इसे समझ लें। बात यह है कि यदि प्रस्ताव का उद्देश्य नक्सलवादियों की गतिविधियों, उनके दर्शन तथा क्रियाकलाप की निन्दा करना है तो

इसके बारे में कोई मतभेद नहीं। लेकिन पिछले तीन महीनों से मैं देख रहा हूं कि सरकार सारी समस्या को इस तरीके से हल करने की कोशिश कर रही है जिसे मैं 'पैकेज डील' कहता हूं। 'पैकेज डील' का मतलब है कि निवारक नजरबन्दी विधेयक, हिंसक गतिविधि दमन विधेयक, की ओर न देखो, हमें बार बार यह बताया जाता है कि सरकार मजबूत सशस्त्र उपायों में विश्वास नहीं रखती। इसके साथ साथ बंगाल की कुछ आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक समस्यायें भी हैं जिनका समाधान आखिर में नहीं किया जा सकता।

एक मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूं यही है कि यह सिद्धान्त एक पाखंड है। इस 'पैकेज डीज' के सिद्धान्त के बारे में हम पिछले कुछ महीनों से यह देखते आये हैं कि इसका एक ही भाग कार्यान्वित किया जा रहा है और दूसरे भाग के बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है। उसी भाग को कार्यान्वित किया जा रहा है जो आसान है और वह है पुलिस को गोली मारने तथा लोगों को नजरबन्द करने सम्बन्धी असीम शक्तियां प्रदान करना।

ख्याति प्राप्त पत्रकार श्री दुर्गादास की 'स्टेटस' नामक पत्रिका से मैं कुछ अंश उद्धृत कर रहा हूं जो बंगाल की स्थिति पर प्रकाश डालता है :

"कानून और व्यवस्था की समस्या पर लोगों की भावना से दूर रह कर एकांत में विचार नहीं किया जा सकता। यदि लोगों की घृणा नहीं तो उदासीनता को जानना है तो गिरफ्तार किये गये लोगों की पुलिस लाकअप में हुई मृत्यु की जानकारी जरूरी है। नक्सलवादी हो या न हो, कानून तथा व्यवस्था में सुधार करने के लिये सरकार का लोगों से सम्पर्क रखना जरूरी है। उसका मतलब राज्य में फिर से लोकप्रिय सरकार का लाना है।"

स्थिति को देखने के बाद ही उन्होंने ऐसा लिखा है।

कुछ और वाक्य उनके लेख में से उद्धृत करना चाहूंगा—

"केवल उत्तरी कलकत्ता पुलिस जिले में ही पुलिस की सूची में दर्ज 40,000 श्रेणी के अपराधी हैं···"

पुलिस की सूची में दर्ज होने का मतलब उन अपराधियों से है, जिन्हें पुलिस जानती है···

"···दस लाख लोग कलकत्ता की सड़कों पर रात गुजारते हैं···"

यहां एक बात का जिक्र करना चाहूंगा और वह यह है कि सड़कों पर सोने वाले ज्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश के अभागे लोग होते हैं। उस दिन यहां उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के बारे में वादविवाद था। उत्तर प्रदेश सचमुच एक पिछड़ा हुआ राज्य है और मुझें पूरी सहानुभूति है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले तथा बिहार से उत्तरी जिले सचमुच इतने पिछड़े हुए हैं कि हर साल लाखों लोग कलकत्ता की सड़कों पर सोने के लिये आते हैं। यदि सरकार उत्तर प्रदेश तथा बिहार के लिये सचमुच कुछ करना चाहती है तो इसे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बेरोजगार लोग कलकत्ता की गलियों में न आयें।

जो कुछ मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि इस समस्या के बारे में बात करने के अतिरिक्त

कुछ नहीं किया जा रहा है। पुलिस के डंडे तथा गोली मारने द्वारा ही इस समस्या को हल करने की कोशिश की जा रही है। श्री पन्त शायद यह कहें कि उन्होंने कई करोड़ रुपये तथा योजनाएं स्वीकृति की हैं। लेकिन रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये ये क्या कर रहे हैं? ये बस्तियों के सुधार की बातें भी करते हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, इसे कलकत्ता में सभी जानते हैं।

रोजगार के अवसर प्रदान करने के बारे में मैं यही कहूंगा कि आप नये रोजगार की व्यवस्था न करें लेकिन इस बात का कम से कम ध्यान रखें कि रोजगार में लगे लोगों को न निकाला जावे।

यहां आपके दोस्त बिड़ला हैं, जिनके कलकत्ता के इर्दगिर्द कोई दर्जन कारखाने हैं। पिछले दो महीनों में इन्होंने अपनी पांच मिलें बन्द कर दीं क्योंकि या तो ये कार्यकर्ताओं को बोनस नहीं देना चाहते थे या कपास की कीमतें बढ़ गई हों। इन कारखानों के बन्द होने से कई सप्ताह से कार्यकर्ता बेरोजगार हो गये हैं। जब हम सरकार या श्रम आयुक्त के पास जाते हैं तो वे केवल इतना ही कहते हैं कि बिड़ला ने सचमुच ठीक नहीं किया। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई, कुछ भी नहीं किया गया।

पिछले साल कलकत्ता का सबसे पुराना समाचार पत्र "बासुमती" भी बन्द कर दिया गया और पांच सौ लोग बेरोजगार हो गये हैं। क्या आपने इसे रोकने के लिए कुछ किया ?··· (**व्यवधान**)

हम जानते हैं कि 'बासुमती' में क्या हो रहा है ?··· (**व्यवधान**)

इस समाचार पत्र के मालिक तथा प्रबन्धकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। आप इन 500 लोगों को गोली नहीं मार रहे, न तो पुलिस इन्हें मार रही है और न ही नक्सलवादी। इन्हें सड़कों पर फेंकने से आप रोक नहीं सके, यह क्या मामला है ?

अतः इस या उस योजना के लिए करोड़ों रुपये व्यय करने की बात लाभदायक नहीं। दो विधेयकों के सम्बन्ध में जिन्हें राष्ट्रपति प्रख्यापित कर रहे हैं, मैं मांग करूंगा कि इन्हें दोनों सदनों के सामने लाया जावे। सदनों को इस पर चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। सरकार के पास बहुमत है। विधेयक के विरोधी बहुत कम हैं। उनके अन्दर इन दोनों विधेयकों को दोनों सदनों के सामने लाने का उत्साह होना चाहिए। उस अधिनियम के अधीन मैं दस सप्ताह से पहिले तक जब यह न सिद्ध हो कि मेरी नजरबन्दी गलत थी, नजर बन्द किया जा सकता हूं। आप मेरी नजरबंदी के कारण बतायेंगे जिन्हें सलाहकार बोर्ड को भेजा जावेगा। मैं उत्तर दूंगा। पुलिस भी अपनी सफाई पेश करेगी। फिर सलाहकार बोर्ड इसकी छानबीन करके कहेगी, कि इस आदमी की नजरबंदी गलत है और मुझे आप रिहा कर देंगे। इन दस सप्ताहों के बीच इस देश के नागरिक होने के नाते, मैं अपनी स्वतन्त्रता से वंचित हूंगा। उसका मुझे कोई मुआवजा नहीं मिल सकता··· (**व्यवधान**)

श्रीमती इला पालचौधरी : लोगों की हिफाजत किस कानून के अधीन की जा सकती है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : इस ** महिला को खुश होना चाहिये कि वे जिस प्रकार का हत्याकांड चाहते हैं हो रहे हैं। मेरे विचार में श्री पंत जी भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह एक बहुत दुखदायी मामला है। पिछले कल पांच लड़के पुलिस फायरिंग से मारे गये। यह रोजाना हो रहा है। पुलिस, जिस पर भी संदेह हो, गोली चला सकती है, उसे मार सकती है। इसके लिये गवाह तथा सबूत की जरूरत नहीं। ये पांच लड़के ..... **(व्यवधान)**

आपने अभी तक कोई नक्सलवादी नहीं देखा। मेरे दोस्तों के पुत्र और पुत्रियां नक्सलवादी हैं। हम उनका सामना रोजाना करते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का अधिकांश भाग नक्सलवादियों का अड्डा है।

कलकत्ता के पुलिस आयुक्त ने कहा है कि चाहे निवारक नजरबंदी कानून हो या नहीं, पुलिस गोली चलायेगी। वे आपके निवारक नजरबंदी कानून का इन्तजार नहीं कर रहे।

आप पुलिस को वह शक्तियां दे रहे हैं जिससे वह मनमानी कर सके। सादे कपड़े पहनने वाले पुलिस गुरिल्ला कलकत्ता की सड़कों पर घूम रहे हैं दीवारों पर नारे लिखने वाले लड़कों पर भी वे गोली चलाते हैं। किस कानून के अधीन? लोगों को गिरफ्तार करके, उन्हें पुलिस वेन में डालकर, लाक-अप में भेजकर, उन्हें गोली से मारा जाता है, आखिर किस कानून के अधीन? सब लोग इन बातों को जानते हैं।

विधेयक की एक धारा के अधीन, डकैती रोकते समय पुलिस जान से मारने तक की कार्यवाही भी कर सकती है। पश्चिमी बंगाल में अब फसल काटने का मौसम शुरू हुआ है। कोई भी किसान थानेदार के पास जाकर कह सकता है कि लोग मेरी फसल लूटने आ रहे हैं। बिना कुछ सोचे पुलिस गोली चलायेगी। जो बड़ी-बड़ी शक्तियां पुलिस को दी जा रही हैं, पुलिस वाले उसका प्रयोग किसी भी व्यक्ति या हर व्यक्ति पर हमला करने के लिये करेंगे। नक्सलवाद से लड़ने के नाम पर हर काम किया जावेगा। समस्या समाधान का यह उचित ढंग नहीं। इन विधेयकों को विचार-विमर्श के लिये सदन के सामने लाया जाना चाहिए।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : श्री नाथपाई के प्रस्ताव का विरोध मैं इसलिए करना चाहता हूं कि उसका मसविदा इस रूप में किया गया है जिसके द्वारा बंगाल की वर्तमान स्थिति का सारा दोष केन्द्रीय सरकार पर लगाया जा सके। संसद के दोनों सदनों में बंगाल सम्बन्धी चर्चा हो रही है और बाहर लोग यह समझ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत गम्भीर है लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं। वर्तमान स्थिति स्थायी नहीं। अतः हमें इसके बारे में निराश नहीं होना चाहिये।

पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद का जन्म कैसे हुआ? इतिहास देखने से पता लगेगा कि वहां हिंसा को प्रोत्साहन मिला तो केवल संयुक्त मोर्चा सरकार से तथा तत्कालीन उप मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु से। हिंसा को जन्म देने का दोष केवल मार्क्सवादियों पर ही नहीं लगाया जा

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

सकता, इस दोष के भागीदार वे राजनैतिक दल भी हैं जो सांझे मोर्चे की सरकार में थे। लूट, आगजनी, हत्या, बलात्कार, हर प्रकार की घटनायें वहां हुई हैं। समस्त पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनों को घातक हथियारों तथा शस्त्रों के साथ देखा गया है। यह सब गृह-कार्य मंत्रालय के संरक्षण में हुआ है। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि पश्चिम बंगाल की स्थिति अब बिगड़ी है। यह स्थिति पहली बार नहीं हुई ?

संसदीय सलाहकार समिति में संसद सदस्यों को जो पत्रक दिये गये उनके अनुसार राष्ट्रपति शासन के लागू होने के बाद तीन महीनों में प्रशासन ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी जिसमें कि निश्चित रूप से सुधार किया जा सकता था। स्थिति का मुकाबला करने के लिये असाधारण अधिकारों की आवश्यकता है। मैं पुलिस और सरकार को असीम शक्तियां देने के हक में नहीं हूं। जैसे कि श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने कहा कि पांच लड़कों को पुलिस ने गोली से मारा। क्या आप चाहते हैं कि पुलिस को इन लोगों की हत्या करने की शक्ति दी जावे ? तीन महीनों की अवधि में उन्हें कुछ अधिकार दिये जाते ताकि निवारक कदम उठाये जा सकें। अतः इन दो विधेयकों को लाया गया है। विधेयकों का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा बनाये रखना तथा सरकार को यह अधिकार देना है कि वह उन लोगों को नजरबंद कर सके जोकि हिंसात्मक कार्यवाहियों में भाग लेते हैं।

मैं जानता हूं कि वहां की मुख्य समस्या बेरोजगारी है। वहां शरणार्थी भी हैं और सड़कों पर सोने वाले भी। अतः वहां शांति बनाये रखना जरूरी है।

यह कहना ठीक नहीं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं किया गया है। इस छोटे से समय में 70,000 एकड़ के करीब जमीन भूमिहीनों में बांटी गयी। उद्योग-पतियों के मन में विश्वास की भावना पैदा की गयी है। नये औद्योगिक लाइसेंसों के लिये 113 प्रार्थना पत्र दिये गये जबकि संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान केवल 63 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे। कलकत्ता क्षेत्र में 198 लघु उद्योग कारखानों की रजिस्ट्री की गयी। इतनी प्रगति पिछले तीन महीनों में की गयी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : पश्चिम बंगाल की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। सरकार पुलिस को अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान करना चाहती है ऐसी शक्तियां जिसकी जांच न हों सके।

सरकार पिछले दरवाजे से पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था विधेयक तथा पश्चिम बंगाल हिंसक गतिविधि निवारक विधेयक लाना चाहती है। यह सरकार इन विधेयकों को इस सदन में लाने का खतरा नहीं मोल ले सकती। संसद् अधिवेशन के दौरान इन विधेयकों को पिछले दरवाजे से लाना कितना प्रजातंत्र विरोधी है। इसका उद्देश्य कांग्रेस के राजनैतिक विरोधियों का दमन है। 18 नवम्बर को भी मैंने पुलिस की ज्यादतियों की बात की और आज भी कुछ नये तथ्य सदन के सामने रखने जा रहा हूं।

3 सितम्बर को श्री अबोनी चक्रवर्ति नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा लाक अप में रखा गया जहां से रिहा होने के बाद उसकी मृत्यु हो गयी। लिलुआ में बरामदे में बैठे रेलवे अधिकारियों को पुलिस घसीटकर अपनी वेन में ले गयी और बिना कारण बताये दो

दिन के बाद उन्हें रिहा कर दिया। नकटोला में सी० आर० पी० के एक आदमी ने सेवा निवृत्त एक जिला जज को बूटों से मार कर घर से बाहर ढकेला। 16 नवम्बर को एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले को मारा। 20 सितम्बर को पुलिस लाक अप में एक नौजवान को मारा गया।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

कोई एक सप्ताह के अंदर पुलिस ने कलकत्ता में 25 आदमी गोली से उड़ाये। मेरी अपनी पार्टी के भी असंख्य लोग मारे गये।

16 सितम्बर को एक लड़के को पीटा गया तथा उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उसे न तो अदालत में अब तक पेश किया गया है और न ही उसे अभी तक देखा गया है, शायद उसे मार दिया गया हो।

23 सितम्बर को नन्द शाह नामक एक व्यक्ति को दिन दहाड़े गोली से उड़ा दिया गया। 25 सितम्बर को 2 विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को गोली से मारा गया। इस तरह की मैं सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं।

29-10-70 को श्री स्वप्न प्रभात, श्री शम्भु पत्र, श्री कानु सरकार, श्री संजय चौधरी तथा श्री सुनील दे की हत्या की गयी।

12 वर्ष की एक लड़की का 11 गुंडों ने बलत्कार किया और वह भी सी० आर० पी० कैम्प से 15 गज दूर।

ज्योति बसु पर पटना स्टेशन पर जो हमला हुआ, उसका क्या बना ? हम जानना चाहते हैं कि किसे गिरफ्तार किया गया तथा किसे सजा दी गयी····· ? (व्यवधान)

दुर्भाग्यवश जो कुछ मैं कह रहा हूं वह सत्तारूढ़ दल के लिये सुखद् नहीं। मैं यह कह रहा हूं कि यह सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सत्तारूढ़ दल में यदि साहस है तो वह मध्यावधि चुनाव कराकर देखें कि लोग किस के पक्ष में अपना निर्णय देते हैं। पश्चिम बंगाल की कानून और व्यवस्था की स्थिति का यदि कोई हल चाहते हैं तो मध्यावधि चुनाव कराकर लोगों के सामने आये। सरकार गोलियों और लाठियों की ओट में सहारा न ढूंढ़े।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I have submitted an amendment to Shri Nath Pai's motion and request for its acceptance.

All section of people admit that there is disorder in West Bengal. But the question is whether this disorder and lawlessness is due to economic reasons or some foreign power is active behind it. In case of former the Government should take up economic measures, particularly in regard to the problem of unemployment among lakhs of educated people of West Bengal ; and if some foreign power is involved, then the Government should take other suitable measures. Let the Prime Minister stay in Calcutta for a fortnight and talk to the people and understand their grievances, Repressive measures cannot supress such sorts of movements.

This problem is not confined to West Bengal only, but has also stretched its tentacles to Bihar—particularly North Bihar and Munghyr District of Southern Bihar where we come across broad-

day muraders. We will have to do something to correct our youth who have been deflected from the path of rectitude Use. of Military and Police forces cannot supress them for ever. Let us adopt-Gandhi Ji's creative ways and ways of earnest service. Let us first find out why people there are resorting to violence and use of bombs and pistols.

Everybody is convinced that West Bengal is in the grip of lawlessness. We should find out the real causes of this disorder as a doctor first diagnoses the disease. Let the Prime Minister visit Calcutta and meet Charu Mazumdar and Kanu Sanyal and go into the very root of this all.

In case some foreign powers are behind the scene, then it is something very dangerous. Government should take effective steps to combat the situation. Although more than 20 years have elapsed since we attained Independence, but there is alround frustration among our youngmen. Neither the Central Government nor the opposition Governments cared to find out the solution therefor. So let us all unite and find out how best we can solve this grave problem. Allegations and counter allegations will not serve any purpose.

Finally, I submit that West Bengal needs economic reforms and the Government should endeavour to better the economic condition there. Also, like West Bengal, Bihar, Orissa, Assam and U. P. are the life line of the country and peace and order in those areas are very essential.

*श्री जे० एच० पटेल (शिमोगा) : श्रीमान्, श्री नाथ पाई द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव का संसोपा पूरी तरह समर्थन करता है। पश्चिम बंगाल में स्थिति इस समय सचमुच ही इतनी गंभीर है कि वहां की अराजकता को दूर करने के लिये तुरन्त ही कारगर उपाय किए जाने चाहिये। ये उपाय अल्प अवधि तथा लम्बी अवधि दो प्रकार के हो सकते हैं। छोटी अवधि के उपायों में निवारक निरोध तथा अन्य कानून आर्थिक तथा सामाजिक विकास में सहायक होंगे। दूसरी श्रेणी के उपायों के अधीन वहां स्थायी शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये ठोस कार्य किये जायें। जब अमरीका तथा ब्रिटेन में गांधी जी के उच्च आदर्शों को व्यवहार में लाया जा रहा है तो भारत में क्या कठिनाई है ? बड़ी विचित्र बात है कि गांधी जी के इस देश में एक ओर तो हम अहिंसा के सिद्धान्तों का पालन करते हैं और दूसरी ओर अबाध रूप से हिंसात्मक कृत्य करते हैं। आजादी के बाद से सरकार ने 4000 अवसरों पर गोली चलाई जिससे 15000 से 20,000 लोग मारे गए। इस प्रकार जहां पश्चिम बंगाल से आंध्र केरल तथा अन्य राज्यों में नक्सलपंथियों की हिंसात्मक गतिविधियां व्यापक रूप से फैल रही हैं वहां सरकार भी कोई न कोई बदला लेकर अन्यायपूर्ण गोली चलाकर हजारों को मौत के घाट उतार रही है। इस संदर्भ में डा० लोहिया के शब्द याद आते हैं कि जब लोगों को न्याय नहीं मिलता तो वे इस प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियां करते हैं। अतः इन गतिविधियों को समाप्त करने के लिये तत्संबंधी समस्याओं को समझकर तदनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

इस अराजकता की स्थिति का एक बड़ा कारण भूमि सुधार आन्दोलन भी है जिसे सरकार ने गलत ढंग से "भूमि हथियाओ आन्दोलन" का नाम दे रखा है। जब लोग शान्तिपूर्ण आन्दोलन करते हैं तो सरकार उन्हें जेल में बन्द कर देती है तथा उन्हें मार लगाती है।

पश्चिम बंगाल की स्थिति सुधारने के लिये आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में आमूल सुधार किए जाने चाहिये। वहां से राष्ट्रपति शासन तुरन्त हटाया जाना चाहिए तथा लोक प्रिय सरकार

*मूल कन्नड़ के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

की स्थापना की जानी चाहिये। नक्सलपंथियों की घृणित गतविधियां बढ़ने का कारण कांग्रेस का 23 वर्षीय गलत प्रशासन है। ये गतिविधियां केवल आर्थिक सुधार करके ही रोकी जा सकती हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के भाषणों से कुछ लगता है कि लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए सरकार पूरे तेईस वर्ष के पश्चात् कुछ जागी है। अब तक तो उनका दल टाटा, बिड़ला, सिंहानियां बन्धुओं आदि को संरक्षण देता रहा।

माना कि हिंसात्मक गतिविधियां केवल भारत में ही नहीं बल्कि अमरीका तथा यूरोप के अन्य भागों में भी व्याप्त हैं तथा इनका एकमात्र कारण आवश्यक रूप से आर्थिक दशा भी नहीं है। फिर भी ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए हमें अहिंसा के सिद्धान्तों पर आधारित कोई हल निकालने चाहिये।

देश में व्याप्त सामाजिक निराशा तथा आर्थिक असन्तुलन हिंसापूर्ण कृत्यों से समाप्त नहीं हो सकेंगे। इसके लिए हमें लोगों को शान्तिपूर्ण ढंग से देशव्यापी आन्दोलन चलाना सिखाना होगा तथा भूमि सुधार के लिए जोर देना होगा। इस सम्बन्ध में भूमिपतियों द्वारा विभिन्न राज्यों में अपनाई गई हिंसात्मक नीति का मुकाबला करना होगा। अतः हम आन्दोलन को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करें।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होने से आर्थिक दशा नहीं सुधरी है। कलकत्ता निगम का कार्य कुप्रबन्ध और गड़बड़ घोटाले का प्रतीक हैं। वहां निधियों का दुर्विनियोग किया जाता है तथा व्यर्थ में राशियां खर्च कर दी जाती हैं। यह सब कुछ अशांति का कारण बना है।

अन्त में, मैं फिर जोर दूंगा कि पश्चिम बंगाल से राष्ट्रपति शासन तुरन्त उठाया जाये। हम निवारक नजरबन्दी कानून का विरोध करते हैं तथा श्री नाथ पाई के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

***श्री को० सूर्य नारायण** (एल्लूरू) : पश्चिम बंगाल की अराजकता स्थिति के बारे में यहां अनेक बार चर्चा हुई है। परन्तु इसमें कोई सुधार अब तक नहीं हुआ है। यह सब कुछ वहां की राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई निष्प्रभावपूर्ण कार्यवाही के कारण ही हुआ है। मैं वहां गया हूं तथा वहां की स्थिति के बारे में अनुभव किया है। वहां जाकर मुझे मालूम हुआ है कि वहां सरकारी व्यवस्था प्रभावहीन है तथा चारों तरफ अनुशासनहीनता का बोलबाला है। सरकारी कार्यवाही पर से लोगों का विश्वास उठ चुका है और लोग मनमानी करने को बाध्य हैं।

सरकार ने पहले तो साम्यवादियों को रोका नहीं, उन्हें प्रोत्साहन दिया तथा बाद में जब वे लोग वहां की निर्धनता की तथा विवशता की स्थिति से स्वेच्छानुसार लाभ उठाने लगे तब भी सरकार ने आरंभ में उन्हें नहीं रोका परन्तु अब वे हमारे ही सिर पर आते हैं। तत्कालीन

*मूल तेलगू के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

संयुक्त मोर्चा सरकार ने हर प्रकार के समाज विरोधी तत्वों को बढ़ावा दिया, उन्हें राजनायिक मान्यता दी। यही वस्तुस्थिति है और इसी तथ्य को समझकर कोई उचित हल निकाला जाना चाहिये। वहां अधिकारियों के मन में अपने कर्त्तव्य के प्रति कोई आस्था और श्रद्धा नहीं है। समाचार पत्रों में जब भी राज्यपालों की सेवानिवृत्ति अथवा तबादला संबंधी समाचार आते हैं तो लोग अपने-अपने उम्मीवारों का चयन कराने के लिये दिल्ली दौड़ पड़ते हैं। पश्चिम बंगाल में भी वहां के राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग की जा रही है क्योंकि कुछ दलों के लोगों को उन पर विश्वास नहीं है। ये बातें केवल राजनैतिक लाभ उठाने के लिये की जाती हैं तथा सरकार को बदनाम करने के तरीके हैं।

इन समस्याओं का समाधान केवल वहां के लोगों के सहयोग से ही संभव हो सकता है। आज की मूल आवश्यकता यह है कि लोगों में विश्वास पैदा किया जाये। आज सरकार एक प्रकार से सर्वथा असहाय स्थिति को प्राप्त हो गयी है और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति इस सीमा तक बिगड़ गई है कि कानून के रक्षक पुलिस अधिकारी भी सरे-आम कत्ल कर दिये जाते हैं और हत्यारों को कोई दण्ड नहीं मिल पाता। अब ऐसी स्थिति में लोगों के दिलों में विश्वास कैसे पैदा होगा ? अत: सरकार को सर्वप्रथम तो ऐसे उपाय करने चाहिये कि उस राज्य में सर्वप्रथम तो शांति स्थापित हो।

हम लोगों में से अनेक ने स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लिया है तथा बड़े-बड़े लोगों की बहादुरी के कारनामों से स्वयं को प्रेरित किया है। बंगाल तथा पंजाब के नेताओं तथा योद्धाओं ने तो विशेष रूप से जन-मन को अनुप्राणित किया है। परन्तु दुर्भाग्य से आज ऐसे ही राज्यों में घोर अराजकता तथा अनुशासनहीनता की स्थिति से सारा देश चिन्तित है। और इस स्थिति के लिये केवल आर्थिक दृश्य ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि इसके पीछे राजनैतिक षड़यंत्र भी हैं। यहां के साम्यवादी लोग भूमिहीन में भूमि के वितरण तथा गरीबों की दशा सुधारने आदि के नारे बुलन्द करते हैं परन्तु क्या कोई सदस्य अपना थोड़ा-सा हर्ज करके वहां जाकर गरीब लोगों की मदद करने को तैयार है? क्या कोई अपना एक-दिन का भत्ता या एक महीने का वेतन उन गरीब लोगों की सहायता के लिये देने को तैयार है ? आज केवल नारे लगाकर लोगों से वोट प्राप्त नहीं किये जा सकते इसके लिये हमें व्यक्तिगत त्याग करने होंगे। कुछ लोग सरकार की प्रगतिवादी नीतियों को विफल करने के लिये राजनैतिक षडयंत्र कर रहे हैं।

चाहे आप राज्यपाल को वापस बुलायें अथवा वहां की प्रशासनिक व्यवस्था में फेर-बदल करें ; चाहे कानून तथा व्यवस्था बनाने के लिये अन्तिम उपाय के रूप में सेना भी बुला लें, परन्तु मेरा निवेदन तो यह है कि आप सर्वप्रथम लोगों में उनके जीवन तथा सम्पति की सुरक्षा के प्रति विश्वास पैदा करें। इस उद्देश्य के लिये आप चाहे जितने बड़े कानून बनायें उनका स्वागत है।

श्री सरदार अमजद अली (बसीरहाट) : मैं ऐसी चर्चा में भाग लेकर खुश नहीं हूं जिनमें मेरे राज्य में हुई घटनाओं की इस माननीय सभा में निन्दा की जाये परन्तु श्री विभूति मिश्र का संशोधन जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की अराजकता की स्थिति का कारण वहां की बेरोजगारी तथा निराशा की स्थिति आदि है, मुझे प्रोत्साहित करता है। यह सच है कि पश्चिम बंगाल की बढ़ती हुई अराजकता की स्थिति से आज सारा देश चिन्तित है। वह दुर्भाग्य-

पूर्ण दिन सारे देशवासियों को सदा याद रहेगा जिस दिन साम्यवादी मार्क्सवादी दल के लोगों ने बर्दवान में एक गरीब मां के तीन बच्चे कत्ल कर दिये थे। इस प्रकार के निर्मम हत्यारों की सर्वत्र और सब जगह भर्त्सना की जानी चाहिये। श्री विभूति मिश्र जी ने तो मामले का केवल एक पहलू ही पेश किया है। साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल ने बर्दवान जिले के एक इथोरा नामक गांव में भी एक बूढ़े स्कूल अध्यापक को घसीटकर बाहर निकाला और फिर एक कसाई की भांति उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। क्या यह दल सार्वजनिक हितों के नाम में ऐसे ही कुकृत्य करने को अच्छा समझता है ? माहया में अदालत के भीतर ही एक पुलिस अधिकारी को छुरा भोंक दिया और भी न जाने कितने अत्याचार इन लोगों ने किये। मगर हम साथ ही पुलिस के अत्याचारों की भी भर्त्सना करते हैं जिन्होंने देश के स्वतंत्र नागरिकों को सताया। आखिर हिंसात्मक गतिविधियों की तो निन्दा ही की जायगी भले ही कोई भी उन्हें करे।

पश्चिम बंगाल की स्थिति आज बड़ी ही चिन्ताजनक है। वहां एक ओर तो बेरोजगारी बढ़ रही है जिससे देश के उस महत्वपूर्ण भाग के लोग परेशान तथा व्याकुल हैं। उन्हें अपना भविष्य सर्वथा अन्धाकारमय दृष्टिगोचर होता है। अत: स्वभावत: ही वे अपनी अदम्य उत्तेजना में ऐसे कृत्य कर रहे हैं कि सभी तरह की बर्बरता व अत्याचार पूर्ण के कार्य करने लगे हैं जोकि हमारे लोकतंत्र के सर्वथा प्रतिकूल है। अत: हमारे दल ने यह आवश्यकता समझी है कि सभी प्रकार की बर्बरता के विरुद्ध उस लोगों में चेतना व जागृति उत्पन्न की जाये क्योंकि हम समझते हैं कि कोई बड़ा कानून संभवत: इस समस्या को हल नहीं कर सकेगा। इसी उद्देश्य को लेकर हमारे नेता श्री अजय मुकर्जी राज्य के सभी भागों का दौरा कर रहे हैं। वह यह प्रयास कर रहे हैं कि बर्बरता का प्रतिरोध करने के लिये लोगों में चेतना व जागृति पैदा की जाये।

बेरोजगारी, कृषि संबंधी समस्यायें तथा उस राज्य के समुचित विकास की समस्या को देखते हुए वहां के युवा वर्ग के लोगों में अपने भविष्य के बारे में बड़ी चिन्ता व्याप्त है। यही उक्त स्थिति का कारण है।

इस स्थिति का एक अन्य राजनैतिक समाधान भी है। सबको मिलकर सार्वजनिक चेतना तथा बुराई के प्रति जागरूकता को जगाया जाना चाहिये। इस संबंध में कोई कड़ा कानून सहायक सिद्ध नहीं हो सकेगा। परन्तु यह खेद का विषय है कि इस राजनैतिक हल के लिये कोई भी दल हमारे इस प्रयास में हमारा हाथ नहीं बटा रहा है। वे तो भारत सरकार की केवल आलोचना करना जानते हैं।

निवारक निरोध कानून कोई लोकतंत्रात्मक कानून नहीं है। परन्तु जब किसी जगह घोर अराजकता की स्थिति पैदा हो जाये और पुलिस तथा कानूनी व्यवस्था भी असफल हो जाये जैसा कि इस समय पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तो ऐसे निवारक निरोध अधिनियम की भी आवश्यकता को न्यायोचित माना जाना चाहिये। हमारा विश्वास है कि ऐसे कानून से सरकार के हाथ मजबूत होंगे तथा वह नक्सलपंथियों तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों को रोक सकेगी।

साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के श्री ज्योतिर्मय बसु, पुलिस के अत्याचारों की कटु आलोचना करते हैं। हम भी खासतौर से इसकी निन्दा करते हैं परन्तु हमारी पुलिस भी कोई विदेशी शक्ति नहीं है उसके लोग भी हमारे अपने भाई हैं। उन्हें भी तो अपने बच्चे पालने हैं अतः उन्हें भी अपने कर्त्तव्य का पालन करना पड़ता है जिसे श्री बसु के दल के लोग पसन्द नहीं करते।

जब श्री अजय मुकर्जी ने संयुक्त मोर्चा छोड़ा तो हमने आशा की थी कि कम से कम राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति स्थापित करने के लिये कोई प्रशासन आगे आयेगा। राष्ट्रपति शासन वहां लागू था। किन्तु हमने देखा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान भी वहां गुण्डागर्दी करने वाले तत्वों द्वारा घोर अत्याचार किये जा रहे हैं। वहां ऐसे लोगों का प्रभुत्व है जो लोकतंत्र तथा समाजवाद में विश्वास नहीं करते।

अतः भारत सरकार से मेरी अपील है कि वह कुछ कड़े कदम उठाने तथा प्रशासन को और अधिक अधिकार देने के साथ-साथ देश के कल्याण के लिये कुछ उपाय भी सोचे। इसी प्रकार ही इस समस्या का हल निकल आने की संभावना हो सकती है।

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha) : I congratulate Shri Nath Pai on his motion which attracts the attention of this House towards the real situation in the country.

It is a very sad state of affairs that the life and property are not secure in West Bengal and even the President's rule has not been able to check lawlessness there. Then this is not confined to West Bengal only. Bombs are being made and used at Banda in Vidarbh also. Bombs are sold there in thousand and at a price of Rs. 2/- only. Law does not prevail there and even the policemen need guard for performing their routine duties.

There has been a demand for the withdrawal of the Governor since they claim that he is a communist. It may not be true, but surely, he has not been able to control the affairs as his predecessor Shri Dharam-Vir had done. But today the portraits of our revered leaders viz. Gandhiji, Nehru, Tagore and Netaji are being burnt or disfigured and portraits of our enemies, namely, Mao and other Chinese leaders are being put instead. And the public cannot do anything to check them because of atmosphere of terror and violence.

Some communist friends have complained of police atrocities. It is to some extent but this is so true because the then Home Minister Shri Jyoti Basu, the communist leader enrolled many communists in the police service. Whatever be the reasons the responsibility of maintaining law and order in West Bengal is that of the President of India and the Governor. In case the police is unable to control the situation, the Government should not hesitate to enforce military rule there, but at any cost, the life and property has to be safeguarded. If we are not able to do that we have no moral right to expect people to pay taxes to the Government. Now in view of the grave situation there, we have to support this motion here.

It makes a dismal reading that many factories have been closed down and a large number of workers rendered jobless because of lawlessness there. This is all due to complete break down of law and order. The management of the factories are threatened with attempts on their life and Gherao. So, it is very essential to bring about peaceful atmosphere contentment among the pepole. The incidents of Gherao, murder and attacks are not confined to West Bengal only but in other areas too. The naxalite activities are increasing day by day in these areas also. I agree that among the bad elements the naxalites are only about 10 per cent but the gundas and

other anti-social elements are finding their way all this behind. It is therefore, very essential to enforce very strict law and even the P. D. Act. We do not want the Government to put forth any excuse therefore, but let the Government assure that inspite of all the powers given to them, if they could not bring law and order situation under proper control, they would resign. Let them declare the time by which they will be able to control this lawlessness.

श्री नाथ पाई : सरकार ने अवधि बढ़ाने के लिये प्रस्ताव पेश किया था। मेरा निवेदन है कि चर्चा आज समाप्त हो जाये तथा कल मैं अपना उत्तर दे सकूं।

श्री क० प्र० सिंहदेव : मेरे दल के 22 मिनट बाकी हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, केवल 5 मिनट बाकी हैं और मैं एक-दो सदस्यों को 5-5 मिनट दे सकता हूं।

श्री बेदब्रत बरुआ : श्रीमन्, जल्दी की कोई बात नहीं है, चर्चा अगले दिन तक के लिये स्थगित की जा सकती है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Let it conclude.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं उन सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि गत सप्ताह श्री प्रकाशवीर शास्त्री के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी और उसमें भी इसी क्षेत्र पर विचार-विमर्श किया गया था। अब यदि सभा अतिरिक्त जानकारी चाहती है तो इसे स्थगित कर दे और यदि पहले दी गई जानकारी ही पुनः दोहरवाना चाहती है तो आज ही इसे पूरा कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इस पर काफी चर्चा हो चुकी है तथा अन्य कई मामलों पर भी विचार करना शेष है।

श्री रणधीर सिंह : आपके कहने से मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी मेहरबानी है। रघुवीर सिंह शास्त्री !

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat): There has been well planned massacre, looting etc. in West Bengal for years together; but it is pity that till now we could not detect the source of this ammunition and other destructive material and also the money therefor. We could not know as to where these elements hold their meetings and training centres for such activities.

If the lawlessness of Bengal can percolate to Bihar and U. P. we can well imagine the fate of adjoining States of Manipur, Tripura, Meghalaya, Nagaland and Assam.

Some people attribute these incidents to economic conditions. But to my mind these developments have their genesis in political reasons. Economic conditions in West Bengal are not dissimilar to those prevalent in other States. These conditions are prevailing throughout the country, therefore had it been due to economic causes, unemployment, land problem etc. such things would have been happening throughout the country. But it is not so.

We have reasons to be sceptical that organised efforts are being made to creat Vietnam like situations in the North-East India. We should wait for the situation to deteriorate any further and take some effective steps to control it. Mere framing of laws will not solve the problem. Laws must be enforced ruthlessly.

Every now and then a demand is raised that elections should be held in West Bengal and popular Government installed there. But I have to say that this situation in the legacy of the

so called popular Government, immediately before the imposition of the President's rule. Elections should be held in West Bengal when the situation improves. Restoration of peace and order should be the first priority.

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेंकानाल): पश्चिम बंगाल में व्याप्त आज की समस्याएं 20 वर्षीय कांग्रेसी शासन का परिणाम हैं। इतने लम्बे समय तक शासन की बागडोर कांग्रेस के हाथ में रहने के उपरांत भी कांग्रेस औद्योगीकरण, बेरोजगारी, कृषि, पुनर्वास, कलकत्ता का विकास, भूमि सुधार आदि समस्याओं को हल करने में असफल रही है। इन्हीं समस्याओं ने नक्सलवादी की कथित कृषक क्रांति को जन्म दिया। इस स्थिति के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई परिस्थितियों ने बंगाल को नये मोड़ पर खड़ा कर दिया है। प्रतिदिन पुलिस पर और सैनिक गाड़ियों पर बम फेंके जाते हैं। प्रतिदिन हत्यायें हो रही हैं। बलात्कार, आगजनी, डकैती, लूट के मामले होते हैं। यदि सन् 1967 में इस प्रकार के आन्दोलन को दबाने के लिए हमारे दल के सुझाव मान लिये जाते तो इस प्रकार की बातों को सर उठाते ही कुचला जा सकता था। हमारे दल ने इन उग्रवादी तत्वों के प्रति कड़े व कठोर कदम उठाने की वकालत की परन्तु सरकार इसमें असफल रही और उनके साथ राजनैतिक तत्वों के रूप में व्यवहार किया। स्थिति को और बिगाड़ने के लिये वहां इस प्रकार के राज्यपाल को भेजा गया है जो इसी विचारधारा के पोषक हैं और जिन्हें प्रशासन का कोई ज्ञान नहीं। इसके परिणामस्वरूप राज्य का लगभग सारा प्रशासन ठप्प प्राय सा है।

विभिन्न प्रकार के तत्वों द्वारा आक्रमण का मुख्य लक्ष्य आज पुलिस है। पुलिस की वर्दी में किसी को देखकर ही उस पर हमला हो जाता है। इस सारी स्थिति की जिम्मेदार यही सत्तारूढ़ कांग्रेस है। यदि कानून और व्यवस्था के संरक्षकों पर ही आक्रमण हों तो आप विचार कर सकते हैं कि वे जनता में किस प्रकार विश्वास की भावना ला सकते हैं।

आज सारे राज्य में समूह व्यवहार को न सहना व्याप्त है। इसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस पर ही है। जब शासन इस दल के हाथ में था तो इसने विरोधी दलों की मीटिंगों को भंग करना, विपक्षी नेताओं को पीटना आदि को अपना एकाधिकार समझा। आज उसी के प्रतिकर स्वरूप यह हो रहा है।

संयुक्त मोर्चा सरकार ने अपने काल में आतंक फैलाया और आज उसी का प्रतिकर उस सरकार के घटकों को मिल रहा है।

1967 वर्ष में संयुक्त मोर्चा सरकार स्थापित होने पर लोगों के दिलों में यह भावना आई थी कि स्थिति में सुधार होगा। उनके मन में विश्वास था कि यह सरकार जनता के लिये कुछ करेगी। परन्तु संयुक्त मोर्चा सरकार के उग्र तत्वों ने वहां इतना आतंक उत्पन्न किया कि लोग उस शासन से भी हताश हो उठे।

अराजकता के फैलने का उद्योग पर प्रभाव पड़ा। उद्योग ने राज्य से हिलना प्रारम्भ कर दिया, कारखाने बन्द हो गये और काफी लोग बेकार हो गये। इस सब से राज्य में निराशा और अस्थिरता और बढ़ी है। आर्थिक अस्थिरता से राजनैतिक एवं सामाजिक अस्थिरता का उत्पन्न होना तो स्वाभाविक है।

इस प्रकार की परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। स्थिति को बिगड़ते रहने से बचाने के लिये सरकार को नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार यह सोचे कि मामले को केवल राजनैतिक आधार पर ही नहीं हल किया जाना अपितु आर्थिक और रोजगार स्थिति पर भी विचार आवश्यक है जिस सबसे हिंसा और उग्रवादिता का सामना हो सके।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती इला पालचौधरी ने मुझे लिखा है कि श्री इन्द्रजीत गुप्ता द्वारा आज के भाषण में उनके प्रति प्रयोग किया गया एक* शब्द असंसदीय है, अतः मैंने उस शब्द को सभा की कार्यवाही से निकाल दिया है।

गृह-कार्य मंत्रालय में और एलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : पश्चिम बंगाल के विशेष संदर्भ में हमने कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पर कई बार विचार किया है। केवल एक बात को छोड़कर मेरे पास बताने के लिये नई बात कोई नहीं है जो मैंने पहले अवसरों पर न बताई हो।

संकल्प के प्रस्तावक की भावना केवल राष्ट्रीय महत्व की एक समस्या पर ध्यान आकर्षित करना है परन्तु प्रस्तावक ने इस मामले को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा है। हालांकि स्थिति में सुधार हुआ है परन्तु उन्होंने स्थिति में इस सुधार की बात नहीं की है। तब संकल्प में "राज्यभार में अत्यधिक फैली हुई और न रोकी गई हिंसात्मक कार्यवाहियों" की बात है। यह कहना ठीक नहीं कि हिंसात्मक कार्यवाहियों को रोका नहीं गया है। वस्तुतः इन कार्यवाहियों को रोकने के लिये सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों की कुछ सदस्यों ने तीव्र आपत्ति की है। इससे स्पष्ट है कि सरकार इसके प्रति कदम उठा रही है।

यह एक दुसह समस्या है और सरकार इसके प्रति बहूद्देशीय रवैया अपना रही है। उसका एक रूप है कानून और व्यवस्था और दूसरा रूप है विकासात्मक। यह अनिवार्य बात है कि बंगाल की इस समस्या के प्रति बहु-उद्देशीय रवैया अपनाया जाए। समस्या को हल किये जाने के लिये समय सीमा निर्धारित किये जाने की भी बात कही गई है। परन्तु यह एक जटिल समस्या है और केवल समय सीमा नियत किये जाने से ही यह हल नहीं होने वाली।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य थक गये हों तो वे सभा कक्ष में जाकर आराम कर सकते हैं, यहां पर बातें न करें।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : आप लोगों को शरम आनी चाहिए। आपके मंत्री बोल रहे हैं। (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतुल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या वे इस प्रकार बोल सकते हैं, भर्त्सना कर सकते हैं और या भर्त्सना करना या भर्त्सना करने की अनुमति देना अध्यक्ष पीठ के अधिकार में है ? मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*पृष्ठ संख्या 5705

*Vide page 5705.

Mr. Speaker : The proceedings of the House was completely drowned in the talk going on among the Hon. Members. I thought they perhaps need relaxation and I therefore, asked them to go to lobby for that purpose. But when I had already said all this it was not necessary for him to say anything.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुख्य बात यह है कि क्या सरकार में स्थिति का सामना करने के लिये संकल्प है या नहीं। यह बात आज स्पष्ट हो चुकी है कि सरकार इस स्थिति का सामना करने के लिये दृढ़ संकल्प है। आज सरकार को जो आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, वह भी इस बात का प्रतीक है कि सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक है। चर्चा में यह भी स्पष्ट हुआ है कि पिछले कुछ मासों में कई कदम उठाये गये हैं। जिस प्रकार नक्सलवादी कार्यवाहियों का स्वरूप बदला उसी के अनुरूप पुलिस को भी स्थिति का सामना करने के लिये अपने तरीके बदलने पड़े।

नक्सलवादी कार्यवाहियों की विशेषता यह है कि उन्होंने लोगों को चुन चुनकर अपने आक्रमण का लक्ष्य बनाया है। उनकी दृष्टि में ये लोग "शत्रु वर्ग" हैं। पुलिस, सरकारी कर्मचारी, राजनैतिक विरोधी तथा चुने हुए जमीदार एवं व्यापारी इस "शत्रु वर्ग" के अन्तर्गत आते हैं। दूसरी मुख्य विशेषता यह है कि समाज-विरोधी तत्व, अराजकता की इस स्थिति से लाभ उठाना जिनका लक्ष्य है, इन नक्सलवादियों से मिल गये हैं। तीसरी विशेषता यह है कि नक्सलवादियों और अन्य राजनैतिक समूहों के बीच हिंसात्मक झगड़े हो रहे हैं।

इसकी चौथी विशेषतः यह है कि नक्सलवादी जिस ढंग से यह आक्रमण कर रहे हैं। आक्रमण का ढंग अत्यन्त कायरतापूर्ण है। वे व्यक्तिगत रूप से किसी के सामने आकर उस पर आक्रमण नहीं करते। उनके आक्रमण का ढंग इस प्रकार से आश्चर्यजनक होता है कि उससे प्रतिपक्षी को अपने बचाव का अवसर ही नहीं मिलता। इस प्रकार के आक्रमणों की स्थिति से निपटने हेतु पुलिस को जागरूक बनाने के लिये भी हमने कई कदम उठाये हैं।

मैं इस बात से भी सहमत हूं कि यह सब कानून तथा व्यवस्था की बात नहीं, इसका कारण काफी अरसे से चले आ रहे तनाव हैं। परन्तु स्थिति जैसी भी हो उसको हल तो किया ही जाना है।

इस आंदोलन के प्रारम्भ होने व इसके फैलने के इतिहास के विषय में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। कई अवसरों पर इस सदन में उस पर चर्चा हो चुकी है। परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि संयुक्त मोर्चा शासन काल में इस प्रकार की स्थिति पैदा की गई जिसमें कई दोषी व्यक्तियों को रिहा किया गया। पुलिस लगभग अकर्मण्य बना दी गई। प्रशासनतंत्र को बड़े ढंग से तथा जानबूझ कर क्षीण किया गया। नक्सलवादियों का आज जो संगठित रूप नजर आता है, वह सब इन्हीं उपरोक्त बातों का ही परिणाम है। यह एक मूल बात है और हम सबको यह जानना ही चाहिए।

संयुक्त मोर्चा शासन काल में कुछ दलों द्वारा प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयत्नों ने स्थिति को और भी बिगाड़ा।

राष्ट्रपति शासन लागू होने पर तीन महीने तक स्थिति में सुधार आता रहा। परन्तु उसके पश्चात अब फिर स्थिति में बिगाड़ आना प्रारम्भ हो गया है। जुलाई में तो स्थिति अपने चरम सीमा तक पहुंच गई थी। शिथिल प्रशासन को जागरूक बनाने के लिये कई कदम उठाये गये। राष्ट्रपति शासन के पूर्व के आतंक के साम्राज्य पर नियन्त्रण पाया गया। डर और आतंक की जो भावना लोगों पर छा रही थी, अब वह समाप्त हो रही है। लोग सामान्य कार्य कर रहे हैं। सिनेमाघर, दुकानें तथा होटल इत्यादि सामान्य स्थिति में आ रहे हैं। यह ठीक है कि हिंसा पूर्णतया समाप्त नहीं हो गई परन्तु यह भी तथ्य है कि इसका स्तर नीचे गिर रहा है।

इस अवधि के भीतर दो त्योहार दिवाली तथा दुर्गापूजा आए और वे शांतिपूर्वक मनाये भी गये। पिछले कई महीनों से पूर्वी पाकिस्तान से अनेक शरणार्थी भारत आ रहे हैं और फिर भी प्रशासन साम्प्रदायिक एकता बनाये रख सका है। भूमि हथियाओ आन्दोलन शुरू हुआ और उसे उचित प्रकार से और दृढ़ता से निपटाया गया। अनेक नक्सलवादियों और उनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया है।

कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में भी अराजकता कम हो रही है। बड़ी मात्रा में अवैध हथियार तथा गोला बारूद पकड़े गये हैं।

दुर्भाग्य से राजनैतिक दलों के मध्य झगड़े अभी भी हो जाते हैं परन्तु अब उनका रूप बदल चुका है। जब भी पुलिस के ध्यान में कोई घटना लाई जाती है या पुलिस घटना को होते हुए स्वयं देखती है तो वह हस्तक्षेप करती है और यह स्थिति का एक अन्य पहलू है।

इस स्थिति का सामना करने के अल्पावधि तथा दीर्घावधि दो पहलू हैं परन्तु सरकार को सर्वप्रथम सामान्य स्थिति की स्थापना करनी है। उस स्थिति को लाए बिना कुछ प्रयास भी सफल नहीं हो सकता। किन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं कि इस स्थिति के अन्य पहलू की अवहेलना कर दी जाये। कलकत्ता का विकास, भूमि सुधार, बेरोजगारी की समस्याओं की ओर आज सरकार का ध्यान है। इस सम्बन्ध में कई कदम उठाये जा रहे हैं।

कुछ दिन पूर्व हमने पश्चिम बंगाल परामर्शदात्री समिति की बैठक में दो विधेयकों पर विचार किया। उसमें भाग लेने वाले अधिकतर सदस्यों ने उनका समर्थन किया। आज की इस चर्चा में भी लगभग सभी वक्ताओं ने इनका समर्थन किया है। कुछ सदस्यों ने तो इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार को और शक्तियां प्राप्त करने की मांग की है।

आज वहां की स्थिति इस बात की अपेक्षा करती है कि उससे निपटने के लिये असाधारण कदम उठाए जायें। इस असाधारण स्थिति का निपटारा करने के लिये केवल दण्डात्मक उपायों पर निर्भर रहने केस्थान पर निवारक उपायों का सहारा लेना, मेरे विचार से अधिक माननीय एवं उचित है।

मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि यदि बंगाल की परिस्थितियां इस प्रकार की न होतीं तो सरकार को इस विधेयक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी। हमें हिंसात्मक वातावरण पर नियन्त्रण करना है, न कि हम यह चाहते हैं कि ऐसा वातावरण पनपता रहे और पुलिस तथा इन तत्वों के बीच गलियों एवं सड़कों पर 'लड़ाईयां' हों। कानून के अनुसार चलने

वाले दलों को इस प्रकार के विधेयकों से डरने की कोई बात नहीं । निवारक निरोधक उपबन्धों का केवल उनके विरुद्ध उपयोग किया जायेगा जो शस्त्रों एवं हिंसा का मार्ग अपनाते हैं ।

लोगों में जागरूकता पैदा करने और उनसे वार्तालाप की भी बात कही गई है । मैं इन बातों के महत्व को कम नहीं करता परन्तु इतना कहूंगा कि प्रजातन्त्र में यह कार्य राजनैतिक दलों का होता है न कि प्रशासन का । और फिर प्रजातन्त्र के लिये तो यह आवश्यक भी है ।

यह भी जरूरी है कि पुलिस जो कुछ कर रही है, हम उसका समर्थन करें क्योंकि पुलिस को यह अहसास नहीं होना चाहिए कि वह किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही कर रही है । पुलिस जो कुछ भी करती है वह सरकार के निर्देश पर ही करती है, अत: यदि वह गलत भी होता है तो उसके लिये आप सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं । अपने कर्त्तव्य का पालन करने वाले सार्वजनिक कर्मचारियों का तो प्रत्येक सभ्य समाज में सम्मान किया जाता है । हम सभी को इस प्रकार की राजनीतिक शिक्षा को ग्रहण करना चाहिये ।

विभिन्न वक्ताओं ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का भी उल्लेख किया है । आप सभी को यह विदित है कि वहां की स्थिति बहुत जटिल है । आज सम्पूर्ण प्रशासन उस स्थिति से जूझने का प्रयास कर रहा है । ऐसी परिस्थितियों में किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम लेना उचित नहीं है ।

मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्ता तथा श्री ज्योतिर्मय बसु ने पश्चिम बंगाल में पुलिस की ज्यादतियों का उल्लेख किया है । परन्तु मैं इस सम्बन्ध में केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि एक पुलिस के सिपाही ने कभी कोई गलती की हो, तो उसके लिये सम्पूर्ण पुलिस की निन्दा करना भला कहां तक उचित है । हमारा काम सम्पूर्ण पुलिस बल की सत्ता को बनाये रखना है, न कि उस पुलिस बल के गल्ती करने वाले एक व्यक्ति की सत्ता को ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : आपको मालूम है कि परामर्शदात्री समिति में आपके दल के ही बहुत से सदस्यों ने यह मांग की थी कि इन विधेयकों के साथ ही पुलिस की ज्यादतियों को रोकने के उपाय भी किये जाने चाहिए ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अपको स्मरण होगा कि प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य के अन्त में इस बात पर बल दिया था कि किसी भी दोषी व्यक्ति पर दया नहीं की जायेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आप जांच क्यों नहीं करवाते ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री बनर्जी ने पहले भी एक बार जांच का प्रश्न उठाया था । मैंने उनसे कहा था कि वह मुझे मिलें तो मैं उन्हें सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा परन्तु न जाने क्यों वह आजकल मेरे पास आने में झिझकते हैं । मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि पहले स्थिति यह थी कि पुलिस की गोली चलने के बाद जांच अपने आप ही आरम्भ कर दी जाती थी और अब केवल उन्हीं मामलों में जांच की जाएगी जिनमें पुलिस की ज्यादती हुई है ।

कलकत्ता की समस्याओं का समाधान सी० एम० डी० ए० द्वारा ही किया जायेगा क्योंकि अब इस का गठन किया जा चुका है। बस्ती विकास योजना के लिये 8 करोड़ रुपये के अनुदान की मंजूरी दी जा चुकी है। भूमि सुधारों के सम्बन्ध में एक विधेयक पर चर्चा की जा चुकी है और दूसरे पर शीघ्र ही चर्चा की जायेगी ।

आज पश्चिम बंगाल की समस्याओं को ठीक ढंग से सुलझाने के लिये सभी दलों के संगठित होने की आवश्यकता है । मैं इस मामले पर सभी राजनीतिक दलों के सहयोग की आशा करता हूं । पश्चिम बंगाल के साथ-साथ देश के सभी जन-नेताओं को इस कार्य में सहयोग देना चाहिये । मैं समझता हूं कि यदि ऐसा हो तभी प्रस्तुत चर्चा का कोई लाभ हो सकता है। इसके साथ ही मैं आशा करता हूं कि श्री नाथ पाई अपने संकल्प के लिये दबाव नहीं डालेंगे। धन्यवाद ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि काफी समय हो गया है और सभा सदस्य भी इस समय पूर्णतया थके हुए हैं, इसीलिये मैं बहुत संक्षिप्त रूप से ही कुछ कहूंगा। श्रीमान जी, आज की चर्चा की सबसे विशेष बात यही है कि संकल्प की विषय-वस्तु का सभी ने समर्थन किया है । श्री जार्ज, जो कि अपने प्रथम भाषण के लिये हमारी बधाई के पात्र हैं, उन्होंने भी संकल्प के साथ अपनी सहमति व्यक्ति की है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि मार्क्सवादी साम्यवादी दल ने भी संकल्प का समर्थन कर हिंसा की भर्त्सना की है। यद्यपि 7 अगस्त को जब कि मैंने प्रस्तुत संकल्प पेश किया था तो उन लोगों ने अपने कड़े विरोध द्वारा मेरा बोलना दूभर कर दिया था । यह वास्तव में एक स्वागतीय परिवर्तन है।

अध्यक्ष महोदय, अपने विषय को आरम्भ करने से पूर्व एक छोटी सी बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने प्रथम बार अपना प्रस्ताव 7 अगस्त को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, 21 अगस्त को इस पर चर्चा की गई। आज 20 नवम्बर को इस पर अन्तिम चर्चा हो रही है। अगर वाद-विवाद इतनी देर तक लटका रहे, तो इससे उसका महत्व काफी कम हो जाता है। आपको इसका कोई उचित हल खोजने की ओर ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा इससे सहमत हो तो मैं इसके लिये तैयार हूं।

श्री नाथ पाई : मेरे प्रस्ताव के विषय में बहुत-सी भ्रामक धारणाएं इस सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। मुझें मालूम नहीं कि माननीय सदस्यों के पास उनके सम्बद्ध कागजात इस समय हैं या नहीं, परन्तु मुझे इतना विश्वास है कि मेरा निवेदन सुनने के बाद वह मेरा संकल्प स्वीकार करने के लिये तत्पर हो जाएंगे। मेरे संकल्प में कहा गया है कि :

"यह सभा खेद प्रकट करती है कि राष्ट्रपति का शासन प्रख्यापित करने के बाद भी पश्चिमी बंगाल में विधि और व्यवस्था की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और सम्पूर्ण राज्य में विसद निर्बाध हिंसात्मक गतिविधियों पर, जिनके कारण देश में जीवन, सम्पति, सुरक्षा और लोकतन्त्र को खतरा पैदा हो गया है, गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है।"

अत: मैंने केवल यही शब्द कहे हैं कि "यह सभा खेद प्रकट करती है···" मैंने यह नहीं कहा कि यह सभा निन्दा करती है । अत: इसमें सरकार को कोई खतरा नहीं है···

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : और इसी लिये यह सरकार की असफलता है ।

श्री नाथ पाई : जो प्रश्न मैंने उठाये थे, मुझे आशा थी कि मंत्री महोदय उनका स्पष्ट उत्तर देंगे परन्तु उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया । जैसे मैंने उनसे पूछा था कि जाडुगुडा में जो हथियार पकड़े गये थे, क्या वह भारत के आयुध कारखानों में ही बने थे ? क्या जाडुगुडा में मऊ स्थित 13वें जूनियर कमाण्डर सिगनल्स स्कूल के एक परम गुप्त कागजात का पता लगाया गया था ? क्या सैनिक कार्यवाही की समूची योजना का भी पता लगा था ? मेरे उन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया गया । इसके साथ-साथ मैंने यह भी पूछा था क्या तथाकथित अभियुक्तों की कोई सूची दी गई थी ? वे क्या करना चाहते थे, उनके लक्ष्य तथा उनकी संचालन नीति और कार्य प्रणाली क्या थी, इन सभी बातों का कोई विवरण मंत्री महोदय ने प्रस्तुत नहीं किया । इन प्रश्नों का कुछ न कुछ उत्तर तो सभा को दिया जाना चाहिये था ।

मैं यदि एक ही वाक्य में कहूं वर्तमान नक्सलवादी अपने पांच लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ संकल्प हैं । वे सम्पूर्ण प्रशासन को अस्त-व्यस्त करना चाहते हैं; लोकतंत्रीय मूल्यों को बदनाम करना चाहते हैं और देश के आर्थिक जीवन को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं । वे शिक्षा को तहस-नहस करना चाहते हैं और अन्ततः जो कुछ भी हमें प्रिय है, वह उसे समाप्त करना चाहते हैं । उनका उद्देश्य है कि हमारी लोकतन्त्र से आस्था उठ जाये ।

जो कुछ भी बंगाल में होता है, वह केवल बंगालियों की चिंता का विषय नहीं है अपितु सम्पूर्ण भारत की चिंता का विषय है । श्री गोखले ने कहा था कि आज बंगाल में जो कुछ होता है वही कल सम्पूर्ण भारत में होगा । अत: हम सब को इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिये ।

आज मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, उसी में परस्पर विरोध है । उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि बंगाल की स्थिति में सुधार हुआ है और कल तक जिन सिनेमाघरों पर आक्रमण किये जाते थे, आज वह लोगों से खचाखच भरे होते हैं परन्तु यह एक संयोग की बात है कि वहां आक्रमण न हुआ हो, परन्तु जो लोग वहां जाते हैं, उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि वह वापिस लौट आयेंगे । अब जरा मंत्री महोदय का श्री इन्द्रजीत गुप्त को दिया गया उत्तर देखिये । उन्होंने उसमें कहा है कि क्योंकि वहां दिन प्रतिदिन विधि तथा व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है इसीलिए वहां निवारक निरोध अधिनियम लागू करने की आवश्यकता है । परन्तु श्री नाथ पाई को उत्तर देते समय उन्होंने कहा है कि स्थिति में सुधार हुआ है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि बंगाल की स्थिति में सुधार हुआ है तो फिर वह निवारक निरोध अधिनियम जैसे कड़े उपाय क्यों अपना रहे हैं ? एक ही सांस में वह दोनों बातें कैसे कह रहे हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरा उत्तर तो बिलकुल स्पष्ट है । पहले हिंसा की गतिविधियां सम्पूर्ण बंगाल में व्यापक थीं और अब वह केवल कुछ ही इलाकों तक सीमित हैं । अत: निश्चय ही परिवर्तन हुआ है ।

श्री नाथ पाई : क्या यह सच नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय बंगाल में महान् जनक्षति हुई थी ? मेरा यह नम्र निवेदन है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं है अपितु वहां आतंक, आगजनी, लूट और बलात्कार का शासन है। मैं कौन सी बात का उल्लेख पहले करूं। बंगाल अपनी आर्थिक समस्याओं से निस्सन्देह परेशान है, परन्तु आज उसकी सब से बड़ी समस्या है उसका राज्यपाल। जब बंगाल में नये मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने का समारोह मनाया जा रहा था। तब राज्यपाल ने कुछ ऐसा कार्य किया जो कभी भी किसी शासन प्रणाली में देखने को नहीं आया। उनके इसी कार्य की निंदा करने के लिए पश्चिम बंगाल के विधि-वेत्ता संगठन ने एक संकल्प पास किया और राष्ट्रपति से उन्हें वापिस बुलाने के लिए अनुरोध किया। अतः यदि भारत सअकार कानून का शासन स्थापित करने और प्रत्येक बंगाली के जीवन की सुरक्षा, स्वतंन्त्रता और सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित करने के लिए वास्तव में चिन्तित है, तो उसे राज्यपाल को वापिस बुला कर अपनी ईमानदारी का सबूत देना चाहिये।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि हमें केवल यह कह कर अपने आपको धोखा नहीं देना चाहिये कि जो कुछ हो सकता था, वह हमने कर दिया है। केवल समाज विरोधी तत्वों की निंदा कर के हम इस समस्या को नहीं सुलझा सकते। यह खेल काफी लम्बे समय से खेला जा रहा है। अब समय आ गया है जबकि हमें बंगाल की समस्याओं का अध्ययन करना चाहिये। हमें बंगाल की उदारता के साथ वित्तीय सहायता देनी चाहिये, परन्तु जब हमें यह मालूम हो जाये कि वहां संविधान में निहित स्वन्त्रता खतरे में है तो सरकार को दृढ़ता तथा निश्चय के साथ कार्यवाही करनी चाहिये। आखिर बंगाल में क्या नहीं हुआ ? पश्चिम बंगाल में रवीन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी, गांधी जी और आशुतोष मुकर्जी की प्रतिमाओं को गिराया गया। उनकी तो केवल संगमरमर की प्रतिमायें ही गिराई गईं। सम्भवतः उनका अन्तिम शिकार तो भारत का लोकतन्त्र रूपी भवन होगा। उस समय हम क्या करेंगे ? इसके बारे में मंत्री महोदय ने अपने इतने लम्बे भाषण में कुछ नहीं कहा। उन्हें यह आश्वासन देना चाहिये कि बंगाल को हर प्रकार की वित्तीय सहायता दी जायेगी।

मेरा विचार है कि मैंने अपने इस संकल्प द्वारा यह पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान पश्चिमी बंगाल में हत्याओं और लूटमार की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जो कुछ हमें प्रिय है, उसे नष्ट करने के अधिक प्रयत्न किये गये हैं। अतः इस स्थिति को देखते हुये मैं सभा तथा सत्तारूढ़ दल से अनुरोध करता हूं कि वह मेरा संकल्प स्वीकार कर लें।

अध्यक्ष महोदय : विभूति मिश्र का संशोधन संख्या।

श्री नाथ पाई : मैं उसे स्वीकार करता हूं।

श्री विभूति मिश्र : मैं इसे वापिस लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें संशोधन वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति प्राप्त है ?

माननीय सदस्य : जी हां,

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री लोबो प्रभु का संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 2 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री त्रिदीब कुमार चौधरी का संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 3 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री बी० प्र० मंडल का संशोधन संख्या 4 मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 4 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 4 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा खेद प्रकट करती है कि राष्ट्रपति का शासन प्रख्यापित करने के बाद भी पश्चिमी बंगाल में विधि और व्यवस्था की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और सम्पूर्ण राज्य में विशद निर्बाध हिंसात्मक गतिविधियों पर, जिनके कारण देश में जीवन,सम्पत्ति, सुरक्षा और लोकतन्त्र को खतरा पैदा हो गया है, गम्भीर चिंता व्यक्त करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived

---

19 नवम्बर, 1970 को प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्रायल में राज्य-मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के व्यवहार के सम्बन्ध में हुई चर्चा के दौरान दी गई जानकारी में शुद्धि

CORRECTION OF INFORMATION GIVEN BY PRIME MINISTER AND MINISTER OF STATE FOR HOME AFFAIRS ON 19TH NOVEMBER, 1970 DURING DISCUSSION ON U. P. GOVERNOR'S CONDUCT

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्रीमान जी, आप की अनुमति से मैं प्रधानमंत्री की तथा अपनी एक तथ्य सम्बन्धी त्रुटि के सम्बन्ध में खेद व्यक्त करना चाहता हूं जो कि उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध श्री नाथ पाई के प्रस्ताव पर हो रहे वाद-विवाद के समय हुई । प्रधानमंत्री ने केवल अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर ही यह कह दिया था कि उन्होंने राय-बरेली से लखनऊ जाते समय किसी हैलीकाप्टर का प्रयोग नहीं किया और न ही इस प्रकार का कोई हैलीकाप्टर उन के किसी साथी ने किया । परन्तु बाद में जब हमने रिकार्ड की जांच की, तो हमें अपनी भूल का पता चला । प्रधानमंत्री तथा उनके अन्य साथियों ने जिनमें कि श्री कमला-पति त्रिपाठी भी थे, रायबरेली से लखनऊ उन दो वायु सेना के हैलीकाप्टरों द्वारा गये जो उन्हें

इलाहाबाद से रायबरेली लाये थे । श्री श्रीपत मिश्रा प्रधानमंत्री के साथ ही एक हैलीकाप्टर में थे जबकि श्री कमलापति त्रिपाठी तथा प्रधानमंत्री के दल के कुछ अन्य सदस्य एक दूसरे हैलीकाप्टर में थे । यह दूसरा हैलीकाप्टर कुछ देर जल्दी रवाना हो गया था । प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के सरकारी दौरे पर थीं ।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE : PRICES OF ESSENTIAL ARTICLES

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा आम उपभोग की समस्त अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अति तेज गति से हो रही बृद्धि पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है और मांग करती है कि मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किये जायें।"

अध्यक्ष महोदय : आप अगले दिन भाषण जारी रखियेगा ।

इसके के पश्चात लोक सभा सोमवार, 23 नवम्बर, 1970/2 अग्रहायण, 1892 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, November 23, 1970/Agrahayana 2, 1892 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—16-2-71—340